

भारत का सांस्कृतिक इतिहास

लेखक
प्रो० एस० एम० चाँद
एम ए, एल एल बी
निदेशक
राष्ट्रीय इतिहास सस्यन



दो स्टूडेंट्स बुक कम्पनी

प्रथम संस्करण : 1986

मूल्य : 75 00

प्रकाशक : वी स्टूडेंट्स बुक कम्पनी
बीहा रास्ता, जयपुर 302003
फोन : 72455, 74087

मुद्रक : वी के इन्फोप्रिण्ट सेटर

809, राधे का बीच, जाट के बुए का रास्ता चण्डिकाबाजार जयपुर ।

Bharat ka Sanskritik Itihas S M CHAND
Cultural History Rs 75 00

प्राक्कथन

संस्कृति सर्वोत्तम प्रकाशन मानी गया है। संस्कृति सरिता का प्रवाह भाग है, जो समय पर बदलता रहता है। इसलिए संस्कृति को सामाजिक व्यवस्था के साथ मिलाकर देखा जाता है। वास्तव में, संस्कृति जीवन के उन समनोलो का नाम है, जो मनुष्य के अन्दर व्यवहार, ज्ञान एवं विवेक उत्पन्न करते हैं। संस्कृति ही मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है, और मानवीय सस्याग्रा की गति प्रदान करती है। संस्कृति साहित्य एवं भाषा को सवारती है, और मानव जीवन के आदर्श एवं सिद्धान्तों को प्रकाशमान करती है। संस्कृति समाज के भावनात्मक एवं आदर्श विचारों में निहित है। इस तरह कहा जा सकता है कि जीवन के सबसे मुख्य विकास हेतु 'संस्कृति' एक अपरिहार्य साधन है।

इस संदर्भ में, भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत विस्तृत एवं रोचक है। जहाँ विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताएँ विलुप्त हो चुकी हैं, वहाँ भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष हजारों वर्षों के अतिक्रमण पर भी अद्यावधि उपलब्ध हैं। प्रोफेसर हुमायूँ कबीर के शब्दों में, "भारतीय संस्कृति की कहानी एकता और समाधानों का समन्वय है तथा प्राचीन परम्पराओं और नवीन मानों के पूरा संयोग की तथा उत्थिति की कहानी है। यह प्राचीनकाल में रही है और जब तक यह विश्व रहेगा तब तक हमेशा रहेगी।"

भारत स्वतंत्र होने के पश्चात् हमारे देश के इतिहास का अध्ययन राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना जरूरी हो गया है। ऐसा करने पर ही, हम भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन कर सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय इतिहास के घटनाक्रम पर निष्पक्ष दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी पक्षों के क्रमिक विकास का समुचित चित्रण किया गया है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस ग्रन्थ की सुव्यवस्था, सरल एवं उपयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है।

ने न सिद्ध के स्वातिप्राण इतिहासकारों एवं विद्वानों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास पर रचित शिष्टी, उद्गू व अ प्रोजी प्रयों से, इस पुस्तक में, उपयुक्त माननी स्वयंसायक भी गई है, जिसे लिए सेसक उनका अत्यन्त आभारी है ।

पुस्तक को यथासम्भव उपायों एवं श्रुतिमुक्त बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है । महान् विद्वान् व समूह्य मुभाषा का सेसक स्वागत करेगा । अन्त में सेसक अने प्रकारक श्री ताराचन्द जी वर्मा को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकगा, शिष्टी व्यक्तिगत रूप सेकर पुस्तक को समय पर आक्षेप रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया ।

मोहिता बाबा
 ब्यावर (राजस्थान)

—एस एम चांद

विषय-क्रम

1. विषय प्रवेश— 1

सभ्यता एव सस्कृति का अर्थ एव परिभाषा 1, सभ्यता एव सस्कृति के बीच सम्बन्ध 3, सभ्यता एव सस्कृति का आधार 4, भारतीय सस्कृति का स्वरूप 4, भारतीय सस्कृति की विशेषताएँ 4, भारत में विविधता में एकता 7

2. आधारभूत धार्मिक विचार [1]— 10

उपनिषद् धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत 10, उपनिषद् क्या है 10, प्रमुख उपनिषद् 11, उपनिषदों का दर्शन आधारभूत विचार 12, भगवद् गीता और उसकी शिक्षाएँ 16, मुख्य सिद्धांत 18, गीता का मूल्यांकन 18, योग दर्शन के अष्टांग सिद्धांत 21, योग का अर्थ व परिभाषा 22, अष्टांग साधना 22, आठ सिद्धियाँ 24, योग दर्शन का महत्त्व 25

3. आधारभूत धार्मिक विचार [2]— 26

जैन धर्म 26, महावीर का जीवन परिचय 26, जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएँ 27, भारतीय सस्कृति को जैन धर्म की देन 31, बौद्ध धर्म 33, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र 33, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एव उपदेश 35, चार आद्य सत्य 36, अष्टांगिक मार्ग 37, दस शील आचरण के दस नियम 39, महात्मा बुद्ध का मूल्यांकन 40, हीनयान और महायान 41, बौद्ध धर्म की भारतीय सस्कृति को देन 43

4. सामाजिक सस्याएँ परिवार और जाति— 49

संयुक्त परिवार प्रथा 49, अर्थ एव परिभाषा 50, विशेषताएँ 51, संयुक्त परिवार प्रणाली के गुण व लाभ 51, दोष व हानियाँ 52, संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण 53, संयुक्त परिवार प्रथा का भविष्य 53, हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के आदर्श 53, तीन ऋण अर्थ एव उद्देश्य 54, पंच महायान महत्त्व 54 चार पुरुषार्थ 55, हिन्दू पारिवारिक सोलह सम्कार 56, परिचय एव महत्त्व 56, चार पुरुषार्थों की धारणा 58, वण व्यवस्था

की उत्पत्ति अर्थ एव उद्देश्य 60, अर्थ व्यवस्था का मूल्यांकन 63, भारत में जाति प्रथा अथ एव विशेषताएँ 63, जाति प्रथा की उत्पत्ति व विकास 65, गुण व लाभ 66, दोष व हानियाँ 67, वतमान काल में जाति प्रथा में परिवर्तन के कारण 69, जाति प्रथा का भविष्य 69, भारतीय समाज में नारी का स्थान 70, नारी की स्थिति में सुधार व कारण 73

5 हमारी साहित्यिक धरोहर — 75

रामायण—आदि महाकाव्य, महत्त्व 76, महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोष 74, महाकायकालीन सभ्यता व संस्कृति 80, महाकवि कालीदास और उनका साहित्य 82, कालीदास की चार काव्य रचनाएँ 85, गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य 89, काव्य की विशेषताएँ 91, रामचरितमानस 92, तुलसीदास की महानता एव जन प्रियता 94

6 मध्यकाल में सांस्कृतिक समन्वय — 96

इस्लाम और पगम्बर मुहम्मद 96, सिद्धांत 96, मुख्य शिक्षाएँ 97, भारत में मुस्लिम शासन की विशेषताएँ 98, हिंदू समाज पर इस्लाम का प्रभाव 99, विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में 104, धर्म के क्षेत्र में 105, मुस्लिम समाज पर हिंदुत्व का प्रभाव 106, मध्ययुगीन सांस्कृतिक समन्वय, 110, हिंदू व-मुस्लिम कला का समन्वय, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समन्वय व उन्नति 114, हिंदी साहित्य में मुस्लिम कवियों का योगदान 116, अमीर खुसरो 116, मलिक मोहम्मद जायसी 118, रसखान 119, अब्दुरहीम खानखाना 120 उसमान 121

7 भक्ति आन्दोलन — 123

भक्ति आन्दोलन के उदय के कारण 125, विशेषताएँ 126, प्रभाव और परिणाम 129, भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त 131, रामानुज 131, माधवाचार्य 132, वल्लभाचार्य 132, रामानन्द 132, सत कबीर मुख्य शिक्षाएँ और महत्त्व 134, गुरु नानक प्रमुख उपदेश 137, सत दाहू 140, चैतन्य 140 मारावाई 141, नामदेव 141

8 भारतीय पुनर्जागरण कारण और परिणाम— 143

पुनरुत्थान के कारण 144, परिणाम 147, राजा राममोहनराय 148, ब्रह्मसमाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान 155, स्वामी दयानन्द व्यक्तित्व और योगदान 160, अथ समाज के दस सिद्धांत 162, पुनर्जागरण में योगदान 164, रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व एव योगदान 167, स्वामी विवेकानन्द भारतीय पुनर्जागरण में योगदान 171, थियोसोफिकल सोसायटी उद्देश्य एव योगदान 176 एनीबीसेट 178 मुस्लिम समाज

का पुनर्जागरण 179 वहागी आन्दोलन धार्मिक सुधार 179 सर सत्यद
प्रहमद खाँ मुस्लिम समाज का पुनर्निर्माण 180, मुस्लिमों में शिक्षा-
प्रसार 181 अलीगढ़ आन्दोलन का इतिहास व महत्त्व 182

9 तिलक और टैगोर का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्व 184

तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान 184, तिलक की उपलब्धियां
188, रविन्द्रनाथ टैगोर 192, बंगला साहित्य को देन 193, टैगोर की
उपलब्धियां मूल्यांकन 196

10 महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व 199

राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान 199, गांधीजी के समाजसुधार
सम्बन्धी विचार 204, गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धांत व अहिंसा दर्शन
209

11 आधुनिक भारत और पश्चात्य संस्कृति— 213

राजनीतिक वातावरण 213, राष्ट्रीय चेतना 214, सामाजिक प्रभाव
214, धार्मिक प्रभाव 215, आर्थिक प्रभाव 215, कृषि पर प्रभाव 217,
शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव 218, कला के क्षेत्र में जागरूकता 219,
वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अनुसंधान 220, यातायात के साधनों में वृद्धि 221,
राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव 221

विषय-प्रवेश

(Introduction)

- I 'सभ्यता' और 'संस्कृति' से तात्पर्य
- II भारतीय संस्कृति का स्वरूप विशेषताएं
- III भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास का अध्ययन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि (1) 'सभ्यता' और 'संस्कृति' का क्या अर्थ है तथा इन दोनों का आपस में क्या सम्बन्ध है ? (2) भारतीय सभ्यता व संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है ? और (3) उसकी विशिष्टता एवं मूलभूत एकता के क्या मौलिक कारण हैं ?

I सभ्यता एवं संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा

शकसर 'सभ्यता' और 'संस्कृति' दोनों की चर्चा साथ साथ की जाती है। इसलिए जन साधारण इन दोनों शब्दों का पर्यायवाची समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु, शास्त्र की दृष्टि में इन दोनों में आधारभूत अंतर है। साधारण शब्दों में इनकी तुलना मनुष्य के बाह्य शरीर एवं आत्मा से की जाती है, अर्थात् यदि सभ्यता मानव जीवन का बाह्य स्वरूप है तो संस्कृति उसकी आत्मा। किंतु, एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी दोनों का अपना अपना स्थान एवं महत्त्व है तथा दोनों के अर्थों एवं स्वरूप में बड़ा अंतर है।

सभ्यता का अर्थ एवं स्वरूप — सभ्यता मानव विकास की प्रथम सीढ़ी है। ऐतिहासिक स्तर पर आदिम मानव ने अपने इहलौकिक अथवा भौतिक सुख के लिए अनेक उपादानों की खोज की। उसने उनका विकास किया। इस तरह मानव समाज ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया। सभ्यता का सम्बन्ध उन उपकरणों में है जो मनुष्य अपने इहलौकिक जीवन को सुगम बनाने के लिए जुटाता है, परंतु इसका स्वरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है। पाषाण युग ने लेकर आज तक अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। सुव्यवस्था के लिए मनुष्य ने अनेक उपकरण जुटाए हैं। यह सब विकास सभ्यता के अन्तर्गत आता है।

सभ्यता का शाब्दिक अर्थ 'समाज की विकसित तथा शिष्ट अवस्था' माना जाता है। प्रो० ह्यूमार्स कबीर के मतानुसार 'सभ्यता जीवन की सगठित सस्था है, जो नागरिक समाज को समव बनाती है।' नागरिक समाज सहकारी जीवन की परिस्थितियाँ निर्मित करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति फलादयी और निर्माणात्मक कार्यों में लगा रहता है।

जीवन मात्र के तीन मुख्य ऐहिक ध्येय हैं—पशन (भोजन), वसन (वस्त्र) और निवसन (निवास)। जब से मनुष्य ने मानवी बानक अपनाया है तभी से वह इन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने में सलग्न रहा है। इसी हेतु वह विविध सामाजिक तथा राजनीतिक सस्थाओं और आर्थिक यंत्रों और साधनों का अन्वेषण करता रहा है। इनका क्रम सुदूर अतीत से, जब से उसने पत्थर के हथियार और औजार बनाना जान पाया था, आज तक आधुनिक हवाई जहाज, रेल, तार, लोहे और कपड़े के विशाल कारखाने आदि के रूप में अनवरत रूप से चला आ रहा है। उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सस्थाओं का भी मुख्यतया यही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य-जीवन को इन तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता, सुगमता और विश्वसनीय रूप से हो सके। इन समस्त रचनाओं, सस्थाओं और साधनों का सम्बद्ध भार सस्था रूप व्यवस्था का नाम ही 'सभ्यता' है। सारास में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सतुष्टि के लिए किये गये प्रयास और उनकी अभिव्यक्ति का नाम ही 'सभ्यता' है।

'संस्कृति' का अर्थ एवं स्वरूप—'संस्कृति' एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ समझना तो बहुत सरल है किन्तु जिसकी निश्चित परिभाषा देना सरल नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे प्रायः विद्वानों द्वारा अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता रहा है। साधारणतः संस्कृति शब्द का अर्थ 'सुधरी हुई अच्छी स्थिति' माना गया है। किसी भी देश, जाति अथवा समुदाय विशेष की संस्कृति से अभिप्राय होता है—उस देश, जाति अथवा समुदाय के लोगों के रहन-सहन अथवा जीवन यापन का तरीका।

प्रत्येक सभ्यता के क्रमिक विकास में एक स्तर आता है जब वह विशेष मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण कर लेता है। यह उसके सामूहिक जीवन में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि समस्त समाज इन उदात्त और सूक्ष्म विशेषताओं में रँग जाता है। उसके सभ्य जीवन की समस्त सामग्री इन उच्च ध्येयों की पूर्ति का एक साधन मात्र बन जाती है। उसकी समस्त रचनात्मक कृतियाँ इन 'संस्कृत', मिलने हुए, उद्देश्यों के प्रतीक हो जाते हैं।

विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है। बेकन के शब्दों में, "संस्कृति में मानव की आन्तरिक एवं स्वतंत्र जीवन की अभिव्यक्ति होती है।" एवं प्रम विद्वान डॉ० व्हाइट हेड ने लिखा है "Culture is

activity of thought and receptiveness to beauty and human feelings " अर्थात् 'संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है और सौन्दर्य तथा मानवीय अनुभूतियों को हृदयगम करने की क्षमता है।' दूसरे शब्दों में, बौद्धिक चिन्तन के द्वारा सत्य की खोज, सौन्दर्य की अभिव्यक्ति और मानव प्रेम का विकास संस्कृति के प्रमुख तत्त्व हैं। "सत्य, शिव, सुन्दरम्" ही संस्कृति का महामन्त्र है। "सम्पत्ता" के सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्त्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम "संस्कृति" है।

डॉ० रामधारीसिंह 'दिनकर' के अनुसार "संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में व्याप्त है। एक आत्मिक गुण है, जो मनुष्य स्वभाव में, उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और रस में मखन।" प्रो० हुमायूँ कबीर ने लिखा है कि, "संस्कृति भाषा और कला, धर्म व दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाजों व धादता तथा राजनतिक संस्थाओं तथा आर्थिक संगठनों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इनमें स भ्रमण भ्रमण एवं इकाई संस्कृति नहीं है, परन्तु संयुक्त प्रभिव्यक्त होती है। इनमें स भ्रमण भ्रमण एवं इकाई संस्कृति नहीं है, परन्तु संयुक्त रूप से वे जीवन की अभिव्यक्ति हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति सम्पत्ता से ही पुष्पित पल्लवित होती है।" डॉ० आबिद हुसन के शब्दों में, "संस्कृति किसी समाज में निहित चरम मूल्यों की सामजस्यपूर्ण चेतना है जिसकी अभिव्यक्ति उसमें अपनी सामूहिक संस्थाओं में की हो, जिसकी अभिव्यक्ति उसने व्यक्ति-सदस्यों ने अपने भाव स्वभाव, अपनी प्रवृत्तियाँ, अपने आचरण में और भौतिक वस्तुओं को दिये गये महत्त्वपूर्ण रूपों में की हो।" सत्य की खोज, सौन्दर्य की अभिव्यक्ति और मानव-प्रेम के विकास को सांस्कृतिक प्रेरणा का साधन कहा जा सकता है। सारांश में "संस्कृति किसी समाज की चरम-मूल्य विषयक भावना है जिसके अनुसार वह अपने जीवन को ढालना चाहता है।"

सम्पत्ता एवं संस्कृति के बीच सम्बन्ध—सम्पत्ता और संस्कृति का सम्बन्ध और इनके बीच घातर को यथेष्ट रूप से समझने के लिए इनकी तुलना नमरा मानव शरीर तथा आत्मा से की जा सकती है। 'सम्पत्ता' देह है, तो 'संस्कृति' उसमें अनुप्राणित आत्मा। जैसे देह का बणन सरल है, परन्तु आत्मा का दिग्दर्शन कराना कठिन है, इसी तरह 'सम्पत्ता' का विशेष चित्रण प्राप्त होता है, परन्तु 'संस्कृति' विशेष का वास्तविक बोध और विवेचन केवल शुद्ध प्रयास, निष्पक्ष अनुसंधान और सूक्ष्म चिन्तन द्वारा ही सम्भव है।

प्रो० सी ई एम थोड ने सम्पत्ता और संस्कृति का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है 'Culture is what we are, civilization is what we make' प्रो० हुमायूँ कबीर के मतानुसार "एक सीमा तक सम्पत्ता के विकास और विस्तार के बाद ही संस्कृति का उदभव और विकास संभव है।" डॉ० आबिद हुसन ने लिखा है कि सम्पत्ता किसी जाति या राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास की वह अवस्था

है, जब वह बड़े बड़े स्थानों में—जिह हम नगर कहते हैं—विकसित होती है। उनमें भौतिक जीवन का अधिक ऊँचा स्तर परिलक्षित होता है। पाश्चात्य लोग इसे 'रहन-सहन का ऊँचा स्तर' कहते हैं। लेकिन भौतिक जीवन के ऊँचे स्तर में सांस्कृतिक तत्त्व तभी होता है जब वह किसी चरम नैतिक मूल्य से अनुप्राणित हो या उसकी सिद्धि का साधन बने।

सभ्यता और सस्कृति का आधार—(1) सभ्यता के विकास का प्रथम आधार हमारा भूमण्डल है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ, प्रदेश विशेष के रहन सहा के ढंग, खान पान की रीतियाँ, उत्पादन व्यवस्था, व्यवसाय के साधन और इन क्रियाओं की उपयुक्त सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निरूपण सभ्यता करती है। (2) सभ्यता के विकास का दूसरा आधार समूह विशेष के प्राकृतिक गुण और स्वकार हैं। भूगोल और इतिहास की भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न गुण या योग्यताएँ पाई जाती हैं जो उनकी सभ्यता और सस्कृति में प्रदर्शित होती हैं। जातियों के पारस्परिक आदान प्रदान भी उनकी सभ्यता और सस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं।

II भारतीय सस्कृति का स्वरूप और विशेषताएँ

भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से एक है। इसे मानव समाज की एक अमूल्य निधि कहा जा सकता है। यदि ससार में कोई सस्कृति प्रमर कही जा सकती है तो निस्सन्देह, भारतीय सस्कृति ही वह सस्कृति है। आज हम जिसे 'भारतीय सस्कृति' कह कर पुकारते हैं वह किसी एक जाति, सम्प्रदाय अथवा वंश की वृत्ति नहीं है। प्रायः कुछ विद्वान हिन्दू सस्कृति को ही भारतीय सस्कृति मान बैठने की भूल कर बैठते हैं। किंतु हम यह ध्यान रखना चाहिए कि 'भारतीय सस्कृति' से हमारा अभिप्राय केवल मात्र 'हिन्दू सस्कृति' से कभी नहीं है। यह सही है कि भारतीय सस्कृति के विकास में प्रमुखतम योगदान हिन्दू जाति का ही रहा है, किंतु इसके स्वरूप को निखारने तथा सजाने सँवारने में जैन, बौद्ध, मुस्लिम तथा ईसाई सम्प्रदायों एवं सस्कृतियों ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसे भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आज जिसे हम भारतीय सस्कृति के नाम से जानते हैं, वह किसी एक जाति अथवा सम्प्रदाय की देन नहीं बल्कि हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई अनेक जातियाँ एवं सस्कृतियों से ग्रहण किये गये तत्त्वों का समन्वित एवं सम्मिश्रित रूप है। विश्व कवि रवी द्रनाथ टगोर के शब्दों में—

"हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, ख्रिस्तानी
पूरव, पश्चिम आसे, तब सिंहासन आस, प्रेमहार हम गाथा"

भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ—एशिया के अंतर्गत भारत एक विस्तीर्ण प्रायद्वीप है, जिसका आकार एक विषमबाहु चतुर्भुज के समान प्रतीत

3 समन्वय शक्ति एवं ग्रहणशीलता—बाहरी तत्त्वा को पचाने की क्षमता तथा समयानुकूल परिवर्तन भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषता एवं गुण है। इसकी सहिष्णुता और सहनशीलता का परिचय इस बात में मिलता है कि यहाँ समय-समय पर विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों एवं सम्प्रदायों का उदय होता रहा। सहिष्णुता के अनुकूल इस सस्कृति में सामंजस्य की भी अपरिमित शक्ति विद्यमान रही है। इसी कारण भारतीय सस्कृति ने विभिन्न विचारधाराओं, धार्मिक विश्वासा, रहन-सहन और भाषा-बोलियों के बीच समन्वय कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रो० डॉडवेल के अनुसार, "भारतीय सस्कृति एक विशाल महासागर के समान है जिसमें अनेक नदियाँ (विभिन्न जातियों की सभ्यताएँ) आ-आ कर समाहित होती रही हैं।" प्रो० हुमायूँ कयोर के शब्दों में, "भारतीय सस्कृति एकता और समन्वय, समाधान और विकास तथा पुरातन परम्पराओं एवं नये मूल्यों के सम्पूर्ण समरसता तथा एकत्वता की कहानी है।"

4 धर्म प्रधानता एवं आध्यात्मिकता—भारतीय सस्कृति की एक प्रमुख विशेषता उसकी धर्म प्रधानता है जिसका प्रभाव यहाँ जीवन के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर देखा जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अनेकानेक धार्मिक प्रयोग हुए हैं। सम्राट अशोक का वचन है—“लोगों को दूसरे के धर्म के बारे में सुनना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए।” धर्म, जन, बौद्ध, इस्लाम एवं ईसाई धर्मों ने भारतीयों के जीवन का धर्म से प्रोत्साहित कर दिया। भारतीय जीवन धर्ममय हुआ गया। भारतीय चिन्तन पर आध्यात्मिकता की स्पष्ट छाप देख पड़ती है। “आत्मा को पहचानो” (आत्मान विज्ञानीहि)—भारतीय सस्कृति को सावभौम घोषणा रही है। साथ ही, मनुष्य के लौकिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने पर भी बल दिया गया है।

भारतीय सस्कृति की उपयुक्त वर्णित विशेषताओं पर विचार करने से अपने अतीत के ऊपर गौरव का अनुभव करना स्वाभाविक है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारतीय सस्कृति के उच्च आदर्शों का फलस्वरूप ही हमें महान अशोक और सम्राट अकबर जैसे प्रबुद्ध शासक प्राप्त हुए, जिन्होंने भारतीय सस्कृति की धारा को सशक्त और प्रवाहमयी बनाया। उन्होंने हमें धार्मिक भेद भाव को भुलाकर एकता और भाईचारे से रहने की प्रेरणा दी।

महत्त्व—सारांश में, भारतीय सस्कृति की ग्रहणशीलता तथा समन्वय की प्रवृत्ति वर्तमान भारत के लिए एक वरदान है। आधुनिक विश्व में अनेक प्रकार की विचारधाराओं, आदर्शों तथा सस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है। इनके सफल समन्वय द्वारा ही एक विश्व समाज का निर्माण किया जा सकता है। विश्व के समस्त उपस्थित इस कठिन कार्य में हमें समन्वय भारतीय सस्कृति निश्चय ही सही मार्ग दिखा सकती है।

III "भारत में विविधता में मौलिक एकता"

"भारत में वन, वण, भाषा, वण भूषा व रीति रिवाज सम्बन्धी अनगिनत विभिन्नताओं में भी एक अखण्ड सारभूत एकता है।"

— डॉ० बी० ए० स्मिथ

अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी है और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएँ भी उतनी प्रत्यक्ष हैं। "भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में वही गगनचुम्बी पर्वत हैं, तो वही पर पृथ्वी समुद्रतल से भी अधिक नीची है। यदि भारतवर्ष का विभिन्न जातियों, रीति रिवाज, भाषाभाषा, धर्मों आदि का संग्रहालय (अजायबघर) कहा जाय तो अनुचित न होगा।" पारश्चात्य इतिहासकारों के उपयुक्त कथन से ऐसा ज्ञात होने लगता है कि भारत में विभिन्नताएँ अत्यधिक मात्रा में वर्तमान हैं अतएव यह एक देश नहीं है और इस कारण इस देश में पूर्ण एकता भी सम्भव नहीं है। किंतु सत्य तो यह है कि पारश्चात्य विद्वानों ने भारत की इन विभिन्नताओं पर गहन विचार नहीं किया अथवा उनको अपनी विचारधारा में अवश्य ही परिवर्तन करना पड़ता कि "विशाल होते हुए भी भारत की एकता भौगोलिक नदों पर और इतिहास पर साफ लिसी हुई है। अस्तु, यदि हम सम्भीरतापूर्वक दूर दृष्टि से विचार करें तो अनेक विविधताओं के होते हुए भी भारत की आपारभूत एकता को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस एकता के विभिन्न पक्ष निम्नानुसार हैं

1 भौगोलिक एकता—भारत भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित है। डॉ० राजबंसी पाण्डे के शब्दों में, "प्रकृति ने इस भौगोलिक इकाई का इतनी दृढ़ता से बनाया है कि यह देश व प्राकृतिक विभाजनों की अक्षय तरह बचती है।" भौगोलिक एकता तो भारत में इतनी है कि उसकी हानि करने का दावा कम ही अन्य राष्ट्रीय राज्य कर सकते हैं। प्राचीन शास्त्रों में *समुद्रं तत्र हिमालयः स एतन्महासागरं* का वाक्य है—"हिमालय में समुद्र है। मध्य युग के मुस्लिम शासनकाल में भी भारत एक भौगोलिक इकाई बना रहा और फलस्वरूप यहाँ सांख्यिक सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न नहीं हुए। प्रागुनिक युग के शासनकाल में वर्तमान यातायात के साधनों की कमी तथा समान शासन से यह भौगोलिक एकता और भी अधिक सुदृढ़ हुई है।"

2 राजनतिक एकता—भारतवासी देश की एकता से अतीत प्रवृत्त थे। प्राचीन काल से राजाओं की मनःशान्ति विविध प्रकार की अनेक प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। विष्णुयुग के शासनकाल में समुद्र तट विष्ट्र हाना चाहिए।" *साम्राज्य, हिमालय पर्वत में समुद्र तट विष्ट्र हाना चाहिए।*

अशोक तथा समुद्रगुप्त के समय देश का शासन-संचालन केन्द्र से होता था और देश में राजनतिक एकता विद्यमान थी। मध्य युग में अलाउद्दीन खिल्जी और बाद में पुनः औरंगजेब ने समूचे भारत को विजित कर राजनतिक दृष्टि से एक किया। केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियों के बने रहने पर भी भारत की राजनतिक एकता के आदर्श विद्यमान रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न जारी रहे। ब्रिटिश शासनकाल में तो यह राजनतिक एकता पूर्णतया स्थापित हो गयी।

3 सांस्कृतिक एकता—जब भारत का सांस्कृतिक इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुरंगी विविधताओं के बावजूद भारतीयों के सोचने-समझने में, उनकी अनुभूतियों में, उनके रहन-सहन में एक मूलभूत एकता है। प्रो० हुमायूँ कबीर ने ठीक ही लिखा है कि, “भारतीय सभ्यता की कहानी, एकता और समाधानों का समन्वय है तथा प्राचीन परम्पराओं और नवीन मानों के पूरा मेल की उन्नति की कहानी है। यह प्राचीन काल में रही है और जब तक यह विद्यमान रहेगा तब तक हमेशा रहेगी। विश्व की अन्य अनेक सभ्यतियाँ नष्ट हो गयीं परन्तु भारतीय सभ्यता व उसकी एकता अमर है।” भारत और भारतीय सभ्यता में वही सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा का है।

देश के किसी भी भाग में, चाहे जहाँ भी चले जायें आपको स्थान-स्थान पर एक-सी सभ्यता के मन्दिर तथा मस्जिद दिखायी देंगे। एक ही तरह के लोग से मुलाकात होगी जो मन्दिर में पूजा और मस्जिद में नमाज पढ़कर परमात्मा की आराधना करते हैं और विशिष्ट अवसरों पर व्रत या रोजे रखते हैं। हिन्दू और मुसलमान विभिन्न धर्मविलम्बी होते हुए भी, सड़की बर्षों की लम्बी सगति के फलस्वरूप उनके बीच सभ्यता की बहुत-सी समान बातें पदा हो गयी हैं, जो उन्हें दिनो-दिन आपस में नजदीक लाती जा रही हैं।

विविधता में एकता का जोता जागता स्वरूप—धर्म के केन्द्र से बाहर जो सभ्यता की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी है जो उन्हें दूसरे देशों से अलग करती है। ससार के प्रत्येक देश पर अगर हम अलग-अलग विचार करें तो हम पता चलेगा कि हर एक देश के प्रत्येक निवासी की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल-ढाल, बात-चीत, रहन-सहन, खान-पान और तौर-तरीके और आदतों से टपकती रहती है। भारत में भी योरोपीय पोशक खूब चलती हुई है, लेकिन योरोपीय लिबास में सजे हुए भारतीयों के बीच एक अग्रज को खड़ा कर दिया जाय, तो वह आसानी से पहचान लिया जायगा। इसी तरह एक भारतवासी, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई कोई भी हो, भारत से बाहर जाने पर, आसानी से पहचान लिया जाता है कि वह भारतीय

यानी हिन्दुस्तानी है। यही वह सांस्कृतिक एकता या शक्ति है जो भारत को एक बनाये हुए है। यही वह विशेषता है जो उन लोग म पदा होती है—जो एक देश में रहते हैं, एक तरह की जिदगी बसर करते हैं और एक तरह के दशन और एक तरह की आदतों का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं।

स्वाधीन लोकतांत्रिक भारत की एक-सी शासन-व्यवस्था के अतगत सभी लोगों ने समान नागरिकता प्राप्त की है। इससे पारस्परिक जातीय भेद-भाव विलुप्त हो गया और देश में राष्ट्रीय एकता की नवीन प्रगतिशील विचारधारा का फलस्वरूप उदार मानवीय भावना का उदय हुआ।

। । । निष्कर्ष—डॉ० वी० ए० स्मिथ का कथन उचित है कि “भारत की अनेक बातें उसे ससार में अलग बतलाती हैं, परंतु समस्त भारत की अनेक बातों में एकरूपता है।” भारत की मूलभूत एकता के समय में सर हबर्ट रिजले ने ठीक ही कहा है कि “भारत में दशक की भौतिक क्षेत्र में और सामाजिक रूप में भाषा, आचार और धर्म में जो विविधता दृष्टिगोचर होती है, उसकी तरह में हिमालय से कन्याकुमारी तक एक आंतरिक एकता है।”

— 111 —

□□□

आधारभूत धार्मिक विचार

(Fundamental Religious Ideas)

उपनिषद्, गीता और योग

(Upanishad, Geeta and Yoga)

- I उपनिषद् धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत
 II भगवद्गीता और उसकी शिक्षाएं
 III योग दर्शन के अष्टांग सिद्धान्त

I उपनिषद् धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत

भारतीय धर्म और दर्शन का जितना सुंदर निरूपण उपनिषदों में किया गया है उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। भारतीय सस्कृति में पाये जाने वाले समस्त विचारों एवं दार्शनिक सिद्धांतों का स्वरूप हमें इन उपनिषदों में दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ प्रचलित सांख्य, योग, 'याय, वैशेषिक आदि दार्शनिक मतों तथा चार्वाक, जन, बौद्ध आदि नास्तिक दार्शनिक मतों ने मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में मिल जाते हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में प्रचलित द्रव्य भेद, विशिष्टाद्वैत आदि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ भी उपनिषदों पर आधारित हैं।

उपनिषद् क्या हैं? विद्वानों द्वारा उपनिषदों को वैदिक साहित्य का ही एक विशिष्ट अंग माना जाता है। वेद कुल मिलाकर चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों को मानव पान के प्राचीनतम अमिलेल कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। प्रत्येक वेद के चार भाग हैं—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्।

(1) संहिता—वेदों के संहिता नामक भाग में धार्मिक कानों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों और प्राथनाओं का संग्रह मिलता है।

(2) ब्राह्मण—ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के बाद हुई। इनमें यज्ञों की विधियाँ तथा अन्य कर्मकाण्डों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।

(111) आरण्यक—आरण्यक ग्रन्थों में अधिकांशतः उन धार्मिक कमकाण्डों की व्याख्या मिलती है जिनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया है। इनमें यज्ञों के रहस्य तथा अथ अनेक दाशनिक बातों का विवेचन मिलता है।

(1v) उपनिषद—वस्तुतः आरण्यकों को ही उपनिषदों का जनक कहा जा सकता है। इनमें हमें मानव जीवन, आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि विषयक अनेक गूढ़ विषयों पर गहन और सूक्ष्म चिन्तन देखने को मिलता है। वैदिक काल की संस्कृति के बारे में हमारा ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता है जब तक हम उपनिषदों तथा उनमें निहित ज्ञान एवं दाशनिक विचारधाराओं को हृदयगम नहीं कर लेते। इसी कारण उपनिषदों को 'वेदान्त' भी कहा जाता है। एक अथ विचारानुसार, चूंकि वेदों के अंतिम भाग में अथवा तुरन्त ही वेद उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए भी उन्हें 'वेदान्त' कहा गया।

उपनिषदों का अथ परिषय—'उपनिषद' शब्द के अथ के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। शाब्दिक रूप से उपनिषद का अथ है—'श्रद्धा सहित निकट बैठना'। उप=निकट, नि=नियमपूर्वक, तथा षद=बैठना, अर्थात् गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। संक्षेपमूलक का कथन है कि उपनिषद का प्रारम्भिक अथ होता है—गोष्ठी—एक ऐसी गांठी जिसमें शिष्यगण गुरु के चारों ओर एकत्रित हैं। बाद में चलकर इन उपनिषदों (अर्थात् गोष्ठियों) से जन्म लेने वाले दाशनिक विचारों के संग्रहों को भी इसी नाम से पुकारा जाने लगा। डॉ० राधा कृष्णन के मतानुसार, उपनिषद शब्द का अथ है, "वह ज्ञान जो कि भ्रम का निवारण करके हम सत्यता पहुँचने में समर्थ बनाता है।" प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी विद्वान् इस बात पर सहमत हैं कि अपने रहस्यमय अथवा गूढ़ विचारों के कारण ही उन्हें उपनिषद कहा जाता है। ऐसी स्थिति में डामसन नामक विद्वान् का यह कथन आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि उपनिषद का अथ है— "रहस्यमय विचार।"

प्रमुख उपनिषद—उपनिषदों की संख्या के बारे में विद्वान् में मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उनकी कुल संख्या 108 है। किन्तु विद्वान् लोग केवल उही उपनिषदों को महत्त्व देते हैं जिनकी रचना बौद्ध काल से पूर्व ही हुई थी। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुद्ध के बाद भी अनेक उपनिषद रचे गये। साधारणतः विद्वान् का यह मत है कि जिन 11 उपनिषदों की टीका आदि—गुरु श्वराचार्य ने लिखी है, वही प्रमुख उपनिषद हैं। इन प्रमुख ग्यारह उपनिषदों के नाम हैं— ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये सभी सम्भवतः बुद्ध से पहले की रचनाएँ हैं। ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखे हुए हैं।

उपनिषदों का रचना-काल—उपनिषदों के रचनाकाल के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वान् का मत है कि उपनिषदों की रचना वेदों

के साथ साथ हुई। इसके विपरीत कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इनका रचनाकाल वेदों के बाद का है। उपनिषदों की रचना पहिले मौखिक रूप से की गयी थी तथा उह लिखित रूप बहुत बाद में जाकर प्राप्त हुआ। एही स्थिति में उनकी रचना का सही समय बताना अत्यन्त कठिन है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि सभी उपनिषद एक ही काल में नहीं रचे गये। इनमें से कुछ अति प्राचीन हैं तथा कुछ काफी बाद में। यही कारण है कि कुछ प्राचीन उपनिषद वेदा में ही सम्मिलित मिलते हैं जबकि बाद के उपनिषद वेदा से पृथक् पाये जाते हैं। जो उपनिषद वेदा के साथ सम्मिलित मिलते हैं उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—(1) ईशोपनिषद, जो यजुर्वेद का अतिम अध्याय है। (2) छांदोग्य उपनिषद, यह सामवेद के एक ब्राह्मण के अंतर्गत मिलता है। (3) बृहदारण्यक उपनिषद, जो शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है।

॥ उपनिषदों का दशम आधारभूत विचार ॥

उपनिषदों में भारतीय तत्त्वज्ञान और धर्म सिद्धांत भरा हुआ है। हमारे ज्ञान के अक्षय स्रोत यही हैं। यद्यपि उपनिषद वैदिक साहित्य के ही अंग हैं, फिर भी वेदों और उपनिषदों के विचारों में मौखिक अंतर है। उपनिषदों में वैदिक यज्ञों की अर्थहीनता प्रदर्शित की गई है और ब्राह्मण वेदों द्वारा सरक्षित कर्म-काण्डों का विरोध किया गया है।

उपनिषदों में ज्ञान मार्ग का आदेश प्रस्तुत किया गया है जो प्रारम्भिक वैदिक धर्म के प्रवृत्ति परक अथवा उपसना और कर्मकाण्ड प्रधान विचारों से भिन्न है। जीवन मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति जैसे शाश्वत प्रश्नों पर वेदा से अधिक विस्तार से उपनिषदों में चर्चा की गई है। उपनिषदों में धर्म से हटकर आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति, मोक्ष, ज्ञान कर्म और पुनर्जन्म पर विस्तार से चर्चा की गई है। उपनिषदों के रचयिता ऋषियों ने धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ आदि के स्थान पर मानव के अछि-बुरे कर्मों से ही आत्मा के मोक्ष की चर्चा की। उन्होंने दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों की धर्म निरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने वेदों के धार्मिक आवरण और आडम्बरों से परे शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और आत्मपरक तत्त्वों की खोज निकालने का सफल प्रयत्न किया। इसी ने उन्हें कुछ विशेषताएँ प्रदान कीं। उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं—

1। जगत एक ठोस सत्य है—उपनिषदों का कहना है कि जगत एक ठोस सत्य है। इसे माया, भ्रम, कल्पना अथवा मिथ्या कहना उचित नहीं है। समस्त सृष्टि का निर्माण पाँच तत्वों से हुआ है—पृथ्वी, जल, अग्नि, प्रकाश और वायु। इन पाँच तत्वों का स्वामी महातत्त्व है। यही महातत्त्व प्रकृति का मूलतत्त्व है, यही ब्रह्म है।

2 जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है—उपनिषदों के अनुसार, यह जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वह ब्रह्म से उत्पन्न होता है। उसी से पलता है और उसी में समा जाता है। मुण्डकोपनिषद के अनुसार, जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं अथवा जसे भूमि से पौधे उगते हैं उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म से निकलता है।

3 ब्रह्म का स्वरूप—ब्रह्म क्या है ? इसका स्वरूप कैसा है ? उपनिषदों ने इन विषयों पर भी विचार प्रकट किये हैं। इनके अनुसार ब्रह्म चरचर-जगत में व्याप्त सूक्ष्म तत्त्व है। यह सूक्ष्म तत्त्व (अर्थात् ब्रह्म) अग्नि, जल, पेड़ पौधों, तथा समस्त जगत में मौजूद है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार नमकीन जल के प्रत्येक भाग में नमक रहता है उसी प्रकार ब्रह्म, जिसे आत्म-चेतना भी कहा गया है, सृष्टि के कण-कण में मौजूद है। यही ब्रह्म ससार का संचालक है। ब्रह्म को निराकार, निर्विकार और चेतन माना गया है। उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म अनन्त है। जगत उसके एक अंश मात्र से बना है। ब्रह्मसे ही जीव की उत्पत्ति हुई है। उसी से आत्मा निकली है।

4 आत्मा का स्वरूप—उपनिषदों के अनुसार, आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। वह अजर अमर और अशरीरी है। वह जन्म मरण से परे है और शरीर के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होती। आत्मा वह तत्त्व है जो जीवन का संचालन करता है—यही चेतन शक्ति है। आत्मा उसी परमात्मा अथवा महातत्त्व का अंश है। 'मानव शरीर में आत्मा की ज्योति ही मनुष्य का मार्ग दर्शन करती है।'

5 आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता—प्रायः सभी उपनिषद एक बात का समवेत स्वर से प्रतिपादन करते हैं कि "मूल सत्य ब्रह्म है यही आत्मा है।" छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि, शरीर में रहने वाली आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है तथा जैसे ही यह (शरीर-रूपी) नश्वर-बंधन उत्तर जायेगा वैसे ही वह ब्रह्म में लीन हो जायेगी।"

6 कर्मवाद और आवागमन—उपनिषदों के अनुसार कर्मवाद का सिद्धांत सही है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। धुरे कर्म करने पर मनुष्य की आत्मा दूषित हो जाती है जिसके कारण वह सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाता तथा उसे बार-बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार आवागमन का चक्र चलता रहता है, जब तक कि ज्ञानोदय से आत्मा का ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाता। ज्ञानोदय सत्कर्म से होता है। इस तरह, कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण करता है।

7 जीवन का सक्षय मोक्ष—उपनिषदों ने मोक्ष को मानव-जीवन का सर्वोच्च सक्षय माना है। उपनिषदों के अनुशीलन से मानव सांसारिक सुखों के प्रति

विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्म ज्ञान प्राप्त करने को आतुर हो जाता है। वह ऐसी किसी भी वस्तु से सतुष्ट नहीं हो सकता जो उसे अमृतत्व न प्रदान कराए। अस्तु, उपनिषद ब्रह्म ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसका समस्त अज्ञान दूर हो जाता है तथा उसके कर्मों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। वह ब्रह्म में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष परम शांति की अवस्था है।

उपनिषदों का एकतत्त्ववाद (Monism)—सम्पूर्ण सत्ता का केवल एक ही स्रोत मानने की प्रवृत्ति को एकतत्त्ववाद या एकवाद कहा जाता है। एकतत्त्ववादी विचारधारा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जिस तत्त्व से हुई वह एक है। उसके समान या उससे अलग अन्य कुछ नहीं है। एकतत्त्ववाद का सिद्धांत उपनिषदों की मुख्य शिक्षा है जिसके अनुसार सम्पूर्ण जगत के पीछे जो मूल आध्यात्मिक सत्ता है, वह एक ही है। जगत में नित्य-तत्त्व अथवा वास्तविक सत्ता “ब्रह्म” और व्यक्ति के स्व का मूलतत्त्व “आत्मा” —ये दोनों वास्तव में एक ही हैं।

उपनिषद सभी अस्तित्वमान वस्तुओं की एकता पर बल देते हैं। उनकी दृढ़ भावना है कि एक सबव्यापी सत्ता है जिसमें सभी वस्तुएँ स्थित हैं और जिसमें सभी वस्तुएँ विलीन हो जाती हैं। सारे जगत का मूल तत्त्व और व्यक्ति का मूल तत्त्व भिन्न नहीं हो सकते। उपनिषदों के अनुसार, “इस सृष्टि के पीछे एक ही सत्ता है, एक ही सत्य है, उसे चाहे ब्रह्म कहें अथवा आत्मा।” जब तक अज्ञान बश हम इनमें भेद करते रहते हैं और इनकी एकता की अनुभूति नहीं कर पाते तभी तक आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। जिस क्षण इस एकता का ज्ञान हमें हो जाता है, उसी क्षण इस ससार एवं पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। सारास में उपनिषदों में ब्रह्म और जगत का एकत्व अलीभांति प्रतिपादित किया गया है। उपनिषद ऐसे रोचक सवालों से परिपूर्ण हैं जिनमें एकतत्त्ववाद का अनुष्ठान-रूप देखने को मिलता है।

वेदों तथा उपनिषदों में विचारों का अंतर— उपनिषद वेदों की विचारधारा के विरोध में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन है। उपनिषदों में स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों के कर्म-काण्ड की कटु आलोचना मिलती है। मुण्डकोपनिषद में पुरोहितों के व्यक्तित्व और अस्तित्व को भी चुनौती दी गई है। उसने यज्ञों के कर्म काण्ड को सारहीन, निरर्थक और हास्यास्पद निरूपित किया है—“यज्ञ एक दूरी नाम के समान है, इनके द्वारा जो नवसागर पार करना चाहते हैं, वे भूढ़ हैं।” वेद यज्ञ के माध्यम से मनुष्यों को शाश्वत सुख प्रदान करना चाहते हैं जब कि उपनिषदों के अनुसार यज्ञों से तत्पर सुख ही मिल सकता है। उपनिषदों ने सांसारिक सुख, भोगवाद और बौद्धिक धार्मिक यज्ञों व अनुष्ठानों के स्थान पर आत्म ज्ञान, सत्य के उद्घाटन और आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया। उपनिषदों से पहले भाष्यों का

शुकाव सासारिक भोगों की ओर अधिक था। उपनिषदकारों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने सासारिक बन्धनों से छुटकारा प्राप्त कर आत्मा के मोक्ष को ही जीवन का मुख्य ध्येय माना।

वेदों में हमें बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। वेदों में, प्रकृति की शक्तियों के देवीकरण के कारण, बहुदेववाद की प्रतिष्ठा है। इसके विपरीत, उपनिषदों में शुद्ध एकेश्वरवाद है। वे बहुदेववाद अथवा बाह्य प्रकृति की आराधना में विश्वास नहीं करते, वे परमतत्त्व की खोज में व्यस्त हैं। बहुद्वारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि "सर्व देवता केवल ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र हैं और उसी पर आश्रित हैं।"

वेदों को सही अर्थों में दार्शनिक ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें तथ्यों पर पहुँचने के लिए किसी तक या युक्तिपूर्ण शक्ती को नहीं अपनाया गया है। इससे विपरीत उपनिषदों की दार्शनिक प्रवृत्ति स्पष्ट है। उनकी प्रवृत्ति उपासना से ध्यान की ओर, यज्ञ से चिन्तन की ओर तथा बाह्य प्रकृति की आराधना से आध्यात्मिक खोज की ओर उन्मुख है। सारांश में, उपनिषदकारों का दृष्टिकोण तक प्रधान था। वे पूर्वाग्रहों से ग्रसित न थे।

वेदों में सृष्टि का रचयिता ईश्वर और देवताओं को माना है। इसके विपरीत, उपनिषदों के अनुसार, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पाँच तत्त्वों से सृष्टि की रचना हुई है।

उपनिषदों में सदाचार की शिक्षा—उपनिषदों में कहा गया है कि "वद पढ़ने से या विद्या से, अथवा ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती सदाचार भी होना चाहिए।" ज्ञान और आचार एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। जब तक आचार ठीक नहीं है, हृदय में शांति नहीं हो सकती। अतः केवल यज्ञ, दान इत्यादि से मुक्ति नहीं हो सकती। अहंकार जीव को हर तरह से नीचे गिराता है। अतः अहंकार को छोड़कर ब्रह्म की ओर बढ़ाना चाहिए। सच्चाई के महत्त्व की सार्वभौम घोषणा हमें मुख्य उपनिषद के इस बचन में मिलती है—“सत्यमेव जयते नानृतम्” अर्थात् “सत्य ही जीत होती है, असत्य की नहीं।” सत्य ही ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर कर सकता है। बहुद्वारण्यक उपनिषद ने पवित्र आचरण पर जोर देते हुए कहा है, “मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।” उपनिषद में त्याग के साथ सासारिक सुख भोगों की शिक्षा है, “यह सारा विश्व और उसमें जो कुछ है, ईश्वर में व्याप्त है। अतएव, त्याग के साथ भोग करो, किसी दूसरे के धन पर मत सलचाओ।”

उपनिषदों का महत्त्व—उपनिषद भारत के ही नहीं समस्त विश्व के श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। भारतीय दर्शन का जितना सुन्दर निरूपण उपनिषदों में किया गया है, उतना अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। डॉ० के० एम० पण्डित के शब्दों में, “ब्रह्म, माया, मुक्ति, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत जिनका भाव भी हिन्दू जीवन

को ढालने में पूरा पूरा हाथ है। उपनिषद् से समझाये गये हैं।" डॉ० एनीबोसैट ने ठीक ही, "उपनिषद् को मानव चेतना का सर्वोच्च फल" कहा है। उपनिषद् में जो शिक्षाएँ हैं उनमें देवी कल्पना के ऊपर बल नहीं दिया गया है। वह पूर्ण रूप से मानवीय हैं। उनमें मानव-जाति का पर्याय का आदेश है।

उपनिषद् में निहित ज्ञान के महत्त्व को न केवल भारतीय बल्कि पश्चिमी विचारकों ने भी सराहा है तथा उससे लाभ उठाने की चेष्टा की है। जर्मनी के विख्यात दार्शनिक एवं विद्वान् शोपेनहार् ने लिखा है कि, "सम्पूर्ण विश्व में उपनिषद् के समान जीवन को ऊँचा उठाने वाला कोई ग्रन्थ ग्रन्थ नहीं है। इनमें मुझे जीवन में शांति मिली है। इन्हीं से मृत्यु के समय शांति मिलेगी।" महात्मा गांधी ने भी कहा है कि, उपनिषद् वेदात् दशन के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें मानव-तत्त्व चिन्तन अपनी पराकाष्ठा पर देखा जा सकता है। "वे किसी भी बाल और किसी भी दश के मानव मस्तिष्क को अद्भुत सृष्टि समझे जायेंगे।" गेडन के मतानुसार, "भारत में धार्मिक सुधार के सभी प्रयास उपनिषद् के अध्ययन से उत्पन्न हुए हैं।" सारास में दार्शनिक साहित्य के इन प्राचीनतम ग्रन्थों का विश्व के साहित्य में सबदा अपना स्थान रहेगा।

II भगवद्गीता और उसकी शिक्षाएँ (The Bhagwad Geeta)

महान् ग्रन्थ—श्रीमद्भगवद्गीता की गणना विश्व साहित्य में जागृत्यमान ग्रन्थ रत्नो में की जाती है। बाइबिल के बाद गीता ही सर्वोत्तम उसी पुस्तक है जिसका विश्व की अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डॉ० राधाकृष्णन ने इस ग्रन्थ के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 'किसी ग्रन्थ का मनुष्य के मन पर कितना अधिकार है उसे उस ग्रन्थ की कसौटी समझा जाएँ तो कहना होगा कि गीता भारतीय विचारधारा में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रन्थ है। गीता की प्रशंसा में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहा है 'विश्व के साहित्य में कमशास्त्र का और मोक्षशास्त्र का ऐसा रहस्यपूर्ण ग्रन्थ बाई दूसरा उपलब्ध नहीं है, जिससे गीता की तुलना की जा सके।' विलियम वॉन हबोल्ड के मत में, 'यह' सबसे सुन्दर, शायद अकेला, अच्छा दार्शनिक काव्य है जो किसी भी जानी हुई भाषा में मिलता है।' महात्मा गांधी के शब्दों में, "गीता मेरी शक्ति का आधार है। निराशा और निताप एकाकी क्षणों में वह मेरे लिए प्रकाश की किरण है।"

गीता महाभारत का अंग है—गीता भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'महाभारत' के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसमें भीष्मपर्व के 23वें से लेकर 40वें तक कुल 18 अध्याय सम्मिलित हैं। प्रारम्भ के कुछ संवाद कौरवराज धृतराष्ट्र-संजय के बीच में हैं। परन्तु शेष सभी संवादात्मक अर्जुन के मध्य हैं। इस तरह, यह महाभारत का ही अंग है, एक बहुत बड़े नाटक की घटना है। परन्तु वह

अपने मे सम्पूर्ण है तथा उसका अपना अलग स्थान व महत्त्व है। डॉ० राजवली पाण्डेय के अनुसार, “धर्म, दशन और नीति की दृष्टि से महाभारत का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग श्रीमद्भगवद्गीता है। यह प्रवृत्तिमार्गी भक्तिमूलक ज्ञानाश्रयी वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करती है। इसमें कृष्ण को पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त भगवान् स्वीकार किया गया है। उन्हीं के द्वारा अर्जुन को यह उपदिष्ट है। इसीलिए इसको श्रीमद्भगवद्गीता कहते हैं। इसमें कृष्ण केवल ईश्वर ही नहीं, परब्रह्म भी है। इसलिए गीता केवल ईश्वरवाद का ही प्रतिपादन नहीं करती, अपितु ब्रह्मवाद पर आधारित धर्म का भी।”

श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश—महाभारत युद्ध के अवसर पर जब कौरवों और पाण्डवों दोनों पक्षों की सेनाएँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ी थी तभी पाण्डव पक्ष के प्रमुख योद्धा अर्जुन का मन यह देखकर विचलित हो उठा कि जिन लोगों से उसे युद्ध करना है, वे सब उसके बंधु-बांधव, सखा, मित्र, गुरु आदि ही हैं। उसके मन में मोह जाग उठा तथा उसने अपने अस्त्र शस्त्र उतारकर रख दिये। यह देखकर श्रीकृष्ण ने, जो कि उसके रथ के सारथी बने हुए थे, उससे हमना कारण जानना चाहा। अर्जुन ने श्रीकृष्ण को उत्तर दिया कि मैं योद्धा सी भूमि व सम्पत्ति के लिए, अपने भाइया, सम्बन्धिया और गुरुजनों का खून नहीं बहाना चाहता। इस पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रभावपूर्ण उपदेश देकर उसके मोह का अन्त किया। श्रीकृष्ण के दार्शनिक एवं पाण्डित्यपूर्ण उपदेश ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु म्बोल दिये, उसकी मोह निद्रा भग हुई तथा अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए वह धर्म युद्ध के मैदान में बूढ़ पडा। श्रीकृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया, वही दिव्य सदेश भगवद्गीता में संकलित है। परम्परा के अनुसार, गीता का उपदेश अर्जुन को भाग्य दशन के लिए दिया गया, पर तु वास्तव में गीता एक विश्व दशन है। अर्जुन की तरह कि कर्तव्य विमूढ हुए हर एक मनुष्य के लिए गीता का उपदेश कल्याण पथ का निर्देश है। अर्जुन उन सामान्य मानवीय त्रुटियों और कमजोरियाँ का प्रतिनिधित्व करता है जिसे माया मोह के प्रभाव में सासारिक जीवन के सधर्पों और कष्टों के रूप में मनुष्य निरन्तर अनुभव करता है। गीता के प्रथम अध्याय में आत्मा को उसी सशय, भ्रम, अधकार एवं अविवेक की स्थिति में चित्रित किया गया है।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा—“हे अर्जुन ! धर्मयुद्ध से पराजित नहीं करना चाहिए। धर्मयुद्ध क्षणिक का कर्तव्य है जो उसे इस लोक में कीर्ति और मरने के बाद स्वर्ग प्रदान करता है। आत्मा नित्य है, इस कारण शोक करना अनुचित है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का विनाश नहीं होता। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने मन को वासनाओं और कामनाओं से हटाकर कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होवे। सुख-दुःख, लाभ हानि और जय पराजय का विचार न करके मनुष्य को अपने काम में लगा रहना चाहिए।” यही धर्म योग है।

श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाआ के सम्बन्ध में, सशेष में, कहा जा सकता है कि—(1) श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निष्काम-कर्म करने की शिक्षा दी—“हे अर्जुन ! तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का नहीं। (2) श्रीकृष्ण ने आत्मा की अमरता का संदेश देते हुए अर्जुन को स्पष्ट रूप में कहा है कि अपने भाई-बन्धुओं की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए—“यह आत्मा, शरीर नष्ट होने पर उसी प्रकार दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिस प्रकार कि मानव जीण शीघ्र वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। (3) श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह भी शिक्षा दी कि अहंकार रहित होकर मनुष्य को भगवान् में श्रद्धा रखते हुए काय करना चाहिए। अस्तु, श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये उपदेश सवमानवता के लिए हितकर व अनुकरणीय हैं।

भगवद्गीता के मुख्य सिद्धान्त एवं शिक्षाएं

गीता भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की अनमोल वृत्ति है। वेदों और उपनिषदों की विचारधारा स्फटिक की तरह उज्ज्वल होकर गीता में प्रकट हुई है। गीता अध्यात्म विद्या अर्थात् ब्रह्म ज्ञान का अपूर्ण ग्रन्थ है। उपनिषदों के संदेश को गीता ने जन साधारण के लिए अनुभव एवं बोधगम्य बनाकर घर घर पहुँचा दिया है। गीता से हम जिन बातों का उपदेश मिलता है, वे शिक्षाएँ निम्नानुसार हैं।

1. कमयोग (निष्काम कर्म)—भगवद्गीता की पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि उसकी प्रमुख शिक्षा कमयोग की है। कम योग में कर्म का शाब्दिक अर्थ है ‘कृतं व्य’ अथवा ‘जो कर्म किया जाय’। परन्तु, गीता में यहाँ कर्म का अर्थ उन कृत व्यों में लेना चाहिए जो सामाजिक परम्पराओं के अनुसार विभिन्न वर्णों के उत्तरदायित्व के रूप में निर्धारित किये गये थे। योग का तात्पर्य है अपने को उसमें लगाना या ‘जोड़ना’। इस तरह, कर्म-योग का तात्पर्य यह हुआ—‘अपने सामाजिक—उत्तरदायित्व का पूरी तरह निर्वाह करना’। गीता के कम-योग सिद्धान्त के अनुसार कर्म को साधन नहीं बरन कर्म का ही साध्य समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कर्म आरम्भ करने से पूर्व अथवा कर्म करते समय किसी प्रकार उसके फल का भाव मन में न आना चाहिए।

श्रीकृष्ण गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं कि, ‘मनुष्य को बुद्धि पूर्वक विचार करने का निरन्तर अभ्यास करने से वह दृष्टि मिल जाती है जिससे वह निश्चय कर सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन जब कभी कोई काय करे तो उसे अपना कृत व्य एवं उत्तरदायित्व समझकर करे।’ गीता के दूसरे अध्याय में भी श्रीकृष्ण ने कहा है, “तुम्हारा सम्बन्ध केवल कर्म करने से है, उसके फल से नहीं।” दूसरे शब्दों में, हमें फल की चिन्ता किये बिना कर्म करना चाहिए।

अस्तु, कृत व्य-कर्म का पालन करते रहना और अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखना ही कम-योग है। कृतं त्व (मे कर्ता हूँ) के अहंकार और कर्म फल की कामना का त्याग इस कम-योग का अनिवार्य अंग है।

कामना रहित कम होने के कारण कम योग को 'निष्काम कम' भी कहते हैं। गीता के अनुसार यदि फन के प्रति आसक्ति न रखी जाय तो कम बंधन का कारण नहीं होता, वरन् वह मोक्ष का साधन बन जाता है। गीता का कहना है कि व्यक्तिगत लाभ या कल्याण का विचार त्यागकर कम करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है यथा—“हे अर्जुन ! तू अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्ययुक्त कर्मों को करता जा। अनासक्त होकर काम करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है।” सारांश में, कम के इस सिद्धांत का मुख्य परिणाम यह होता है कि काय करने वाला अनुचित कम नहीं करता है। जब मनुष्य स्वयं रहित होकर काय करता है तो ईश्वर प्राप्ति में तो सहायक होता ही है, वह दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है।

2 ज्ञान योग—गीता के ज्ञान योग के सिद्धांत का तात्पर्य है आत्मा शुद्धि एवं आत्म ज्ञान। आत्म-ज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने को सम्पूर्ण मानव मात्र में देखता है। उस अवस्था में मनुष्य का सम्पूर्ण माया मोह समाप्त हो जाता है। आत्म ज्ञान के प्रकाश में कर्मों का अंधकार समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति को कम फल भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान योग से परम-सत्य की अनुभूति होती है।

गीता ने यह प्रतिपादन किया है कि “यह शरीर नाशवान है, परन्तु इसमें निवास करने वाली आत्मा अमर है।” जिस तरह हम फटे पुराने, जर्जर और मलिन कपड़ों को त्याग कर नये कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा समय आने पर इस जर्जर और अज्ञानपूर्ण शरीर का त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। गीता के अनुसार, आत्मा दश और काल के वशीभूत नहीं होता, इसकी सत्ता सवत्र है। यह अव्यक्त और विकार रहित है। आत्मा का यह सच्चा स्वरूप समझ पात ही मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं।

3 भक्ति योग—एकाग्र चिन् होकर भगवान् का आत्म-समर्पण किये बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती, यह गीता की शिक्षा है। निराकार के प्रति भक्ति होना कठिन है। अतः गीता में सगुण (अर्थात् शरीरधारी) ईश्वर की कल्पना की गई है। इस ईश्वर को कृपालु एवं भक्तों का रक्षक माना गया है। गीता का कहना है कि जो अपना सब कुछ अर्पित करके ईश्वर के चरणों में अपने को झुका देता है उसके लिए प्रभु का द्वार खुला हुआ मिलता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि ‘यदि पापी मनुष्य भी अनन्य भाव और पूरा प्रेम के साथ मेरी (ईश्वर की) भक्ति करता है तो वह भी धमात्मा ही है, यद्यपि वह एक निष्ठावान इच्छा को लेकर मरी (ईश्वर की) शरण में आया है और इसीलिए वह एक धार्मिक आत्मा-सम्पन्न व्यक्ति है। भगवान् स्वयं किसी के पुण्य या पाप को ग्रहण नहीं करता।’ गीता का कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देवता की भक्ति कर सकता है।

4 ज्ञान, भक्ति और कर्म का सम्बन्ध—गीता की रचना से पूर्व ईश्वर तथा मोक्ष प्राप्ति के लिये तीन अलग अलग मार्ग माने जाते थे—पान माग, कर्म माग और भक्ति-माग । गीता न इन तीनों विचारों को समन्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया । उसने यह मत प्रतिपादित किया कि ये तीनों परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं । गीता में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति भक्ति तथा कर्मों में सुधार तभी सम्भव है, जबकि हम ईश्वर के गुणों एवं शक्तियों का सही ज्ञान होगा । इसी प्रकार, यदि हम ईश्वर के प्रति पूरा भक्ति और ग्राम्या न होगी तब तक न तो हम उसे जानने की चेष्टा करेंगे और न ही उसे प्राप्त करने के लिये अपने कर्मों की सुधारने की चेष्टा करेंगे । इसी तरह, भक्ति तभी सम्भव है जब कि हम ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों को सुधारेंगे । कहने का तात्पर्य यही है कि गीता भक्ति, ज्ञान और कर्म में घनिष्ठ सम्बन्ध मानती है और एक के बिना दूसरे की स्थिति को स्वीकार नहीं करती है । ज्ञान और भक्ति के बिना अच्छे कर्म नहीं हो सकते, कर्म तथा ज्ञान के बिना भक्ति सम्भव नहीं है और कर्म तथा भक्ति के बिना पान का कोई लाभ नहीं है, ऐसा गीता का विश्वास है ।

स्थितप्रज्ञ पूरा मानव का आदर्श—गीता में श्रीकृष्ण ने मानव का आदर्श रखा है जिसके अनुसार 'स्थितप्रज्ञ मानव' एक पूरा एवं आदर्श मानव है । स्थित-प्रज्ञ का परिभाषिक अर्थ है 'स्थिर बुद्धि वाला' । दूसरे शब्दों में, 'स्थितप्रज्ञ वह मानव है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है ।' वह सुख दुःख, मां अपमान, सफलता-असफलता, राग द्वेष आदि में समत्व भाव को अपनाता है । वह क्षमाशील, सदा-शयी, सदाचारी और प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भावना रखता है । गीता में ऐसे गुणों की विशद विवेचना की गई है जो मनुष्य को एक सहनशील, कामरत एवं निर्भीक व्यक्ति बनाकर मोक्ष प्राप्ति एवं सासारिक कृतव्यों को दूरता से करने के लिए प्रेरित करने हैं ।

गीता में कहा गया है—“जो व्यक्ति मन में स्थित सारी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में सन्तुष्ट रहता है, जो दुःख से उद्विग्न नहीं होता और जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग, भय और क्रोध से सबथा मुक्त है, जो शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है जो पूरी तरह अपनी इन्द्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में किये हुए है वह स्थितप्रज्ञ है अर्थात् उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।” सारांश यह है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में अहं, बल, काम, क्रोध तथा लोभ का भाव नहीं होना चाहिये । उसे एकाग्रचित्त होकर ईश्वर में लीन होना चाहिये । जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है वह न किसी वस्तु की इच्छा रखता है और न किसी के बारे में शोक करता है, केवल ईश्वर भक्ति की ओर ही ध्यान देता है । उसके कर्म पवित्र

प्रौर शुभ होते हैं। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति, वास्तव में, समाज के लिए एक बड़ी निधि सिद्ध होता है।

गीता का मूल्यांकन—गीता की शिक्षाओं का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन की समस्याओं को सुलझाना और सत्कर्म को प्रोत्साहित करना। मानव जीवन में भावनाओं और कर्तव्यों के बीच परस्पर मधुप आदिकाल से होता आया है। गीता ने हम द्वन्द्व को समाप्त करने के लिए समुचित माग दर्शन किया है। एम० हिरियन्ना नामक विद्वान ने लिखा है कि “गीता आद्योपात सहिष्णुता की भावना से अनुप्राणित है जो हिंदू विचारधारा का एक प्रमुख लक्षण है।” गीता का धर्म एक ऐसा धर्म है, जिसे हर कोई अपना सकता है। इस धर्म में जाति, वर्ण, सम्प्रदाय आदि का कोई भेद भाव नहीं रखा गया है। वर्तमान युग में, जबकि विश्व युद्ध के बादल चारा ओर मडरा रहे हैं, गीता का विश्व बंधुत्व का संदेश हमारा माग-दर्शन कर सकता है। गीता का निष्काम कर्म योग भी आज के मानव का माग दर्शन करने पारस्परिक वैमनस्य को मिटाने में सहायक हो सकता है। संक्षेप में, गीता “अभी तक भारतीय धर्म और दर्शन का जितना विकास हुआ था, उसके उत्तमार्ग का सार प्रस्तुत करती है।”

III योग दर्शन के अष्टांग सिद्धांत

(Yoga Eight Fold Means)

‘योग’ भारतीय धर्म से सम्बंधित एक दार्शनिक विचारधारा है, जिसके प्रवक्तृ आचार्य पातंजलि माने जाते हैं। प्राचीन ऋषिगण तथा तत्त्व ज्ञानियों ने योग की उपयोगिता एक स्वर से स्वीकार की है। वैदिक ऋषयों या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिस माग का अनुसरण और जिन साधनाओं को करता आवश्यक है, उनका विस्तृत विवरण योग-दर्शन में ही मिलता है। योग-दर्शन का ‘सांख्य’ के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। सांख्य में यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो उसका व्यावहारिक पक्ष योग में मिलता है। एक तरह से इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है।

उपनिषद् में सबसे पहली बार योग का उल्लेख आया है। योग की क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है मन स्थिर होता है, हृदय पवित्र होता है, आत्मा भौतिक जीवन से ऊँची उठ जाती है और ब्रह्म को समझने में सुगमता होती है। कौपीतिक उपनिषद् कहता है कि “राग-द्वेष-भावना, बन्धन का पूरी तरह दमन करना चाहिए। प्राण वायु को रोकने से भी चित्त को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। सब कुछ छोड़कर एक-एक पदार्थ पर मन को एकाग्र करने से चित्त में स्थिरता आती है।” आचार्य पतंजलि द्वारा रचित ‘योग सूत्र’ योग दर्शन

का प्रमाणित ग्रथ माना जाता है। योग दर्शन का उद्देश्य जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना है ताकि वह स्वयं को मानसिक विकारों से परे समझे। योग-शास्त्र में हमें उन व्यावहारिक साधना का उल्लेख मिलता है, जिनका द्वारा हम अपने को एकाग्र कर सकते हैं।

'योग' का अर्थ व परिभाषा—आचार्य पतञ्जलि ने 'योग' की परिभाषा इन शब्दों में की है—“योगश्चित्त वृत्ति निरोध” अर्थात् “चित्त की समस्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है।” मानव-मन चंचल होता है, इस चंचल मन या चित्त को एकाग्र करने की साधना ही योग है। योग के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि, “योग न तो किसी प्रकार का चमत्कार है और न शरीर को किसी प्रकार का कष्ट देना ही योग है। जो व्यक्ति आहार तथा विहार में सन्तुलन बरतता है, जो कमतत्त्व चेष्टाओं में अति या पालन नहीं करता तथा जो सोने और जागने में निश्चित नियम का पालन करता है, उसी व्यक्ति का योग साधन ठीक है।”

जीवात्मा को यहाँ तरह तरह के दुःख भोगने पड़ते हैं। इन दुःखा का कारण यह है कि मनुष्य की आत्मा भ्रमवश अपने को 'चित्त' ममत्त्व लेती है, जबकि वास्तविकता में वह उससे भिन्न है। फलस्वरूप वह इस ससार के दुःख-सुख, राग-द्वेष में पड़ जाती है। यही 'आत्मा का बन्धन' है जो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं करने देता। इस बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय—याग है जिससे चित्त (मन) की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं तथा अपने को चित्त के विकारों से अलग समझन लगती है। इसी अनुभव को 'योग का आत्म ज्ञान' कहा जाता है। आत्म ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समस्त दुःखा से छूटकारा पा जाता है, यही मुक्ति है। साराण में, 'योग चंचल चित्त को एकाग्र करने की साधना है।' अतः इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए। योग चित्त की चंचलता को जीतने का माग दर्शाता है तथा चित्त को नियंत्रित कर उसे परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाने में सहायक होता है।

अष्टांग-साधना योग के आठ साधन

योग दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार सामारिकता का उदभव इच्छाओं के कारण होता है। इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोकने एवं अच्छे बुरे विचारों एवं इच्छाओं के नाश के लिए याग का अभ्यास आवश्यक है। परंतु चित्त की प्रवृत्तियों को एक दिन में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए याग आठ प्रकार के साधन बतलाता है। इसी कारण इसे अष्टांग-योग (आठ अंगों वाला योग) भी कहा जाता है। ये आठ साधन इस प्रकार हैं, (1) यम, (2) नियम,

(3) आसन, (4) प्राणायाम, (5) प्रत्याहार, (6) धारणा, (7) ध्यान और (8) समाधि। ये आठ योग के अंग कहलाते हैं।

1 यम (Restraint)—शारीरिक, मानसिक तथा वाणी सम्बन्धी समय को 'यम' कहते हैं। 'यम' का अर्थ सत्कार के प्राणिमात्र के साथ सोहाद्र स्थापित करना है। 'यम' के अनुसार किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट या अपात नहीं पहुँचना चाहिए। योग के अनुसार चित्त पर नियन्त्रण करने के लिए इस प्रकार का यम बहुत जरूरी है। यम पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (धोरी न करना), अपरिग्रह (संग्रह वृत्ति का निरोध) और ब्रह्मचर्य-पालन। इन पाँचों यमों का पालन प्रत्येक योगी के लिए अनिवार्य है।

2 नियम (Culture)—योग का दूसरा अंग 'नियम' या सदाचार का पालन है। नियम भी पाँच हैं—शौच (पवित्रता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान। शौच अथवा शुद्धता तन और मन दोनों के लिये आवश्यक है। सन्तोष से अभिप्राय यह है कि मनुष्य का जो मिले उसी में सन्तोष प्राप्त करना चाहिए। तप का अर्थ यह है कि सर्वोपार्जित सद्गुणों की क्षमता पैदा की जाए। स्वाध्याय से भाष्य है अर्थात् धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन में लगन रहना चाहिए। ईश्वर-प्राणिधान से अभिप्राय यह है कि ईश्वर चित्त और उसकी शक्ति प्रतिदिन करनी चाहिए।

3 आसन (Posture)—योग दर्शन शरीर और मन को पुष्ट और निरोग रखने के लिए कुछ आसन बताता है जिन्हें योगासन कहते हैं। बैठने के जिस ढंग से चित्त स्थिर रह सके तथा शरीर को सुख मिले, उसे ही 'आसन' कहते हैं। यम और नियम जहाँ चित्त वृत्ति के निरोध के लिए बाधावरण का निर्माण करते हैं, वहाँ आसन मन और तन दोनों का अनुशासित और नियन्त्रित करने की शिक्षा देते हैं। योग आसन का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक विकार और इन्द्रिय दमन में सह्यता मिलती है। इन आसनों के द्वारा शरीर के सभी अंग, विशेषकर मनायुमण्डल, इस प्रकार बल में लिये जा सकते हैं कि वे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकें। पद्मासन, मयूरासन, धद्रासन, बीरासन आदि विभिन्न आसनों का योग दर्शन में उल्लेख है।

4 प्राणायाम (Breath Control)—प्राणायाम के द्वारा श्वास गति को नियन्त्रित किया जाता है। प्राणायाम की तीन अवस्थाएँ—पूरक, कुम्भक, और रोकक—होती हैं। पूरक से अभिप्राय है—पूरा श्वास में दर लीचना, कुम्भक में, श्वास का भरसक अदर रोकना, और रोकक का अर्थ तब तक नियमित विधि से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया से हृदय पुष्ट होता है। और उसमें बल आता है। इसके अनिश्चित शरीर और मन में भी दृढ़ता आती है श्वास स्थिति।

नियंत्रण करने से मन शान्त अवस्था में आ जाता है। ध्यान अवस्था अथवा समाधि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। इस तरह, प्राणायाम चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने में काफी सहायक है।

5 प्रत्याहार (Withdrawal of Senses)—इन्द्रियो पर नियंत्रण करना प्रत्याहार कहलाता है। इस योग के द्वारा इन्द्रियो को उनके विषय से हटाया जाता है। इसका लक्ष्य चित्त का भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने से रोकना है। प्रत्याहार के माध्यम से इन्द्रियो (नाक, कान, आँखें आदि) को मन के वश में किया जाता है। जब इन्द्रिया पूरुणतया मन के वश में आ जाती हैं तो सासारिक विषयो का मन पर प्रभाव पडना बन्द हो जाता है। रूप, रस, गन्ध, शब्द अथवा स्पश आदि का योगी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। दूसरे शब्दों में, चित्त की वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं।

6 धारणा (Attention)—‘योग-सूत्र’ में कहा गया है कि चित्त को किसी एक देश (स्थान) में स्थिर कर देने का ही नाम धारणा है। किसी भी एक वस्तु में—चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, भीतर ही या बाहर—चित्त को एकाग्र कर देने को धारणा कहते हैं। धारणा में कुशलता प्राप्त करने के बाद ही समाधि की अवस्था तक पहुँचा जा सकता है।

7 ध्यान (Meditation)—किसी एक वस्तु पर निर्वाच ध्यान स्थिर रखना ही ‘ध्यान-अवस्था’ है। लगातार ध्यान के द्वारा योगी किसी भी वस्तु का असली स्वरूप जान लेता है।

8 समाधि (Concentration)—योगिक साधना का अन्तिम चरण और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था समाधि है जिसमें ध्येय के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं रह जाता। समाधि की अवस्था में ध्यान करने वाला मन, ध्यान तथा ध्येय तीनों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता और वे एकाकार हो जाते हैं।

1 आठ सिद्धियाँ—‘योग दशन’ के अनुसार योग का अभ्यास करने से साधक को कुछ विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियाँ आठ प्रकार की हैं। अतः इन्हें ‘अष्टसिद्धि’ भी कहते हैं। ये हैं

(1) अणिमा—योगी चाहे तो अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है। (2) लघिमा—योगी चाहे तो रई से भी हल्का हो उड सकता है। (3) महिमा—योगी चाहे तो पहाड के समान बडा बन सकता है। (4) प्राप्ति—योगी चाहे तो कहीं से भी कोई वस्तु भगा सकता है। (5) प्राकाम्य—योगी की इच्छा-शक्ति बाधा रहित हो जाती है। (6) वशित्व योगी सब जीवों को वशीभूत कर

सकता है। (7) ईशित्व—योग सब वस्तुधा पर नियन्त्रण कर सकता है। (8) यज्ञकामाद्यसाधित्व—यागी की सभी कामनाएँ पूरा हो जाती हैं।

योग दर्शन का महत्त्व—भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परम्परा में योग का बहुत महत्त्व है। धर्म एवं दर्शन का गूढ़ तथ्यो का ज्ञान तभी सम्भव हो सकता है जब मनुष्य का चित्त एवं हृदय शुद्ध एवं शांत हो। आत्म शुद्धि एवं आत्म ज्ञान के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। योग-दर्शन में प्रयुक्त साधना की विधियों को सभी भारतीय धर्मों व दर्शनो ने मान्यता दी है। इन्हें जीवन में उतारने से शरीर, मन और इन्द्रिया समय सीसती हैं। शारीरिक और आत्मिक तेज और बल में इससे वृद्धि होती है। योगी अपनी साधना के बाद पर त्रिकालदर्शी हो सकता है। वैसे योग-साधन का वास्तविक लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है।

सारांश में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता दिन पर दिन पहिचानी जा रही है। योग की साधना मानव व्यक्तित्व के विकास और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। वास्तव में, वर्तमान में भी योग्या भास की वही उपयोगिता और उपादेयता है, जो प्राचीनकाल में थी।

□□□

आधारभूत धार्मिक विचार

(Fundamental Religious Ideas)

जैन एव बौद्ध धर्म

(Jainism And Buddhism)

● जैन धर्म

- I महावीर का जीवन परिचय
- II जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं
- III भारतीय सस्कृति को जैन धर्म को देन

● बौद्ध धर्म

- I महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र
- II महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एव उपदेश
- III बौद्ध धर्म के सम्प्रदाय हीनयान व महायान
- IV भारतीय सस्कृति को बौद्ध धर्म को देन

जैन धर्म (The Jainism)

'जैन धर्म' को सगठित रूप वधमान महावीर ने ही दिया, किंतु जन साहित्य और जनाचार्य व अनुमार महावीर अतिम और 24 वें तीर्थ कर थे। जनियो का विश्वास है कि जैन धर्म चौबीस तीर्थकरों के उपदेशों का परिणाम है। प्रथम बाईस तीर्थ करों के जीवन काल्पनिक कथाया तथा नितान्त अस्पष्ट और अतक्य जन विश्वासों से इतने आच्छादित हैं कि उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना दुष्कर है। तीर्थसर्वे तीर्थ कर जिनका नाम पार्श्वनाथ था जो वधमान महावीर से लगभग 250 पूर्व हो चुके थे, वस्तुतः ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। व बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के निमित्त राजकीय विलास का जीवन त्याग दिया। उनका प्रमुख उपदेश चार थे—अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और सम्पत्ति का त्याग। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्श्वनाथ ने अपने नवीन धर्म के लिए सध बनाया था। वधमान महावीर के माता पिता और उनके परिवार के लोग पार्श्वनाथ व सम्प्रदाय के अनुयायी थे। अतएव यह स्वाभाविक था कि वधमान अपनी युवावस्था में जन सिद्धांतों द्वारा अधिक प्रभावित हुए।

I वर्धमान महावीर का जीवन-परिचय (599-527 ई. पू)

पार्श्वनाथ के बाद, वधमान महावीर जनियो के 24 वें और अतिम तीर्थ कर हुए। इन्हीं के समय में, पार्श्वनाथ का "निग्रंथ" सम्प्रदाय का नाम 'जैन'

भेत पटा । ई० पू० 599 म, व वंशाली गणराज्य के कुण्डग्राम मे एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल म पदा हुए, उनका नाम वधमान रखा गया उनके पिता का नाम शिङ्गाय और माता का नाम त्रिशला था । त्रिशला दवी वंशाली राज्य के राजा चेटक की बहिन थी । मगध के राजा विम्बसार ने चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था । अतएव वधमान मगध के प्रमुख व प्रतिष्ठित राजवंश से सम्बन्धित थे । इन प्रकार वधमान का कुल अभिजात वर्गीय था और इसमे उनके धर्मप्रसार मे बड़ी सहायता मिली होगी ।

परम्परा व अनुसार ज्ञान तथा कला व सभी क्षेत्र म वधमान का उच्च शिक्षा दी गयी और यशोदा नामक एक राजकुमारी स इनका विवाह हो गया । इनके एक बच्चा उत्पन्न हुई थी जिसका पति महावीर का प्रथम शिष्य हुआ और तत्पश्चात् जन धर्म की प्रथम शाखा का नेता बन गया । अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात् 30 वर्ष की अवस्था म वधमान ने अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर, घर बार त्याग दिया और मृत्यु की रोज म सायासी परिभ्राजक हो गये । बारह वर्ष के बढोर तप के बाद तस्व वप मे वंशाल माह की दशमी के दिवस जूम्भिव ग्राम के बाहर, पार्श्वनाथ शैलशिखर के पास ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर उन्हें 'केवल्य' नाम प्राप्त हुआ । इस सब श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि तथा सात्त्विक सुख दुःख मे अन्तिम मुक्ति प्राप्त होने से वधमान 'अहत', (पूज्य), 'जिन' (विजेता), 'निग्र व' (बचन रहित) और 'महावीर' कहलाये ।

पूण जानी हाने के पश्चात महावीर जीवन पयत्त अपने ज्ञान और अनुभव के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर भारत की विभिन्न जनपदा म पदत यात्रा की । महावीर ने सभी वर्गों के लोग मे अपने धर्म का प्रचार किया । इनके अनुयायियों और सहायकों म मगध के राजा विम्बसार और भजात शत्रु जस शासक और लिच्छवी और मल्ला जसी गणजातियाँ थी । व 30 वर्ष तक कौशल, मगध और इसके पूर्व के प्रदेश मे निरन्तर भ्रमण कर अपने सिद्धांतों और उपदेशों का प्रचार करते रहे । धीरे धीरे बहुत-से लोग—राजा, महाराजा, समृद्ध वैश्य और व्यापारी एक जन साधारण—उनके भक्त और अनुयायी हो गये । आखिर, ईसा पूर्व 527 म पटना जिले में पावापुरी म 72 वर्ष की अवस्था म उनका देहांत हुआ । ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे । महावीर स्वामी न जन धर्म के सिद्धान्तों को सुव्यवस्थित और विस्तृत किया और उसे अत्यंत लोकप्रिय बनाया, इसी कारण लोग उन्हें ही जन मत संस्थापक मानते हैं ।

II जैन धर्म के सिद्धान्त और शिक्षाएँ

जैन धर्म के सिद्धान्त उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य म सुरक्षित हैं । यह साहित्य अष्टादश शत श्रावक भाषा मे है और इसमे सुरक्षित सिद्धान्तों के उपदेशक जन धर्म के 24 वे तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं । परवर्तीकाल मे जैन-

धर्म का साहित्य सस्कृत भाषा में भी लिखा गया। महावीर की मृत्यु के बाद ही पाटलिपुत्र में एक सभा हुई जिसमें सर्वप्रथम जैनमत के सिद्धांतों का सकलित किया गया। परन्तु उनमें अंतिम रूप 800 वर्ष पश्चात् ईस्वी सन् में बल्लभी की सभा में दिया गया। इस सभा में उनके 41 'सूत्र', 12 'नियुक्ति' (अर्थात् भाष्य), एक 'महाभाष्य' और अनेक 'प्रवर्णिका' (या फुटकर ग्रन्थों) के रूप में बांट दिया गया।

जैनमत की अपनी विशिष्ट मायताएँ हैं कि वह—

(1) जगत की अनादि, शाश्वत और स्वाधीन मानता है।

(2) किसी जगत नियता परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता।

(3) वेदों को अपौरुषेय ग्रन्थ या आदि ज्ञान नहीं मानता।

(4) पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों में विश्वास करता है।

(5) 'निर्वाण' या जन्म मरण से मुक्ति को तपश्चर्या के द्वारा ही प्राप्य समझता है। इसके लिए मनुष्य को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और पूण त्याग के नियमों का आचरण अनिवार्य मानता है।

(6) सब चराचर जगत में यहाँ तक कि मिट्टी के कण तक में भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है।

(7) "जिन" या "तीर्थ करो" और उनके सिद्धांतों में विश्वास और उपरोक्त नैतिक नियमों का पालन ही मुक्ति का एक मात्र साधन मानता है। यही जैन "निरत्न" हैं। अहिंसा परमोधर्म "उसका सर्वोपरि सिद्धांत है।"

(8) "तीर्थ कर" "परमात्मा" अर्थात् महान और मुक्त आत्माएँ हैं परन्तु वे जगत के कर्ता नहीं हैं। वे किसी का भला-बुरा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत निवाण केवल व्यक्ति की साधना का ही फल है। इसलिए जैनमत में "भक्ति" की सी परिचर्या का कोई स्थान नहीं है। मंदिर और मूर्तियाँ केवल पवित्र स्मारकों के रूप में मानी जाती हैं जिनसे साधक परमा प्राप्त कर सकता है न कि कोई वरदान। जैनमत के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का विवरण निम्नलिखित पक्तियों में प्रस्तुत है।

जीव और पुद्गल—जैन धर्म यह मानता है कि ससार में प्राणियों का जन्म 'जीव' (आत्मा) और 'पुद्गल' (शरीर) नामक दो तत्त्वों के परस्पर मिलने से होता है। इनमें से जीव प्राणवान् है और पुद्गल प्राणहीन। जीव और पुद्गल में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार एक मोटरकार और इसका इंजन गतिशील होने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति के लिए जीव और पुद्गल का एक-दूसरे से मिलना बहुत जरूरी है।

कर्म और पुनर्जन्म—जैनमत ईश्वर की सृष्टिकर्ता नहीं मानता, क्योंकि ऐसा करने से उसे ससार के पापों और कुकर्मों का कर्ता भी मानना पड़ता है। जैन-

धम ने मनुष्य को ईश्वरीय हस्तक्षेप से मुक्त करते अघना स्वयं भाग्य विधाता माना है। अघन सांसारिक एव भाष्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने धम के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे गुण-दुःख उगवे धम के ही परिणाम हैं। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने अपने सति धर्मों से ही समाप्त में अघण करते और उन्हीं के अनुसार भिन्न भिन्न योनियाँ पाते हैं। किये हुए धर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं हाता। इस प्रकार धम ही पुनर्जन्म का कारण है।

बधन और उससे मुक्ति मोक्ष—जन्म दशन के अनुसार जीव (आत्मा) तथा धम अथवा पुद्गल का समाग ही 'बधन' कहलाता है। जीव के दो भेद हैं—मुक्त तथा बद्ध। मुक्त जीव वे हैं जो बधन मुक्त हो गए हैं अर्थात् जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर ली है। बद्ध जीव वे हैं जो बधन में हैं। राग-द्वेष, रति, मोह आदि से प्रेरित मनुष्य की विभिन्न सांसारिक क्रियाएँ द्वारा धर्मों का प्रवाह जीव की ओर चलता रहता है। जीव इन धर्मों से आच्छादित होता रहता है। "जीव इस नश्वर ससार में आकर धर्मों में लिप्त हो जाता है और उसका फल भोगने के लिए ही बार बार अनेक योनियाँ जन्म लेता है और इस तरह जन्म मरण के बधन में बँध जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा अपने धर्मों से अपना शुद्ध स्वरूप भूलकर ससार-चक्र (जीवन मरण के चक्र) में पड़ जाती है।"

धम बधनों से मुक्ति पाना जन्म धम का चरम लक्ष्य है। बधन (भले बुरे हर प्रकार के धर्म) से मुक्ति पाने को ही मोक्ष कहा गया है जीव को चाहिए कि वह बधनों के कारणों को नष्ट कर दे। "जब आत्मा अपनी साधना और तपस्या से ज्ञान प्राप्त करता है तो इस बंधन में निकलकर मुक्त हो जाता है।" जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो भौतिक तत्त्व का विनाश हो जाता है और आत्मिक तत्त्व ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इस प्रकार मोक्ष चिर शाश्वत्, उध्वगामिनी गति है।

त्रिरत्न कवल्य या मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन—जन्म धम के अनुसार मनुष्य में अज्ञानता ही काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि उत्पन्न करती है और आत्मा को बधन में जकड़ लेती है। पूर्व-जन्म के धर्म-फल से बचने के लिए जन्म धम त्रिरत्नों के पालन का आदेश देता है। महावीर ने साधना या विनय के माध्यम से कवल्य या मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन साधन—(1) सम्यक् ज्ञान, (2) सम्यक दशन और (3) सम्यक चरित्र—यत्नाय हैं, इन्हीं को त्रिरत्न (तीन रत्न) कहते हैं।

1 सम्यक ज्ञान—इसका अर्थ है जन्म धम तथा मुक्ति के विषय में पूरा ज्ञान होना सच्चा और पूरा ज्ञान सबज्ञ तीर्थ करों के उपदेशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से प्राप्त होता है। अस्तु, सशय रहित तथा दोष रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य भौतिक अश से प्रभावित न रहकर आध्यात्मिक अश से प्रभावित हो जाता है और सभी बाधक धर्म, जीव अथवा आत्मा से अलग हो जावे हैं।

क्याकि सग्रह के ही कारण सासारिक वस्तुआ मे आशक्ति बढती है और जीव बाधन और पुनज म के चक्कर मे पडता है ।

5 ब्रह्मचर्य—इसका अर्थ है कामवासना वा दमन करना तथा समय के साथ जीवन व्यतीत करना । इसके अनुसार न केवल कर्मों द्वारा इन्द्रिय सुखो का उपभोग बंद कर देना चाहिए, बल्कि मन और वचन से भी उसके उपभाग की चेष्टा को समाप्त कर देना चाहिये । जन धम की मायता के अनुसार उपयुक्त पच महा व्रता का पालन करने मे मोक्ष माग प्रशस्त होता है ।

अनेकान्तवाद एव स्यादवाद का सिद्धांत—जन दशन का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत है । जैन धम के अनुसार वस्तु के अनन्त स्वरूप हैं । केवल ज्ञानी अथवा ब धन मुक्त या ग्रहत् ही उन स्वरुपा की अनन्तता को जानते हैं । शेष लोग तो उसके कुछ स्वरुपो को ही जानते हैं । एव वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कप निकाला जा सकता है । परन्तु इनमे मे किमी एक निष्कप द्वारा उस वस्तु के स्वरुप का पूरी तरह बोध नहीं होता । अस्तु, जन धम का कहना है कि किसी भी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से देखकर मत छोडो ।

जिस प्रकार सात अंधे व्यक्तियो से हाथी के सम्बन्ध मे पूछा गया तो किसी ने उसकी तुलना मम्भे से (पैर छूकर) किसी ने पक्षे से (बाज छूकर) किसी ने शिला से (शरीर छूकर) तो किमी ने रस्सी मे (पूछ दू कर) की । किन्तु कोई भी उचित उत्तर न दे सका फिर भी जा कुछ वहा उममें कुछ न कुछ सत्य अवश्य था, इस प्रकार यह सष्टि है । सक्षेप म, एव ही दृष्टिकोण को पूर्णरुप से सत्य न मान कर, विभिन्न दृष्टिकोणों मे कुछ न कुछ सत्य या उचित मानना ही स्यादवाद है । डॉ० रामधारी सिंह 'दिनकर' के शब्दा मे "जन दशन के अनेकान्तवाद मे सम्बन्ध; सह अस्तित्व और सहनशीलता का उत्कृष्ट रूप प्रकट होता है।"

III भारतीय सस्कृति को जैन धम की देन

जैन धम ने भारतीय सभ्यता व सस्कृति पर अमिट छाप छोडी है । वतमान भारतीय सस्कृति मे अनेक ऐसी विशेषताएँ दिसाई पडती हैं जो कि मूल रूप मे जनधम की देन मानी जा सकती हैं । जैन धम की भारतीय सस्कृति को अनुपम देन है उसे निम्नलिखित रूप मे प्रकट कर सकते हैं ।

1 दाशनिक क्षेत्र मे—जन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धान्त, स्यादवाद एवं अनेकान्तवाद, अहिंसा आदि के दाशनिक विचारा का पनपाकर भारतीय दाशनिक चिन्तन को गौरवपूर्ण बनाने मे योगदान दिया । जैनधम के सिद्धांतो ने हमारे सामाजिक जीवन म एव नवजीवन वा संचार किया और भारतीय चरित्र को दृढ बनाया । अहिंसा पर आधारित गुण-निरपेक्ष की हमारी विदेश नीति वतमान में भी महत्वपूर्ण है । जन धम के अनेकान्तवादी दृष्टिकोण ने हमारे

2 सम्यक दर्शन—इसका अर्थ है जन तीथ वरो में पूरा विश्वास रक्षना । यथाथ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना ही सम्यक दर्शन है । श्रद्धा अधविश्वास जनित न होकर, पूणत युक्ति सगत हो और वह सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत ही उत्पन्न होती है ।

3 सम्यक चरित्र—इसका अर्थ है सदाचार पूण त्रित्व जीवन यापन करना और तीथ वरो द्वारा निदिष्ट माग पर चलना । सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी इन्द्रिया वाणी और कर्माँ पर पूण नियंत्रण रक्षना चाहिए । ऐसा करने से ही उनकी आत्मा सासारिक प्रवाह में नहीं बहेगी और उसकी मुक्ति भी प्राप्त हो जायेगी । जनधर्म का यह सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके द्वारा ही जीव कर्माँ के भार से मुक्त होकर अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य 'निर्वाण' अर्थात् 'मोक्ष' को प्राप्त कर सकता है ।

पाच महाव्रत—ज्ञान और श्रद्धा का कोई महत्त्व नहीं, जब तक उनका उभय योग जीवन में न हो । अस्तु, नतिक जीवन बिताने के लिए जैन धर्म में सबसे अधिक जोर पाच व्रतो पर दिया गया है । महावीर स्वामी ने (1) अहिंसा, (2) सत्य, (3) अस्तेय, (4) अपरिग्रह, और (5) ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया था । आत्मा को पाप से बचाने के लिए इन पाच महाव्रतो का अनुपालन जरूरी है ।

1 अहिंसा—यह जैन धर्म का सर्वोपरि सिद्धांत है । अहिंसा का अर्थ है—प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई कार्य न करना जिससे उन्हें चोट पहुंचे । मनुष्य जाने या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा न करे । जैन धर्म मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन चाहता है ।

2 सत्य—इसका अर्थ है कभी 'झूठ नहीं बोलना चाहिए' । जन तीथ वरो का उपदेश है कि असत्य का त्याग कर हमेशा मधुर और सत्य भाषण करना चाहिए । मनुष्य को अप्रिय, निन्द्य, कठोर एवं पापमयी बात का त्याग करना चाहिए तथा बिना सोचे समझे भी कुछ न बाला जाए । सत्य व्रत की पूर्ति के लिए जरूरी है कि मानव क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि पर विजय प्राप्त करने की कोशिशों में लगा रहे ।

3 अस्तेय—इसका अर्थ है 'बिना अनुमति के दूसरे की चीज ग्रहण न करना चाहिए' । चोरी करना महापाप माना गया है, जनियो की मान्यता है कि प्राण जीव का आंतरिक जीवन है, तो धन सम्पत्ति का अपहरण उसका बाह्य जीवन । इसलिए किसी भी धन सम्पत्ति का उसके प्राणों के अपहरण के समान ही है ।

4 अपरिग्रह—इसका अर्थ है 'माया से मुक्ति पाने हेतु' अधिक वस्तुओं की संग्रह न करना । जीवन के लिए आवश्यक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिए । अनावश्यक धन सम्पत्ति आदि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए

पयोक्वि सग्रह के ही कारण सासारिक वस्तुओं में आशक्ति बटती है और जीव व धन और पुनर्जंम के चक्कर में पड़ता है।

5 ब्रह्मधर्म—इसका अर्थ है कामवासना का दमन करना तथा समय के साथ जीवन व्यतीत करना। इसके अनुसार न केवल धर्मों द्वारा इन्द्रिय सुखी का उपभोग बन्द कर देना चाहिए, बल्कि मन और वचन से भी उसके उपभोग की चेष्टा को समाप्त कर देना चाहिये। जन धर्म की मायता के अनुसार उपयुक्त पंच महाव्रता का पालन करने से मानव प्रणस्त होता है।

अनेकान्तवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत—जन दशन का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार वस्तु के अनन्त स्वरूप हैं। केवल ज्ञानी अथवा व धन मुक्त या अहत् ही उन स्वरूपा की अनन्तता को जानते हैं। शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूपा को ही जानते हैं। एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। परन्तु इनमें से किसी एक निष्कर्ष द्वारा उस वस्तु के स्वरूप का पूरी तरह बोध नहीं होता। अस्त, जन धर्म का कहना है कि किसी भी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से देखकर मत छोड़ो।

जिस प्रकार सात अर्धे व्यक्तियों से हाथी के सम्बन्ध में पूछा गया तो किसी ने उसकी तुलना खम्भे से (पर ठूकर) किसी ने पखे से (बान छूकर) किसी ने शिला से (शरीर छूकर) तो किसी ने रस्सी से (पूछ दूकर) की। किन्तु कोई भी उचित उत्तर न दे सया, फिर भी जो कुछ कहा उसमें कुछ न कुछ सत्य अवश्य था, इस प्रकार यह सचि है। सक्षेप में, एक ही दृष्टिकोण को पूर्णरूप से सत्य न मान कर, विभिन्न दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य या उचित मानना ही स्यादवाद है। डॉ० रामधारी सिंह 'दिनकर' के शब्दा में "जैन दशन के अनेकान्तवाद में समबोध, सह-अस्तित्व और सहनशीलता का उत्कृष्ट रूप प्रकट होता है।"

III भारतीय सस्कृति को जैन धर्म की देन

जैन धर्म ने भारतीय सभ्यता व सस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। वर्तमान भारतीय सस्कृति में अनेक ऐसी विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं जो कि मूल रूप में जनधर्म की देन मानी जा सकती हैं। जैन धर्म की भारतीय सस्कृति को अनुपम देन है उसे निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं।

1 दाशनिक क्षेत्र में—जन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद एवं अनेकान्तवाद अहिंसा आदि के दाशनिक विचारों को पनपाकर भारतीय दाशनिक चिन्तन को गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया। जैनधर्म के सिद्धांतों ने हमारे सामाजिक जीवन में एक नवजीवन का संचार किया और भारतीय चरित्र को दृढ़ बनाया। अहिंसा पर आधारित गुह निरपेक्ष की हमारी विदेश नीति वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। जन धर्म के अनेकान्तवादी दृष्टिकोण ने हमारे

देश में धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का वातावरण बाने में काफी सहायता की है ।

2 साहित्य के क्षेत्र में—भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया । जैन साहित्य का काफी मात्रा में सज्जन हुआ है । जैनाचार्यों ने सस्कृत को ही नहीं, बल्कि ग्रन्थ सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया । श्वेताम्बरों के धार्मिक ग्रन्थ ग्रन्थ मागधी में हैं और 'अंग' कहलाते हैं वे सख्या में ग्यारह हैं । इनमें भद्रबाहु का 'कल्पसूत्र' प्रमुख है । दिगम्बर सम्प्रदाय के धर्म ग्रन्थ सस्कृत भाषा में है । वे चार भागों में 'वेद' के नाम से संकलित किए गए । इनके अतिरिक्त समय-समय पर जैन विद्वान् काव्य, दशन, व्याकरण, छन्दशास्त्र, कोष, गणित आदि विविध विषयों पर साहित्य की रचना करके हमारे देश के साहित्य को समृद्ध बनाते रहे हैं । जनग्रन्थों की एक उपयोगिता इस बात में भी निहित है कि वे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्त्वपूर्ण साधन स्वीकार किये गये हैं ।

3 कला के क्षेत्र में—भारतीय कला के स्वरूप को निखारने और उन्नत बनाने में भी जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । जन धर्मावलम्बियों द्वारा अपने तीर्थंकरों की स्मृति में अनेक मंदिरों, मूर्तियों और स्तूपों का निर्माण कराया गया जो आज भी सुरक्षित हैं । इन धार्मिक भवनों को अधिकाधिक सुन्दर, भव्य तथा अलङ्कृत बनाने का विशेष प्रयास किया जाता था । उनमें अनेक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों के हाशियों पर रंग-बिरंगे चित्र और वस्त्ररिचों बनी पायी जाती हैं । 11 वीं तथा 12 वीं शताब्दियों में जन कला उन्नति के शिखर पर पहुँच चुकी थी । धातू पथ के निष्कर्ष 'दिलवाड़ा का मन्दिर' अपने शिल्प-सौन्दर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है । मैसूर में शिवराज बेलगोला तथा कर्णाल में वाहुवली की विशालकाय प्रतिमा जो 'गौमतेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध है विश्व की आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है । मथुरा में उपलब्ध अलङ्कृत द्वार, पाषाण-क्षेत्र तथा प्रतिमाएँ जन कला की प्रतीक हैं । कतिपय विद्वानों का मत है कि जनिया की कला सादगी से पूर्ण है । इसमें हिन्दू कला की चमक-दमक का अभाव है ।

4 सामाजिक क्षेत्र में—जन धर्मावलम्बियों का सामाजिक योगदान भी बड़े महत्त्व का है । अहिंसा, जीव-रक्षा और जीव-सेवा व जो आदर्श और कृत्य भारतीय समाज में इतने आदर के साथ रखते हैं, उनमें जनियों का सदैव ही बड़ा हाथ रहा है । जन धर्म मूलतः जाति-प्रथा में विश्वास नहीं करता । वह जाति को कम प्रधान मानता है, जन्म प्रधान नहीं । इसीलिए महावीर ने जन धर्म और मोक्ष के द्वार सभी जातियों, वर्गों और वर्णों के लिए खोल दिये । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी को जन धर्म में दीक्षित किया । परन्तु प्रागे चलकर यह धर्म वर्णों तक ही सीमित रहा ।

अन्य क्षेत्रों में योगदान—जन धर्म का प्राबुद्धि भारत में भी महत्त्व है। ग्रहणात्मक सत्पापह भूमिदान, सम्पत्तिदान भूमि भोगावली, धर्म निरपक्षता जैसे प्राबुद्धि सिद्धांत और वाचनमा में जन दर्शों की भावना का युगाधिक रूप में प्रकट कारण माना जाता है। साराश में जन साधुओं का जीवन आदर्श, त्याग, तपस्या पूरा और इतना नतिन बना रहा कि उन्हीं समाज का समबोधित माग दर्शन सदैव किया।

बौद्ध धर्म (The Buddhism)

वह आन्दोलन जिसने ब्राह्मण धर्म को सबसे भारी आघात पहुँचाया, वह बौद्ध धर्म था जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रारम्भ किया गया था। यूरोप के लूथर के समान गौतम बुद्ध ने उस भ्रष्टता का विरोध किया जो हिन्दू धर्म में घुस गयी थी। छठी शताब्दी ई० पू० को धार्मिक क्रांति का युग मानने में हमें जो प्रेरणा बौद्ध धर्म के ग्रन्थोदय से होती है उतनी अन्य किसी धर्म से नहीं। इसका कारण यह है कि इस धर्म ने विश्व के अधिकांश भागों का प्रभावित किया था और इसके अमर सदेश में सम्पूर्ण विश्व को शांति स्थापना की प्रेरणा मिली थी। वास्तव में, भारतीय धर्मों के इतिहास में बौद्ध मत का स्थान अद्वितीय है। इसने अपने द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिये थे।

I गौतम बुद्ध का जीवन-चरित्र (Life of Buddha)

बौद्ध धर्म के मस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 566 ई० पू० में नेपाल की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कालांतर में यहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तम्भ (स्मि-देह) स्थापित करवाया था जिस पर आज भी “यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे—यहाँ भगवान् उत्पन्न हुए थे” पढ़ा जा सकता है। उनके जन्म का नाम सिद्धाय था और गौतम उनका गोत्र था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। बालक के जन्म के मात्र दिन पश्चात् माता महामाया का देहांत हो गया। अस्तु, सिद्धाय का पालन उसकी मौसी और विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। इसीलिए इन्हें गौतम भी कहते हैं। गौतम के जन्म पर बाल देवता नामक एक तपस्वी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर ‘बुद्ध’ होगा। ‘बुद्ध’ उस व्यक्ति को कहते हैं जिन्हें बुद्धि अर्थात् ज्ञान प्राप्त हो गया है।

बाल्यकाल से ही सिद्धाय में मस्तिष्क की चिंतन प्रवृत्ति एवं सहृदयता तथा दयालुता का लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। शशव काल में भी राजकीय बन्धु राजकुमार के हृदय को मोहित करने में सबका अग्रगण्य रहा। अपने पुत्र में माया रिक जीवन के प्रति गहरी उदासीनता देखकर राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से कर दिया। इस नव दम्पति के प्रामाद की शुद्धोधन ने भोग विलास एवं आनन्द की सर्वोत्कृष्ट सामग्री और साधना से परिपूर्ण

कर दिया। पर तु दुःखी तथा विपादग्रस्त विश्व के बीच भोग ने इन उपकरणों गौतम के आशुल व चिंतित हृदय का शांति न मिली।

महाभिनिष्क्रमण—इही दिनों गौतम ने चार ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन जीवन पूरा रूप से पलट गया। कहते हैं कि नगर दशन के हेतु भिन्न भिन्न भ्रम पर बाहर जात हुए गौतम को माग म पहले जजर शरीर बद्ध, फिर व्यथाप रोगी, फिर मृतक और सबसे बाद को बीत राग प्रसन्न चित्त सयासी के दशन हुए इससे उनके दिल और दिमाग पर हर एक की गम्भीर प्रतिक्रिया हुई। उन्हें जवानी, स्वास्थ्य और शरीर की भ्रस्यायी, ससार को अनित्य एवं दुःखमय समझ उहोने सयासी होने का दृढ निश्चय कर लिया। जीवन की अन न समस्या उसके कष्टों तथा मृत्यु की भावना से वह आश्चर्य हो गय, उनकी शांति भंग गयी और वह वासना से रहित एका तवास की गम्भीर शांति की और अति आकर्षित हुए। अत म, गौतम ने सासारिक दुःखों से निवृत्ति का भाग खोजने उद्देश्य से एक रात्रि को 29 वष की अवस्था में गह त्याग कर दिया। बौद्ध साहि में यह गह त्याग महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है।

ज्ञान की खोज में महान बुद्धत्व की प्राप्ति—निरंतर छ वर्षों तक गौ स यासी का जीवन व्यतीत करते रहे। इस काल म उहाने दो ब्राह्मण आचार के आश्रमों में अध्ययन किया एवं पटना जिले के राजगह तथा गया के सम उखला आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इतने पर भी उनकी जिज्ञासा न मिटी और न ही सतोष हुआ। उन्हें वह प्रकाश कही भी नहीं मिला जिसकी उ तलाश थी। तब उ होम उखला के सघन वन म कठोर तप किया और अपने श को अनेक कड़ी यातनाएँ दी एवं सत्य की प्राप्ति के लिए निष्फल प्रयास किं अत म उहोने तपस्वी जीवन को त्याग दिया शरीर यातना छोड़ दी तथा निरज नदी में स्नान कर वतमान बोध गया में पीपल वक्ष के नीचे तृण के आसन पर गये। वहा उहोने एद्रियक सुखी तथा दूषित विचारों से परे रहकर नान प्रा का यत्न किया। यहा उन्हें सहसा सत्य के दशन हुए और सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें यह प्रकाश मिला कि महान शान्ति उनके हृदय में ही है, उहे वही उस खोज करनी चाहिए। यही 'महान बुद्धत्व' कहा गया। तब से वे 'बौद्ध' 'तथागत' कहलाये। इस तरह अपनी आयु के पैंतीसवें वष म गौतम ने 'बुद्ध' प्राप्त किया।

धम प्रचार—ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने शेष जीवन को ज साधारण के हित में लगाने का निश्चय किया। वे उस प्रकाश से जिससे उह जीवन क सत्य का स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था, ससार के प्राणी प्राणी को बता चाहते थे जिससे विश्व का कल्याण हो सके। प्रस्तु, वे बनारस के समीप हिर कु ज में गये और वहाँ उहोने अपना धार्मिक उपदेश दिया। जिसके परिणामस्वरु

पाच शिष्य उनके साथ हा गया । उनके भावी जीवन के शेष पतालीस वर्ष अत्रव्रत परिश्रम तथा सत्रिपता के थे । वे इस काल में एव स्थान में दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे और अवध, बिहार तथा उनके पाश्चवर्ती प्रदेशों में अपना स देश राजा और रक्षक सबको सुनाते रहे । कोशल नरेश प्रसेनजित एव भगध नपति बिम्बसार तथा अजात शत्रु ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया और उनके शिष्य हो गये । उन्होंने अपने अनुयायी साधुओं का एव 'सघ' स्थापित किया । वे अपनी जन्म भूमि में भी गये, उनका पुत्र 'राहुल' भी भिक्षु बन गया ।

बुद्ध बुराई का बदला अच्छाई में और घणा का बदला प्रेम देने में विश्वास करते थे । उन्होंने जाति पाति और ऊँच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया । इस तरह, "जैसे कोई शोध को सीधा करदे, ढँके को खोल दे, भूले का माग दिखादे, अँधकार में तेल का दीपक रख दे जिससे कि आँसू वाले रूप का देखें, वैसे भगवान बुद्ध ने अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया ।" वर्षाकाल को छाड़कर वर्ष के शेषकाल में महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षु लगातार पयटन किया करते थे । इसके फलस्वरूप हजारों स्त्री पुरुष उनके शिष्य बने । उनके अनुयायियों की प्रमुखता दो श्रेणियाँ थी । गृह त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने वाले स्त्री-पुरुष भिक्षुण और भिक्षु कहलाते थे । शेष अनुयायी वग गृहस्थों का था जो उपासक या उपासिकाएँ कहलाते थे ।

महानिर्वाण—दीपकाल तक मुक्ति के हेतु उपदेश देते, अनवरत प्रचार एव वार्तालाप करते हुए धर्म के ये महारथी अन्त में अस्सी वर्ष की अवस्था में 486 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुशी नगर (वर्तमान कसिया) में निर्वाण को प्राप्त हुए । इसे 'महानिर्वाण' कहते हैं । वशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इनका निर्वाण भी वशाख पूर्णिमा को ही हुआ । विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण किसी अन्य जीवन में नहीं मिलता । बुद्ध ने निर्वाण में पूर्व अन्तिम बार अपने शिष्य आनन्द तथा अन्य भिक्षुओं को उपदेश दिया—“आनन्द ! शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारा शास्ता (माग दशक) चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है । आनन्द ! ऐसा मत समझना । मैं जो धर्म और विनय, उपदेश किए हैं, प्रकृत किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे ।” 'इसलिए, आनन्द ! आत्मदीप, आत्मशरण, अनयशरण, धर्मदीप, धर्मशरण, हीकर विचार ।”

II महात्मा बुद्ध के सिद्धान्त एव उपदेश

बौद्ध धर्म मुख्य रूप से आचार धर्म है । भगवान बुद्ध ने दशम पक्ष पर नहीं, यवहार पक्ष पर अधिक जोर दिया । बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो साधारण बुद्धि की पहुँच से परे हैं । उन्होंने विद्युत् धार्मिक त्रियाद्यो

की अपेक्षा शुद्ध आचरण अर्थात् शुद्ध विचार शुद्ध क्रम और शुद्ध भावना पर अधिक बल दिया।

बुद्ध का कथन है कि शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति 'निर्वाण' प्राप्त कर सकता है। अनेकानेक अर्थ धर्मों के प्रतिकूल बौद्ध धर्म इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। वह मानव के चरमोत्कर्ष का साधन था। वह 'दृष्टलोक' और 'परलोक' की समग्र मायताओं का माप दण्ड था। वह जीवन का विषय है, मृत्यु का नहीं।

भगवान् बुद्ध का धर्म किसी यात्रिक क्रमकाण्ड, सूक्ष्म दार्शनिकता अथवा पौराणिक अर्थ मायता के ऊपर आधारित न था। उनका आधार तो विराग, असंग्रह, सतोष और अध्यवसाय जैसे उदात्त सिद्धांत ही थे जो जन साधारण के लिए भी सुबोध थे। तथागत का धर्म जनवादी था। वह किसी वर्ग विशेष की सम्पत्ति न था। उसके द्वार सबके लिए खुले थे। जड़ मतवादों से परे वह विश्व धर्म था। वह बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखाय, लोक अनुकम्पा के लिए सुख के लिए था। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में बौद्ध धर्म 'आदश का महासागर' है 'जिसमें पूर्वीय विचारधारों की भिन्न भिन्न नदियां मिली हैं।' अस्तु, कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का धर्म अपने मौलिक रूप में मानवता की उच्चतम प्रतिष्ठा का स्थापक था।

बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत— गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को समझने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि गौतम बुद्ध (1) ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, (2) धर्ममा को नित्य नहीं मानते थे, (3) किसी ग्रन्थ को स्वन प्रमाण नहीं मानते तथा (4) जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध ने वेदा की प्रामाणिकता और अपौरुषेयता को अस्वीकृत किया। पशु—यज्ञ को आपत्ति जनक बताने हुए उनकी निन्दा की। जटिल, अर्थहीन विस्तृत वैदिक विधियों एवं अनुष्ठानों का भी उन्होंने विरोध किया तथा जाति प्रथा व ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। बुद्ध के उपदेशों अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को निम्नलिखित शीर्षकों में समझा जा सकता है—

1. चार आय सत्य, 2 अष्टांगिक मार्ग, 3 दस शील (आचरण व नियम), 4 मुख्य दार्शनिक सिद्धांत, एवं 5 अर्थ उपदेश।

चार आर्य सत्य (चत्वारि आर्य सत्यानि)

महात्मा बुद्ध की शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत चार आय सत्या में व्यक्त किये गये हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम पाँच शिष्यों को चार आय सत्या का उपदेश दिया था। उन्होंने बताया कि "चार आय सत्य हैं" जिन्हें अगोचर बरके ही मनुष्य निर्वाण का पथ पा सकता है। ये सत्य निम्नलिखित थे—दुःख, दुःख का कारण (दुःख समुदाय), दुःख का दमन (दुःख निरोध) और दुःख के शमन का मार्ग (दुःख

निरोध गामिनी प्रतिवाद)। दूसरे शब्दा में, उहाने बताया कि जीवन में कष्ट है, इस कष्ट का मूल कारण है और इस कारण को नष्ट करके इसके कष्ट का निवारण किया जा सकता है।

1 सवम दुःखम—प्रथम श्राय सत्य यह है कि ससार दुःखमय है। इस जगत में चारा और दुःख ही दुःख है। बुद्ध के शब्दा में, “जन्म ही दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रिय मिलन भी दुःख है, प्रिय विषाग भी दुःख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति भी दुःख है।”

2 दुःख समुदाय—दूसरा श्राय सत्य यह है कि ससार का दुःख अकारण नहीं है। मनुष्य किसी न किसी कारण से दुःखी होता है। बुद्ध के अनुसार दुःख का मूल कारण तृष्णा है। काम की तृष्णा, भव (उत्पन्न होने) की तृष्णा, विभव की तृष्णा आदि दुःख के मूल कारण हैं। अस्तु, कष्ट का कारण भौतिक वस्तुओं का सुख भोगने की वसना या इच्छा या तृष्णा है। यह तृष्णा ही मानव के जन्म और मृत्यु का कारण है। सतृष्णा मनुष्य कभी भी दुःख से उद्धार नहीं पा सकता। अविद्या और तृष्णा केवल दुःख ही दुःख उत्पन्न करती है।

3 दुःख निरोध—तीसरा श्राय सत्य है कि दुःख का निराध सम्भव है। दुःख के मूल तृष्णा के अन्त करने को दुरा निरोध कहते हैं। दुःख का नाश तृष्णा के नाश से ही सम्भव है। बुद्ध के शब्दों में, यदि दुःख का अन्त करना है तो तृष्णा का परित्याग करना चाहिए। तृष्णा के समाप्त होने पर ही दुःख की समाप्ति होती है।

4 दुःख निरोधगामी माग—चौथा श्राय सत्य यह है कि दुःखों के दूटने का माग अर्थात् उपाय भी है। दुःख के मूल कारण तृष्णा का किस प्रकार विनाश किया जाय यही मनुष्य के सम्मुख वास्तविक समस्या है। बुद्ध के मतानुसार योगिक क्रियाएँ या तपस्या अथवा शारीरिक यातनाएँ न तो तृष्णा का अन्त ही कर सकती हैं और न पूज में तथा उसके कष्टों से मुक्ति ही दिला सकती हैं। मस्तिष्क की वासनाओं एवं तृष्णा से विरक्त करने के लिए बारम्बार प्रार्थना, या यज्ञ या ब्रह्ममंत्रों का उच्चारण निष्फल है। बुद्ध ने बताया कि इस तृष्णा का विनाश ‘अष्टांगिक माग’ के अनुकरण में ही हो सकता है। अष्टांगिक माग अथवा आठ आचरणों के अनुपालन से अन्त करण की बुद्धि होकर ज्ञान का उदय होता है जिससे तृष्णा और अविद्या का नाश होता है।

अष्टांगिक माग

यह माघना-माग भाग और तप के बीच का माग है। निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने हेतु इसका पालन अति आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है कि “आनन्द! इस समय मैं भी यह कल्याणवत्तम स्थापित किया है जो एकान्त-निर्बन्ध के लिए, विराग के लिए, निराध के लिए, उपशम के लिए, अभिज्ञा के लिए, सम्बोधि के लिए—ब्रह्म यही अष्टांगिक माग है।” इस अष्टांगिक माग में ये बातें हैं -

1 सम्यक् दृष्टि—जिन चार सत्या का बुद्ध ने ध्यान प्रथम धर्मोपदेश में वरुण किया है उसका ज्ञान और उनमें विश्वास और श्रद्धा इसका ग्रहण कर मनुष्य पाप पुण्य, सदाचार-बुराई में भेद कर सकता है ।

2 सम्यक् सत्कल्प—इसके अनुसार राग, द्वेष, हिंसा, सासारिक विषयों के परित्याग के लिए दृढ़ सत्कल्प जरूरी है । हमें किसी से न तो ईर्ष्या या द्वेष रखना चाहिए और न दूसरों को कष्ट पहुँचाना चाहिए ।

3 सम्यक् वाणी—जा वाणी सत्य, विनम्रता और मृदुता में समाहित होती है उस सम्यक् वाणी कहते हैं । इसका महत्त्व यह है कि हम अपने भावों को असत्य भाषण, निंदा, गाली मलोज, कठोर शब्द और अश्लील वार्तालाप से दूर रखें ।

4 सम्यक् कर्म—सत्कर्म करना ही सत्य कर्म है । इसका अर्थ यह है कि जो वस्तु हमारी नहीं है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न न करें एवं अत्यधिक शारीरिक तथा सासारिक विषय वासना में लिप्त न रहें ।

5 सम्यक् आजीविका—इसके अनुसार जीवन यापन हेतु जो जीवन माग निषिद्ध है । उनका अनुकरण न किया जाय । व्यक्ति को ऐसी जीविका के भ्रजन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जो नतिक नियमों के विरुद्ध न हो ।

6 सम्यक् व्यायाम—शुद्ध ज्ञानयुक्त प्रयत्न जिससे धम दृष्टि उत्पन्न हो सम्यक् व्यायाम है । इसके अनुसार, अवगुणा के नाश का प्रयास करना, नए अवगुणा से बचना, गुणा को प्राप्त करना एवं आचार विचार द्वारा गुणों में वृद्धि करना चाहिए ।

7 सम्यक् स्मृति—समस्त कार्यों को विवक्षपूर्वक करना सम्यक् स्मृति है । आत्मा और शरीर को ऐसी दृष्टि से देखना कि स्वयं पर नियंत्रण रहे, सतकता हो, एवं तीव्र लालसा, उग्र-वासना व विषाद पर विजय प्राप्त हो सके ।

8 सम्यक् समाधि—चित्त को एकाग्र करना ही समाधि है । चार आय सत्याओं को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए । अष्टांगिक माग का यह अंतिम और श्रेष्ठ भाग है ।

11 मध्यम प्रतिपदा या मध्यम माग—“यह अष्टांगिक माग एक और अत्यंत भोग विलास तथा दूसरी ओर कठोर तप एवं बड़ी शारीरिक यातनाओं के बीच का माग है । इसलिए मध्यम माग (मझिम माग) कहा गया है । इसमें मनुष्य को उपदेश दिया गया है कि वह अपना धार्मिक और नतिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करे । यह माग सरल, शिक्षा व नीति मूलक, व्यवहार प्रधान और तक सगत है । क्षतुर्वर्ध के समान महात्मा बुद्ध ने दुखी मानव का दुख से निवृत्ति पान का अचूक माग बताया तथा एकाग्रता व कुशलता से उस पर चरना सिखाया । बुद्ध के अनुसार इसी माग का अनुकरण करने से निवाण की प्राप्ति होगी ।

दस शील आचरण के दस नियम

महात्मा बुद्ध ने लागा के नतिक आचरण क उन्नत करने के अभिप्राय से 'दस शील' पर अधिक जोर दिया। उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने से मानव का आचरण उन्नत होगा और वह निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होता जायेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। दस शील (सदाचार के दस नियम) इस प्रकार हैं—(1) अहिंसा-व्रत का पालन करना। (2) सदा सत्य बोलना। (3) चोरी न करना। (4) ब्रह्मचय अथवा अति भोगविलास से दूर रहना। (5) अपरिग्रह अर्थात् वस्तुओं का संग्रह न करना। बुद्ध के अनुसार इन पांच नियमों का पालन करना गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु उपासकों दोनों के लिए आवश्यक है। इनका पालन करते हुए ससार त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य समाज की ओर बढ़ सकता है। परंतु जो व्यक्ति ससार की मोह माया छोड़कर भिक्षु जीवन विताता है उसके लिए अगले पाँच नियमों का भी पालन करना आवश्यक है (6) नृत्य गान आदि आमोद प्रमोद का त्याग (7) सुगन्धित वस्तुओं का त्याग (8) असामयिक भोजन का त्याग। (9) कोमल शय्या का परित्याग, तथा (10) कामिनी और कचन का त्याग।

महात्मा बुद्ध ने सदाचार की जो शिक्षा दी वह अत्यंत सरल है। उनकी मायता थी कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयत्न से सासारिक दुःखा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस मुक्ति के लिए उसे किसी ईश्वर की आवश्यकता है न देवता की। बुद्ध के शब्दों में, "मुक्ति के लिए दूसरा आश्रय मत ढूँढो। बिना प्रमाद किए अपने मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। ईश्वर अथवा किसी देवता की कृपा पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने कर्मों द्वारा उद्धार करो।"

बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त

कर्मवाद—बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास रखता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वसा ही फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। मनुष्य का यह लोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर है। यदि व्यक्ति अपने दुःखा से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने कर्मों को सुधारने चाहिये। अच्छे कर्म करने पर ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है।

ईश्वर में अविश्वास—बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। या तो कभी भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन नहीं किया। किन्तु जब कभी उनसे ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछा जाता तो वे मौन धारण कर लेते थे या प्रश्न को टाल जाते थे।

निर्वाण—बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करना है 'निर्वाण' का अर्थ है 'शुद्धता'। बुद्ध का कथन है कि मन में पैदा होने वाली ८

या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह निर्वाण इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। दुःख निरोध की प्रवस्था का पूर्ण ज्ञान ही निर्वाण अवस्था की प्राप्ति है।

प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत महत्त्व—बौद्ध धर्म नितांत कारणवादी है। 'प्रतीत्य' का अर्थ है 'इसके होने से' और 'समुत्पाद' का अर्थ है—यह उत्पन्न होता है। अर्थात् किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। बिना कारण कुछ घटित नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने अनेक बार अपने प्रवचन में इस कारण वाय के दार्शनिक सिद्धांत की विवचना की है। प्रत्येक वाय का फल होता है। एक बात से दूसरी बात उत्पन्न होती है। यदि 'यह' नहीं, तो 'वह' भी नहीं होगा। "इस धर्म (प्रतीत्य समुत्पाद) को न जानने से, न प्रतिबंध करने से ही मैं प्रजा में उत्तमों सूत-सी गाठ रस्ती थी, मूँज बलमज सी दुःख, दुःगति, पतन, विनिपात को प्राप्त हो सत्सार से पार नहीं हो सकती।" राग के कारण को जाने बिना निदान नहीं हो सकता। कमवाद, क्षणिकवाद, आत्मा की अनित्यता आदि सिद्धांतों पर प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। अतः इस नियम को बौद्ध दर्शन का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्वयं बुद्ध ने इस इतना महत्त्वपूर्ण भावा कि उन्होंने इस 'धर्म' की सना दी।

महात्मा बुद्ध का मूल्यांकन

बौद्ध धर्म आध्यात्मिक सत्य और प्रेम का स देश को दरिद्रा की ओपडिया स लेकर नरेशों के राजमहलों तक ले गया और भारतीय इतिहास पर अपने प्रभाव की अमिट छाप छोड़ गया। भारतीय सस्कृति और धर्म के दीपकों भारत की सीमा के परे बौद्ध धर्म सफलतापूर्वक ले गया।

बौद्ध धर्म के संस्थापक महारामा बुद्ध के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान विलड्यूरण्ट ने लिखा है कि बुद्ध "दृढ़ सकल्प शक्ति वाला, स्वामिमानो किंतु व्यवहार और भाषण में सुशील, नम्र, सौम्य और अत्यंत दानशील था। वाद विवाद में वह सदा शांत रहने वाला और दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने वाला व्यक्ति था। उसने ज्ञान प्राप्ति का दावा किया था, स्फुरण का नहीं। उसने कभी यह नहीं कहा कि कोई देवता उसके अदर से बोल रहा है।"

बुद्ध भविष्य-रथन से घृणा करते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कहा था— "रहस्यवादी चमत्कारों से मुझे घृणा है। क्योंकि ये ज्ञान पहुँचाने वाले हैं।" वे सत्य के पक्ष में थे। जन्म तक वित्तक की अपार शक्ति विद्यमान था। उन्हीं के शब्दों में "तब वित्तक मैं मुझे न तो कोई भ्रातृ कर सकता है और न ही परास्त। यही कारण है कि मैं तर्क युद्ध के समय अत्यंत शांत और स्थिर बना रहता हूँ।" बुद्ध देखने में सुंदर, विश्वस्तनीय, प्रभावशाली, व्यक्तित्ववाला, गौरवपूर्ण और राजसी दीख पड़ते थे।

बुद्ध के शिष्यों ने उह य श्रद्धाजलिया अर्पित की हैं—“उसने डण्डे और तलवार को एन शोर रख दिया था । रूखापन तो कभी उसके पास फटक तक न पाया था । लाछन और कलक तथा दूसरो पर कीचड उछालने की जगह उसने जीव मात्र को अपनी दया का पात्र बनाया । यह बिछुड़े हुओ को मिलाने वाला और मिले हुओ को पृष्ठि प्रदान करने वाला व्यक्ति था । इसके अतिरिक्त शांति स्थापक, शांति प्रिय और शांति प्रचारक आदि आदि कितने ही विश्लेषणा से उसे सम्बोधित किया जा सकता है ।” वास्तव में, महात्मा बुद्ध अपने समय के अद्वितीय महापुरुष थे ।

III बौद्ध धम के सम्प्रदाय हीनयान और महायान

बुद्ध के देहावसान के एक शताब्दी पश्चात् बौद्ध सध दो प्रशाखाओं में विभाजित हो गया—‘महासाधिक’ एव ‘स्थिर वादिन’ । बौद्ध धम को जातक तथा ‘भवदान’ द्वारा अधिक लोकप्रिय बनाने का यह परिणाम था । वह प्रगतिशील प्रशाखा जो अनुशासन के नियमों की कठोरता का कम करना चाहती थी ‘महासाधिक’ नाम से प्रख्यात हुई । किन्तु वह रूढ़िवादी प्रशाखा जो कठोर सध-जीवन के मूल के विचार तथा दुष्ट अनुशासन के नियमों का प्रतिपादन करती थी, ‘थेरा’ या ‘स्थविर वादिन’ नाम से प्रसिद्ध हुई । महासाधिक ने, जो बौद्ध भिक्षुओं का प्रगतिशील भाग था, साधारण जनता में बौद्ध धम के प्रति अनुराग उत्पन्न करने हेतु ‘परिमित’ (दान, सहिष्णुता, उदारता के गुण) के सिद्धांतों का उपदेश देना प्रारम्भ किया । पालि पिटको (धम ग्रन्थों) में प्रतिपादित कठोर भिक्षु जीवन के विरोध में उठने एक नवीन आन्दोलन का श्रेयशेष किया । यह आन्दोलन बौद्ध धम को एकांत विहारों में से नगरो एव ग्रामों में ले आया और इसे एकान्त-वासियों के धम से जनता के धम में परिवर्तित कर दिया । आगे चलकर इसी प्रशाखा से महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । बौद्ध धम में लगभग 18 सम्प्रदाय बन गये थे, किन्तु इनमें महायान और हीनयान सम्प्रदाय ही प्रमुख हैं ।

हीनयान सम्प्रदाय व उनके सिद्धांत—हीनयान सम्प्रदाय बौद्ध धम के प्राचीन स्वरूप (मूल रूप) को महत्त्व देता है । हीनयान सम्प्रदाय महात्मा बुद्ध को आदि धम प्रवक्तक तथा निर्वाण प्राप्त एक महापुरुष मानता है । वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता है । वह कमवाद एव पुनर्जन्म में विश्वास रखता है । परन्तु बुद्ध की भांति वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखकर स्वयं पर विश्वास रखता है । हीनयान मत का मानना है कि बुद्ध के बताये गये अनुसरण करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है । इस सम्प्रदाय का कथन है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनें । हीनयान सम्प्रदाय को समयानुसार राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे वह विकसित होता गया और शिक्षित व्यक्तियों का धम बन गया ।

महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव—बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने इन कठिन मार्ग का सरल बनाने के लिए बुद्ध नवीन एवं सरल मायताभा का विचार कर उससे अनुसार चलना आरम्भ किया, वे महायानी कहलाए। ईसवी सन् का गुरुत्वात् के साथ साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का यह भेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महायान सम्प्रदाय अपनी गरजना के कारण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि चीन, जापान और कोरिया तक में फैल गया। इस सम्प्रदाय ने स्वयं को समय और परिस्थिति के अनुसार जाना जिससे इसकी सदस्य संख्या बढ़ती ही चली गई।

महायान सम्प्रदाय बुद्ध अर्थात् तो अश्वघोष जगत्विद्वान् ब्राह्मणों जिन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था, हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म को परस्पर समन्वय करने के प्रयासों का फल था, और बुद्ध अर्थात् उन अनेक नवीन प्रभावो-यूनानी, इसाई, पारसी, मध्य एशिया का फल था जो उत्तरी-पश्चिमी भारत में जीवन में धर कर रहे थे। जब विदेशी आक्रमणकारियाँ बौद्ध धर्म को अपना लिया तब उसकी मूल विशिष्टताएँ विलुप्त हो गयीं। बुद्ध अर्थात् वे धर्मोन्देशक नहीं रहे, वे राम और कृष्ण के समान मानव जाति की मुक्ति के उद्धारक व ईश्वर हो गए। बौद्धों ने अवतार विद्वान्त को अपना दिया और ऐतिहासिक गौतम बुद्ध आदि बुद्ध के विविध अवतारों के अतिम अवतार मान जाने लगे और उनकी प्रतिमा की पूजा हान लगी। इससे साथ ही माय अर्थात् लक्षण तथा विशिष्टताओं वाले कई देवी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। यह बौद्ध धर्म का नवीन रूप, महायान था।

महायान सम्प्रदाय की विशेषताएँ—मौलिक बौद्धमत जिस हीनयान कहते हैं, पूणतया बुद्धिवाद पर आधारित था। उसमें प्रतिपादित चार आय सत्य, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण के विचार केवल बौद्धिक धर्म के समझ में आ सकते थे। मूल बौद्ध धर्म में गृहस्था के लिए निर्वाण (माक्ष) की व्यवस्था हीन थी। इसलिए, बौद्ध धर्म में ऐसी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई जो गृहस्थाधारण को अपनी ओर आकर्षित कर सके और जिसमें गृहस्थों के लिए भी निर्वाण की व्यवस्था हो। महायान मत का उदय इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा। इस मत की अपनी अनेक विशेषताएँ थीं।

महायान सम्प्रदाय की मायता है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक प्रवक्तव्य हो चुके थे, जिन्हें वे "बोधिसत्व" कहते हैं। महायान मत अपने अर्थ के लिए बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त करना उचित नहीं समझता जबकि उसके अर्थ साथी बुद्ध और कष्टों के बंधन में जकड़े हुए हैं। वह ऐसे लोगों की सेवा का निर्वाण से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण समझता है। उसके लिए मात्र की भलाई और सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अति-सम्प्रदाय में

बुद्ध की मूर्ति पूजा चल पड़ी। महायान वाला ने बुद्ध को परमात्मा और अवतार मानना शुरू कर दिया। यही नहीं, महायान मत की यह भावना हो गई कि ईश्वर के अवतार बुद्ध तथा बोधिसत्वों की भक्ति के द्वारा निवृत्त या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

हीनयान और महायान सम्प्रदायों में मुख्य अंतर—महायान मत प्राचीन वास्तविक धर्म जिसे हीनयान कहते हैं, अनेक बातों में भिन्न था।

(1) बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्ति पूजा का प्रारम्भ, जो महायान मत की विलक्षणता थी, हीनयान मत के सबंधा प्रतिकूल थी।

(2) हीनयान मत की यह धारणा थी कि व्यक्तिगत रूप से सच्चरित्र जीवन व्यतीत करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, पर महायान मत का विश्वास था कि निर्वाण की अभिप्राप्ति के हेतु बुद्ध के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा तथा उनका पूजन अनिवार्य है।

(3) हीनयान मत के समस्त धार्मिक ग्रंथ पालि भाषा में लिखे गये, पर तु महायान ने संस्कृत का आश्रय लिया।

(4) हीनयान सम्प्रदाय वाले गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में अपना गुरु, आचार्य तथा पथ प्रदर्शक मानते हैं। इसके विपरीत महायान सम्प्रदाय वाले तथागत बुद्ध को ईश्वर का रूप देकर उनकी पूजा करने लगे। उसे अवतार मानने लगे थे।

(5) गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचलित अधिश्वासा के विरुद्ध आवाज उठायी थी, जिसका हीनयान मत वाले अनुसरण करते थे। परंतु, महायान सम्प्रदाय वाला ने सरस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ताना मना का सहारा लिया।

(6) हीनयान में निर्वाण प्राप्त करने के लिए भिक्षु-जीवन ग्रहण करना आवश्यक है। परंतु, महायान मत में इसे आवश्यक नहीं समझा जाता।

(7) हीनयान की तुलना में महायान का प्रचार विदेशों में बहुत अधिक हुआ।

इस तरह, महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी सत्य हुई कि “उनका धर्म 500 वर्ष तक शुद्ध रहेगा।” महायान के उदय तक बौद्ध धर्म अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुका था। उसके पश्चात् धीरे धीरे उसका ह्रास होता चला गया।

IV बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देना

“बौद्ध धर्म के प्रसार के फल केवल एक महान कला और संस्कृति तक सीमित नहीं हैं। उसने अनेक महापुरुषों को भी जन्म दिया है।”

बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार भारतीय इतिहास की एक महान् घटना है। भारतीय सभ्यता की थी सम्पन्नता में इस धर्म के फलस्वरूप अत्यधिक अभिवृद्धि हुई। भारतीय जीवन के विविध अंगों को ढालने में बौद्ध धर्म की प्रगति का बहुत बड़ा हाथ रहा। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी अंगों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म की प्रमुख देना का विवरण, अध्ययन की सुविधा के लिए, निम्नलिखित शीपका में अतन्त्र प्रस्तुत है।

1 सरल सुबोध एवं लोकप्रिय धर्म—बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और आकर्षक योगदान धार्मिक क्षेत्र में था। बौद्ध धर्म ने जटिल तथा दुर्बोध वक्त्राण्ड रहित लोकप्रिय धर्म दिया। इससे पूर्व घटिक धर्म, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक देवताओं की उपासना प्रधान थी और जिसके उपनिषदों में निगुण ब्रह्म के गीत गाये थे, जनसाधारण के लिए दुरुह था। परन्तु बौद्ध धर्म अति सरल, सुबोध तथा नतिक आचरण पर बल देने वाला था एवं उसका द्वार सबके लिए खुला था। इस धर्म की सादगी, भाव प्रधानता, सरल नतिक नियम, जनप्रिय भाषा का प्रयोग, उपमा और दृष्टान्तों से धर्मोपदेश का सब समाज वर्ग तथा सामूहिक प्रार्थना और पूजन ने जनता के हृदय पर गहरी छाप जमा दी। इसने सबप्रथम व्यक्तित्व को धर्म में प्रधानता दी और धर्म के मानव उद्धारक के रूप में व्यक्तित्व तत्त्व प्रस्तुत किया। डॉ० जदुनाथ सरकार के अनुसार, "बुद्ध ने हमें एक ऐसा लोकप्रिय धर्म दिया, जो जटिल और समझ रहित रीतियों से मुक्त था तथा जो किसी पुरोहित वर्ग की सहायता के बिना ही किया जा सकता था।"

2 उच्च नतिक आदर्श—बौद्ध धर्म ने सदाचार, जन सेवा और स्वायत्त्याग के उच्च आदर्शों पर अधिक जोर दिया। बौद्ध धर्म के महायान मतानुसारियों ने बोधिसत्त्व के रूप में जन-सेवा का श्रेष्ठ आदर्श लोगों के सम्मुख रखा। इस आदर्श ने एक और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योग दिया ता इसरी और हिन्दू धर्म को भी अत्यधिक प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने 'दस शील' जैसे नतिक सिद्धांतों को दृढ़ता से अपनाकर भारतीय जनता को पुनः नतिकता और सदाचरण का मार्ग दिखलाया। तथागत बुद्ध के उपदेशों के कारण ही देश में पुनः नतिक मूल्यों की स्थापना हुई। प्रसिद्ध विद्वान मेक्समूलर के शब्दों में "संसार के समस्त धर्मों में बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो अपनी पवित्रता और शुद्धता के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रशंसित किया जाना है।" बौद्ध धर्म (ब्राह्मण) के आडम्बर और रूढ़िवाद ने जिस नतिक आचार को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया था, बौद्ध धर्म ने समाज में पुनः उसकी प्रतिष्ठा की।

3 हिन्दू ब्राह्मण धर्म पर प्रभाव—बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बाद के हिन्दू धर्म पर बौद्ध विचार और नतिकता के गहरे प्रभाव के सबल प्रमाण हैं। अहिंसा के जिस सिद्धांत पर बौद्धों ने अधिक जोर दिया,

जिनका भक्तिपूर्वक प्रचार किया और जिसे दैनिक जीवन में त्रियात्मक कर दिया, उसे ब्राह्मणों ने अपने धर्मोपदेश में पूर्ण रूप से समाविष्ट कर लिया। इससे प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा बढ़ी और रक्तिम यज्ञ की भावना का हास हो गया। बौद्ध धर्म के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण भागवत धर्म का जन्म हुआ जिसने 'अहिंसा परमो धर्म' के सिद्धांत को पूर्णतया ग्रहण कर लिया। हिन्दू धर्म में यज्ञ आदि ब्राह्मणों की प्रथाएँ तथा छूआ-छूत के जार में वमी घाते लगी। धार्मिक दुरुहता भी कम हो गई। धार्मिक अंध विश्वास और समाज में पुरोहित वर्ग अर्थात् ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी कम हो गया।

4 बौद्ध सघ व्यवस्था— धार्मिक अनुयायियों को अनुशासनशील समुदायों में संगठित कर प्रजातंत्र प्रणाली पर सघ व्यवस्था निर्माण करने का ध्येय बौद्ध धर्म को ही है। हिन्दू धर्म के रामद्वारे मठ और सन्यासी सम्प्रदायों के अखाड़े और महंता के समुदाय बौद्ध धर्म के सम्भव के ही परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त भारत में साधारण जनता के लिए संगठित और व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रसार का प्रथम प्रयास बौद्ध सघों ने किया। इस प्रकार प्रथम व्यवस्थित शिक्षा केन्द्र गालंदा का बौद्ध विहार था। बौद्ध सघ की काय प्रणाली अत्यंत जनतात्मात्मक थी। सघ ने संगठित रूप से समाज के सामने जिस त्यागपरता, सदाचारिता, अध्ययनशीलता और अध्यवसायशीलता दृष्टांत उपस्थित किया उसमें बौद्ध धर्म जनता की अपेक्षा श्रद्धा का केन्द्र बन गया।

5 बौद्धिक स्वतंत्रता— दशन की उन्नति—वैदिक धर्म में वेदों की प्रामाणिकता तथा पुरोहित वर्ग के एकाधिकार एवं कर्मकाण्ड की प्रधानता ने व्यक्तिगत बौद्धिक स्वतंत्रता का नाश कर दिया था। इसके विपरीत बुद्ध ने स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित किया और धर्म में व्यक्तित्व को प्रधानता दी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे उनके वचनों एवं आदेशों को गुह्य वचन मानकर स्वीकार न करें, बल्कि अपने बुद्धि विवेक की कसौटी पर बसे हों कस जैसे एक स्वर्णकार सोने को कसता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे 'आत्म दीप' हों और अपनी आत्मा को स्वयं प्रज्वालित करके दशक बनायें। अत्रिबुद्ध बौद्ध दार्शनिकों ने निर्वाण होकर तत्त्वज्ञान की समस्त समस्याओं पर निष्कर्ष स्वतंत्रता से मनन किया। फलतः दशन शास्त्र में उनकी विचारधाराएँ भारतीय तत्त्वज्ञान के उच्चतम विकास की ओर सक्त करती हैं। नागार्जुन, अमग, वसुदेव धर्म कीर्ति जैसे बौद्ध दार्शनिक विश्व के मवद्येष्ठ दार्शनिकों में हैं जिनकी वृत्तियों का अध्ययन किये बिना कोई भी व्यक्ति भारतीय दशन का आचार नहीं कहा जा सकता।

6 समानता और सहनशीलता—बौद्ध धर्म ने नमात्र में जाति-धर्म के बीच नीचे के भावों के विरुद्ध समानता का लड़ाई दिना आरंभ मनुष्यों के

कल्याण करने की शिक्षा दी। इससे समस्त जातियाँ व पर-नारी का भेद भाव विलीन हो गया। महात्मा बुद्ध ने जन्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था का खण्डन किया और वर्णों व जातियों के लिये बौद्ध धर्म के द्वार खोल दिये। इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला।

7 साहित्य सृजन लोक साहित्य का विकास—बौद्ध धर्म ने बोल चाल की भाषाओं का उच्च साहित्य का माध्यम बनाया। स्वयं बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश के हेतु जनसाधारण की बोल चाल की (पालि) भाषा को अपनाया था। बौद्ध-संगों और विहारों में भी प्रवचन और शिक्षा प्रसार के लिए इन्हीं लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया। इससे बोल चाल की भाषा (प्राकृत) में विस्तृत साहित्य की सृष्टि हुई। पालि भाषा का समूचा साहित्य बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का परिणाम था। साहित्यिक ग्रन्थों में 'बुद्ध चरित' नामक महाकाव्य तथा 'सारियुज प्रकरण' नामक नाटक बौद्धों की ही देन हैं। संहृत के 'मज्झिमी मूलकल्प' तथा 'दिव्यादान' नामक बौद्ध ग्रन्थों से प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में काफी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है।

8 राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता—बौद्ध धर्म ने समाज में जाति-पाति के, ऊँच नीच के भावों का विनाश कर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करने का प्रयत्न किया। बोल चाल की भाषा का प्रयोग करने से यह एकता और भी दृढ़ हो गयी। इस धर्म की सादगी और सरलता से यह साधारण जनता का अधिक प्रिय धर्म हो गया और वह उसे देश का धर्म समझ लगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतीय राष्ट्र के विकास में योग दिया एवं भारत की राजनीतिक एकता का मार्ग सुलभ कर दिया। प्राचीन काल से भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। बौद्ध सम्राटों अशोक, कनिष्क, ह्य आदि के प्रयत्नों के फलस्वरूप विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। इतिहासकार ई० वी० हेवेल के शब्दों में "भारत को एक राष्ट्र के स्वरूप में सगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को इसी प्रकार है जिस प्रकार सभसनी के छोटे छोटे राज्यों को सगठित करने का श्रेय इसाई धर्म को है। बौद्ध धर्म ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता की।"

9 भारतीय कला के क्षेत्र में महान देन—भारतीय जीवन में बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट देन वास्तु कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्ति चित्र, स्थापत्य आदि कलाओं का श्रेष्ठतम विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने वास्तुकला को खूब प्रोत्साहन दिया। आज प्रायः विश्व के प्रत्येक महान राज्यालय घर में बौद्ध कला के अवशेष हैं। बौद्ध कलाकारों ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, उनका सौंदर्य और सौष्ठव असाधारण है। बौद्ध विहारों, मंदिरों एवं स्मारकों का कलापूर्ण ढंग से अलंकृत किया गया और इस प्रकार कालांतर में

वास्तुकला और स्थापत्यकला की एक गहरी नींव का प्रादुर्भाव हुआ। माची, भरतपुर और अमरावती के स्तूप तथा अशोक के शिला स्तम्भ एक कालीन कला की बौद्ध गुफाओं की गणना भारतीय कला के सर्वोत्तम नमूनों में होती है। सांची का स्तूप, उसकी चहारदीवारी एवं विशाल व सुन्दर भवन आज भी बौद्ध कालीन कला की श्रेष्ठता का प्रकट करते हैं। बौद्ध चित्रवाग्गे द्वारा गुहाओं एवं मंदिरों की भित्तियां सुन्दर चित्रकला में अलंकृत की गयीं। अजंता, एलोरा, बाघ और वाग्बरा गुहाओं में बौद्ध कालीन स्थापत्यकला और चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। प्रो० जोहान के अनुसार, 'सभी क्षेत्रों में—चित्रकला में, स्थापत्य में वास्तुकला में और कारीगरी में बौद्ध धर्म ने ऐसी कलाकृतियां उत्पन्न की हैं जो पश्चात्य कला की उत्तम कृतियों के समान रखी जा सकती हैं।' क्रिस्टाफर हफरि ने भी लिखा है कि 'ईसा की छठी शताब्दी तक भारत में सबसे उत्तम कला बौद्ध कला है। चीन, जापान, बर्मा तथा श्याम में जब से बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ तब से लेकर इस देश के किसी भी युग की सर्वश्रेष्ठ कला—बौद्ध ही है।' साराश में, सम्राट अशोक के समय से गुप्तकाल के अंत तक भारत की सारी कला कृतियां बौद्ध धर्म की प्रेरणा से अनुप्राणित हैं।

11 भारतीय इतिहास पर प्रभाव—भारत का राजनीतिक इतिहास पर बौद्ध धर्म की प्रमिट छाप है। बौद्ध धर्म ने भारतीय राजा एवं राजकुमारों के हृदयों में रक्तपात तथा युद्ध के प्रति घणा उत्पन्न कर ली। बौद्ध नियमों में ही अशोक को युद्ध त्याग करने के लिए तथा शांति की नीति का अनुकरण करने के हेतु बाध्य किया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने दश में सैनिक भावनाओं को कम कर दिया। फलस्वरूप भारत निवासी सैनिक क्रिया कलापी और कार्यों से घणा करने लगे और कालांतर में उत्तर पश्चिम में आने वाले बलशाली आक्रमणकारियों के वैशिकार हो गये।

12 भारतीय सस्कृति का विदेशों में प्रसार—सबप्रथम बौद्धों ने ही भारतीय सस्कृति को देश की सीमाओं के बाहर सुदूर देशों में प्रसारित किया। सम्राट अशोक के निष्पन्न आदि के शासन काल में बौद्ध भिक्षुओं के जत्थे ग्रास पड़ोस के देशों में तथागत बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने गये थे। इनके धर्म प्रचार के फलस्वरूप तत्कालीन लका, बर्मा, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, मध्य एशिया आदि देशों में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा लीं। इन देशों के लिए भारत एक पवित्र देश हो गया। उन्होंने तथागत की शिक्षाओं के साथ भारतीय सस्कृति के अनेक तत्त्वों को ग्रहण किया। इससे भारत तथा इन बाह्य देशों के बीच "मैत्री पूण" घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो गया। डॉ० जदुनाथ सरकार के अनुसार, 'बौद्ध धर्म देश का विश्व व्यापी आन्दोलन था जिसमें जाति का कोई बाधन नहीं था, अतः सभी प्राचीन पूर्वी देशों ने इसे स्वतन्त्रता पूर्वक स्वीकार

सामाजिक संस्थाएँ : परिवार और जाति

(Social Institutions Family & Caste)

● परिवार

- I संयुक्त परिवार प्रथा विशेषताएँ
- II संयुक्त परिवार प्रथा के गुण व दोष
- III तीन ऋण, पंच महायज्ञ व चार पुरुषार्थ
- IV सोलह संस्कार
- V आश्रम व्यवस्था

● वर्ण एवं जाति

- VI वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति
- VII भारत में जाति-प्रथा विशेषताएँ
- VIII जाति-प्रथा के गुण एवं दोष
- IX भारत में नारी की स्थिति

I संयुक्त परिवार प्रथा विशेषताएँ

“भारतवर्ष में संयुक्त परिवार प्राचीनकाल से ही प्रचलित रहा है। भूतकाल में यह एक सहयोगी व्यवस्था थी जिसमें सम्पत्ति पर सबका अधिकार था।”

—प्रो० वाटोमोर

सामाजिक संगठना में परिवार का एक विशिष्ट स्थान है। परिवार सामाजिक जीवन की पहली इकाई है जो व्यक्ति और समाज के बीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती है। समाज का प्रारम्भिक स्वरूप व्यक्ति को परिवार के रूप में ही देखने को मिलता है। “परिवार समाज का बामन अवतार (संक्षिप्त रूप) है और समाज परिवार का विराट रूप है।” इसमें समाज की सारी प्रक्रियाएँ छोटे रूप में अपना काम करनी हुई पाई जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही इस मौलिक संस्था का विकास हो गया था, चाहे उसका प्रारम्भिक रूप आज की अपेक्षा कितना ही भिन्न और व्यापक रहा हो।

भारत में सयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन प्राचीनकाल से है । वैदिक युग में ही आर्यों ने स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक जीवन का विकास कर लिया था । व्यक्ति की अपेक्षा परिवार ही सामाजिक एवं राजनीतिक इकाई समझा जाता था । परिवार के सदस्य एक ही गृह में रहते थे । परिवार का मुखिया पिता होता था और उसे 'गृहपति' कहते थे । परिवार के सदस्यों पर उसका पूर्ण अनुश्रुति होता था । पति और पत्नी के अतिरिक्त आर्यों के परिवार में माता पिता, भ्राता भगिनी, पुत्र पुत्री आदि भी रहते थे । साधारणतया इनमें पारस्परिक स्नेह होता था एवं इस पारिवारिक जीवन की सहृदयता कामना की वस्तु थी । वैदिककालीन परिवारों में सामूहिक उत्तरदायित्व बहन करना पड़ता था । वर्तमान में भी यूनानिक यह प्रथा भारत में जारी है ।

भारतीय समाज में सयुक्त परिवार प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है । प्राचीनकाल में नाना प्रकार की बिपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों ने सहयोग से ही भोजन, आवास आदि प्राप्त हो सकता था । इस कारण एक पूँज की जितनी सतानें होती थी, वे प्रायः एक साथ रहती थी । इस प्रकार सयुक्त परिवार की उत्पत्ति हुई थी । सयुक्त-परिवार प्रथा भारतीय समाज की प्रमुख आधारशिला है, प्रस्तुत इस पर विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत है ।

अथ एव परिभाषा— एक भारतीय सयुक्त परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, पुत्र पुत्रवधु, भतीजे, पोत्र, अविवाहित पुत्रियाँ और पौत्रियाँ तथा इसी प्रकार के सम्बन्धित लोग रहते हैं । यह भारतीय समाज की ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सामाजिक इकाई है । परिवार की सत्ता सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति के हाथ में होती है । वही परिवार का मुखिया होता है तथा परिवार की सारी व्यवस्था करता है और परिवार के सब सदस्यों पर नियंत्रण रखता है । जो पुरुष कमाने योग्य होते हैं काम करते हैं और सारी घामदनी परिवार के मुखिया को सौंपते हैं । तब परिवार का मुखिया करता है और जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसको अपने अनुसार पूरी करता है । खर्च करने में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि अमुक सदस्य कितना कमाता है ।

भारतीय सयुक्त परिवार की जो परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों ने दी हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं—

“हम उस गृह को सयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य (अर्थात् तीन या अधिक पीढ़ियों से) रहते हैं, तथा एक दूसरे से सम्पत्ति, आय एवं पारस्परिक अधिकारों तथा बत या से सम्बन्धित हो ।”

—डॉ० आई पी देसाई

“यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं, उनमें निकट का नाता हो, वे एक ही चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में सयुक्त परिवार कहा जाता है ।”

—प्रो० एस एन द्वे

वास्तव में, समुक्त परिवार के अर्थ को किसी भी एक निश्चित परिभाषा में बाध देना बड़ा कठिन है। इसे तो हम इसके सामान्य लक्षणों अथवा विशेषताओं से ही अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। हिंदू विधि में समुक्त परिवार के अर्थ में उन सब लोगों की गणना की जाती है जो मामा पूजा के वंशज हों, (निम्न उनकी पत्नियाँ और अविवाहित लड़कियाँ भी शामिल हैं) सम्पत्ति समुक्त हो तो ठीक है, लेकिन अगर न हो तो भी परिवार समुक्त बना रह सकता है। इसी प्रकार अगर भोजन और पूजा की दृष्टि में परिवार के सदस्य अलग हों तो भी एक हिंदू परिवार समुक्त रह सकता है। परंतु उह समुक्त परिवार तभी तक माना जाता है जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि परिवार के सदस्यों के मध्य बंटवारा हुआ चुका है।

विशेषताएँ—एक समुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएँ सम्पूर्ण में निम्नानुसार हैं।

- 1 सभी सदस्य एक ही वंश और रक्त से सम्बन्धित होते हैं।
- 2 एक ही घर में सब निवास करते हैं।
- 3 सम्पत्ति और आय में सबका साझा होता है।
- 4 भोजन एक ही रसोई में तैयार किया जाता है।
- 5 सामान्य पूजा तथा धर्म होता है।
- 6 परिवार का आकार बड़ा और घनीमित होता है।
- 7 अविवाहित बचोवृद्ध सदस्य परिवार का मुखिया होता है।
- 8 परस्पर सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध होते हैं।
- 9 सदस्यों के सांस्कृतिक, शारीरिक और भौतिक विकास हेतु सभी मिल जुलकर काम करते हैं।

II समुक्त परिवार प्रणाली के गुण व दोष

समुक्त परिवार प्रथा अपने गुणों पर आधारित है और यही कारण है कि वह इतनी प्राचीन होकर भी आज तक बनी हुई है। यद्यपि यह सत्य है कि पश्चिमी समाज व्यवस्था ने हमारी मूल भावनाओं को तथा समाज रचना के मूल आधारों को प्रभावित किया है फिर भी इसमें विशेष परिवर्तन नहीं ला सका है और अभी उपयोगी सामाजिक समस्याओं को किसी न किसी रूप में बनाया हुआ है।

आर्थिक लाभ—(1) लक्ष का अभाव—जो कि समुक्त परिवार में सम्मिलित आय व सम्मिलित खर्च होता है, इस कारण कम खर्च में ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। (2) पारिवारिक धन का समान वितरण—इस व्यवस्था में प्रत्येक आय व सम्पत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होता। परंतु सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से कर सकते हैं। (3) सामाजिक शोभा—गैर रिश्तेदारों के आने से उत्पन्न होने पर समुक्त

परिवार की प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता है। बीमार पड़ने पर सेवा सुश्रुषा मिलती है। वृद्धावस्था अथवा असमर्थता या बेकारी अथवा दुःघटना होने पर इस व्यवस्था में पूरा आश्रय मिलता है।

सामाजिक लाभ (1) बालकों का पालन पोषण का आदर्श स्थान— इसमें रहते हुए बच्चे उदारता, सहिष्णुता, सेवा, सहयोग, प्रेम, सद्भाव और आनाकारिता का पाठ पढ़ते हैं। सब मिलकर सबके लिये रहने की भावना से उनमें सज्जित स्वाध-भावना का विकास नहीं हो पाता। (2) समाज की सेवा का अवसर— बूढ़े कि सयुक्त परिवार में स्त्री, बच्चों या बूढ़े माँ बाप के भरण पोषण का भार किसी एक के सिर पर नहीं होता इस कारण समाज सेवा की भावना रखने वाले सदस्य को परिवार की बिना अधिक न रखकर देश व समाज की सेवा तथा त्याग करने का अवसर अधिक मिलता है। (3) धर्म व सस्कृति की रक्षा— सयुक्त परिवार में सस्कृति, धर्म, परम्पराओं की रक्षा अधिक सरल रहती है। वहाँ सामाजिक तथा धार्मिक काम होते ही रहते हैं अतः प्रत्येक व्यक्ति को इसमें ऐसे रीति रिवाजों का समझने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। (4) व्यक्तिवादी भावना पर नियंत्रण— सयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्तिवाद जसी भावना पर रोक लगाकर समाज को विघटित होने से रोकती है। इसका अर्थ "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना को प्रोत्साहित करना है।

सारांश में, सयुक्त परिवार प्रथा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समाज की रचना का अच्छा आदर्श है। इससे जहाँ सुखी कुटुम्बों का निर्माण सम्भव है, वहाँ व्यक्ति के विकास की भी पूरा सभावना है।

सयुक्त परिवार प्रथा के दोष या हानियाँ— अनेक लाभ होने हुए भी सयुक्त परिवार प्रथा में कुछ अपनी खराबियाँ हैं जिनके कारण सयुक्त परिवार दिन-प्रति दिन निबल होता जा रहा है। कुछ मुख्य दोष निम्नानुसार हैं—

(1) यहाँ दूसरा पर निर्भर रहने और आलस्य की आदत को बल मिलता है जिससे निरक्षर व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।

(2) प्रायः बचपन से ही बालक यहाँ परत-दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचती है।

(3) यहाँ द्वेष व कलह का राज्य रहता है, क्योंकि सदस्यों के पारस्परिक हितों में संघर्ष होता रहता है।

(4) यहाँ स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय होती है।

(5) इसमें कर्त्ता (मुखिया) की स्वेच्छाचारिता रहती है।

(6) सयुक्त परिवार सामाजिक समस्याओं— बालविवाह, दहेज, विधवा विवाह पर रोक, स्त्रियों के शोषण, छुआहट आदि के केंद्र बन गये हैं।

सयुक्त परिवारो के विघटन के कारण

सयुक्त परिवार प्रथा अपनी कमियों के कारण अनुपयोगी तो सिद्ध हुई हो, परन्तु वक्तमान समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बन गयी हैं कि जिनके कारण इस प्रथा का अपने आप विघटन होता जा रहा है।

(1) व्यक्तिवादी विचारधारा बलवती होती जा रही है। हर व्यक्ति की अपनी रुचियाँ इतनी विशिष्ट हो गयी हैं कि वह उनका पूरा कर पाना सयुक्त परिवार में सम्भव नहीं समझता। अतः व्यक्तिगत कारणों से इस व्यवस्था को विघटन होता जा रहा है।

(2) वर्तमान औद्योगिक युग में व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत श्रम का ही मुआवजा मिलता है। अतः वह श्रम लागों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। लोगों को जीविकोपार्जन के लिए श्रम स्थानों को बाहर जाना पड़ता है। इससे भी सयुक्त प्रथा का विघटन होता जा रहा है।

(3) नवीन अधिनियमों (कानूनों) ने भी सयुक्त परिवार की स्थिरता को आघात पहुँचाया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू स्त्री का सम्पत्ति अधिकार कानून आदि के कारण भी विघटन को बल मिला है।

सयुक्त परिवार प्रथा का भविष्य

वर्तमान समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनके कारण सयुक्त परिवार का विघटन तेजी से हो रहा है और भविष्य में और तेजी से होगा। सयुक्त परिवार का विघटन विशेषकर नगरों में और शिक्षित वर्गों में स्पष्ट है। फिर भी यह अवश्य है कि हिन्दू मनावृत्ति सयुक्त परिवार के पक्ष में है। भारतीय देहाता में सयुक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव एवं अस्तित्व आज भी है, क्योंकि अभी भारतीय ग्रामीण समुदाय में नगरों की तरह क्रान्ति का बिगुल नहीं बज पाया है।

प्रायः एता भी देखा गया है कि सयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी लोग आपस में सद्भाव बनाये रखने में सफल होते हैं। ये लोग सयुक्त परिवार को ताड़न के लिए पृथक् नहीं हाते। इनका उद्देश्य सयुक्त जीवन के दोषों का विशेषकर रोज-रोज स्थितियों के बीच झगड़ों और अशांति से दूर रहना होता है। वैसे, वर्तमानकाल में व्यक्तित्व अथवा पृथक् परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फिर भी जो ऐसे नये परिवार बनें उनमें पुराने सयुक्त परिवार के गुणों को कायम रखना चाहिए।

III हिन्दू सयुक्त कुटुम्ब के आदर्श

(तीन ऋण, पंच महायज्ञ, चार गुरुधाय)

सन्तानोत्पत्ति एवं बच्चों का लालन पालन आदि काय तो विश्व के सभी परिवार करते हैं, जबकि भारतीय हिन्दू परिवार कुछ विशिष्ट धार्मिक कार्यों को भी सम्पादित करता है। प्रमुखतः तीन ऋणों से उद्धार होना, पंच महायज्ञ करना

तथा सोराह सस्कारो को सम्पादित करना प्रत्येक भारतीय हिन्दू परिवार के मुख्य काय होते हैं ।

तीन ऋण, अथ एव उद्देश्य—भारतीय प्राचीन दाशनिको की मायता थी कि इस ससार मे प्रत्येक मनुष्य देवताभा, ऋपिया, माता पिता, अतिथियो और अथ प्राणियो से कुछ न कुछ साधन, ज्ञान एव शक्ति प्राप्त करता आया है । उसी के आधार पर वह अपने जीवन को सुखी एव सम्पन्न बनाता है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि इन ऋणो से उन्मुक्त होने का प्रयत्न करे । धर्मशास्त्रा के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ पर तीन ऋणो का भार होता है जिससे उन्मुक्त होना चाहिए ।

1 देव ऋण—भारतीय दाशनिको की मायता थी कि मनुष्य को जीवन यापन के लिए जिन अति आवश्यक साधना की आवश्यकता रहती है वे सभी दैवी शक्तियो द्वारा ही हमे प्राप्त होते हैं जैसे कि जल, भूमि, वायु इत्यादि । धर्मशास्त्रा के अनुसार, यह ऋण यज्ञ द्वारा पूरा करना चाहिए ।

2 ऋषि ऋण—प्राचीन ऋपियो तथा विचारको ने अपनी अपनी साधना एव तपस्या के द्वारा ज्ञान अर्जित किया और जिसके सहारे हम जीवन का रहस्य समझ पाय है, उनके प्रति भी हम ऋणी हैं । धर्मशास्त्रा के अनुसार, इसमें स्वध्याय द्वारा उन्मुक्त समझा जाता है ।

3 पितृ ऋण—माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं । उसके शिक्षा की व्यवस्था करते हैं । उसे जीविकाजन योग्य बनाते हैं । इस दृष्टि से हम उनके भी ऋणी हैं । धर्मशास्त्रो के अनुसार, इस ऋण से व्यक्ति सत्तानोपपत्ति करके उन्मुक्त समझा जाता था ।

धर्मशास्त्रो की व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त तीन ऋणो को चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक एव धार्मिक कर्तव्य माना जाता था । आज भी अनक हिन्दू परिवारों में इनमें से कुछ बातें नियमित रूप से होती हैं ।

उपयुक्त तीन ऋणो के अतिरिक्त दो प्रकार के ऋण और भी मान गये हैं— अतिथि ऋण और भूत ऋण । हम अतिथियो और जीवधारियों के ऋणी है क्योंकि हम उनसे समय समय पर ज्ञान तथा अन्य वस्तुएँ प्राप्त करते हैं । धर्मशास्त्रो में उपयुक्त वर्णित पांचो ऋणो से उन्मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञो की व्यवस्था की है ।

पंच महायज्ञ महत्त्व—प्राचीन आयुष्य, हवन को बड़ा महत्त्व देते थे । इनका विश्वास था कि अग्नि देवभूत का काय करती है तथा मनुष्यो द्वारा समर्पित वस्तुएँ देवताओ तक पहुँचाती है । देवता प्रसन्न होकर मानव कल्याण का काय करते हैं । अतएव, प्राचीन भारतीय परिवारों के दैनिक कार्यक्रम में अग्रलिखित पांच महायज्ञ करने का विधान था ।

1 ब्रह्म यज्ञ—इसको ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें स्वाध्याय और सध्यापासना ये दो काम सम्मिलित हैं। वेदों का अध्ययन करना तथा हमारा जो इनकी शिक्षा देना सर्वोत्तम ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ व्यक्तित्व का निर्माण करता है और व्यक्तित्व के निर्माण से समाज और राष्ट्र का मांग प्रशस्त होता है।

2 देव यज्ञ—इस अग्निहोत भी कहते हैं। इसका आशय यह है कि प्रातः और सायं अग्नि में विभिन्न देवताओं के प्रति “स्वाहा” के साथ कुछ आहुतियाँ देनी चाहिये। इसमें यज्ञ करने की जो विधि है उससे मन और शरीर स्वस्थ बनता है, साथ ही हृदय में कल्याणकारी विचारों का बल मिलता है।

3 पितृ यज्ञ—परिवार का मृतक सदस्य पितर कहलाता है। अपने मृत पितरों के लिए श्रद्धा एवं तपण आयोजित करना, इसे ही पितृयज्ञ कहते हैं। श्राद्ध पक्ष के अलावा दैनिक रूप से इस यज्ञ का महत्त्व माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा और आज्ञापालन करते हुए श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहना है।

4 मनुष्य यज्ञ—इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि सत्कार प्रत्येक परिवार का आवश्यक कर्तव्य माना गया है। इसमें अतिथि सत्कार, साधुसत्तों आदि का भोजन वस्त्र, दक्षिणा आदि से सजुष्ट करना, द्वार पर आये हुए को खाली न लौटाना आदि सम्मिलित हैं।

5 भूत यज्ञ—इस यज्ञ का विधान भोजन करने से पूर्व होता है। घर में पकाये भोजन में सजुष्ट आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं। साथ ही प्रत्येक परिवार से आशा की जाती है, कि वह भोजन करने से पहले गाय, कुत्ते, बकरी आदि के लिए अन्न अलग करदे। इस यज्ञ से दान और त्याग की भावना तथा अन्नमथ प्राणियों की मंगल कामना निहित है।

इस तरह भारतीय परिवार के दैनिक जीवन में, एक ही दू गृहस्थी के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह विश्व में जीवित व्यतीत करने हुए देवताओं, पितरों, अतिथियों, यथा तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। अस्तु पक्ष महायज्ञ का काम काण्ड नहीं है, बल्कि जीवन का उदात्त और आदर्श बनाने वाले काम है। इन पर गृहस्थाश्रम की सफलता निर्भर है।

चार पुरुषार्थ—पुरषान् चतुष्टय का जीवन का लक्ष्य माना गया है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है उद्योग अथवा यत्कि के उत्साही कार्य। लेकिन वैदिक संहिता में उद्योग की दशा निर्देश—वम, अथ, काम और मोक्ष की चार सतत उन्मुख रहने में है। मानव जीवन में उदात्त भावनाओं को अपना कर वासना तथा अविद्या रोहत जा लाक कल्याणकारी कार्य हैं, जिनके आचरण से प्रत्यक्ष रूप में लाभ को और परोक्ष रूप में आत्मा का लाभ पहुँचता है। वे सब पुरुषार्थ माने जाते हैं।

1 धर्म—मनुष्य अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करके तथा दान, दक्षिणा इत्यादि के द्वारा धर्म एवं पुण्य की प्राप्ति करे।

2 अर्थ—इसका दूसरा अर्थ द्रव्य या धन है जिसके द्वारा ही मनुष्य अपने परिवार का पालण पोषण करता है। प्रत्येक व्यक्ति उचित नतिक माध्यमों से धन अर्जित करे।

3 काम—व्यक्ति अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए जो काय या विषयभाग करता है उसे ही काम कहते हैं। कामेच्छा पूरा करने पर ही मनुष्य सतानोत्पत्ति कर पाता है।

4. मोक्ष—इसका शाब्दिक अर्थ 'मुक्ति' से है। इस अंतिम पुरुषार्थ की साधना व पश्चात् मनुष्य सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पा लेता है।

निष्कर्ष—डा प्रभु ने इ ह आश्रम व्यवस्था का "मानसिक नैतिक आधार" बताया है। धर्म, अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों का क्षेत्र गृहस्थाश्रम माना गया है। चौथा पुरुषार्थ सत्यासाश्रम में ही सम्भव है।

IV हिन्दू पारिवारिक सोलह सस्कार

प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य के व्यक्तित्व के पूरा विकास के लिए जो योजना निर्धारित की, उसका प्रथम सोपान सस्कार और द्वितीय सोपान आश्रम हैं। मनुष्य के गर्भाधान सस्कार से लेकर श्मशान में अत्येष्टि किया तक सोलह सस्कारों की व्यवस्था की गई थी। इन सस्कारों का धार्मिक व सामाजिक महत्त्व है। मनु महाराज ने इनका प्रयोजन और स्वरूप स्पष्ट करत हुए कहा है कि "ये शरीर के सस्कार हैं अर्थात् शरीर को शुद्ध करने वाले हैं।" इस तरह, सस्कार वह विलक्षण योग्यता है जिसके द्वारा मनुष्य दोषमुक्त होकर विभिन्न क्रियाओं का करने योग्य बन जाता है।

सस्कारों की सत्या धर्मशास्त्रों में भिन्न भिन्न बताई गई है। गौतम धर्म सूत्र में 48 सस्कारों का वर्णन है, परन्तु साधारणतः 16 सस्कारों को ही प्रमुख माना जाता है। इनमें भी कुछ सस्कार जैसे उपनयन, विवाह आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

सस्कारों का उद्देश्य—सस्कारों का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों का सांसारिक उत्थिति तथा मोक्ष के लिये पूरा समय बनाना है। भारतीय शास्त्रकारों की मान्यता है कि ये सस्कार ही मनुष्य के शरीर व मन को विशुद्ध करते हैं। और उस आत्मा के निवास के योग्य बनाते हैं। इनका हिन्दू समाज में बड़ा महत्त्व है। प्रायः कहा जाता है कि वह (हिन्दू) धर्म ही जन्म लेता और धर्म ही मरता है। साराण्यम, सामाजिक एवं मानवीय गुणों के विकास में सस्कार बहुत उपयोगी होते हैं।

सोलह सस्कार परिचय एवं महत्त्व

1 गर्भाधान सस्कार—मानव जीवन का यह सबसे पहला सस्कार है। इसमें नए प्राणी के गमन रूप में ध्यान के लिए उभयुक्त सस्कार शुभ दिन पर किया जाता है और पति पत्नी सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

2 पु सवन सस्कार—पत्नी के गभ धारण के बाद तीसरे महीने यह सस्कार किया जाता था । इसका उद्देश्य गभ म स्थित शिशु को रूप देना होता था । इस सम्बन्ध में देवतामा की स्तुति कर उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती थी ।

3 सोम-तोन्नयन सस्कार—गभवती स्त्री को भ्रमगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए आठवें मास में, इस सस्कार का विधान किया गया है । इस सस्कार में पति द्वारा पत्नी के केशपाश को सजाकर उसकी माँग भरी जाती है ।

4 जातकम सस्कार—यह सस्कार बच्चे के जन्म होने पर किया जाता है । समारोह में उपस्थित सब लोग शिशु को आशीर्वाद देते हैं ।

5 नामकरण सस्कार—बालक के जन्म के त्रसवें या बारहवें दिन यह सस्कार किया जाता है । इसमें पिता ही दो चार अक्षरों का सुन्दर नाम रखता है । गृह शुद्धि के लिए हवन भी किया जाता है ।

6 निष्क्रमण सस्कार—जन्म के चौथे मास में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालने की क्रिया को 'निष्क्रमण सस्कार' कहते हैं ।

7 अन्नप्राशन सस्कार—शिशु को छ मास का होने पर पहली बार आहार देने का वाय 'अन्नप्राशन सस्कार' कहलाता है । शिशु गुरु में भात, शहद, दही और घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है ।

8 चूडाकम सस्कार—यह सस्कार जन्म के पहले से तीसरे वर्ष के मध्य किया जाता है । इसमें बालक के सिर के सभी बालों को कटवाकर चोटी रखना महत्वपूर्ण माना गया है ।

9 कण्ठवेध सस्कार—यह सस्कार शिशु जन्म के तीसरे से पाचवें वर्ष के मध्य किया जाता है । इसमें बालक के कानों को किसी अच्छे वस्त्र द्वारा बंधा जाता था ।

10 विद्यारम्भ सस्कार—जब शिशु की अवस्था पढ़ने योग्य हो जाती है, तब विद्यारम्भ सस्कार किया जाता है ।

11 उपनयन सस्कार—इसे 'यज्ञोपवीत सस्कार' भी कहते हैं । इस सस्कार का अर्थ बालक का शिक्षा प्राप्त योग्य माना जाना है । यज्ञोपवीत धारण करने योग्य होत ही शिशु का जनेऊ दी जाती है । उपनयन का अर्थ है 'गुरु के समीप ले जाना' । वैसे इसका वास्तविक अर्थ है आचार्य द्वारा प्रागत शिष्य का दीक्षा दान । अस्तु विद्यार्थी के आचार्य द्वारा 'ब्रह्मविद्या' के लिए स्वीकार किए जाने की विधि को ही उपनयन सस्कार कहते हैं । इस सस्कार के समय विद्यार्थी उत्तरीय और वस्त्र पहनकर, सिर को मुण्डन करवाकर, मेखला और दण्ड धारण करके उपनयन के लिए आचार्य के सामने बैठता है और आचार्य होम करता है तथा बालक को गायत्री मंत्र देता है—आचार्य ब्रह्मचारी (छात्र) को उपदेश देता है—
"ब्रह्मचारी, हो, जल पीओ, काम करो, दिन में मत सोओ, आचार्य के अधीन होकर वेद का अध्ययन करो ।" इसके पश्चात् बालक ब्रह्मचारी बन वेद

पार्यों म धम का प्रवान स्थान ह । परंतु अथ और काम की उपक्षा नही की गई है । भारतीय आचार्य धम, अथ और काम का समान रूप से पालन करने का निर्देश करते हैं । महाभारत का कथन है—'जीवन म अथ और काम का इस प्रकार सेत्रन करो कि धम का उल्लघन न हो ।' साराश म, इन चारो पुरुषार्थों की साधना हनु हमारे ऋषियो ने मानव जीवन का चार आश्रमो मे विभाजित किया था ।

आश्रम व्यवस्था—आश्रम शब्द सस्त्रुत के श्रम धातु मे निकला है जिसका अर्थ है 'परिधम या प्रयास करना । आश्रम व्यवस्था मुख्य रूप से एक मानसिक नतिक व्यवस्था है जिनमे आयु व विभिन्न स्तरों म पृथक पृथक कतव्या का निवाह आवश्यक माना गया है । आयु के अंतर के साथ व्यक्ति की रुचिया, मनोवृत्तियो और कार्य क्षमताओ म भी परिवतन स्वाभाविक है । अत व्यक्तित्व का समुचित विकास तभी सम्भव ह जब इन परिवतनशील गुणों के बीच आदश स तुलन रखा जाए । आश्रम व्यवस्था मे इसी स तुलन के निर्वाह का दृष्टिकोण निहित है ।

आश्रम का शाब्दिक अर्थ विधाम स्थल या एक पडाव है । जिस प्रकार भारतीय समाज का वर्गीकरण चार भागो अथवा चार वर्णों म किया गया था, उसी तरह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन विस्तार को भी चार भागो मे विभाजित किया गया था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा स'यास । मनुष्य की तत्कालान आयु 100 वर्ष मानते हुए, प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए थे ।

1 **ब्रह्मचर्याश्रम**—यह मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग ह । इसका एक मात्र उद्देश्य पूरा समय और साधना के साथ अध्ययन द्वारा जीवन का निर्माण करना होता है । मनु स्मृति आदि धमशास्त्रो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु के प्रथम 25 वर्षों मे ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करत हुए गुरु के पास जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए । इसे ब्रह्मचर्य कहन का कारण वदाचित् यह था कि इसम ब्रह्म अर्थात् वद व अध्ययन के लिए विद्यार्थी या ब्रह्मचारी गुरु व संरक्षण मे रहता हुआ अपना जीवन बडे समय म बिताता था । यह आश्रम इस विश्वास पर आधारित था कि ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को दक्षि वदिव और भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती ह । ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी दायित्वो का पूरा कर लेने के बाद ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा चुका कर उसकी आज्ञा से अपन घर लौट जाते थे । प्राचीनकाल मे 'ये आश्रम ज्ञान के केन्द्र (विश्वविद्यालय) हो गये और प्राचीन हिंदू संस्कृति के स्रोत बन गये ।'

2 **गृहस्थाश्रम**—यह जीवन का वह भाग है जिसका प्रारम्भ विवाह संस्कार से होकर वानप्रस्थ आश्रम के पूर्व तक बना रहता है । यह दूसरा आश्रम जिसमे 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने के बाद मनुष्य प्रविष्ट होता है । गृहस्थाश्रम मे, जीवन व अगले 25 वर्ष अर्थात् 50 वर्ष की अवस्था तक, मनुष्य विवाह करके विवाहितजीवन बिताये । धन उपाजन कर तथा सतान उत्पन्न कर उनका लालन शरण करे । जीवन

आदि का अध्ययन करता है। इस सस्कार के बाद बालक गुल्कुल में भ्रयात् गुरु के घर में उसके परिवार का अंग बन कर ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्या-अध्ययन करता था।

12 वेदारम्भ सस्कार—उपनयन सस्कार के एक वर्ष बाद गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ वेदों का पठन पाठन शुरू करने को 'वेदारम्भ सस्कार' कहा है।

13 केशांत अथवा गोदान सस्कार—यह सस्कार ब्रह्मचारी के 16 वर्ष की अवस्था में सम्पन्न किया जाता था। इसमें ब्रह्मचारी के केशों को सबप्रथम काटा जाता था। इस अवसर पर आचार्य को गौ का दान किया जाता था।

14 समावतन सस्कार—इस दीक्षांत सस्कार भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर यह सस्कार होता था। विद्यार्थी आचार्य को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर, आत्मा लेकर घर लौट जाता था।

15 विवाह सस्कार—यह व्यक्ति के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का सूचक था। इस सस्कार के द्वारा वर-वधु दाना आजीवन परस्पर एक सूत्र में बंधे रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसमें यज्ञ वेदों की अग्नि के सामने वर को पिता द्वारा क्या (वधु) का दान किया जाता है।

16 अन्त्येष्टि सस्कार—यह जीवन का अंतिम सस्कार है जो मृत्यु उपरांत सम्पन्न किया जाता है। इसमें शव का वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि में साप दिया जाता है। दाह सस्कार के दस दिन तक मृतक के लिए तपस्या एवं विण्ड दान किया जाता है।

निष्कर्ष—वर्तमान काल में, अधिकांश लोग इन सस्कारों में अपनी आस्था खो बैठे हैं। अब केवल उपनयन विवाह तथा अन्त्येष्टि सस्कारों का प्रचलन रह गया है। कुछ सस्कारों का रूप भी अब काफी बदल गया है।

V आश्रम व्यवस्था

"आश्रम—प्रथा के द्वारा शांतिमय उपवना में हमारे दशन—शास्त्र की उन्नति हुई तथा आचारशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं साहित्य की शास्त्राद्या का जीवन मिला। यही पर हमारी सच्ची प्राचीन सभ्यता विद्यमान थी और इन सब बातों का श्रेय हमारे प्राचीन आर्यों को है।"

—डा. जदुनाथ सरकार

आश्रम व्यवस्था को सब किसने जन्म दिया, वहना कठिन है। किंतु इस बात पर सब एवं मत हैं कि यह व्यवस्था निश्चित रूप से वैदिककालीन सांस्कृतिक धरोहर है। इस व्यवस्था में अनुसूत व्यक्ति के जीवन को चार आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सत्यास में विभाजित किया गया है।

चार पुरुषार्थों की धारणा—भारतीय जीवन में चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रतिष्ठा हुई थी और इन पुरुषार्थों की सफल साधना ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया था। इनमें मोक्ष अंतिम लक्ष्य है और धर्म तीन पुरु

पार्यों म धम का प्रधान स्थान ह । परंतु, अथ और काम की उपक्षा नहीं की गई है । भारतीय आचार्य धम, अथ और काम का समान रूप से पालन करने का निर्देश करते हैं । महाभारत का कथन है—‘जीवन मे अथ और काम का इस प्रकार सेवन करो कि धम का उल्लंघन न हो ।’ साराश मे, इन चारो पुरुषार्थों की साधना हतु हमारे ऋषियो ने मानव जीवन को चार आश्रमो म विभाजित किया था ।

आश्रम व्यवस्था—आश्रम शब्द सस्त्रुत के अम धातु म निकला है जिसका अर्थ है ‘परिश्रम या प्रयास करना । आश्रम व्यवस्था मुख्य रूप से एक मानसिक नतिक व्यवस्था है जिनमे आयु क विभिन्न स्तरो मे पृथक् पृथक् कत या का निवाह आवश्यक माना गया है । आयु के अंतर के साथ व्यक्ति की रचिया, मनोवक्तियो और काय क्षमताओ म भी परिवतन स्वाभाविक है । अत व्यक्तित्व का समुचित विकास तभी सम्भव ह जब इन परिवतनशील गुणो के बीच आदश सतुलन रखा जाए । आश्रम व्यवस्था म इसी सतुलन के निवाह का दष्टिकोण निहित है ।

आश्रम का शाब्दिक अर्थ विश्राम स्थल या एक पडाव है । जिस प्रकार भारतीय समाज का वर्गीकरण चार भागो अथवा चार वर्णो म किया गया था, उसी तरह मनुष्य के व्यक्तितगत जीवन विस्तार को भी चार भागो मे विभाजित किया गया था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा स यास । मनुष्य की तत्कालान आयु 100 वष मानत हुए, प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए थे ।

1 **ब्रह्मचर्याश्रम**—यह मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अग ह । इसका एक मात्र उद्देश्य पूरा सयम और साधना के साथ अध्ययन द्वारा जीवन का निर्माण करना हाता है । मनु स्मृति आदि धमशास्त्रो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु के प्रथम 25 वर्षो म ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमो का पालन करत हुए गुरु के पास जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए । इसे ब्रह्मचर्य कहन का कारण कदाचित यह था कि इसम ब्रह्म अर्थात् वेद के अध्ययन के लिए विद्यार्थी या ब्रह्मचारी गुरु क सरक्षण मे रहता हुआ अपना जीवन बडे सयम म बिताता था । यह आश्रम इस विश्वास पर आधारित था कि ब्रह्मचर्य हो एक ऐसी साधना है जा मनुष्य को दहिक दहिक और भौतिक उ नति के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती ह । ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी दायित्वो को पूरा कर लेन के बाद ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा चुका कर उसकी आगा से अघने घर लौट जाते थे । प्राचीनकाल मे ‘ये आश्रम ज्ञान के केन्द्र (विश्वविद्यालय) हो गये और प्राचीन हिंदू सस्कृति के स्रोत बन गये ।’

2 **गृहस्थाश्रम**—यह जीवन का वह भाग है जिसका प्रारम्भ विवाह सस्कार से होकर वानप्रस्थ आश्रम के पूव तक बना रहता है । यह दूसरा आश्रम जिसम 25 वष तक ब्रह्मचारी रहने के बाद मनुष्य प्रविष्ट होता ह । गृहस्थाश्रम मे, जीवन के अगले 25 वष अर्थात् 50 वष की अवस्था तक, मनुष्य विवाह करके विवाहितजीवन बिताये । धन उपाजन कर तथा सतान उत्पन्न कर उनका लालन पोषण करे । जीवन

को इस अवस्था में व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए भी समय, नैतिकता, सामाजिक मर्यादा, व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि के पाठ पढ़ता है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में "गृहस्थ सारे समाज की आधार शिला है।"

शास्त्रकारों के अनुसार, गृहस्थाश्रम की सफलता ही वास्तव में जीवन की सफलता है। इसी आश्रम में जीवन का पूरा विकास होता है। वशिष्ठ सूत्र में लिखा है कि जैसे छोटी-बड़ी नदियाँ समुद्र में जाकर स्थित होती हैं, वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ में स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी की सहायता से जीवित ह (6/90)। अथ आश्रमों का भरण पोषण करने से यह ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ आश्रम है। इसके अतिरिक्त, वानप्रस्थ और स यास आश्रमों में केवल धर्म और भोज केवल इन दो पुरुषार्थों की साधना हो सकती है, जबकि गृहस्थाश्रम में धर्म, अथ और काम तीनों पुरुषार्थों की साधना सम्भव है।

3 वानप्रस्थ आश्रम—गृहस्थाश्रम के दायित्वों को पूरा कर व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता है। शास्त्रकारों के अनुसार इस आश्रम में सपत्नीक अथवा विना पत्नी के प्रवेश किया जा सकता है। वानप्रस्थाश्रम में पत्नी के साथ समयपूरण जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे सम्पूर्ण परिवार और उसका मोह त्याग कर स यास आश्रम के लिए अपने आपको तैयार करता है। प्राचीनकाल में जो व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते थे उनका जीवन त्याग और तपस्या का होता था। ग्राम अथवा नगर के बाहर कुटी बनाकर वह निवास करता एव कंद मूल खाकर जीवन निर्वाह करता था। इसमें वेद का अध्ययन तथा यज्ञ करने कराने का विधान था। शिष्य उनसे नि शुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह, वानप्रस्थी के नि स्वाध भाव से किए गए काय सामाजिक अभ्युदय के कारण बनते थे।

4 स यासाश्रम—यह जीवन का अंतिम आश्रम है। उपर्युक्त तीनों आश्रमों में व्यक्ति तीनों ऋणा—देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का चुका देता था, अतः इस चौथे आश्रम में वह सब कर्मों का परित्याग कर मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख होता था। विषय सुख से विमुख स यासी ब्रह्म में लीन होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता था। गहन चिन्तन द्वारा वह आत्मा और परमात्मा में गूढ़ रहस्या को खोजने में लगा रहता था। इस अवस्था में सभी सांसारिक बंधन टूट जाते थे और व्यक्ति मिथु या परिव्राजक के रूप में दण्ड-कमण्डल धारण करने विचरण करता था।

VI वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति

वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक विशेषता है। प्राचीनकाल से ही भारतीय सामाजिक संगठन वर्ण-धर्म-व्यवस्था पर आधारित रहा है।

अथ एव उद्देश्य—'वर्ण' के शाब्दिक अर्थ तीन निकलते हैं—प्रक्षर, रंग तथा वृत्ति के अनुरूप। परंतु, वर्ण-व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ के आधार पर नहीं

समझा जा सकता। इसे एक साक्षात्कार शब्द माना जा सकता है जो गुण गौर वम के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण को दृढ़ता प्रदान करता है। वण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वण के लिए उसका सामाजिक कर्तव्य या धर्म निर्धारित था, जिसका अच्छी तरह से पालन सामाजिक हित की दृष्टि में बहुत जरूरी था। प्राचीन भारतीय समाज चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में वर्गीकृत था और इन वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन, सुव्यवस्था तथा ममद्वि का स्थिर रखना था। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने देना भी था। धार्मिक कृत्य ब्राह्मणों को, राजनीतिक और सैनिक कार्य क्षत्रियों को, व्यापारिक एवं आर्थिक कार्य वैश्यों का सौंपकर समाज में सन्तुलन स्थापित किया गया था। शूद्रों का परम कर्तव्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना।

वण व्यवस्था की उत्पत्ति—वण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कई विचार धाराएँ हैं। एकमत तो यह है कि भारत में आने से पूर्व ही आर्यों में वण व्यवस्था का जन्म हो चुका था। परंतु, दूसरा मत यह है कि आर्यों के समाज में शुरु में वण-व्यवस्था नहीं थी। उनके भारत में आने पर ही अनाथ जातियाँ सम्पर्क में आने से उनमें वण व्यवस्था का विकास हुआ। आर्यों में वण व्यवस्था का जन्म ऋग्वेद काल में हुआ या उसके बाद में हुआ, इस बात पर भी विद्वानों में मतभेद है वैसे, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार वण व्यवस्था का विचार आर्यों के भारत में आगमन के उपरान्त ही उत्पन्न हुआ।

विराट पुरुष के अंगों से वर्णों की उत्पत्ति दधी सिद्धांत—ऋग्वेद के प्रारम्भिक भाग में वण अथवा जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। समाज व्यवस्था का जिस रूप में उल्लेख मिलता है, वह इतना ही है कि उनका एक समाज था जो भाई-भारों के सिद्धांत पर आधारित था तथा जिसका नेतृत्व पुरोहित एवं राजा के हाथों में निहित था। फिर भी कई कारणों से जनता में भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न श्रेणियाँ बन रही थी और भविष्य के सामाजिक संगठन का अंकुर जन्म रहा था।

परंतु, ऋग्वेद के अंतिम भाग के लिये लिये गये पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में आने वाले पुरुष सूक्त में कहा गया है—

“ब्राह्मणोऽस्य मुखं मसीदं बाहु राजयं कृत
उसतदस्य च द्वेषं पदभ्याम् शूद्रोऽजायत।”

इस तरह, इन वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बतलायी गई है जो इस संसार का रचयिता है। पुरुष सूक्त के अनुसार, “विराट पुरुष अथवा मृष्टा के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से राजय (क्षत्रिय), जघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई।” इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि चारों जातियों का सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था से उतना ही गहरा है जितना शरीर के चार मुख्य भागों का

शरीर के साथ । और इन चारों ही विभागों का इस समाज का जीवित रहने के लिए अपनी अपनी भूमिका विभागी है ।

यहां एक बात अविशेष ध्यान देने की है कि ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख नहीं है कि इन चार वर्गों में मुख्य तीन हैं और चौथा नहीं । ऋग्वेद में तो चारों ही वर्गों को बराबर महत्त्व दिया है । शरीर के लिए जिस प्रकार चारों भाग अनिवार्य तथा अविच्छिन्न हैं, उसी प्रकार समाज के लिए चारों वर्ग । अतः श्रेष्ठता 'एक निम्नता की बात स्वाभाविक बंधीभूत होकर बाद में जोड़ी गयी प्रतीत होती है । इसलिए, यह प्रश्न विचारणीय है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का समाज में इतना महत्त्व क्यों दिया गया और शूद्रों को इतना निम्न स्थान क्यों दिया गया ?

अधिकांश विद्वान् यह मानते हैं कि समाज को ही एक विराट् पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस आधार पर वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति पूर्व-वैदिक काल में ही हो चुकी थी । परन्तु मैत्रेयमूलर, कोलब्रुक, मंगलदेव शास्त्री आदि विद्वान् पुरुष सूक्त को वैदिक कालीन नहीं मानते । कदाचित् उस बाद में जाकर ऋग्वेद में जोड़ दिया गया है । ऋग्वेद में और वही भी वर्ण व्यवस्था अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता इसलिए पुरुष सूक्त के आधार पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद काल में ही चारों में वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह विकास हो चुका था ।

(2) वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का कम विभाजन का सिद्धांत—कम के अनुसार जातियों की उत्पत्ति की बात महाभारत में स्वीकार की गयी है । ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण सारा समाज ही ब्राह्मण था, अस्तु बाद में जाकर कर्मों के अनुसार वर्ण का विभाजन कम शास्त्रों द्वारा किया गया । 'मनुस्मृति' में मनु ने कहा है कि 'ब्राह्मण का कतव्य अध्ययन तथा अध्यापन यज्ञ करना और करवाना दान लेना तथा दान देना था । क्षत्रिय का कतव्य धर्म रक्षा, यज्ञ करना तथा अध्ययन करना था । वैश्य भी अध्ययन तथा यज्ञ करने थे परन्तु उनका मुख्य कतव्य पशुपालन कृषि एवं व्यापार था । शूद्र का कतव्य केवल इन तीनों उच्चतर श्रेणियों की सेवा करना था ।'

अतः कम विभाजन के सिद्धांत पर यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे चारों के समाज और सम्बन्ध का विस्तार हुआ, उनके समाज में चातुर्वर्ण्य विभाजन का विकास होता गया और अतिरिक्त गुण भयवा स्वभाव एवं उनके अनेकानेक विभागों के आधार पर किया गया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था की प्रारम्भिक अवस्था में समाज पर चारों वर्गों का समान प्रभाव था । बाद में चारों वर्गों में अन्तर्गत अनेकानेक वर्गों का विकास हुआ । अतः वर्ण व्यवस्था का विकास चारों वर्गों के अन्तर्गत अनेकानेक वर्गों के आधार पर किया गया ।

अपना वण (कम में परिवर्तन कर) बदल सकता था। परन्तु धीरे धीरे समय गुजरने के साथ एक जैसे काम करने वाले लोगों के खान पान, विवाह सम्बन्ध आपस में होने लगे तथा उनके सामाजिक सम्बन्ध भी अथ कम करने वाले लोगों से टूटने लगे। और आगे चलकर धर्मशास्त्रों द्वारा एक दूसरे वण के मध्य सम्बन्धों पर कठोर अंकुश लगा दिये गये। परिणामस्वरूप, वण व्यवस्था अब कम पर न रहकर, जन्म पर आधारित हो गई।

वर्ण-व्यवस्था का मूल्यांकन

गुण अथवा लान—(1) वण व्यवस्था धर्म विभाजन के महत्त्व को प्रस्थापित करती है। (2) यह सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था की शिक्षा देती है। (3) यह अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकती है। (4) इसमें समाज कल्याण की भावना निहित है। प्रो० पी० वी० कार्ले के अनुसार, “वण का विचार मुख्य रूप से मनुष्य की नैतिक और बौद्धिक योग्यताओं पर बल देता था। इसमें अपने कर्तव्य के पालन और समाज की सेवा के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों पर जन्म-मूलक अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है।” अतः में, प्रो० मनयट विल्सन के शब्दों में कहा जा सकता है कि वण—व्यवस्था मनुष्य को स्वाध्याय का पाठ पढ़ाती है, दुराचार से रोकती है, दरिद्रता को दूर करती है तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है।

दोष या हानियाँ—(1) वण ने जब अपना लचीलापन खो दिया तो वणवाद का कारण हिन्दू जाति अग्रणीत जातियों में विभाजित हो गई। (2) इमने सामाजिक एकता का भाग अवरुद्ध कर दिया। (3) इससे समाज में सङ्कुचित विचारधारा का प्रसार हुआ। (4) इससे उत्पन्न कुप्रथाएँ भारतीय समाज के पुनरुत्थान में बड़ी बाधाएँ हैं। अतः में, डॉ० चाडिया के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “वण-व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम यह है कि भारत अस्पृश्यता और साम्प्रदायिकता का घर हो गया जिसके कारण हमारे इतिहास में भाइयों ने भाइयों के खून से होली खेली।”

निष्कर्ष—वण व्यवस्था अब एक रूढ़िवादी परम्परा बन कर रह गई है जिसका कोई भवितव्य नहीं है। वर्तमान युग में आज की समाज रचना तो वणहीन, जातिविहीन एवं वर्गहीन व्यवस्था की मांग कर रहा है।

VII भारत में जाति प्रथा अर्थ एवं विशेषताएँ

“भारत जाति व्यवस्था का आगार है, और भारत में शायद ही कोई सामाजिक समूह ऐसा हो, जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सका हो।”

—डॉ० आर० एन० मुकर्जी

जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। हमारा खान पान, रहन सहन, आचार-व्यवहार, रीति रिवाज, त्योहार एवं पारस्परिक सम्बन्ध आदि सभी कुछ वण एवं जाति-व्यवस्था पर अवलम्बित है।

परिभाषा—अंग्रेजी का Caste शब्द पुतगाली शब्द Casta से बना है जिसका अर्थ प्रजाति, ज म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजातीय या ज मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। जाति को विविध प्रकार से परिभाषित किया गया है, किन्तु कोई भी एक या दो परिभाषाएँ भारत की जाति प्रथा को स्पष्ट नहीं कर सकती। वने, आधार के लिए, कुछ परिभाषायाँ से परिचित होना उपयुक्त होगा।

सर हबर्ट रिजले के अनुसार, “जाति, परिवारो या परिवारो के समूहों का एक सकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूज, भानव या देवता से एक सामान्य वंश परम्परा का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं।” डॉ० आर० एन० मुर्जी ने ‘जाति’ को परिभाषित करते हुए लिखा है, “जाति जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वंश विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहास के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।” सारांश में, जाति एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें सभी सदस्य विवाह, भोजन तथा सामाजिक क्षेत्रों में एक-सम्बन्ध रखते हैं।

जाति प्रथा की विशेषताएँ—(1) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। अर्थात् जिस जाति के सदस्य के घर में जो जन्म लेगा, उसकी जाति भी वही होगी। (2) एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। गर जाति में विवाह करने पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। (3) प्राचीन एवं मध्य युग में, प्रत्येक जाति का प्रायः पटु व्यवसाय होता था। (4) जाति में खान-पान पर कठोर नियंत्रण पाया जाता था, ऊँची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्तियों का सूप्रा भोजन नहीं करते थे। (5) जाति-व्यवस्था में एक तरह का सामाजिक स्तर होता है, कुछ जातियाँ उच्च मानी जाती हैं, तो कुछ नीच। (6) प्रत्येक जाति में अनेक उप-जाति होती हैं।

जातिप्रथा का ज
तरह हुई? इसका निरि
कि भारत में आर्यों के
आहार, व
ने से लि
नियम
बन गया

जाति
के कय व किस
ममभा जाता है,
आधार

हिन्दुओं की जाति प्रथा का वर्तमान रूप उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य के युग में विकसित हुआ है। अतएव यह 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीनतम है। कालांतर में यह प्रथा अधिक जटिल हो गई और इसने हिन्दू समाज को तीन हजार से अधिक जातियों और उप-जातियों में विभक्त कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० थो० ए० स्मिथ के मतानुसार, जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक प्रथा विधि की विद्युद्धता को, विशेषकर ग्यान पान और वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों को पालने से परस्पर सगठित है। परन्तु, वर्तमानकाल में यह परिभाषा अनुपयुक्त है, क्योंकि अब खान पान सम्बन्धी कठोर और अपरिवर्तनीय नियम नहीं रहे। आज तो जाति प्रथा बहुत ढीली और नाम मात्र की है।

जाति प्रथा की उत्पत्ति—किस रूप में और कब इस जाति प्रथा का प्रारम्भ हुआ, निश्चित रूप से कहना दुष्कर है। निस्सन्देह, वण व्यवस्था से जाति प्रथा को प्रोत्साहन मिला होगा। जाति प्रथा के उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं जिनमें से निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं—(1) परम्परागत सिद्धांत (2) धार्मिक सिद्धांत (3) व्यावसायिक सिद्धांत, (4) राजनीतिक सिद्धांत, (5) धार्मिक सिद्धांत, (6) भौगोलिक सिद्धांत। इस तरह जाति प्रथा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते रहे हैं। परन्तु किसी एक निश्चितकाल या समय में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है, यह भी कल्पना करना उचित न होगा। विभिन्न मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था का विकास क्रमशः हुआ है।

जाति प्रथा का विकास—जाति-प्रथा एक सामाजिक समस्या है और यह सवमाय तथ्य है कि समस्या की उत्पत्ति नहीं बल्कि विकास होता है। इसी कारण जाति प्रथा की भी उत्पत्ति नहीं विकास ही हुआ है और इस विकास में कारका का योग रहा है जसा कि प्रमाण मिलता है कि प्रारम्भ में हिन्दू समाज में वण-व्यवस्था थी जिसमें काफी उदारता व खुलापन भी था। वण व्यवस्था ने समाज को विभिन्न समूहों में कालांतर में बाँट दिया था, और इन समूहों में ऊँच नीच का संस्तरण भी था। इस दृष्टिकोण से वण व्यवस्था के साथ जब विभिन्न प्रजातियों और सभ्यताओं का एक ओर मिलन और दूसरी तरफ सघर्ष हुआ तथा रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के विचारों एवं सामाजिक विभाजन को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया, तो उसी वण-व्यवस्था का स्वरूप दिन प्रति दिन बदलता रहा और काफी समय पश्चात् ही भारतीय जाति प्रथा के सभी लक्षण स्पष्ट हो सके। इस तरह जाति प्रथा का विकास हुआ है, जन्म या उत्पत्ति नहीं। अतः जो ए० ए० हट्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, "भारतीय जाति प्रथा शून्य कहीं भी इस प्रकार मिश्रित रूप में न पाये जाने वाले अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारकों की अतः प्रियाओं का स्वभाविक परिणाम है।"

परिभाषा—अंग्रेजी का Caste शब्द पुतगाली शब्द Casta से बना है जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजातीय या जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। जाति को विविध प्रकार से परिभाषित किया गया है किन्तु कोई भी एक या दो परिभाषाएँ भारत की जाति प्रथा को स्पष्ट नहीं कर सकती। वैसे, आधार के लिए, कुछ परिभाषाएँ से परिचित होना उपयुक्त होगा।

सर हबर्ट रिजले के अनुसार, “जाति, परिवारा या परिवारा के समूहों का एक सकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परम्परा का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं।” डा० आर० एन० मुकर्जी ने ‘जाति’ को परिभाषित करते हुए लिखा है, “जाति जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वंश विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहास के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।” सारांश में, जाति एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें सभी सदस्य विवाह, भोजन तथा सामाजिक क्षेत्रों में एक-दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं।

जाति प्रथा की विशेषताएँ—(1) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। अर्थात् जिस जाति के सदस्य के घर में जो जन्म लेगा, उसकी जाति भी वही होगी। (2) एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। पर जाति में विवाह करने पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। (3) प्राचीन एवं मध्य युग में, प्रत्येक जाति का प्रायः पतृक व्यवसाय होता था। (4) जाति में खान पान पर कठोर नियंत्रण पाया जाता था, ऊँची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्तियों का भोजन नहीं करते थे। (5) जाति-व्यवस्था में एक तरह का सामाजिक स्तर होता है, कुछ जातियाँ उच्च मानी जाती हैं, तो कुछ नीच। (6) प्रत्येक जाति में अनेक उप जातियाँ होती हैं।

जातिप्रथा का जन्म और विकास—जाति प्रथा की उत्पत्ति कब व किस तरह हुई? इसका निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है। प्रायः यह समझा जाता है कि भारत में आर्यों के आने के बाद वण व्यवस्था आरम्भ हुई कार्यों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नामक चार बने। कालांतर में वण का स्थान जाति ने ले लिया और कार्यों के अनुसार अनेक उप जातियाँ बन गईं जिनके अलग-अलग नियम निर्धारित हुए। कालांतर में जातियाँ का आधार जन्म एवं वंश परम्परा बन गया।

हिन्दुमा की जाति प्रथा का वतमान रूप उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य के युग में विकसित हुआ है। अतएव यह 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीनतम है। बालातर में यह प्रथा अधिक जटिल हो गई और इसने हिन्दू समाज को तीन हजार से अधिक जातियों और उप-जातियों में विभक्त कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासक डॉ० वी० ए० स्मिथ के मतानुसार, जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक क्रिया विधि की विगुदता को, विशेषकर नान पान और वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों को पालने से परस्पर संगठित है। परन्तु, वतमानकाल में यह परिभाषा अनुपयुक्त है, क्योंकि अब नान पान सम्बन्धी कठोर और अपरिवर्तनशील नियम नहीं रहे। आज तो जाति प्रथा बहुत ढीली और नाम मात्र की है।

जाति प्रथा की उत्पत्ति—किस रूप में और कब इस जाति प्रथा का प्रारम्भ हुआ, निश्चित रूप से कहना दुष्कर है। निस्सन्देह, वण-व्यवस्था से जाति प्रथा की प्रोत्साहन मिला होगा। जाति प्रथा के उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं जिनमें से निम्न लिखित अधिक महत्त्वपूर्ण हैं—(1) परम्परागत सिद्धांत (2) धार्मिक सिद्धांत (3) व्यावसायिक सिद्धांत, (4) राजनीतिक सिद्धांत, (5) धार्मिक सिद्धांत, (6) भौगोलिक सिद्धांत। इस तरह जाति प्रथा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते रहे हैं। परन्तु किसी एक निश्चितकाल या समय में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है, यह भी कल्पना करना उचित न होगा। विभिन्न मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था का विकास क्रमशः हुआ है।

जाति प्रथा का विकास—जाति प्रथा एक सामाजिक सस्था है और यह सब माय तथ्य है कि सस्था की उत्पत्ति नहीं बल्कि विकास होता है। इसी कारण जाति प्रथा की भी उत्पत्ति नहीं विकास ही हुआ है और इस विकास में कारणों का योग रहा है जसा कि प्रमाण मिलता है कि प्रारम्भ में हिन्दू समाज में वण व्यवस्था थी जिसमें काफी उदारता व खुलापन भी था। वण व्यवस्था ने समाज को विभिन्न समूहों में बालातर में बाँट दिया था, और इन समूहों में ऊँच नीच का सस्तरण भी था। इस दृष्टिकोण से वण व्यवस्था के साथ जब विभिन्न प्रजातियाँ और सङ्घटियों का एक और मिलन और दूसरी तरफ सघष हुआ तथा रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के विचारों एवं सामाजिक विभाजन को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया, तो उसी वण व्यवस्था का स्वरूप दिन प्रति दिन बदसता रहा और काफी समय पश्चात् ही भारतीय जाति प्रथा के सभी लक्षण स्पष्ट हो सके। इस तरह जाति प्रथा का विकास हुआ है जन्म या उत्पत्ति नहीं। अतः जी० एन० हर्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, "भारतीय जाति प्रथा अथवा कहीं भी इस प्रकार मिश्रित रूप में न पाये जाने वाले अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं धार्मिक कारणों की अतः क्रियाओं का स्वामाविक परिणाम है।"

रक्त और वश की भावना, काय की दाशनिवता, राजनीतिक प्रभुता का आधारभूत विचार और श्रम विभाजन की प्रवृत्ति, सभी ने जाति-प्रथा के निर्माण में अपना-अपना योग दिया है, फिर भी चार वर्णों में मूलतः आरम्भ होने वाली जाति प्रथा अधिक जटिल हो गयी। कालांतर में ये चार श्रेणियाँ छोटी छोटी जातियाँ और उपजातियों, में विभाजित होती ही गयी। आज ये जातियाँ, धर्मा, धार्मिक विश्वास या दाशनिक सिद्धांता पर अवलम्बित नहीं हैं, परन्तु केवल जन्म से ही मनुष्य की जाति या उपजाति निश्चित हो जाती है। जातियों की संख्या की वृद्धि के साथ साथ इस प्रथा की कठोरता और अपरिवर्तनशीलता भी विकसित हो गयी।

जाति व्यवस्था क्यों कठोर हो गई?—गुप्त युग तक जाति व्यवस्था में गतिशीलता और उदार दृष्टिकोण की प्रधानता रही। परन्तु, पूर्व मध्यकाल (700 ई० से 1000 ई०) में जाति-व्यवस्था वर्तमान जाति-प्रथा के रूप में बदल गई। पुरानी स्मृतियों पर भाष्य लिखे गये। जाति के बंधन बड़े कर दिये गये और खान-पान, व्यवसाय तथा विवाह के मामलों में अनेक प्रकार के कठोर प्रतिबंध लगा दिये गये। अनुलोम विवाह का भी निषेध कर दिया गया। विभिन्न वर्णों के भीतर भी अनेक जातियाँ तथा उपजातियाँ बनती गईं। जातियों ने रुढ़ता धारण कर ली। उनका लचीलापन समाप्त हो गया। जाति अब व्यवसाय के आधार पर नहीं होकर, जन्म से होन लगी। व्यवसाय बदल सकता था, पर अपनी जाति नहीं। परन्तु, वर्तमान में, पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने जाति बंधन ढीले कर दिये हैं।

VIII जाति-प्रथा के गुण एवं दोष

जाति-व्यवस्था में, संसार की अग्र वस्तुओं की भाँति, गुण और दोष दोनों देखने को मिलते हैं।

जाति प्रथा के गुण अथवा लाभ

1 समाज में वृद्धता की भावना—जाति प्रथा से समाज के सगठन में मजबूती बनी रही। व्यक्ति अपने आपको जाति का सदस्य मानता रहा और जाति समाज की इकाई बनी रही।

2 व्यवस्थित समाज की रचना—जाति विभाजन से प्रत्येक व्यक्ति को अपने समुदाय और अपने काम का शुरू में ही ज्ञान हो गया और उसे यह भी मालूम हो गया कि उसे, जीवन पथ पर इस निश्चित काय को करना है, अतः उसके जीवन में, एक प्रकार की व्यवस्था आरम्भ से अन्त तक बनी रही और समाज को इस बात की निश्चिन्तता हुई कि जीवन का कोई भी कार्य—ऐसा न बचा, जिसे कोई न करता हो।

3 भारतीय संस्कृति की रक्षा—हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का प्रक्षेप युग, के ही देन है, इसका कारण यही रहा कि जातियों ने संस्कृति

की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाये रग्य। प्रत्येक जाति के निश्चित रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएँ, जीवन की विशेष पद्धतियाँ, भोजन तथा वेष भूषा निर्धारित सी हो गयी। इस प्रकार संस्कृति एवं समाज अबाध गति से आगे बढ़ते रहे।

4 कायकुशलता, प्रशिक्षण एवं विकास--श्रम विभाजन के आधार पर निर्धारित होने के कारण इस प्रथा ने आर्थिक शक्ति और धन तथा कार्यों की दक्षता का प्रोत्साहित किया। जब ज म से जाति निर्धारित होने लगी, तब इस प्रथा ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को व्यावसायिक शिक्षा व कुशलता प्रदान करके श्रम का परि-रक्षण किया। भारतीय उद्योगों ने प्राचीन काल में जितनी लोकप्रियता प्राप्त की वह सब इसी व्यवस्था का परिणाम है।

5 जातिगत एकता--जाति-व्यवस्था के कारण उस समुदाय विशेष में एकता बनी रही और वग विशेष के व्यक्ति एक दूसरे के सुख-दुःख में साथ देते रहे। उनमें बंधुत्व की भावना को प्रेरणा दी और एक जाति के सदस्यों में अधिक एकता, दक्षता और सगठन उत्पन्न किया। सड़क और बेकारी के समय एक ही जाति के सदस्य सदैव अपनी जाति के अन्य बंधुओं की सहायता और सहयोग पर निर्भर रहते थे। इस प्रकार स्वायत्तता, प्रेम और लोकसेवा के नागरिक गुणों का प्रोत्साहित करने में यह प्रथा अधिक उपयोगी सिद्ध हुई।

6 व्यक्तिगत जीवन पर नियंत्रण--जाति की पचायतों और उनके नियमों में व्यक्ति को सगठित संस्था के अधिनस्थ कर दिया, दुर्गुणों का विरोध किया, जीवन को सममित किया और दरिद्रता का निवारण किया।

7 रक्त की पवित्रता--जाति व्यवस्था रक्त की पवित्रता बनाये रखने में भी धायक सिद्ध हुई। सजातीय विवाह होने से ऐसी पवित्रता एवं शुद्धता बना रहना सम्भव हो सका। इसका प्रभाव यह हुआ कि संस्कार हीन बालकों का जन्म नहीं हो सका जिससे समाज अनेक दोषों से बचा रहा। अतएव जाति प्रथा लाभप्रद सामाजिक संस्था प्रमाणित हुई है।

जाति-प्रथा के दोष अथवा हानियाँ

जाति प्रथा का दूसरा पक्ष भी है। उपयोगिता अनुपयोगिता के साथ जुड़ी हुई है और यही कारण है कि रूढ़िगत जाति व्यवस्था ने समाज की लाभ के स्थान पर हानि अधिक की है और अपने अनेक दोषों के कारण वर्तमान काल में अनुपयोगी एवं हानिकारक होती जा रही है।

1 ऊँच नीच की भावना एकता में बाधक--जाति व्यवस्था ने समाज में ऊँच-नीच की भावना को जन्म दिया है। इस कारण समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखने लगा। धूर्तों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उससे मुक्ति पाने के लिए अनेकों ने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध, इस्लाम या इसाई धर्म को अंगीकार करना श्रेष्ठ समझा।

2 राष्ट्रीय भावना का अभाव—जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को सक्डो वश परम्परागत जाति और उपजातियो म विभाजित कर दिया और इस प्रकार वग अमिमान और पृथक्त्व की भावना प्रज्वलित की, दष्टिबोण सकीण किया और समाज के अनेक विभागो के मध्य परस्पर गहरी खाइया खोद दी । इस रूप से इसने राष्ट्रीय और सामूहिक चेतना का माग अवरद्ध कर दिया । इस प्रकार यह प्रथा एकता के तत्व की अपेक्षा विभित्रीकरण और विश्लेषण का तत्व प्रमाणित हुई ।

3 स्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना का जन्म—विभिन्न जातियो के मध्य स्पर्धा आरम्भ हो गयी और उसके कारण वैमनस्य स्थापित हो गया । वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगी, इससे ईर्ष्या और द्वेष और भठक उठा । अत जो शक्ति समाज के विकास मे लगनी चाहिए थी, वह उस काय मे न लगकर समाज विरोधी कार्यों मे लग गई । इससे समाज और राष्ट्र को बहुत हानि हुई ।

4 कायक्षमता में गिरावट—बराबर एक ही जाति में निश्चित व्यवसाय तथा वैवाहिक सम्बन्धो के कारण उस जाति के लोगो की काय करने की क्षमता म कमी आती चली गई । उनमें विकास की क्षमता कम होती चली गई । यह मत जीव-शास्त्र के अनुसार सही माना गया है ।

5 आर्थिक और बौद्धिक प्रगति रूक गई—सामाजिक सुधार के पथ मे जाति प्रथा सदैव रोडे अटकती रही, क्योंकि यह आर्थिक और बौद्धिक प्रगति के सुअबसर जनसाधारण के एक विशिष्ट वग तक ही सीमित रखती रही । सुयोग्य और अनुभवी व्यक्ति जाति प्रथा की कठोरता के कारण अपने लिए उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकते । इस प्रथा की व्यावसायिक अणरिबतनशीलता ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा का दमन करती है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कुचलती है और मनुष्य की प्रेरणा शक्ति पर मृत्यु का बोझ है । अ कि, मानव शक्ति और प्रतिभा के अधिकांश भाग का समाज द्वारा सदुपयोग नहीं हो सका, इससे भारतीय सभ्यता और सस्कृति को भारी आघात पहुँचा ।

6 शोषण की समाप्ति मे बाधक—जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से निचन व दुबल और सामाजिक दृष्टि से हीन वर्गों के शोषण मे सहायक है और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की रक्षक है । इस प्रकार यह आर्थिक असंतोष और सामाजिक ईर्ष्या द्वेष को प्रोत्साहन देती है ।

7 सामाजिक अपव्यय—जातियो की अनावश्यक वद्धि और इसके बाद की अणरिबतनशीलता तथा प्रत्येक जाति के कठोर सामाजिक नियम और प्रतिबंधों के कारण समय, धन और शक्ति का अपरिमित व्यय हो रहा है । दिखावटी कार्यों मे भी अपव्यय होता है ।

8 अंध विश्वास तथा रुढ़िवादिता मे वद्धि—जाति के अनेकानेक नियमो उपनियमो, धार्मिक कर्मकाण्डो, रीति रिवाजो तथा अंध विश्वासो के बराबर बने

रहन से लोगों में प्रगति करने की चाह नहीं रहती। मनुष्य का जीवन कुठित, समुचित और पूव-निश्चित सीमाओं में बंध जाता है।

सक्षेप में, "जाति प्रथा ने हिन्दू समाज की घनिष्टता को विनष्ट कर दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल दिया अत्याचार का साधन प्रस्तुत किया एवं राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में विभिन्नोत्तरण की शक्तियों को प्रोत्साहित किया। हिन्दुओं के गले में यह लटकता हुआ मील का बड़ा भारी पत्थर है जो इन्हीं राजनीतिक और सामाजिक अंध पतन की ओर तीव्र गति से घसीटे जा रहा है।"

वर्तमानकाल में जाति-प्रथा में परिवर्तन के कारण

पिछले 150 वर्षों से भारत में पश्चिमोत्तरण की जो प्रक्रिया चल रही है, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का जिस रूप में विकास हुआ है, पश्चात्य और वैज्ञानिक शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, आजाद भारत के संविधान में समानता और धर्म निरपेक्षता के जो प्रावधान रखे गये हैं, उन सबसे तथा अन्य कारणों से जाति प्रथा के बंधन वस्तुतः उतने प्रभावशाली नहीं रहे, जितने पहिले थे। जाति-प्रथा को निबल और विघटित करने वाले तत्त्व मुख्यतः इस प्रकार हैं। -

1 पश्चात्य शिक्षा—धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पश्चात्य शिक्षा-यद्धति के परिणामस्वरूप भारत में समानता, मिश्रता और स्वतंत्रता की विचारधाराएँ पनपी जिसके फलस्वरूप जाति प्रथा दिन प्रति दिन निबल होती गई।

2 औद्योगिक उन्नति—वर्तमानकाल में कारखाना और कार्यालयों में सभी जाति के लोगों को साथ मिलकर काम करना होता है। इससे एक ओर छुआछूत की भावना तथा दूसरी ओर व्यवसाय पेशा सम्बन्धी प्रतिबंध दिन प्रति दिन दूर हटते जा रहे हैं।

3 यातायात साधनों की उन्नति—मोटर, रेल आदि में सब जाति के लोगों के एक साथ यात्रा करने से भी खाने पीने के बंधनों और छुआछूत के विचारों को शिथिल बनाने में सहायता मिली।

4 राजकीय कानून—जाति प्रथा को कट्टरता तथा छुआछूत के रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से 1954 में 'विशेष विवाह अधिनियम' तथा 1955 में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' पारित व लागू किये गये। भारतीय संविधान में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अछूतों को भी अन्य भारतीयों के समान ही अधिकार दिये गये। इन सब कारणों से जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने में सहायता मिली।

जाति-प्रथा का भविष्य—यद्यपि जाति प्रथा भूतकाल में लाभप्रद रही, परन्तु आज तो इसकी आवश्यकता नहीं है। भारत में आज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ चिरकाल सम्मानित जाति प्रथा व विभेदों को बनाये रखने के लिये अनुपयुक्त हैं। अनेक ऐसे तत्त्व हैं जो दृढतापूर्वक इस प्रथा की जड़ खोद रहे

हैं। आज जाति प्रथा व धर्मे और व्यवसाय का भेद लगभग विलुप्त हो गया है। आज किसी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने पूज्य के ही धर्मे को नहीं अपनाता, बल्कि वह वही धर्मा या व्यवसाय करता है जिसके लिए उसकी प्रतिभा उपयुक्त है या वही कार्य करता है जिसकी ओर भाग्य ने उसे ढकेल दिया है। अनेक कारणों से जातियों में परस्पर खान पान होने लगा है तथा सामाजिक और राजनीतिक उत्सवों और समारोहों पर लोग मिश्रित होने लगे हैं। इससे जातियों की अपरिवर्तनशीलता, रुढ़िवादिता, सबीखता और पृथक्त्व विनष्ट होने शुरू हो गए हैं और भविष्य में और तेजी से होंगे।

भारतीय समाज में नारी का स्थान

(Place of Women in Indian Society)

किसी भी संस्कृति का मापदण्ड उस समाज द्वारा दी गई स्त्रियों की पद मर्यादा है क्योंकि, जैसा प्रसिद्ध समाज शास्त्री प्रो० रायडन का कथन है, "स्त्रियों ने ही प्रथम संस्कृति की नींव डाली है और उन्होंने ही जगत् में मारे मारे भटकते फिरते हुए पुरुषों का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन या "घर" बसाया है।" मानव संस्कृति का भविष्य भी उन्हीं की सहयोगिता और सद्प्रयत्नों पर निर्भर है। प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति उससे सम्बन्धित आदर्शों और कार्यों के अनुसार निश्चित होती है। युग परिवर्तन के साथ इन आदर्शों और कार्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। भारतीय स्त्रियों की स्थिति में भी यही हुआ जसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट होगा।

प्राचीनकाल में हिन्दू समाज में नारी की स्थिति—वदिक साहित्य व ग्रन्थयन से पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति उनके आत्म विकास, शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति आदि के विषयों में प्रायः पुरुषों के समान थी। पत्नी के रूप में तो उनकी स्थिति बहुत ऊँची थी। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पति पत्नी द्वारा न केवल संयुक्त अधिपत्य पृथक् रूप से भी यज्ञ करने का उल्लेख है। महाभारत के कथनानुसार, "घर घर नहीं, अंगर उस घर में पत्नी नहीं।" वदिक युग में अनेक विदुषी महिलायें हुई हैं। परन्तु, धर्मसूत्र युग में नारियों की स्थिति में गिरावट शुरू हो गई। धर्मसूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया जिससे शिक्षा प्राप्ति में बाधा पहुँची। उनके लिए धार्मिक संस्कारों में भाग लेने की मनाही कर दी गई। स्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य पति आज्ञा पालन हो गया। स्मृति युग में स्त्रियों की स्थिति और भी गिर गई। उनका जो कुछ भी सम्मान इस युग में होता था, वह केवल माता के रूप में होता था, न कि पत्नी के रूप में। इस युग में स्त्रियों का समस्त अधिकार का अपहरण कर लिया गया। स्मृतिकारों ने यह निर्देश दिया कि स्त्रियाँ जो किसी अवस्था में स्वतंत्र न रह सकें, वचन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और बुढ़ावस्था

मे पुत्र के संरक्षण में रखना ही उचित होगा। विधवाओं के पुनर्विवाह पर कठोर निषेध लगा दिये गये। सारांश में, यह काल सामाजिक और धार्मिक सर्कीर्णता का युग था।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल के शब्दों में, "इस काल में स्त्रियाँ "गृह-लक्ष्मी" से "याचिका" के रूप में दिखायी देने लगी, 'माता' -सेविका' बन गयी, जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निबलताआ का प्रतीक बन गयी। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निबल अबला बन चुकी थी।"

पूर्व मध्य युग अथवा राजपूत काल में स्त्रियों की दशा और भी खराब हो गई। ऊँची जातियों में भी स्त्री शिक्षा समाप्त हो गई। पर्दा प्रथा की और भी प्रोत्साहन मिला। विधवाओं का विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सती-प्रथा भी इस समय चरम सीमा पर पहुँच गई।

मध्यकाल में नारी की स्थिति—उत्तर भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायी, तुर्कों की सत्तनत की स्थापना के कारण भारतीय समाज में एक ऐसा तत्त्व आ गया जिसे हिंदू समाज कालांतर में भी आत्मसात न कर सका। इस काल में स्त्रियाँ की स्थिति प्राचीन भारत जसी उच्च नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा विधान था कि पति अपनी पत्नी का आदर करे, उसे आभूषण भेंट करे और उत्तम भोजन दे।" फिर भी, स्त्री का स्थान पुरुष की तुलना में नीचा था। हिंदू नारियों की तुलना में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधायें थी। वे विधवा विवाह कर सकती थीं और विशेष परिस्थितियों में पति को तलाक दे सकती थीं। उनके लिए सती होना कोई प्रश्न नहीं था। मुस्लिम स्त्रियाँ को अपने पिता व माता दाना की सम्पत्ति में अधिकार मिलता था। सारांश में, इस काल में स्त्रियाँ की दशा असतोष जनक ही रही क्योंकि "बाल विवाह सती और पर्दा की प्रथायें जारी रहीं और स्त्रियों के प्रति व्यक्तिगत सम्मान कम हो गया।"

किंतु, इतना सब कुछ होते हुए भी हम इस युग में मोरावाई, नूरजहाँ, रानी दुर्गावती, चांद बीबी आदि प्रतिभाशाली नारियाँ के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। तत्कालीन उच्च महिलाओं के चरित्र के विषय में सत्रहवीं शताब्दी के पाश्चात्य यात्री एकमत हैं कि उनका आचरण अनुकरणीय था। सम्राट अकबर और जहांगीर ने भी हिंदू स्त्रियों के सदाचार की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। उन्होंने अपने चरित्र और प्रतिभा के बल से राष्ट्र व समाज को और नीचे गिरने से बचाया।

ब्रिटिश शासन काल में स्त्रियों की स्थिति—मग्रेजी शासनकाल में भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किये गये स्वायत्त, अत्याय और अत्याचार जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं, तब उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी प्रारम्भ हो जाती है। सर्वप्रथम राजा राममोहनराय (1772-1833 ई.) ने ब्रह्मसमाज की स्थापना करके

सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप सन 1829 में इस कुप्रथा को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार देने, बाल विवाह को समाप्त करने और स्त्रियाँ में शिक्षा का प्रचार करने के क्षेत्र में भी राजा राममोहनराय ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी बयानन्द द्वारा सन 1875 में स्थापित 'श्राय समाज' का उत्तरी भारत में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने तथा पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध करने में सबसे अधिक योगदान रहा। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए विधवा विवाह का समर्थन और बहु पत्नी विवाह सम्बन्धी परम्परागत नियमों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व दिया।

बीसवीं शताब्दी में, महात्मा गांधी ने सबसे प्रथम संगठित आधार पर स्त्रियों के अधिकारों के आन्दोलन को स्पष्ट किया। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी सुधार कार्य को अपने राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बना लिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भेजे प्रस्तावों में विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा बाल विवाह को कानून द्वारा समाप्त पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रपिता गांधी ने स्त्रियों की निद्रा को तोड़कर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप पहली बार लाखों स्त्रियाँ घर की चहारदीवारी से निकलकर स्वाधीनता-आन्दोलन में रुढ़ पड़ी। उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना। इससे स्त्रियों में एक नवीन चेतना का विकास हुआ। यही चेतना बाद में उनकी प्रगति का आधार बन गयी।

सन 1929 में विभिन्न सागठनों ने एक होकर 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' का आयोजन किया। पूना में इसके प्रथम अधिवेशन के समय स्त्रियों का पुरुषों के समान अधिकार देने पर बल दिया गया। एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से माँग की गयी कि सम्पत्ति, विवाह और नागरिकता में स्त्रियों की परम्परागत निर्याप्यताएँ कानून के द्वारा समाप्त की जाएँ। स्त्रियों की बढ़ती हुई राजनीतिक माँगों के परिणामस्वरूप सन '1935 के अधिनियम' के द्वारा स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। धारा सभाओं, बोर्डों व नगरपालिकाओं में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति—सन 1947 में, भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। डॉ० एम० एन० श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने

संगी और स्वतंत्र रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियाँ ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई। सामाजिक कानूनों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और अंतर्जातीय-विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया।

नारी की स्थिति में सुधार और उसके कारण

भारतीय स्त्रियों की स्थिति में, दश की आजादी के बाद, जो परिवर्तन हुआ है, उसे निम्नलिखित क्षेत्रों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

1 शिक्षा की प्रगति—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री शिक्षा में व्यापक प्रगति हुई। इस तथ्य को इसी बात से समझा जा सकता है कि सन् 1872 में भारत में ऐसी केवल 2,054 स्त्रियाँ थी जो कुछ लिख पढ़ सकती थी, जबकि 1971 की जन-गणना के समय तक शिक्षित स्त्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 4 करोड़ 83 लाख से भी अधिक हो गयी। लड़कियों के लिए आज कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होने के कारण स्त्रियों को बाल विवाह और पर्दा-प्रथा से तो छुटकारा मिला ही है, साथ ही साथ उन्होंने समाज कल्याण और महिला-कल्याण में भी व्यापक रुचि लेना आरम्भ कर दिया है। स्त्री शिक्षा की चहुँमुखी प्रगति को देखते हुए डा० के. एम. पणिकर ने यह निष्कर्ष दिया कि “स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जगती भाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है।”

2 आर्थिक जीवन में बढ़ती हुई स्वतंत्रता—वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन, उद्योग और कार्यालयों में स्त्री-कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनमें आत्मविश्वास, कायक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घूँघट में समेटे हुए और पुरुष के शोषण को सहन करती हुई घुटन में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी।

3 पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि—आज की स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगिनी और मित्र है। परिवार में उसकी स्थिति एक याचिका की न होकर बल्कि प्रबंध की है। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक योजनाओं का रूप निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है।

4 सामाजिक जागरूकता—स्त्रियाँ आज अनेक प्रगतिशील संगठनों का निर्माण कर रही हैं। डॉ० पणिकर ने लिखा है कि “कुछ मेधावी स्त्रियों ने जो

उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, वह भारत के लिए उतने महत्त्व की बात नहीं है जितनी कि यह बात कि कटटर पथी और पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचार भी करवट लेने लगे हैं। महा स्त्रियां उन सामाजिक वधना से बहुत कुछ मुक्त हो चुकी हैं जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और 'बाबा बाबय प्रमाण' की विचोरेधारा से जकड़ रखा था।

राजनीतिक चेतना में वृद्धि—भारत के अनेक प्रांतों में विधायक तथा केन्द्र में सांसद स्त्रियों के निर्वाचित होने के साथ, श्रीमती इन्दिरागांधी का भारत की सब प्रथम महिला प्रधान मंत्री निर्वाचित होना सम्पूर्ण ससार के लिए कम आश्चर्य की बात नहीं है।

निष्कर्ष— भारतीय नारियों को आज प्रत्येक क्षेत्र में पुम्पों के समबद्ध अधिकार हैं। वे नौकरियां, राजकीय सेवाओं तथा व्यवसायों एवं अनकानेक विभागों में प्रवेश कर चुकी हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि ससार के सभी देशों में स्त्रियां की स्थिति में सुधार करने की जोरदार मांग उठ खड़ी हुई है। अब विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अब कोई धमशास्त्र अथवा मनगढ़त पुराण, भारतीय स्त्रियों को अपनी उन्नति करने से नहीं रोक सकते।

हमारी साहित्यिक धरोहर

(Literary Heritage)

महाकाव्य, कालिदास तथा तुलसीदास

(Epics, Kalidas and Tulidas)

- I रामायण—आदि महाकाव्य महत्त्व
- II महाभारत—भारतीय ज्ञान का विश्वकोष
- III महाकाव्यकालीन-सभ्यता और सस्कृति
- IV महाकवि कालिदास और उनका साहित्य
- V गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य

हमारी प्राचीन धरोहर व परम्परा के रूप में हम जो कुछ मिला है, वह या तो साहित्यिक रूप में मिला है अथवा कलात्मक अवशेषों के रूप में। इन दोनों में भी साहित्यिक रचनाएँ हमारी उम्र काल की रचनाएँ हैं जिस समय ससार का कोई प्रयत्न नहीं रचा गया था। अतः व हमारे लिए ही नहीं ससार के सभी लोगों के लिए गौरव की वस्तु है। व केवल भारतीयों की ही धरोहर नहीं, मनुष्य-मात्र की धरोहर हैं। वह एक ऐसा साहित्य है जो विशद और विस्तृत होते हुए ससार की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है और आज तक ऐसा सर्वोच्च एवं सर्वगुण सम्पन्न साहित्य विश्व के प्राचीन इतिहास में नहीं लिखा गया।

भारत के सुविशाल और समृद्ध साहित्य में हमारी जाति की सम्प्रदाय और सस्कृति के सच्चे स्वरूप की भाँकी मिलती है। हम अपने देश के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों को तभी भली प्रकार समझ सकते हैं, जब हम उन युगों के प्रतिनिधि महाकवियों और साहित्यकारों की रचनाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन करें। हमारा प्राचीन साहित्य हमें सस्कृत भाषा में उपलब्ध होता है। इस सस्कृत साहित्य रूपी समुद्र का विविध विषयों रूपी धनेत्र गंगाओं ने बहु मूल्य प्रमृद रूपी जल से धृ गार जिना और उरने उदर को परिपूर्ति किया। प्रस्तुत

श्रेष्ठाय मे, हमारा विषय क्षेत्र रामायण और महाभारत, कालिदास और तुलसीदास के साहित्य तक सीमित है। वैसे, संस्कृत में सबसे पहले जिन ग्रन्थों की रचना हुई वे वेद थे।

महाकाव्य रामायण तथा महाभारत

महाकाव्यों के अंतर्गत 'रामायण' और 'महाभारत' दोनों प्राचीन महाकाव्य सम्मिलित हैं। ये दोनों ग्रन्थ भारत के लौकिक संस्कृत साहित्य तथा संस्कृति के प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं। वास्तव में भारतीय लौकिक साहित्य का प्रारम्भ ही इन्हीं ग्रन्थों से होता है। "ये दोनों ही महाकाव्य हिंदू धर्म के नये स्वरूप की देन हैं। इसमें विष्णु के दो मुख्य अवतार राम और कृष्ण मुख्य रूप से अंकित किये गये हैं।" इनमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दश श्रेष्ठों व समस्याओं का विशद विवरण मिलता है। जिस प्रकार प्राचीन आर्यों की धार्मिक अनुश्रुति परम्परा वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में संग्रहीत है, वैसे ही। उनकी 'ऐतिहासिक गाथाएँ', आख्यान और अनुश्रुति रामायण तथा महाभारत में संग्रहीत हैं। डॉ. रमेशचंद्र ब्रजूमदार के मतानुसार "जहाँ वैदिक सूत्र साहित्य निर्विवाद ब्राह्मण ग्रन्थ है, वहाँ कहा जा सकता है कि रामायण और महाभारत में क्षत्रियों का दृष्टि कोण व्यक्त किया गया है। ये दोनों ही महाकाव्य न तो किसी एक कवि और न किसी युग की रचना कहे जा सकते हैं। निश्चय ही दोनों में क्रमागत युगों में काफी परिवर्तन और परिवर्द्धन हुए हैं।"

I—रामायण—आदिमहाकाव्य महत्त्व

"रामायण हिंदूओं का सबसे प्राचीन महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण का अंतिम संस्करण जो हमारे सम्मुख है इसकी पूर्व सन् 200 या 300 माना जाता है। परन्तु यह महाकाव्य अपने रचनाकाल के बहुत ही पूर्व के समय का वर्णन करता है। आयुध की ध्वजा केंचें साहसपूर्ण आंदोलन द्वारा दक्षिणी भारत तथा लंका तक फहराई गई, इसकी कुछ कल्पना रामायण द्वारा ही हो सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से रामचंद्र की दक्षिण यात्रा आर्यों की दक्षिण विजय का प्रथम वृत्तांत है। अनुमानतः इसके पश्चात् आर्यों की सभ्यता व संस्कृति का विस्तृत प्रभाव दक्षिण में पला।

वाल्मीकि रामायण के वर्तमान संस्करणों में लगभग 24,000 श्लोक हैं और सात काण्ड हैं। वे सात काण्ड इस प्रकार हैं—बाल काण्ड, अयोध्या काण्ड, अरण्य काण्ड, किष्किंधा काण्ड, सुंदर काण्ड, युद्ध काण्ड, और उत्तर काण्ड। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मूल रामायण में कुल पांच काण्ड थे। उसमें बाल काण्ड तथा उत्तर काण्ड नहीं थे। इन दोनों काण्डों की शैली से यह सम्भव लगता है कि ये दोनों काण्ड बाद में जोड़े गये हैं जैसा कि प्राचीन काल के अन्य ग्रन्थों के साथ अवसर हुआ है।

सक्षिप्त मूल कथानक व घण्य विषय—महाकवि वाल्मीकि ने सूय वशी नरेश दशरथ और उनके पुत्रा, विशेषत राजा राम की यशोगाथा बरुण की है जो रामायण का मुख्य घण्य विषय है। अयोध्या-नरेश दशरथ ने तीन विवाह किये थे। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र राम थे, दूसरी रानी सुमित्रा से दो पुत्र उत्पन्न हुए— लक्ष्मण और शत्रुघ्न और तीसरी रानी कैकेई से भरत का जन्म हुआ। राम का विवाह विदेह नरेश जनक पुत्री सीता के साथ हुआ था। ज्येष्ठ पुत्र राम अपने माता पिता के अति भ्राजाकारी पुत्र थे। वृद्धावस्था में दशरथ ने जब राम को राज-सिंहासन पर बिठाना चाहा तो कैकेई ने दुराग्रह करके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भिजवा दिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गये। इस पर राजा दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हो गयी। ननिहाल में रह रहे कैकेई के पुत्र भरत को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुःखी हुए और रामचन्द्र जी को वापस लाने घर से निकल पड़े। चित्रकूट पर्वत पर उनकी रामचन्द्रजी से भेंट हुई। भरत ने बहुत अनुनय विनय किया, किंतु राम ने पिता को दिए वचन को तोड़ना स्वीकार नहीं किया। वनवासकाल में लका नरेश रावण सीता का हरण कर लेता है। इस पर सीता की प्राप्ति के लिए राम को लका पर चढ़ाई करनी पड़ती है। और वह शिव-उपासक रावणका वध करना पड़ता है। चौदह वर्ष समाप्त होने पर राम, सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं और वहां एक आदश राज्य की स्थापना करते हैं।

आय सस्कृति का प्रतिनिधि ग्रन्थ रामायण—रामायणमें उस काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था तथा संस्थाओं, प्रथाओं आदि के विषय में सुंदर चित्रण मिलता है। इसमें दो भिन्न सस्कृतियों का सघन देखने को मिलता है। आय सस्कृति के प्रतिनिधि राम हैं, तो अनाय सस्कृति का रावण। ये दोनों सस्कृतियां भिन्न भिन्न जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करती हैं। जहाँ राम नैतिकता, न्याय, सत्य अथवा भलाई के पक्षपाती हैं वहाँ रावण में अनैतिकता, असत्य तथा बुराई के दर्शन होते हैं।

रामायण में आय-पारिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का निरूपण है। राम आर्य जीवन के उच्च आदर्श के प्रतीक हैं। वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और अपनी प्राणाधिक प्रियतमा को लोकानुरजन के लिए परित्याग कर देने वाले आदर्श राजा हैं, रामराज्य आज तक आदर्श राज्य माना जाता है, सीता भारतीय नारीत्व की साक्षात् प्रतीक हैं। भारतीय स्त्रियां के लिए वह पवित्रता और पतिव्रत धर्म के लिए आज भी आदर्श हैं। कौशल्या जैसी माता और लक्ष्मण जैसे भाई आज भी हिंदू समाज में आदर्श और अनुकरणीय माने जाते हैं।

रामायण का साहित्यिक मूल्यांकन—भारत का आदि काव्य होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से इसे परिमार्जित, व्यवस्थित तथा अद्वितीय काव्य ग्रन्थ कहा जा

सकता है। अलंकार, शैली, रस, चरित्र चित्रण, देव कथाओं—सभी दृष्टि से यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। महाभारत को तुलना में रामायण में सौ श्रेय, चेतना और चरित्र चित्रण अधिक प्रभावोत्पादक हैं। रामायण में सयोग और वियोग दाना का चित्रण अदभुत है। भाषा की स्निग्धता, भाषा की सरलता, विचारों की गहनता इस ग्रंथ की काव्यगत विशेषताएँ हैं। भारतीय साहित्य पर रामायण का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

१। रामायण का महत्त्व—प्रसिद्ध विद्वान विन्टरनिट्ज ने लिखा है कि “रामायण सम्पूर्ण भारतीय जनता की सम्पत्ति बन गई है और इसने शताब्दियों से एक बड़े राष्ट्र के विचारों तथा काव्यों को प्रभावित किया है।” वैसे कुछ पाश्चात्य विद्वान जैसे विसैंट स्मिथ, मैकडानल, हन्टर आदि इसे केवल साहित्यिक ग्रन्थ मानते हैं, ऐतिहासिक नहीं। वे रामायण का जन्म लोक कथाओं व लोक गीता से मानते हैं जो बाद में अनेक कथा प्रसंगा से जुड़ जाने के कारण वृहद महाकाव्य में बदल गया है। पर तु, भारतीय विद्वानों के अनुसार उपयुक्त धारणाएँ युक्तिसंगत नहीं हैं। आधुनिक अनुसंधान व उत्खनन कार्यों से रामायण की ऐतिहासिकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। अस्तु, सारांश में कहा जा सकता है कि “रामायण जसा कहीं भी कोई दूसरा महाकाव्य ऐसा नहीं है जिसने जन-मानस को इतने दीर्घकाल से लगातार और व्यापक रूप से प्रभावित किया हो।”

II महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोष

महाभारत प्रायः सस्कृत का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत का अंतिम संस्करण जो आज हमारे सम्मुख है ईस्वी पूर्व सन् 200 के लगभग की रचना है। डॉ. बेनी प्रसाद ने लिखा है कि “काव्य के श्रेष्ठ, प्रसाद और चमत्कार के लिए महाभारत की समानता सस्कृत साहित्य में केवल रामायण से ही हो सकती है। महाभारत में बहुत से उपाख्यान, संवाद, गीत इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सभ्यत मूलकथा के आस पास हुई थी पर जो पीछे से मिलाये गये हैं। महाभारत हिंदू धर्म, नीति, समाज सिद्धांत और कथाओं का विश्व कोष है।

वर्णन विषय—महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जिसमें कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर महाभारत युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की अत्येष्टि क्रिया तथा विजेताओं के स्वर्ग गमन तक की कथा है। कथा अत्यंत रोचक है। कौन नहीं जानता कि पाण्डु के पाँच पुत्र—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने चचेरे भाइयों अर्थात् धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों कौरवों से बहुत अनबन, निर्वासन और सधि प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया था और बड़ी बठिनाई एवं मार-काट के बाद विजय प्राप्त की थी।

। । कौरवों में दुर्योधन की हठधर्मों के कारण कुटुम्ब में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। 18 दिन तक निरंतर भयकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में अनेक रथी महारथी मारे गए। इनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन आदि ने कौरवों की ओर से तथा अभिमन्यू आदि ने पाण्डवों की ओर से वीर-मति पाई। कौरव वंश का नाश हो गया। इस गृह-कलह में समस्त भारतवर्ष झुलस गया, क्योंकि उस काल के देश भर के प्रमुख राजाओं ने एक या दूसरे पक्ष की ओर से युद्ध में भाग ले लिया था।

महाभारत का महत्व—महाभारत केवल कौरव-पाण्डवों के संघर्ष की कथा ही नहीं अपितु भारतीय सस्कृति और हिन्दू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी है। इसमें तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य एवं अक्षय संप्रदाय है तथा भारतीय नीति का विशाल दर्पण है। कतिपय विद्वान् महाभारत को सर्वप्रधान काव्य, समस्त दशमो का सार, स्मृति, इतिहास एवं चरित्र निर्माण की खान तथा पंचम वेद मानते हैं। मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या या पहलू नहीं जिस पर इस ग्रंथ में सविस्तार विवेचन न हो। युधिष्ठिर आज भी सत्य के प्रतीक माने जाते हैं और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विस्तार में कोई भी काव्य महाभारत की समता नहीं कर सकता। यूनानियों के महाकाव्य इलियड और ओडेसी दोनों मिलकर इसका आठवाँ भाग हैं। उपाख्यानो द्वारा लोक धर्म के अनेक अंगों पर प्रकाश डाले जाने से इसे उपदेशात्मक ग्रंथ कहते हैं और धार्मिक दार्शनिक विचारों का समावेश होने से इसे हिन्दू धर्म का धर्मशास्त्र कहा गया है।

। । महाभारत—एक महाकाव्य के रूप में—महाभारत का मूल कथानक युद्ध का है। अतः यह स्वभाविक ही था कि इसके रचयिता का ध्यान सौन्दर्य चर्चा पर अधिक न जाकर नीति-बोध व धर्म चर्चा पर जाता। इसमें प्रकृति चित्रण भी अधिक नहीं है तथा नारी सौन्दर्य पर भी कम लिखा गया है। महाकाव्य की नायिका द्रौपदी का भी सौन्दर्य वर्णन नहीं किया गया है। कदाचित् इसका प्रमुख कारण यही है कि यह सच्चे अर्थों में वीर-काव्य है और उसका रचयिता महाभारत के वीरतापूर्ण कार्यों के वर्णन में ही सलग्न हो गया है। इस तरह, साहित्यिक दृष्टि से महाभारत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, जितना रामायण। ।

। निष्कर्ष—महाभारत की कथा में कहा तक ऐतिहासिक कल्पनाएँ हैं—यह बताना असम्भव है। डॉ. वेनी प्रसाद का मत है कि “शायद मूल-कथा की मोटी-मोटी घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य है, पर बाकी छोटी-छोटी बातों और कथानक मुख्यतः कविता की करामत है।” अस्तु, यही कहा जा सकता है कि महाभारत का वर्णन चाहे ऐतिहासिक हो अथवा कल्पना मिश्रित, फिर भी उनसे तत्कालीन सभ्यता की बहुत सी बातों का पता चलता है। हिन्दू राजनीति का स्वरूप वृत्तवत् सत्य

पहलीबार महाभारत में मिलता है। सामाजिक सस्थाएँ व्यवहार में कैसी थी, यह भी महाभारत द्वारा अच्छी तरह मानुस हाता है। उस समय के तत्वज्ञान पर भी पर्याप्त प्रकाश पडता है।

III महाकाव्य-कालीन सभ्यता व सस्कृति

महाकाव्यों के अन्तगत रामायण तथा महाभारत सम्मिलित हैं। "वदिक युग के बाद की और बौद्ध युग के पूर्व की भारतीय सस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए इन दोनों महाकाव्यों से बढ़कर कोई अन्य साधन हमारे पास नहीं है।" इनमें धर्म, आचार विचार, सस्थाएँ, प्रथाएँ प्रणालियाँ, और अादश शताब्दियों से भारतीयों को प्रेरणा दे रहे हैं और हमारे सास्कृतिक जीवन निर्माण में प्रमुख भाग लेते रहे हैं।

राजनीतिक वशा—इस युग में आर्यों के विशाल राज्य स्थापित हो चुके थे। अधिकांश राज्य राजतन्त्रात्मक थे, कुछ गणतन्त्रात्मक भी थे। इस काल में उत्तर भारत में अनेकों राज्यों का वगण है। विशेषकर महाभारत-काल में भारत अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो नरेश 'राज्य कहाने वाले छोटे छोटे शासकों को अपने आधिपत्य में कर लेते थे, वे 'सम्राट' की उपाधि धारण करते थे। 'दिग्विजय' राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक था, यद्यपि पराजित देशों को वास्तव में विजित राज्यों में नहीं मिलाया जाता था। पराजित राजा द्वारा प्रभुता को स्वीकृत कर लेना ही पर्याप्त माना जाता था। अधीनस्थ राजा युद्धकाल में सम्राटों को सहायता और सहयोग देते थे। इस प्रकार 'सामन्तवाद' जिसने प्रारम्भिक और मध्यकालीन भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया था, मलीभाँति स्थापित हो चुका था। वशा परम्परानुसार राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था।

राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, परंतु वह निरंकुश नहीं था। उसे अपने बंधुओं, मंत्रियों, पुरोहिता, परामशदाताओं और जनता के मत का सम्मान करना पडता था। यह माना जाता था कि राजा प्रजा का अनुरजन और रक्षण करता है और उसके कष्ट का निवारण करता है। दुष्ट, निरंकुश, अत्याचारी राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था। वने, राजा ऐश्वय का केन्द्र था, वह बड़ी शान शौकत और तडक भडक से रहता था। न्याय दान करना उसका एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। राजा राज्य का शासन सञ्चालन मन्त्री-परिषद की सहायता व सहयोग से करता था। सुव्यवस्थित शासन-सञ्चालन के लिए अनेक सामन्त और पदाधिकारी भी थे।

शासन की निम्नतम इकाई 'ग्राम' थी जिसका मुखिया 'ग्रामणी कहलाता था। राज्य अधिकाारियों में से प्रत्येक अपने से ऊपरवाले के प्रति उत्तरदायी होता था

और अतः सभी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। राजा का कर्तव्य माना गया था कि अष्ट अधिकारियाँ व कर्मचारियों से प्रजा की रक्षा करे। राज्य की आय के प्रमुख स्रोत भूमि की उपज, वाणिज्य-व्यापार, खाना, समुद्र तथा वना की उत्पत्ति पर लगाए हुए कर थे।

राज्य के लिए सेनाएँ भी होती थी। सेना का मुख्य अंग पदल, रथ, हाथी तथा घुटसवार होते थे। धनुर्विद्या उस समय बहुत बढ़ी चढ़ी थी। युद्ध नियमों का आधार पर लड़ा जाता था। रात्रि की युद्ध बन्द हो जाता था। उस अवधि में, दोनों पक्ष के लोग साधारण व्यक्तियों की तरह आपस में मिला करते थे। निःशस्त्र, निष्कवच और युद्ध से पीठ दिवाने वाले पर प्रहार नहीं किया जाता था। प्रहार करने से पूर्व शत्रु का सूचित किया जाता था, विश्वास देकर या घबराहट में डालकर प्रहार करना एवं परस्पर छलना अनुचित माना जाता था।

सामाजिक दशा—इस काल में सामाजिक जीवन बड़ा सरल और सादा था। लोग महान् सादगी, आर्या निष्ठा और सच्चाई का जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने प्रातः स्नान, प्रायना और पूजन में कटाक्षित ही कभी चूकते थे। उनके आहार और वेप भूषा भी सादा थी। वैसे, स्त्री पुरुष दोनों को ही श्रृंगार करने और आभूषण पहिने का शौक था। आतिथ्य की बड़ी महिमा थी जो वैदिककाल में थी। वैदिक युग की भाँति इस काल में जीवन का दृष्टिकोण आशावादी था। भाग्य की अपेक्षा पौरुष पर अधिष्ठान महत्त्व दिया जाता था। अधिकतर जनता मिट्टी के दुग्ग के चतुर्दिक ग्राम में रहती थी और पशु पालन तथा कृषि कर्म करती थी। वैदिक तथा अय व्यवसायी एवं नागरिक नगरी में रहते थे। समाज पहिले की भाँति वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। समाज में जाति प्रथा पहिले की अपेक्षा अधिक निर्दिष्ट हो गयी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पूर्ववत् विद्यमान थी। गृहस्थ में पत्नी का स्थान पति के बराबर समझा जाता था। स्त्रियों में मध्य युग जसी परतंत्रता एवं घोर पर्दा प्रथा नहीं थी।

आर्थिक दशा—इस काल में अधिकतर जनता पशु पालन और खेती करती थी। विविध प्रकार के शिल्प व्यवसाय प्रचलित थे, जिनमें वस्त्र व्यवसाय अधिक उन्नति पर था, रेशमी वस्त्रों का भी प्रचलन था। स्वर्ण, चादी, लोहा, सीसा और रंगे स विविध पदार्थ तैयार किये जाते थे। व्यापार प्रमुख रूप से वस्त्र के हाथ में था। रामायणकालीन आर्थिक व्यवस्था की उन्नति का रहस्य सुशासन माना गया है। लोगों की सामान्य आर्थिक दशा सतोपजनक थी। परन्तु, महाभारतकाल में लोगों की आर्थिक दशा गिर चुकी थी। फिर भी सामान्यतः लोग दुःखी न थे।

धार्मिक दशा—वैदिककाल का धर्म अथ बंदल चुका था। प्राकृतिक शक्तियों के सूचक वैदिक देवताओं का अब लोप हो चुका था और उनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, गणेश, पावती आदि देवताओं ने ले लिया था। जिस प्रकार

वदिव युग मे समस्त देवता एक ईश्वर की विभिन्न शक्तिया के सूचक थे, उसी प्रकार इस युग में ईश्वर के तीन मुख्य उत्पादक, धारक और सहारक शक्तिया के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो गये थे । इस त्रिमूर्ति का उत्त्प इस युग की विशेषता है ।

रामायण के समय तक यज्ञ का महत्त्व मूल्य रहा । महाभारत के समय में आत्म समय और चरित्र शुद्धि पर अधिक बल दिया जाने लगा । ऐसी धारणा होने लगी थी कि सच्चा यज्ञ तो सत्य, अहिंसा, समय, वैराग्य, आचार शुद्धि एवं वृष्णा तथा क्रोध का परित्याग है । तपस्या, कम और आत्मा के आवागमन सिद्धांत भी पूणत माय हो चले थे । इस काल में, वीर पूजा में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था और अवतार का प्राबल्य हो रहा था । राम तथा कृष्ण का विष्णु का अवतार माना जाने लगा था । महाभारत के एक भाग भगवद्गीता में इस युग का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रदर्शित हाता है । उसमें कम, ज्ञान और तप तीना ही साधनों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का माग बतलाया गया है । गीता ने पहली बार स्त्री और पुरुष, ऊँच और नीच, द्विज और शूद्र, धार्य और धन्याय, सभी को मोक्ष का अधिकारी समझा ।

निष्कर्ष—रामायण और महाभारत की सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में वर्तमान सामाजिक और धार्मिक विश्वासों और संस्थाओं की नींव पूणतया रखी गयी थी । सारांश में, कहा जा सकता है कि महाकाव्य काल अपने समृद्ध और विकासामुक्त जीवन के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था ।

IV महाकवि कालिदास और उनका साहित्य

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोपरि कलाकार तो हैं ही, यदि उ ह विश्व साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कलाकार भी कह दिया जाय तो प्रतिशयोक्ति न होगी । कवि कुल गुरु कालिदास द्वारा रचित अनेक काव्य और नाटक विश्व साहित्य में विख्यात हैं । उनकी समानता अंग्रेजी साहित्य के महान कलाकार शेक्सपियर से की जाती है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर ने उत्तमोत्तम नाटक अवश्य लिखे हैं, पर उ होने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की है । कालिदास तो नाटककार होने के अतिरिक्त रघुवंश कुमार सम्भव जैसे महाकाव्यों के भी रचयिता हैं । अत उ ह शेक्सपियर से भी बढ़कर कवि एवं नाटककार माना जा सकता है ।

सक्षिप्त जीवन परिचय—सुरभारती के अमर महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र के विषय में हम प्रामाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है, क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से सम्बन्धित कुछ भी नहीं लिखा है । अतएव उनके विषय में जो कुछ भी कहा या माना जाता है, वह अधिकतर आनुमानिक ही है । न तो इनके जन्म-स्थान का ठीक ठीक

पता लगता है और न इनकी ज म तिथि का ही । इनके माता पिता का नाम तो आज तक किसी को भी मालूम न हो सया । किसी का कहना है कि यह मिथिला निवासी थे, कोई इन्हें बंगाल का रहने वाला बतलाता है और कोई काश्मीर का । परन्तु उज्जैन और मालवा का तत्कालीन दशा को और उसकी भौगोलिक स्थिति का जो मूलम वगन कालिदास ने किया है उससे विद्वाना की धारणा है कि उसका ज म समभवत उज्जैन म हुआ था ।

प्रो० यो० एन० लूणिया के अनुसार कालिदास के आविर्भाव के विषय म तीन मत हैं । प्रथम मत के अनुसार कालिदास के आविर्भाव ईसा पूर्व की पहली सदी म विक्रम सवत के प्रारम्भ म हुआ । इसके अनुसार कालिदास उज्जैन के विक्रम सवत के प्रवर्तक राजा विश्वनादित्य का समकालीन था । वह उसकी राज सभा का मेधावी साहित्यकार व राजकवि था । दूसरा मत यह है कि कालिदास गुप्तकाल म था और तीसरा मत है कि कालिदास छठी सदी म था । इन तीना म दूसरा मत कि कालिदास चौथी पाचवी सदी मे गुप्तकाल म था अधिक प्रामाणिक और माय है । उसका कार्यकाल लगभग 455 ई० तक रहा होगा ।

कालिदास के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि वह जम से ग्राह्य था । और शिव भक्त था, किन्तु अय देवताओं का आदर करते थे । 'मेघदूत' और रघुवश इस बात के परिचायक हैं कि उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया था । यही कारण है कि उनका भौगोलिक वगन बहुत ही सुन्दर और स्वाभाविक है । उह राजसी-जीवन और राज परिवारों का पूरा गान था । उन्होंने दरिद्रता का वगन कही नहीं किया जिससे मालूम होता है कि उनका जीवन बड़ा सुखमय और शांत था । उन्होंने गीता रामायण, महाभारत, वेद, पुराण धर्मशास्त्र और ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत व्याकरण, छंद शास्त्र और काव्यशास्त्र आदि का गम्भीर अधययन किया था एसा उनके ग्रंथों से विन्ति होता है । उह अपने जीवन काल म ही पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त हा गई थी ।

साराश म, कालिदास की जीवन की घनी अनुभूति थी । वे विभिन्न शास्त्रों क ज्ञाता थे । उनकी विद्वता उनकी वृत्तिया म झलकती है । कालिदास की प्रखर मेधा की ऊ चाई तक आज भी अय कवि नहीं पहुँच सके । अपने गुणा के कारण कालिदास की कविता विश्व-व्यापी हो गई है ।

कालिदास एक कवि के रूप मे

कालिदास सस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि है । उसकी सर्वप्रियता का कारण उसकी सरल, परिष्कृत और प्रसाद-गुण युक्त शैली है । कालिदास की कविता अपने सौन्दर्य, सरसता सरलता, सादगी भावों और शब्द चयन के लिए प्रसिद्ध है । उनके श्लोक और प्रसाद गुणों म वाक्यों की सौम्यपूर्ण चारुता, भाषा और भाषा की सूक्ष्मता, उनकी रचनाओं की सुन्दरता, अनुकूलता और विविधतायें

उनके भ्रलवारो के शौष्टव मे, पुरुष और प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और विनय में, विचारो की गभीरता और अभिव्यक्ति की तीक्ष्णता मे, करुणा और प्रेम व भावो के उत्कृष्ट प्रदर्शन मे तथा शैली की सरलता एव शब्द चयन के माधुर्य म, आज तक सस्कृत का कोई भी कवि कालिदास की उपमायो म जो विविधता, पटुता और सुन्दरता है, भ्रलकारा का जो साधिकार प्रयोग है वह सस्कृत के अर्य कवि म नहीं है । उनकी रचनाओ मे काव्यात्मकता और सौन्दर्य बोध के साथ साथ, व्यावहारिक जीवन की शिक्षा और नीति परक बातें भी हैं ।

कालिदास की शली की मुख्य विशेषतायें—कालिदास की काव्य शली पर विचार करने स ज्ञात होता है कि उसकी शली की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं । (1) गुण और रीति—कालिदास सरस वाणी के रस कवि थे । उनकी रचना म सबत्र प्रसाद गुण मिलता है । कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसाद पूर्ण, लालित्ययुक्त और परिष्कृत शली । उनकी शली म प्रसाद, माधुर्य और भोज इन तीनों गुणो की सत्ता है । (2) भाषा—उनकी भाषा सरस, सरल और मनोरम है उसमें क्लिष्ट रचना, क्लिष्ट कल्पना और दुग्ह प्रयाग का अभाव है (3) वर्णन कुशलता—कालिदास प्रत्येक वस्तु का सजीव वर्णन कुशलता पूर्वक करता है । जहा पर जसा भाव है, वहा पर उसकी भाषा उसी प्रकार की है । वह प्रकृति के वर्णन मे बहुत पटु है । (4) सौन्दर्य प्रेम—कालिदास सौन्दर्यपसक कवि थे । वे सौन्दर्य की कोमल भावनाओ के सच्चे पारखी थे । (5) भाव र्थजना—कालिदास मानव हृदय की कामल भावनाओ, उसकी उत्सुकता और विह्वलता और उसके विविध भागवेशा के सच्चे पारखी थे ।

समालोचना—अपने उपयुक्त गुणो के कारण ही कालिदास की कविता विश्वव्यापी हो गई है । प्राचीनकाल म कवियो की रचना का प्रसंग जाने पर कालिदास का नाम सबप्रथम कनिष्ठिका उ गली पर रखा गया । बालमद्वै के अनुसार कालिदास की आत्र मजरी के सभान सरस मधुर सूक्तियो को सुनकर किसके हृदय मे अानन्द का उद्रेक नहीं होता । नवम शताब्दि मे अानन्द ब्रह्मनाथ ने अपने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है कि इस ससार म अनेक कवि पैदा होते हैं फिर भी उनमे से कालिदास के समान दो तीन या अधिक से अधिक पाच छ व्यक्तियो को ही महा कवि की उपाधि दी जा सकती है । टीकाकार मल्लिनाथ ने तो कालिदास की कला के धारे मे यहा तक लिखा है, "कालिदास की वाणी के सार को आज तक केवल तीन व्यक्तियो ने ही समझा है, एक तो ब्रह्मा, दूसरे सरस्वती तीसरे कालिदास स्वय । मेरे समान पुरुष तो उसको ठीक ठीक समझने मे असमथ हैं ।"

कालिदास की सवतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व साहित्य में असाधारण स्थान प्रदान करती है । उन्होंने महाकाव्य व गीत काव्य सभी मे अपनी प्रखर प्रतिभा का समान रूप से परिचय दिया है कोई भी एक कृति इनमे उनकी बराबरी नहीं कर

सकेता । भारतीय सादश के अनुसार काव्य की अंतरात्मा "रस" की जैसी पूर्ण अभिव्यक्ति कालिदास के काव्या में हुई है, वंसी अथवा दुलभ है । कालिदास, वास्तव में, ससार के मन्त्रेण्ड वविया में से हैं ।

कालिदास की चार काव्य रचनाएँ—कालिदास की चार काव्य कृतियाँ प्रामाणिक मानी गई हैं—ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवश और कुमार सभवा । रघुवश और कुमार सभवा महाकाव्य हैं, ऋतुसंहार नीतिकाव्य है व मेघदूत खण्डकाव्य है ।

ऋतु संहार—यह कालिदास की समवत और प्रारम्भिक कृति है । यह अत्यन्त छोटा और सरल सादा काव्य है । इसमें छ सग हैं और 153 श्लोक हैं । प्रत्येक सग में एक ऋतु का वर्णन है । इस ग्रन्थ में वष की छ ऋतुओं (श्रीष्म, वर्षा शरद, हेमत, शिशिर और वसत) का, उनकी गर्मी सर्दी का, उनमें फूलने वाले पेड़-पौधा का, ऋतुओं के जीव-जंतुओं का, मनुष्यों और अन्य प्राणियों पर पडने वाले ऋतुओं के प्रभाव का बड़ा भावुक और मधुर वर्णन किया गया है । इस रचना में कालिदास का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम दोनों परिलक्षित होते हैं ।

कवि कालिदास ऋतुओं को केवल प्राकृतिक रूप में ही नहीं देखता वह मनुष्य की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ पाता है । ये ऋतुएँ मनुष्य के मन में विभिन्न भावनाओं को जन्म देने में कारक का काम करती हैं । व मनुष्य को ग्राह ला दित करती हैं, उसे उदास करती हैं ता कभी उसकी आकाशाओं को तीव्र करती हैं । इस तरह कवि सभी स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य की सहचरी के रूप में देखता है । कवि ने इस ग्रन्थ में ऋतुओं का बहुत ही सजीव और सरल चित्रण किया है । शरद ऋतु का वर्णन कितना मोहक है — 'शरद ऋतु कास के वस्त्र पहिने हुए, खिले हुए कमल के सुन्दर मुखवाली शरद ऋतु हसो की ध्वनि के नूपुर पहिने हुए है । इसका शरीर पके हुए धान के समान सुन्दर है । ऐसी शरद ऋतु नव वधु के समान धरती पर उतर रही है ।' ऐसे ही सजीव चित्रण अन्य ऋतुओं के लिये किया गया है ।

मेघदूत—यह खण्ड काव्य है । समूचा काव्य में दार्ढ्यता छद में है और इसमें कुल 130 श्लोक हैं । यह गीतिका य है । इसका दो भाग हैं—पूव मेघदूत और उत्तर मेघदूत । प्रथम भाग में यक्ष अपने कर्तव्य में आलस करने से अपने स्वामी कुवेर द्वारा अलका नगरी से निर्वासित होता है और वपाकाल आन पर अपने निर्वासन स्थान रामगिरि से मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के निवास स्थान अलका तक राह बताता उसे वहा भेजता है । कालिदास ने रामगिरि से लेकर अलका तक के माग का—नदी, पर्वत, ग्राम, नगर, नर नारी, प्रकृति आदि का—सरस एवं विस्तृत वर्णन किया है । सबको बड़े भावोंके से प्रस्तुत किया है । दूसरे भाग में उसकी प्रोषित पति का विरहिणी यक्षिणी के विरह में कटे दितो का करुणामय वर्णन है तथा यक्ष के भेजे गये संदेश का उल्लेख है इस प्रकार मेघदूत में एक विरह विधुर निर्वासित यक्ष तथा उसकी प्रिय पत्नी के वियोग में आतुर दशा का वर्णन है ।

इसीलिए, यह वियोग और शृंगार का श्रेष्ठ काव्य है। इसमें मनुष्य की निरक्षत, कोमल और गहरी प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। अभिव्यजना की सूक्ष्मता, कोमल भावना की अभिव्यक्ति और विषय की बहुलता के कारण मेघदूत को कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया है।

मनुष्य की मनोदशा का इतना सजीव चित्रण मुश्किल से ही मिल पाया जसा इस काव्य में बन पड़ा है। इसमें यक्ष व्याकुल होकर कहता है कि, 'हे प्रिय, पत्थर के टुकड़े के ऊपर भिन्न भिन्न रंग वाली धातु की खडिया से जब मैं तुम्हारा चित्र खींचना चाहता हूँ, उस समय आस से मेरी आँखें भर जाती हैं और चित्र भी तुम्हारे दर्शन से वंचित कर दिया जाता हूँ।' इस काव्य-ग्रन्थ के बारे में प्रो. वीथ का कहना है, "बादल के आगे बढने के वर्णन का चमत्कार अथवा यक्षों के चित्र की वरुणा की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी थोड़ी है।" सारांश में यह काव्य समय और स्थान की सीमाओं को लापकर सवदेशीय एवं सवकालीन हो गया है।

रघुवश—यह कालिदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी गणना संस्कृत के सवश्रेष्ठ महाकाव्यों में की गयी है। इसमें श्री रामचन्द्र के पूवज, दिलीप, अज, रघु और दशरथ का वर्णन है, राम का गुणानुवाद और राम के वशजों का चरित्र चित्रण है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में कालिदास ने युद्ध अभियेक विवाह, निर्वासन, विजय, सदराज्य, चरित्र चित्रण आदि का वर्णन सरस, मधुर और लालित्यपूर्ण काव्य शली में किया है, इसमें कवि ने कई भागिक स्वलो का भाव पूरा वर्णन करके अपनी लेखनी की साधकता सिद्ध कर दी है।

रवीन्द्रनाथ टगोर के मतानुसार, "रघुवश में भारतवर्ष के प्राचीन मूवशी राजाओं का जो चरित्र गान है उसमें कवि की वदना निहित है।" सारांश में, इसका प्रत्येक पद मनोहर और आकषक है। जैसे भाव ऊँचे हैं, भाषा भी उनके अनुसार सरल, अजल और परिमार्जित है। 'रघुवश का दूसरा सर्ग तो मानो भारतीय भावों का मधुर सूत्र है।

कुमार सम्भव—कालिदास का यह सुन्दरतम महाकाव्य है उसकी प्राड कृति है। कुमार सम्भव में 17 सर्ग मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास ने कुमार सम्भव के केवल आठ सर्ग ही लिखे, 9 सर्ग बाद में जोड़ दिये गये। क्योंकि मल्लिनाथ की टीका आठ सर्ग तक ही है तथा बाद में नौ सर्गों की भाषा और शली विभिन्न है। तथा उनकी काव्यात्मकता में अोज का अभाव है। इस महाकाव्य में शिव पावती के विवाह कुमार स्वामि कातिक्य का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर के वध की कथा है। इसमें बसंत हिमालय और पावती तपश्चया का वर्णन तथा शिव पावती सवाद बड़े मनोहर हैं। यह शृंगार रस का काव्य है। इसकी विशिष्टता है—कल्पनाओं की बहुरगानी, विषयों की विविधता और अनुभूतियों की उष्णता। इस महाकाव्य में कालिदास ने जीवन दर्शन के कुछ सत्यों को प्रकट

करने का सफल प्रयत्न किया है तथा ऐश्वर्य के साथ तपस्या का महत्त्व सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक माना है। तपस्या ही प्रेम का पवित्र बनाती है।

कालिदास एक नाटककार के रूप में—कालिदास के नाटक विश्व विख्यात हैं। इस सबंध में कालिदास ने स्वयं लिखा है कि “मेरे नाटक तो नये हैं, पुराने कितने ही नाटक विद्यमान हैं। परंतु पुराना होने से कोई नाटक उत्तम नहीं कहा जा सकता और नया हान के कारण निन्दनीय भी नहीं माना जा सकता। कृति के गुण दोष पर विचार करके पीक्षकों को निश्चय करना चाहिए कि कौनसा ग्रन्थ हेय है और कौनसा ग्राह्य।” उसके नाटका के सवाद सक्षिप्त सरल और राचक है। सवाद की भाषा इतनी चुस्त और मुहावरेदार है कि विषय को अत्यंत आकषक बना देती है। उसके प्रत्येक शब्द चुने हुये और उपयुक्त होते हैं। कालिदास मानव हृदय की कोमल भावनाओं उसकी उत्सुकता और विह्वलता और उसके विविध भावावेशों के सच्चे पारखी थे। कालिदास के नाटकों में—मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोदशीय तथा अभिज्ञान शाकुन्तलम् उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

मालविकाग्निमित्रम्—कालिदास का यह प्रारम्भिक नाटक है जो पाच अंको में है, इस नाटक में कालिदास ने युँग नरेश अग्नि मित्र और विदम्भ प्रदेश की राजकुमारी कुमारी मालविका के प्रेम का वर्णन किया है। मालविका सक्तवापन्न स्थिति में पड़कर अग्नि मित्र के रत्नवास में रानी की दासी बनकर रही थी। अग्नि मित्र अपने विदूषक की सहायता से मालविका से मिलने और उसे प्राप्त करने में सफल हात है। इस नाटक की महत्त्वशाली घटना यूनानियों का अश्वमेध यज्ञ द्वारा, भारत से निष्कासन है। अस्तु एतिहासिक दृष्टि में भी यह नाटक महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि यह कालिदास का प्रारम्भिक नाटक है और इसमें दोष भी हैं परंतु उसमें उसी काव्यकला और नाटककार की प्रचुर झलक है।

विक्रमोदशीय—यह कालिदास का दूसरा नाटक है जो पाच अंको में है। इसमें प्रतिष्ठान के ऐल राजा पुरुरवा और उवशी के प्रणय, विरह और पुनर्मिलन का वर्णन है। जब स्वर्ग जाती हुई अप्सरा उवशी का दानव केशी ने अपहरण कर लिया, तब राजा पुरुरवा ने उसकी रक्षा की। फलतः दोनों परस्पर प्रेमबद्ध हो गये दोनों के प्रेम के बीच बार बार बाधा विघ्न उपस्थित होते हैं। अंत में आयु नामक पुत्र पुरुरवा को देकर उवशी स्वर्ग को लौट जाती है। यह नाटक गीत काव्यात्मक अधिक है। इसमें अत्यंत ही भाव प्रवण गीत हैं। पुरुरवा के प्रेम को कवि ने बहुत ही सजीव बना दिया है। उवशी के पुनः के प्रति वात्सल्य पूर्ण भावना को भी कवि ने सफलता पूर्वक चित्रित किया है। इस नाटक में कालिदास ने प्रथम बार अपभ्रंश व छंदों का प्रयोग किया है। मालविकाग्निमित्र नाटक की अपेक्षा इस नाटक में कालिदास चरित्र चित्रण और कथा वस्तु को प्रस्तुत करने में अधिक सफल हुआ है।

अभिज्ञान शाकुन्तलम्—यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। यह नाटक सात अंकों का है। यह कालिदास की सर्वांग सुन्दर कामस्य वृत्ति है, जो भारतीय नाट्य साहित्य की मुकुट मणि है। यह नाटक संस्कृत साहित्य का ही नहीं, अपितु विश्व साहित्य का उत्कृष्ट और उच्चकोटि का नाटक है। इसकी भाषा, कवय्या और रचना बड़ी मनोरम है। इसका कथानक महाभारत से लिया है परन्तु नाटक की निर्दोष और सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए नाटककार कवि ने मूल कथा में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। इन परिवर्तनों से कथा और अधिक मनोहर और आकर्षक बन गई है। महाभारत की निर्जीव कथा में उन्होंने नव जीवन फूँक दिया है।

कथावस्तु—इस नाटक में कालिदास ने महाभारत की प्रत्यात दुष्यत शकुन्तला की कथा का नाटकीय ढंग से विवास किया है। ऋषि कण्व के आश्रम में दुष्यत शकुन्तला का मिलन, शकुन्तला के हृदय में प्रेम की लुभावनी गुद गुदी शकुन्तला को दुर्वास ऋषि का शाप, शकुन्तला द्वारा दुष्यत की दो गई भ्रूणी का खो जाना, शकुन्तला की विदाई, दुष्यत की राजसभा में शकुन्तला का पवेश, मधुआरो का दण्ड, दुष्यत और शकुन्तला का पुनर्मिलन आदि नाटक के प्रभावोत्पादक दृश्य हैं। इस नाटक में जहाँ कालिदास ने एक बार दुष्यत के रूप में एक आदर्श नरेश का स्वरूप प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर शकुन्तला के स्वरूप में उन्होंने विशुद्ध भारतीय युवती और पत्नी का श्रेष्ठतम रूप भी प्रस्तुत किया है। इस नाटक में मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में, चरित्र चित्रण के प्रस्तुतीकरण में और प्रकृति के चित्रण में कालिदास ने अद्भुत नाट्य कौशल का परिचय दिया है।

समालोचना—यह नाटक शकुन्तला तथा दुष्यत के प्रणय पर आधारित तो है ही परन्तु इसमें प्राकृतिक दृश्यों का जो स्वाभाविक चित्रण हुआ है, मनुष्य की मनोभावनाओं का सशक्त निरूपण हुआ है, वह अत्यन्त उल्लभ लगता है। नाटक में कई ऐसे मार्मिक स्थान हैं जो अनायास ही पाठक के मन का मोह लेते हैं—शकुन्तला की कण्व मुनि के आश्रम से विदा, पड-पौधों से, पक्षियों से, पशुओं से मिली व विदा कुछ ऐसे कारुणिक दृश्य हैं जो सहज ही मन का आकर्षित कर लेते हैं। गानव और प्रकृति में भावनाओं का आदान प्रदान और आत्मीयकरण इस नाटक की शक्ति है। कवि ने जिम रूप में इसको प्रस्तुत किया है, वह उन्ही की विशेषता है। आश्रम की सभी लतायें शकुन्तला को अपनी बहिन मानती हैं मृग शिशु शकुन्तला के मन की बातों को जानते हैं विदाई के अवसर पर उनका कपड़ा खींचते हैं, उसके वियोग में सारी वनस्थली रो पड़ती है। वक्ष आसू की तरह पत्ते गिराते हैं, मृग घास खाना और मयूर नाचना छाड़ देते हैं। सबकुछ ऐसा सजीव चित्रण कालिदास जैसे कवि-नाटककार की महान् दान है। शकुन्तला की मुकुमारता, उसकी पवित्र मुग्धता उसका वियोग, उसकी तपस्या, सभी का कवि ने बड़ी सफलता के साथ निरूपण किया है। यही कारण है कि भाषा की प्राञ्जलता, भावों की गहराई, सजीव चित्रण,

रसों के सही निरूपण के कारण यह ग्रंथ विश्व के महान साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित करा सका है।

महत्त्व व स्थान—इस नाटक का संस्कृत साहित्य में इतना ऊँचा स्थान है कि उसका पढ़े बिना कोई व्यक्ति साहित्य में नहीं बहला सकता। गत सौह सौ वर्षों से भारतीय साहित्य की रत्न-राशि में यह ज्वालयमान हीरे की भाँति चमक रहा है। इस नाटक का अनुवाद ससार की सब शिष्ट भाषाओं में हो चुका है। विदेशी साहित्यकारों ने इस नाटक की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। जर्मनी के प्रसिद्ध कवि गेटे की रचना “फाउस्ट” पर इसका प्रभाव पड़ा है।

जमन कवि गेटे का कहना है कि शकुंतला विश्व की सर्वश्रेष्ठ कल्पना कृतियों में एक है जिसमें “घोवन का फूल और प्रौढावस्था का फल” एक साथ मिल सके हैं। रवींद्रनाथ टगोर का मत है कि “न तो शक्सपियर का, न श्रय किसी पश्चिमीय श्रवण भारतीय लेखक का नाटक कालिदास के इस नाटक की समानता कर सका है।” प्रो० मेकडानल ने भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। सारांश में, “शकुंतला” में कालिदास की प्रतिभा अपने सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देती है।

V गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य

भारतीय साहित्य धराहर में महात्मा तुलसीदास का नाम और उनकी अमर रचना ‘रामचरित मानस’ अति उल्लेखनीय है। वाल्मीकि ने जिस प्रकार संस्कृत में रामायण महाकाव्य रचकर विश्व में अपना नाम सदैव के लिए अमर कर दिया, उसी प्रकार तुलसीदास ने हिंदी में ‘रामचरित मानस’ महाकाव्य की रचना कर अपनी यश चंद्रिका में इस ससार को हमशा के लिए आलोकित कर दिया है। यदि यह कहा जाय कि तुलसीदास के जोड़ का संकवि विश्व साहित्य में दूसरा नहीं हुआ तो अत्युक्ति नहीं होगी। मध्यकाल के कवियों में तुलसी का स्थान श्रेष्ठतम कवियों में है—इसमें सभी सहमत हैं। डॉ० ग्रिपर्सन ने तो ‘तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद उत्तरी भारत का सबसे बड़ा जन नायक माना है।’ डॉ० रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि “रामभक्ति का लेखक में सबसे अधिक प्रसिद्ध तुलसीदास थे। वे न केवल उच्चकोटि के कवि थे, वरन् भारत निवासियों (हिंदुओं) के लिए आध्यात्मिक गुरु भी थे, जहाँ उनका नाम एक धरल शब्द हो गया है और जहाँ उनकी स्मृति की लाखा व्यक्तियों द्वारा अचना की जाती है।”

सक्षिप्त जीवन परिचय—गोस्वामी तुलसीदास का जन्म ई० सन् 1533 में राजापुर तहसील जिला बादा (यूपी) में हुआ था। य सरयूपारीय ब्राह्मण थे। इनका पिता का नाम आत्माराम दुब और माता का नाम हुलसी था। तुलसी के बचपन का नाम रामबोला रखा गया था। बचपन में ही माता पिता के स्वगवास्त हो जाने तथा सरक्षक न मिलने के कारण तुलसीदास का बचपन बड़ी कठिनाई में

बीता था। उह भिक्षा माँगकर अपनी उदरपूर्ति करनी पडी। कदाचित इसी अवस्था में रहने के कुछ समय बाद उन्होंने रामभक्ति की दीक्षा ली। उनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था जिनके साथ काशी में पंच गंगा घाट पर जाकर रह। वहीं पर रह रहे एक अग्र्य महात्मा ज्ञेय-सनातन ने इस बालक का नाम तुलसीदास रखा और उसे व्याकरण, वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण और काव्य व नाटक 15 वर्ष तक पढाया। कुछ काल पश्चात् 20 वर्ष की अवस्था में तुलसी का विवाह रत्नावली नामक सुदर व यास हुआ। कुछ दिन इहान गहस्थ का जीवन व्यतीत किया। थोड़े दिन बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बचपन ही में मर गया। इनकी पत्नी सुन्दर थी पर गर्बिले स्वभाव की और तीखी थी, एक दिन उसकी अयोग्यता सुनकर तुलसीदास की वराम्य भावना जाग उठी और उन्होंने गह त्याग कर दिया। उस समय उनकी अवस्था 30 साल के लगभग थी। घर से निकलकर वे कुछ दिन काशी और फिर अयोध्या रहे। पीछे तीर्थाटन को निकल पडे और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, द्वारका हान हुए बद्रिकाश्रम गये, वहाँ से कलाश और मानसरोवर तक गए। अंत में चित्रकूट में आकर रहने लगे। वहा इनका बहुत से साधु-सन्तो और विद्वानों से सत्संग हुआ। फिर वहा से चलकर 1565 ई० में अयोध्या में रहने लगे, जहा रहकर उन्होंने 'रामचरितमानस' लिखना प्रारम्भ किया। बालकाण्ड, अयोध्या काण्ड और भरण्यकाण्ड वहा लिखने के बाद व काशी चले आये और वही रहकर रामायण को संपूर्ण किया।

अब तुलसीदास भक्त और महात्मा माने जाने लगे थे। और इनकी विप्रता अम्बर-नरेश महाराजा मानसिंह, महान अकबर के मंत्री अब्दुरहीम खानखाना, भक्त सूरदास, प्रसिद्ध भक्त नाभाजी आदि से हा गई थी। काशी में उनका विरोधिया-शैव व नाथ सम्प्रदाय वालों ने उहे काफी मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुँचाया। 1624ई के लगभग तुलसीदास जी की 91 वर्ष की अवस्था में काशी में ही मृत्यु हुई।

तुलसीदास की रचनायें काव्य विशेषतायें

तुलसीदास ने बडी मात्रा में साहित्य तैयार किया। प्रामाणिक आधारी पर उनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथ माने जाते हैं—1 रामचरितमानस 2 विनय पत्रिका 3 कवितावली 4 गीतावली 5 कृष्ण गीतावली 6 दोहावली 7 रामलला महलू 8 वैराग्य सदीपनी 9 पावती मंगल 10 जानकी मंगल 11 बरव रामायण तथा 12 रामाना प्रश्न। तुलसीदास ने इनके अतिरिक्त भी साहित्य रचा है ऐसा माना जाता है। परंतु उचित प्रमाणों के अभाव में उस साहित्य को तुलसी के नाम के साथ नहीं जोडा जा सकता।

तुलसीदास पण्डित और कवि—आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार, तुलसी संस्कृत, हिंदू दर्शन और धर्मशास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनकी अद्भुत बखून शली, परिमार्जित भाषा और दार्शनिक भावों से श्रोत श्रोत आध्यात्म बखून

इस बात को प्रकट करते हैं। पर पीछे ज्या ज्यो वे जीवन में आगे बढ़ते गये विद्वान की अपेक्षा कवि अधिक रह गये। उनकी प्रबल रचना, चरित्र चित्रण और भाव प्रदर्शन अप्रतिम है। मानव समाज के स्वभाव से उनका गम्भीर परिचय था। इसी से वे ज्ञान के सस्थापक और भक्ति के प्रतिष्ठाता के रूप में अमर हुए। अपनी कविता की धारा में उ होने सकड़ो, हजारों नए भावा और मुहावरों का सफल प्रयोग किया, जो सबथा मौलिक है। उनका हाथों में पडकर प्रातीय अवधी बोली समस्त उत्तराखण्ड की पूजनीय भाषा हो गई। उनके स्पश से ब्रज भाषा भी निखर गई। उनके त्रिचार स्पष्ट और निश्चल थे। उनमें न वचक उक्ति थी, न अति रचना। उनकी कला में व्यापक सहृदयता का ऐसा प्रदर्शन है कि मानव हृदय उस पर मुग्ध हो जाता है।

काव्य की विशेषतायें—तुलसीदास जी के काव्य में निम्नलिखित विशेषतायें थी जिनके फलस्वरूप उत्तरी भारत में वे अधिक जन प्रिय हो गया।

(i) रस-सामग्री—तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं। उनकी सभी महत्वपूर्ण कृतियों में प्रभावशालिनी रस निबधता हुई है। उनके प्रति पाद्य विषय के अनुकूल भक्ति रस ही मुख्य है, अथ रसों की योजना गौण रूप में की गई है।

(ii) चरित्र अंकन—चरित्रांकन कथात्मक काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। अतः तुलसी ने चरित्रांकन की सभी विशेषताओं की ओर पूरा ध्यान दिया है। उनके पात्रों में ऐसी असाधारण विविधता पाई जाती है, जो बहुत ही कम कवियों की कृतियों में मिलती है।

(iii) शब्दाथ से तुलना—तुलसी के काव्य में शब्दों और उनके अर्थों का सतुलन आश्चर्यजनक है। एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर जुड़ा हुआ है और उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता।

(iv) अलंकार योजना—उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में कोई ऐसा स्थल नहीं मिलेगा, जहाँ उ होने अलंकार योजना न की हो। उनके अलंकारों का सादर्य शब्द और अर्थ दोनों के वैचित्र्य पर आश्रित है।

(v) भाषा पर अधिकार—तुलसीदास ने तत्कालीन प्रचलित दोनों जनभाषाओं—अवधि और ब्रज भाषा—में साहित्य रचना की और दोनों पर उनका समान रूप से अधिकार था। उनकी 'रामचरितमानस' अवधि की और 'वृष्टण गीतावली' ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचनायें हैं।

(vi) छंद योजना—तुलसीदास ने अपने युग में प्रचलित सभी प्रमुख छंद-शालिया का उपयोग किया है। उनके पांच स्थूल वग बनाए जा सकते हैं—दाहा, चौपाई, मीत, कवित्त सबया और बरव। प्रत्येक छंद की अपनी आकृति है और भाषा के अनुकूल ही तुलसीदास ने उनका प्रयोग किया है।

तुलसीदास का अमर काव्य—रामचरितमानस

रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रौढ़ और सर्वा गपूर्ण रचना है। वह सब गुणसम्पन्न प्रबन्ध काव्य है। रामचरित गानम को उन्होंने 2 वय 7 मास में सम्पूर्ण किया था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार, इस काव्य ग्रन्थ का अयोध्याकाण्ड सबसे उत्कृष्ट और प्रौढ़ अंश है। उसमें उत्तम काव्य के सब गुण हैं रसों का परिपाक और भावों का विकास उसमें पूर्य हुआ है। अलंकारों की जगमगाहट मानस-नेत्रों में चकाचीघ उत्पन्न करती है। वास्तव में मानस का अयोध्याकाण्ड तुलसी की कविता का चरम है। सम्भवत यह काण्ड उहाने सबसे पहले अयोध्या में लिखा था। इसमें उन्होंने केवल राम और शिव की ही देवभाव से माना है। इस काण्ड में वरुण रस का अति प्रभावशाली प्रवाह है। केवल राम के विवाह प्रसंग पर थोड़ा श्र गार और हास्य है। लकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड में कवि की प्रतिभा थकी हुई सी दीख पढती है। उत्तर काण्ड में फिर कवि का तेज प्रकट होता है। यहां भक्ति रस का सुंदर प्रदर्शन है। यह काव्य रचने के बाद तुलसीदास 49 वय तक और जीवित रहे।

तुलसीदास ने अपनी कविता की भाषा देशकाल और परिस्थिति के अनुसार अधिकांश अवधी, कुछ ब्रजभाषा, कहीं कहीं बु देलखण्डी और याडी भोजपुरिया रखी है। तुलसीदास की भाषा में शुद्ध संस्कृत की संस्कृति और अपनी भाषा का प्रकटीकरण स्पष्ट है। उनकी नसगिन कवित्व शक्ति ने उह बोल चाल की भाषा में रामचरितमानस लिखने के लिए बाध्य किया। यह स्पष्ट है कि वह विद्वान कवि की ग्रामीण भाषा है। उसमें संस्कृत काय का ही अनुकरण है। वह काल मुगल साम्राज्य के उदय का था। उस समय फारसी भाषा का बोलबाला हो चला था। इसलिए तुलसीदास ने फारसी अरबी शब्दों को भी अपनी कविता में देने से सकोच नहीं किया। केवल भाषा ही नहीं, उहान कविता की शैली भी हिंदी की परम्परा के अनुकूल दोहे और चोपाइयों में चुनी। उहाने छंद भी लोक प्रचलित ही चुने थे। रामचरितमानस दशो विदशो अनेक भाषामा में अनुवाद हो चुके हैं।

रामचरित मानस में श्रीराम का चरित्र-चित्रण

रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन वत का वरण किया गया है। इसमें श्री राम के जीव का विभिन्न अवस्थाओं एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का गोस्वामी जी ने बहुत ही सरस एवं सजीव ढंग में वरण किया है। इसमें राम के बाल्यकाल, युवाकाल एवं प्रौढ़ जीवन का सुंदरतम ढंग में वरण किया है। श्रीराम को पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, राजकुमार एवं तपस्वी के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में तुलसीदास ने समाज के सम्मुख उपस्थित किया है। उपयुक्त प्रत्येक रूप में उनका आदर्श स्वरूप ही प्रस्तुत किया गया है। धाराशा में, श्री राम एक आदर्श मानव हैं कि तु विष्णु के अवतार हैं। तुलसी ने अनेक स्थला पर राम को जगत-सृष्टा कहा है। तुलसी की भक्ति प्रधान

रूप से दास्यभाव की थी। उनके अवतार का उद्देश्य भक्तों व धर्मों का उद्धार करना था।

इसके अतिरिक्त, तुलसी के आदर्श राम ही नहीं थे, सीता भी उनके लिए आदर्श स्त्री थी, भरत आदर्श भाई थे, कौशल्या आदर्श माता थी, हनुमान आदर्श भक्त थे जिन्होंने राम को अपना आदर्श माना, वे तुलसी के लिए आदर्श बन गये।

वास्तव में, तुलसीदास 'रामचरितमानस' के माध्यम से एक आदर्श राज्य, एक आदर्श समाज तथा आदर्श सामाजिक सम्बन्धों का निरूपण करना चाहते थे, जिनसे उनके समय का राज्य एवं समाज शिक्षा ग्रहण कर सके। अतः उन्होंने हर क्षेत्र के आदर्श व्यक्तियों को 'रामचरित मानस' में स्थान दिया है।

राम, सीता, लक्ष्मण आदि के चित्रण में तुलसीदास ने आदर्श चरित्र का निर्माण किया है जिसके द्वारा हम सत्य के निकट पहुँच सकते हैं और सत्कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राम-अवतार के रूप में चित्रित हैं, सीता स्वयं उत्पन्न हैं फिर भी सीता के विद्योह का दुःख राम अनुभव करते हैं और सीता भी उसी भाँति विरह का अनुभव करती हैं। यहाँ सत्य व आदर्श का यथायथ समन्वय मिलता है।

श्रीराम इस महाकाव्य के धीरोदात्त नायक हैं। कवि ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम तथा लोकनायक के रूप में चित्रित किया है। उनका चरित्र में शक्ति, और सौंदर्य का अपूर्व मिश्रण है। उनके चरित्र में नर तथा नारायण के रूप का अपूर्व समन्वय कर कवि ने हिन्दू समाज के समक्ष भक्ति का आचार प्रस्तुत किया है।

तुलसी ने खल विनाशक राम के शक्तिशाली जीवन द्वारा लोक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। किस प्रकार अत्याचार का घड़ा भरने पर फूटता है और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह होता है और शांति का युग आता है, यह रामचरितमानस में देखने को मिलता है। तुलसीदास के राम पूर्ण मानव हैं। मानव के सुख दुःख, राग-विराग की सम्पूर्ण भावनाएँ उनमें हैं। राम के रूप में युग ने जनता का पूर्ण रूप देखा।

सारांश में, मानस में चित्रित श्रीराम माता पिता के पक्के भक्त एवं आज्ञाकारी पुत्र थे। वे न्याय व वीरता की साक्षात्कार मूर्ति थे। जनता की भावनाओं का आदर करने वाले 'यायी और उदार शासक' थे। इसीलिए राम राज्य आदर्श शासन माना जाता है। तुलसीदास ने मानस में श्रीराम के राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर एक आदर्श राज्य के स्वरूप का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस तरह, "तुलसीदास की यह अद्भुत सफलता है कि उन्होंने आदर्श चरित्र का सफल निर्माण किया है जिसके फलस्वरूप उनकी गणना विश्व के महान कवियों में की जाती है।" ऐसे समय में जबकि राज प्राप्ति के लिए राज्य-परिवार में भाई-भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे थे—उन्होंने राम और भरत को आदर्श रखा। इन्हीं गुणों के

तुलसीदास का अमर काव्य—रामचरितमानस

रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रौढ़ और सर्वा गूर्ण रचना गुणसम्पन्न प्रबन्ध काव्य है। रामचरित मानस को उन्होंने 2 वष 7 किया था। प्राचाय चतुरसेन शास्त्री के अनुसार, इस काव्य प्रबन्ध में सबसे उत्कृष्ट और प्रौढ़ अंश है। उसमें उत्तम काव्य के सब गुण हैं और भावों का विकास उसमें खूब हुआ है। अलंकारों की जगमग में चकाचौध उत्पन्न करती है। वास्तव में मानस वा अयोध्याकाण्ड का बसंत है। सम्भवत यह काण्ड उन्होंने सबसे पहले अयोध्या उन्होंने केवल राम और शिव को ही देवभाव से माना है। इसका प्रति प्रभावशाली प्रवाह है। केवल राम के विवाह प्रसंग हास्य है। लकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड में कवि की प्रतिभा है। उत्तर काण्ड में फिर कवि का तज प्रबल हाता है। यह प्रदर्शन है। यह काव्य रचने के बाद तुलसीदास 49 वष में

तुलसीदास ने अपनी कविता की भाषा देशकाल अधिकांश अवधी, कुछ ब्रजभाषा, कहीं-कहीं तु देलखण्डी है। तुलसीदास की भाषा में शुद्ध सस्कृत की सस्कृति कारण स्पष्ट है। उनकी नैसर्गिक कवित्व शक्ति ने रामचरितमानस लिखने के लिए वाध्य किया। यह ग्रामीण भाषा है। उसमें सस्कृत काव्य का ही साम्राज्य के उदय का था। उस समय फारसी भाषा इसलिए तुलसीदास ने फारसी अरबी शब्दों को नहीं किया। केवल भाषा ही नहीं, इन्होंने कवि के अनुकूल दोहे और चौपाइयाँ म चुनीं। उहाये। रामचरितमानस देशी विदशी अनेक भाषा

रामचरित मानस में श्रीर

रामचरित मानस में मर्यादा पुरूपो गया है। इसमें श्री राम के जीवन का विभिन्न पहलुओं का गोस्वामी जी ने बहुत है। इसमें राम के बाल्यकाल, युवावस्था किया है। श्रीराम को पुत्र के रूप में एक एव तपस्वी के रूप में, एक आदर्श रूप उपस्थित किया है। उपयुक्त प्रत्येक गया है। सारांश में, श्री राम एक आ-तुलसी ने अनेक स्थानों पर राम को जगत

महान समन्वयकारी सत्—तुलसीदास ने अपने साहित्य में धार्मिक समन्वय की बात स्वीकार की है। उनका धर्म व भी कट्टरता की सीमाओं से बधा धर्म नहीं रहा। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर धार्मिक बमनस्य की भावना की निन्दा की है। उन्होंने धर्म का विशाल, व्यापक एवं महिमामय स्वरूप का अपने काव्य में निर्देश किया है। उनका धर्म समय पर आचारित है, लोक कल्याण उसका साधन तत्त्व है तथा नियम और शील उसके अंग हैं। इस प्रकार 'शील और नियम, आत्मपक्ष एवं लोकपक्ष के समन्वय द्वारा धर्म की यही सर्वतोमुखी रक्षा रामचरित मानस का गूढ़ रहस्य है।

तुलसीदास ने किसी नवीन पंथ या सम्प्रदाय को जन्म नहीं दिया। इस पर भी उनका नाम अमर हो गया। वास्तव में, तुलसीदास किसी नवीन सम्प्रदाय की नींव डालने की अपेक्षा विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय का प्रतिपादन करना अधिक उचित समझते थे। यथाथ में, लोकनायक भी वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें समन्वय करने की क्षमता हो।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार, "लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधित सभ्यता, साधनाएँ, जातियाँ आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे" तुलसी का सम्पूर्ण काव्य समन्वय की विराट् चेष्टा है। डॉ० बद्रीनारायण श्रीवास्तव के शब्दा में, "दाशनिक दृष्टिकोण से उनकी साधना समन्वय की ही साधना प्रतीत होती है।"

तुलसीदास स्वयं राम के अनन्य भक्त थे, पर रामचरित मानस में उन्होंने शिव की महिमा का भी गान किया है। उन्होंने बताया कि राम और शिव दोनों ईश्वर के रूप हैं। तुलसी ने राम को निगुण व सगुण बताते हुए कहा कि वस्तुतः राम एक है। तुलसी ने वण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में शूद्र को समान स्थान दिया है। रामचरित मानस में क्षत्रिय भरत और ब्राह्मण वशिष्ठ को निम्न जाति के निपाद और केवट का आत्मविस्मृत होकर आर्तिगण करते हुए दिखाया गया है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा तुलसीदास अपने युग के महान समन्वयकारी सत् थे। उनके रामचरित मानस से ज्ञान व भक्ति का समन्वय, वराह्य और गृहस्थ का समन्वय, भक्ति और मुक्ति का समन्वय तथा मर्यादित लोक व्यवस्था और अद्वैती ज्ञान का समन्वय हुआ है। अतः यह उचित ही कहा गया है कि "हिन्दू समाज व धर्म में तुलसीदास समन्वय के प्रतिपादक थे।"

तुलसीदास की महानता एवं जन प्रियता

भक्ति आन्दोलन के कवियां म तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। उनके समय से लेकर आज तक उनकी महानता और जन प्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तुलसीदास लोकदर्शी कवि थे। उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को सूक्ष्मता से देखा था। उनके समय की कोई भी परिस्थिति उनकी पंती दृष्टि से नहीं बची थी। वस्तुतः उन्होंने अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं।

महान् समाज दृष्टा—तुलसीदास भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनन्य भक्त थे। वे समाज का एक विकसित रूप देखना चाहते थे। वे ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी सुखी एवं प्रसन्न हों। वे समाज को प्राचीन आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे। वरुण व्यवस्था के साथ साथ राम का सा आदर्श परिवार उन्हें प्रिय था। सीता सी आदर्श पत्नी के हर स्त्री को देखना चाहते थे। गुरु का सम्मान व आदर्श स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने तत्कालीन पतनोन्मुख हिन्दू समाज के सामने राम-लक्ष्मण जैसे आदर्श यत्तियों के चरित्र को सामने रखकर समाज के उच्च आदर्शों की रक्षा करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया।

महान् राष्ट्र दृष्टा—तुलसीदास का माहित्य आदर्श समाज की रचना तक ही सीमित नहीं था। उनका आदर्श तो राम राज्य की स्थापना था जिसमें सभी प्रजाजन सुखी और सम्पन्न हों। जिसमें राजा और प्रजा का सम्बन्ध आधारित सम्बन्धों पर आधारित न होकर पिता और पुत्र के सम्बन्धों पर आधारित हो। राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को सुखी देखना था। वे मानते थे—‘जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी।’ यही नहीं, राजा को प्रजा प्राणों की तरह प्यारी होनी चाहिए। यह उनका आदर्श था। वे शासन को भय और भ्रष्टाचार पर आधारित न मानकर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित मानते थे। ‘मनसा बाबा कमणा’ राजा का प्रजा का हितपी होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आदर्श, सुन्दर राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राजा की शोषक मनोवृत्ति और सामन्तशाही प्रवृत्ति ने राजा को मानव से दानव बना दिया था। प्रजा असहाय और अरक्षित थी। अतः तुलसीदास ने आदर्श राज्य की कल्पना अपने महान नायक रामचरितमानस में प्रस्तुत की जो कई दृष्टियों से अपनी तरह की मौलिक रचना है। ‘तुलसी ने अत्याचारी प्रशासकों द्वारा किये गये शोषण के विरुद्ध कोई विद्रोह तो खड़ा नहीं किया, अकभोर देने वाली शब्दावली में उथल पुथल मचा देने वाला लोमहृषक वरुण भी नहीं किया, पर तु कर उगाहने की आदर्श रीति बतलाकर व्यजना द्वारा उस शोषण का सकेत अवश्य किया।’ इतिहासकार बी० रिसम के अनुसार, ‘तुलसीदास भारत में अपने युग के सबसे महान् व्यक्ति थे—स्वयं सनातन अक्षर से महान्तर।’

महान समन्वयकारी सत्—तुलसीदास ने अपने साहित्य में धार्मिक समन्वय की गत स्वीकार की है। उनका धर्म व भी कट्टरता की सीमाओं से बंधा धर्म नहीं रहा। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर धार्मिक बमनस्य की भावना की निन्दा की है। उन्होंने धर्म का विशाल, व्यापक एवं महिमामय स्वरूप का अपने काव्य में निर्देश किया है। उनका धर्म समय पर आचारित है, लोक कल्याण उसका साधन तत्त्व है तथा नियम और शील उनके अंग हैं। इस प्रकार 'शील और नियम, आत्मपक्ष एवं लोकपक्ष के समन्वय द्वारा धर्म की यही सर्वतोमुखी रक्षा रामचरित मानस का गूढ रहस्य है।

तुलसीदास ने किसी नवीन पंथ या सम्प्रदाय को जन्म नहीं दिया। इस पर भी उनका नाम अमर हो गया। वास्तव में, तुलसीदास किसी नवीन सम्प्रदाय की नींव डालने की अपेक्षा विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय का प्रतिपादन करना अधिक उचित समझते थे। यथाथ में, लोकनायक भी वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें समन्वय करने की क्षमता हो।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार, "लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियाँ साधनाएँ, जातियाँ आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। तुलसी का सम्पूर्ण काव्य समन्वय की विराट् चेष्टा है। डॉ० बन्दीनारायण श्रीवास्तव के शब्दा में, "दाशनिक दृष्टिकोण से उनकी साधना समन्वय की ही साधना प्रतीत होती है।"

तुलसीदास स्वयं राम के अनन्य भक्त थे, पर रामचरित मानस में उन्होंने शिव की महिमा का भी गान किया है। उन्होंने बताया कि राम और शिव दोनों ईश्वर के रूप हैं। तुलसी ने राम को निगुण व सगुण बताते हुए कहा कि वस्तुतः राम एक है। तुलसी ने वरुण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में शूद्र को समान स्थान दिया है। रामचरित मानस में क्षत्रिय भरत और ब्राह्मण वशिष्ठ को निम्न जाति के निपाद और केवट का आत्मविस्मृत होकर आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा तुलसीदास अपने युग के महान समन्वयकारी सत् थे। उनके रामचरित मानस से पान व भक्ति का समन्वय, बराह्य और महस्य का समन्वय, भक्ति और मुक्ति का समन्वय तथा मर्यादित लोक व्यवस्था और अद्वैती पान का समन्वय हुआ है। अतः यह उचित ही कहा गया है कि "हिन्दू समाज व धर्म में तुलसीदास समन्वय के प्रतिपादक थे।"

6

भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव

तथा

मध्यकाल में सांस्कृतिक समन्वय सम्बन्धी प्रयत्न

(Impact of Islam on Indian Society & Attempts on Cultural Synthesis in Medieval Period)

- I इस्लाम और पैगम्बर मुहम्मद सिद्धान्त व शिक्षायें
- II हिन्दू समाज पर इस्लाम का प्रभाव
- III मुस्लिम समाज पर हिन्दुत्व का प्रभाव
- IV मध्य युगीन सांस्कृतिक समन्वय
- V हिन्दी साहित्य में मुस्लिम कवियों का योगदान

I इस्लाम और पैगम्बर मुहम्मद सिद्धान्त व शिक्षायें

सम्राट हर्ष के पश्चात् राजपूत युग में भारत में एक ऐसे विदेशी तत्त्व ने प्रवेश किया जिसकी सभ्यता और सस्कृति विकसित थी। यह तत्त्व इस्लाम था। इस्लाम की उत्पत्ति तथा प्रसार सत्सार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस एशियाई महान् धर्म का जन्म, सातवीं शताब्दी के आरम्भ में, अरब देश में हुआ। एक शताब्दी के अन्दर यह धर्म उत्तरी अफ्रीका, ईरान, अफगानिस्तान, चीन मिथ्र तथा सत्सार के कई अन्य देशों में फल गया। यद्यपि भारत में इस धर्म का प्रसार दूसरे देशों की अपेक्षा काफी समय बाद हुआ, तथापि इसने भारतीय समाज व सस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। दो विभिन्न सस्कृतियों, हिन्दू और मुस्लिम, के समाघात के फलस्वरूप, भारत में, सांस्कृतिक जीवन के नवीन समन्वय का विकास हुआ।

सिद्धान्त—इस्लाम के पैगम्बर हजरत मुहम्मद (577-633 ई०) ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित आदेशों का पालन करने को कहा था। ये आदेश इस्लामी जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। 1 कलमा—प्रत्येक मुसलमान को अल्लाह व उसके पैगम्बर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिये और 'कलमा' (ला इलाहा

इल्लिल्लाह मुहम्मदुरमुल्लिलाह) पढ़ना चाहिए। इसके अर्थ हैं "अल्लाह के अति रिक्त और कोई पूजनीय नहीं है तथा मुहम्मद ही उसके रसूल (स दणवाहक) है।" 2 जकात—प्रत्येक समर्थ मुसलमान को अपनी आमदनी का ढाई प्रतिशत भाग गान-खरात में देना चाहिये जिसे जकात (धार्मिक कर) कहा जाता है। 3 नमाज—प्रत्येक घम भीर मुसलमान को प्रतिदिन पाँच बार नियमित रूप में अल्लाह की इबादत (प्राथना) करनी चाहिए, अर्थात् नमाज पढ़ना चाहिए। 4 रोजा (व्रत)—रमजान के पवित्र मास में उसे रोजे रखना चाहिए अर्थात् सूर्योदय पूर्व से सूर्यास्त के मध्य बिल्कुल भूखा प्यासा रहे। 5 हज (तीर्थ यात्रा)—जीवन में एक बार, बिना कज भार उठाये, उम्रे मक्का मदीने की तीर्थ-यात्रा करना चाहिए।

मुख्य शिक्षाएँ

हजरत मुहम्मद की शिक्षाएँ बड़ी सरल हैं। उनके उपदेशों व वाक्यों का सक्लन 'हदीस' नामक ग्रन्थ में सर्कलित हैं।

(1) एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास—संसार में केवल एक ही अल्लाह अथवा ईश्वर है जो सर्वोच्च और महान है। वही सबको जीवन देने वाला और पालने वाला है। मनुष्य को एक अल्लाह में ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिये और उस अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिये।

(2) मनुष्य मात्र को समान मानना—इस्लाम के अनुसार, संसार व सभी मनुष्य मूल रूप से एक समान हैं, आपस में भाई भाई हैं। जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जाति, घम और वग के आघार पर भेद भाव करना मनुष्य मात्र को समानता व एकता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

(3) मानव जाति की सेवा—कुरान में कहा है, "जो व्यक्ति अपने मुसलमान भाई की आवश्यकता पूरी करता है, ईश्वर उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। जो किसी व दुःख को दूर करने में सहायता देता है, अल्लाह उसके दुःख दूर करता है। जो लोग अपने भाइयों पर दया नहीं करते, उन्हें ईश्वर की ओर से दया की आशा नहीं करनी चाहिये।

(4) मूर्ति पूजा का खण्डन—इस्लाम में, एक मात्र सब शक्तिमान ईश्वर-अल्लाह की इबादत (उपासना) का छोड़कर, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति-पूजा करना महापाप माना गया है। बुतपरस्ती (मूर्ति पूजा) एक अज्ञान माना गया है।

(5) कम तथा स्वर्ग नक के सिद्धांत में विश्वास—पैगम्बर मुहम्मद की विश्वास था कि शुभ काम करने वाले तथा कस्त-य परायण लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। प्रलय (क़रामत) के दिन प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में किये उसके अच्छे या बुरे कामों के अनुसार फल मिलेगा। एक सदाचारी व्यक्ति को स्वर्ग के सुख प्राप्त होंगे, जबकि दुराचारी को नक में डाल दिया जायेगा।

(6) प्रार्थना में विश्वास—हजरत मुहम्मद के अनुसार, मनुष्य की अध्यात्मिक उन्नति के लिये इबादत (प्रायना) भक्ति आवश्यक है। प्रायना या इबादत करने पर मनुष्य का अल्लाह में विश्वास दृढ़ होता है। प्रायना मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रखती है, उन्हें अभिमानी होने से बचाती है और अत्यंत निराशा के क्षणों में भी उसे धीरज देती है। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रन्थ 'कुरान' है जिसमें ईश्वरीय सन्देश सङ्कलित है।

भारत में मुस्लिम शासन की विशिष्टताएँ

भारत में नवीन इस्लामी या मुस्लिम सङ्कृति अरबों द्वारा लायी गयी थी। भारत में इस्लाम धर्म और सङ्कृति का प्रचार व प्रसार दो प्रकार में हुआ—शांति पूर्वक और बलपूर्वक। प्रथम ढंग में प्रचार करने वाले अरब व्यापारी, मुस्लिम फकीर व दरवेश थे। द्वितीय प्रकार से प्रचार करने वाले तुर्की और मुगल साम्राज्य थे। प्रो० बी० एन० लूनिया के अनुसार, भारत में मुस्लिम शासन की कुछ विशिष्टताएँ हैं। (1) भारत में मुसलमानों का इतिहास राष्ट्रीय विकास की अपेक्षा राजाओं, राजसभाओं और विजयों का इतिहास है। उसमें आम लोग और उनकी सङ्कृति को कोई महत्त्व नहीं दिया गया—उन्हें गौण स्थान प्राप्त था। (2) प्रारम्भिक राजवंश अल्पकालीन थे। इन कुलों का इतिहास वीरता, महानता, बमनस्य, सघम और अघपतन का है। (3) मुसलमान ही भारत के सर्वप्रथम आक्रामक थे जिन्हें हिन्दू समाज अपने में सम्मिलित न कर सका। मुस्लिम भारत में सदैव विभिन्न समुदाय ही बने रहे। उनका इस्लाम धर्म दृढ़ अकेश्वरवादी धर्म होने के कारण हिन्दू बहुदेववाद से मतव्य न कर सका। इसके अतिरिक्त, दूसरे धर्म का निगलकर उस अपने रक्त, मांस व मज्जा में मिश्रित कर अपना अंग बना लेने की हिन्दू धर्म में जो प्राचीन विलक्षण शक्ति थी, वह मुसलमानों के आगमनकाल तक प्रायः क्षीण हो चुकी थी। जिन लोगों के पूर्वज विधर्मियों को अपना अंग बना लेते थे, वे उनका स्पष्ट मात्र महापाप समझने लगे। अतएव हिन्दू और मुसलमान एक ही देश में रहने पर भी परस्पर घनिष्टता से घुल मिल न सके। इस खाई को भरने में वे पूर्ण सफल न हो सके। यद्यपि श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने ग्रन्थ 'भारत की खोज' (Discovery of India) में यह लिखा है कि बाहर से आये मुस्लिम आक्रमणकारी शीघ्र ही भारत में विलीन हो गये। उनके राजवंश सम्पूर्णतः भारतीय हो गये। वे भारत का ही अपनी मातृभूमि मानते और विश्व के अन्य भागों को विदेश मानते थे। (4) भारत के सभी आक्रमणकारियों में मुसलमान ही वेवले ऐसे थे जिन्हें भारत के विरुद्ध धर्म युद्ध (जिहाद) घोषित किया। उनमें अपने धर्म प्रसार के लिये लगन और उत्साह था। वे धार्मिक उत्साह से परिपूर्ण थे और दूसरे लोगों को अपने धर्म की दीक्षा देने के निर्दिष्ट विचार से आये थे। दूसरों का धर्म-परिवर्तन करने की उनमें दृढ़ भावना थी, न कि दूसरों के धर्म में विलुप्त हो जाने की। उनमें अत्यधिक धार्मिक चेतना

थी। (5) अन्तिम यह कि, 1200 ई० से 1580 ई० तक भारत में मुस्लिम राज्य और समाज ने अपनी मूल भूत सैनिक और घुमक्कड़ता की विशेषताओं को बनाए रखा। उस काल में शासन करने वाली ये जाति देश में सशस्त्र समुदाय के समान रहती थी।

इतना सब कुछ होने पर भी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का जो सघर्ष हुआ, इतिहास में उसका विशेष महत्त्व है। दो विरोधी सस्कृतियों का सम्पर्क, सम्मिलन और सम्मिश्रण भारतीय इतिहास की शिक्षाप्रद घटना है। इन दोनों सस्कृतियों के संयोग और सम्बन्ध के अनेक कारण थे, जिनका कुछ विस्तार से आगे विवेचन प्रस्तुत है।

मुस्लिम आक्रमणों के साथ-साथ भारत में नवीन, विभिन्न और निर्दिष्ट सामाजिक तथा धार्मिक विचारों ने प्रवेश किया और इनका सम्पूर्ण एकीकरण असम्भव था। परन्तु जब कभी दो प्रकार की सम्मिलताएँ और सस्कृतियाँ सदियां तक परस्पर सम्पर्क में आती हैं, तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार मुदीयकाल से ससग, नवीन भारतीय मुसलमानों के समुदाय के विकास में मुस्लिम तुर्क व अफगान व मुगल आक्रमणकारियों के भारत में बस जाने से हिंदू स्त्रियों में उनके विवाह, हिंदू और मुस्लिम सत्ता और उनके अनुयायियों के पारस्परिक सम्पर्क मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू कलाकारों, शिल्पियों और साहित्यिकों के संरक्षण और इनके उदार आदालतों के प्रभाव के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विचार और प्रथाओं का अनादर करने का समीकरण करने वाले थे। इसके फलस्वरूप भारत में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

हिंदू और इस्लामी सस्कृतियों का मिलन से सामाजिक, धार्मिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रणालियाँ तथा शक्तियों की स्थापना हुई। इसी के फलस्वरूप आधुनिक युग की भारतीय सस्कृति की आधारशिला रखी गई। वर्तमान में हमारी एक ऐसी सस्कृति है जो न हिंदू है न मुस्लिम, केवल भारतीय है।

II हिंदू समाज पर इस्लाम का प्रभाव (Impact of Islam on Hindu Society)

‘भातृत्व भावना, धार्मिक भावना, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास तथा भारतीय समाज का दो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन आदि भारत का इस्लाम की ही देन है।’

—डॉ० बे० एम० पण्डित

1. सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव—जब मुसलमान अरब तुर्क, अफगान, मुगल आदि भारत में आये तो अपने साथ रहन-सहन, वेश भूषा और गिफ्टाचार के तरीके भी लाये। इन तरीकों का भारतीय जनता पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। हिंदू समाज, अपने बीच में इस्लाम के आ जाने में निम्न-लिखित रूप से प्रभावित हुआ।

(i) रहन-सहन और वेश भूषा तथा शिष्टाचार पर ब्रभाव—मुसलमान बादशाहों की तटक भटक वाली पोशाक देखकर भारतीय शासकों ने भी उसी ढंग की पोशाकें पहनना आरम्भ कर दिया। उनके दरबारी ढंग भी मुस्लिम सुल्तानों जसे हो गये। दरबारों में नाच गानों का आयोजन भी मुस्लिम ढंग से ही होने लगा। अब हिन्दू शासकों भी मुसलमानों की भाँति विलासपूर्ण जीवन यत्न करने लगे। मुस्लिम राजसभा का जो शिष्टाचार था और बैठक के नियम जो श्रेष्ठियाँ थीं, उनका अनुकरण हिन्दू नरेशों और सामंतों ने किया।

हिन्दुओं की वेश भूषा तथा खान पान पर भी मुसलमानों का प्रभाव पड़ा। अब हिन्दू लोग भी मुसलमानों की तरह चुस्त रंगीन और भङ्गीने वस्त्र धारण करने लगे। उत्तरी भारत की स्त्रियों ने ताँसाड़ी के स्थान पर घाघरे का प्रयोग आरम्भ कर दिया। हिन्दुओं में जो मुगल शासन के उच्च पदा पर नियुक्त थे, मुसलमानों की खान पान की नकल करने लगे। पुलाव, कबाब तथा कोपता आदि उनके प्रिय व्यंजन हो गये। इनमें से अधिकतर हिन्दुओं ने ताँसाड़ी के आचार व्यवहार, सामाजिकता के ढंग तथा अभिवादन का तोर तरीका अपना लिया। इस सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है कि “वेश भूषा में अचकन और पाजामा, अग रागों में इन और सुरमा, हिन्दू व्यंजनों में मध्य एशिया के पुलाव एवं बिरियानी और मसानेदार व्यंजनों को बनाने की कला का हिन्दू संस्कृति में समावेश हुआ। तत्कालीन मजारजनों में शरज, चीगान और गण्डा मुसलमानों के योगदान हैं।” तीतर लडाना, कबूतर उडाना तथा पतंग उडान आदि भी मुसलमानों की तरह हिन्दुओं में प्रचलित हो गये।

(ii) सामाजिक समानता की भावना का विकास—इस्लाम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समानता के सिद्धांत ने हिन्दुओं की निम्न जातियों को अत्यधिक प्रभावित किया। इसका कारण यह था कि इन जातियों के व्यक्तियों को उच्च जातियों के लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। डॉ० पी० एन० चौपडा के अनुसार, “इस्लाम ने जन्म और पतृत्वता के महत्त्व को कम कर दिया और इसके प्रभाव ने हिन्दू धर्म में सामाजिक समानता और भ्रातृत्व की भावनाओं को शक्तिशाली बना दिया।” डॉ० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने भी लिखा है कि हिन्दू समाज पर इस्लाम का यह प्रभाव पड़ा कि मुसलमानों के सामाजिक संगठन के कुछ जनवादी सिद्धांतों को हिन्दुओं ने अपना लिया। हिन्दू सुधारकों तथा उपदेशकों ने सभी धर्मों की आधारभूत एकता और एक ही परमात्मा के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने सभी जातियों की एकता पर बल दिया और बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) रुढ़िभङ्गता में दृढ़ता—मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के प्रयासों के कारण हिन्दुओं का रुढ़िभङ्गता कम हो गई। शाहजहाँ

धर्म गुणों का विचार था कि न भुगतवता ने प्राप्त कर और सम्भूति की रक्षा तभी कर पाता है जब वह अधिकांश कष्टों से बचता है। इस हेतु हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था और आचार-नियमों का प्रचलन कठोर बना दिया गया, जितना यह प्रतिपादित नहीं था। इन बातों में जाति प्रथा तथा नियमों सम्बन्धी धर्मक स्मृतियों की रचना की गई। इनमें धर्मस्वरूप जहाँ तक आरंभ हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा हो सकी, ता कठोर आरंभ हिन्दुओं में जातिपालन तथा समन्वय का भावना थी, वह समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में, हिन्दू समाज में प्रतिस्पर्धावादी तत्त्वा का समावेश हो गया।

(iv) आधुनिक भारतवाय भाषाओं और साहित्य का विकास—इस्लाम के प्रभाव के कारण स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। धर्मशास्त्र के शासन काल की भाँति और समृद्धि न साहित्यिक प्रेरणा दी और सब प्रांतों में प्रांतीय साहित्य का विकास हुआ। इस काल में बंगला, मराठी, पंजाबी, सिंधी और अवधी में धर्मका उत्तम पुस्तकों की रचना हुई। मयिलो भाषा में विद्यापति के गीतों को, बंगला में चण्डीदास के गीतों को और राज-दासों में भीराव भण्डारी को साहित्य का धर्मत्व कृतिषी स्वीकार किया गया। स्थानीय भाषाओं में अरबी और फारसी का अन्तर्गमन को स्थान दिया गया। उन को एक छोपड़ा के अनुसार, सन 1830 में मराठी भाषा में 35% शब्द फारसी के थे। उन ताराबद्ध के अनुसार पंजाबी और सिंधी में फारसी शब्दों की संख्या आरंभ अधिक थी।

(v) इतिहास की जीवनी का लेखन—प्राचीन काल में हिन्दुओं ने कुछ इतिहास की पुस्तकें नहीं लिखीं। हम समृद्धि में बचल चार जीवनीय किंवदंती हैं, पर इनमें तथ्या का अलंकार और शैली से बहुत कम महत्त्व दिया जाता है। इनमें तथ्या का कही भी उल्लेख नहीं है। इनके विपरीत अरब किंवदंतीय अन्वयनों का लक्षण करने में अत्यधिक रचि थी। तत्पश्चात् वे अरबों के, वहाँ से प्रायः सभी तथ्या का नियमों के अनुसार लिखकर मुस्लिम इतिहास में भारत आगमन के बाद उनके इस पाप का प्रभाव यहाँ के इतिहास की पड़ा। फलस्वरूप इतिहास की धर्मका पुस्तकें, जीवनीय आरंभ अन्वयनों का रचना हुई। मध्यकाल में बहुत से हिन्दु तत्पश्चात् भी अरबों के पुस्तकों की रचना की। इसके परिणाम का उल्लेख करते हुए डॉ. स्टुअर्ट मरदाने लिखा है, "हिंदू लेखकों ने स्वाभाविक रूप से मुसलमानों के इतिहास दिया और हम प्रकार भारतीय साहित्य में एक नवीन और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण काम किया हुआ।"

(vi) ज्ञान का प्रसार—भारत में इस्लाम के आगमन में एक अति महत्त्वपूर्ण काम हुआ। हिन्दू अन्वयनों द्वारा लिखित पुस्तकों का मूल्य रचना चाहते थे। विपरीत मुसलमान अन्वयनों की पुस्तकों की अति महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा करने के लिए स अधिक शिक्षित व्यक्तियों का इनके द्वारा माँगा-पूँजा का चाहते थे।

म कागज के आविष्कार ने सहायता दी। "भक्तवर जैसे शासकों के सरदाए म अपनेको प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया गया और उन्हें ब रोक गेज जनता तक पहुँचाया गया, जिसके फलस्वरूप ज्ञान का प्रसार हुआ।"

(vii) उर्दू भाषा का जन्म—दिल्ली मुस्लिम शासन की स्थापना से पहले ही वहाँ एक नई भाषा का विकास हो गया, यद्यपि वहाँ विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति रहते थे। वहा बोली जाने वाली भाषा लड़ी बोरी, ब्रज भाषा, राजस्थानी और हरियाणा की भाषा का मिश्रण थी। तुर्क शासन काल के प्रारम्भ मे उस भाषा म फारसी और पंजाबी के शब्द मिश्रित हो गये। इसने फलस्वरूप एक नई भाषा 'रेस्ता' (उर्दू) का जन्म हुआ। डा पी एन चौपडा का कथन है कि "हिन्दू और मुस्लिम सभ्यताओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 'रेस्ता' या उर्दू नामक एक नई भाषा का जन्म हुआ। यह भाषा वास्तव म हिंदी थी, जो फारसी और अरबी शब्दों द्वारा मुहावरों का अपना से बहुत काफी बदल गई।"

(viii) बाह्य सत्तार से सम्पर्क—इस्लाम का एक अय प्रभाव था—भारत के बाह्य सत्तार से पुन सम्पर्क। प्रारम्भिक बौद्ध युग में भारत का एशिया के देशों से, विशेष रूप से चीन, मिथ, रोम तथा यूनान से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 480 ई. मे गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत का बाह्य सत्तार से सम्पर्क प्राय समाप्त हो गया। अरब व्यापारियों ने भारत आकर इस सम्पर्क को फिर स्थापित किया। पर इस सम्पर्क मे अंतर था। कारण यह था कि बहुत कम हिन्दू और भारतीय मुस्लिम अय दशा मे व्यापार करने के लिए अपने देश से बाहर गये। इसके विपरीत बुखारा समरकंद, बल्प, सुरासान और फारस आदि सत्तारों का व्यापारी आत थे।

डा पी एन चौपडा ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ म य व्यापारी प्रति वष कम से कम 14,000 ऊँटों पर माल लादकर भारत से कंधार को ले जात थे। मडौच, सूरत, बाल गोवा आदि बंदरगाहों से अरब, फारस, तुर्की, मिथ, अबीसीनिया आदि देशों को भारतीय वस्तुयें निर्यात की जाती थी। मुगल शासकों ने यूरोप के देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया और वहाँ के व्यापारियों को भारत के तट पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति दी। इन सब बातों के फलस्वरूप भारत का सम्पर्क बाह्य सत्तार से फिर स्थापित हो गया। इस सम्बन्ध मे प्रो हुमायूँ कबीर के अनुसार, "इसके परिणामस्वरूप न केवल व्यापारिक सम्बन्ध ही स्थापित हुए, बरन् दिचारों, रीति रिवाजों का आदान प्रदान भी हुआ तथा समकालीन स्थानीय विचारों की गति तीव्र हुई।"

(ix) विज्ञानों पर प्रभाव—मुसलमान कुछ विज्ञानों म हिन्दुओं से कहीं अधिक प्रगति कर चुके थे। अतः इस्लाम का भारतीय विज्ञानों पर स्पष्ट और निश्चित प्रभाव पड़ा। उदाहरणार्थ—हिन्दुओं ने मुसलमानों से नजम (ज्योतिष

विज्ञान) में गणना करने के लिए 'ताजिक' पद्धति का प्रयोग सीखा। उन्होंने 'तजबा' का ज्ञान भी मुसलमानों से प्राप्त किया। देशांतर और अक्षांस रेखाएं गिनने की पद्धति भी हिंदुओं ने मुसलमानों से ही सीखी। रमल फेंककर सुगम विचारने की प्रथा अरबों के साथ ही भारत में आई। कागज बनाने की कला भी मुसलमानों के साथ भारत में आई। कलई करना, पत्थर, चादी और सोने पर मीनाकारी का काम कलावृत, किमखाब, जिह्दसाजी आदि शिल्प कला भी भारत में मुसलमान ही यहां लाये थे।

मुसलमानों ने भी हिंदुओं से उन विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें हिंदू उनसे अधिक प्रगति कर चुके थे। इस सम्बन्ध में डॉ. ताराचन्द ने लिखा है—“विज्ञान में, हिंदुओं ने गणित खगोल विद्या और औपधि शास्त्र की अत्यधिक विकसित प्रणालियाँ विरासत में प्राप्त की थीं और ज्ञान के इन क्षेत्रों में उन्होंने अरबों को अपना गुरु बनाया था।”

(x) मुस्लिम प्रशासन का प्रभाव—480 ई. में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इन कारण एकात्मक (केंद्रीय) प्रकार की सरकार असंभव हो गई थी। इस्लाम के अनुयायी मुगलों के साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को पुनः एक प्रकार की राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन का बहुत कुछ एकता रूप संभव हो गया। उदाहरण के लिए, यद्यपि मुगल की केंद्र प्रणाली भारत की प्राचीन केंद्र प्रणाली पर आधारित थी, पर राजकीय प्रबन्ध, उपाधियाँ और लेखा रखने की विधियाँ स्पष्ट रूप से फारस (ईरान) से मुस्लिम शासनकारियों द्वारा लाई गई थी। यही बात जिला और प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर भी है। हिंदू राजाओं ने भी इन्हीं विधियों का अनुसरण किया।

इस सम्बन्ध में डा. जदुनाथ सरकार ने लिखा है, “अबकर के सिंहासना-रुद्ध होने के समय से मुहम्मद शाह की मृत्यु तक (सन 1556-1749 ई.) 200 वर्षों के मुगल शासन ने सम्पूर्ण उत्तरी भारत को और अधिकांश दक्षिण को भी राजकीय भाषा, प्रशासन विधि और मुद्रा की एकता प्रदान की।” इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव विघटनकारी तत्त्वा को नष्ट कर एकता की ओर लाने वाला था। प्राचीन हिंदू व्यवस्था में अनेक दुर्बलाएँ थीं। मुस्लिम शासन व्यवस्था ने इन दोषों को पर्याप्त मात्रा तक दूर किया और सुदृढ़ शासन की नींव डाली। वास्तव में, भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को जन्म देने का श्रेय इस्लाम का ही जाता है।

(xi) युद्ध प्रणाली पर प्रभाव—मुगल युद्ध प्रणाली ने सोलहवीं सदी की भारतीय राजनीतिक स्थिति में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। मध्य युग के प्रारम्भ में हिंदू राजा छोटी छोटी सेनाओं को मिलाकर कभी कभी एक बड़ी सेना बना लेते थे।

पर यह बड़ी सना किसी एक प्रधान सनापति की आज्ञा नहीं मानती थी। इनके विपरीत मुस्लिम शासकों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ थीं, जिनका एक ही प्रधान सेनापति होता था। इससे मुसलमान सेनापति को अपना एक चातुर्य प्रदर्शित करने के अधिक अवसर मिल जाते थे। तोषो व प्रयोग न एक नई युद्ध प्रणाली को जन्म दिया और हिंदू राजाओं के रक्षात्मक युद्ध के तरीकों में क्रांति ला दी। इस तरह, मुसलमानों की युद्ध-नीति यहाँ की स्थानीय नीति से अलग एवं मौलिक थी। मुगलता द्वारा तोषखाने का प्रयोग इस युग में, भारत में पहली बार किया गया था।

2 विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव

(i) स्थापत्य कला पर प्रभाव—इस्लामी सभ्यता व सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय सलित कलाओं पर और विशेषकर स्थापत्य कला पर पड़ा। राजपूत राजाओं ने तत्परता से मुगल स्थापत्य कला के अग्रा को अपना लिया और उन्हें अपने महल में स्थान दिया। हिंदू मंदिर तब मुगल स्थापत्य कला के अग्रा से नहीं बच सके। कला मन्त्र परसो अउन के शब्दा में, "बूदावन के मंदिरों में बहुत कुछ अपना मौलिक है, लेकिन फिर भी उन पर मुसलमानों की प्रचलित स्थापत्य शली का प्रभाव स्पष्ट है।" हिंदू राजाओं के इस काल में निर्मित महलों पर मुगल निर्माण शली का काफी प्रभाव पड़ा। ऐसी इमारतों में यह देख लेना कठिन नहीं है कि कैसे प्रारम्भिक मुगलों की पत्थरी इमारतों में दाँतेदार मह राब, काच के मौजेक, रगीन पत्तस्तर, हाल में गार चून की पृष्ठ भूमि जोड़कर उन्हें हिंदू राजाओं की अधिक रगीली आवश्यकता के अनुकूल बना लिया गया है।

(ii) चित्रकला पर प्रभाव—मुगलों की चित्रकला शली ने हिंदू चित्रकला के विषयो, तकनीक और विविध अग्रा को प्रभावित किया। मुस्लिम चित्रकला न हमारे देश की चित्रकला को पर्याप्त रूप से प्रभावित करके, अनेक नय मोड उप स्थित किये। इसके परिणामस्वरूप भारतीय चित्रकारों ने आवृत्ति चित्रण और भित्ति चित्रों को अकित करने की कला में श्रेष्ठतम प्रतिभा प्रदर्शित की।

(iii) उद्यान कला पर प्रभाव—उद्यान कला के विकास में भी मुसलमानों ने पर्याप्त योग दिया। "मुगलों ने मध्ययुगीन भारतीय उद्यान कला को भी सवारा। उन्होंने अपने बाग बगीचों में जाभीतीकि (जामेट्री) के सु दर डिजाइनों के निकुज और मण्डप बनवाये। इन्हें आमतौर से ढलवा सतह पर आठ भागा में बाट दिया जाता था। इनमें नहरो, चौपडो या सरोवरा और छोटे निभरा के रूप में सिचाई की व्यवस्था की जाती थी और उन्हें ऐसा बनाया जाता था कि इनका पनी दोनों ओर के भाग की सतह तक लबालब भरा रह।" इस उद्यान व्यवस्था को भारत के सभी भागों में अपना लिया गया। इस सौदय की अनुभूति और विकसित हा उठी तथा लोगों में बाग-बगीचों का शौक बढ गया।

(iv) संगीत कला पर प्रभाव—सूफियों की साधना में संगीत की अति महत्ता है। कहा जाता है कि 'खयाल' की ईजाद का श्रेय जौनपुर के नवाब

मुनताय दृमाशाह को, और सम्भवतः कबाली भी इसी समय का परिणाम है। संगीत में आविष्कारों के क्षेत्र में अमीर खुसरो का नाम अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है। उसने भारतीय वीणा और ईरानी 'तम्बूरे' के सम्मिश्रण से 'सितार' का आविष्कार किया। उसने भारतीय 'गुदग' को 'तबले' का रूप दिया। वाद्य यंत्रों में अतिरिक्त उसने राग रागिनियाँ भी आविष्कार किया। सूफी सतों के प्रभाव के कारण मगीत हिन्दू और मुसलमान दोनों में अति लोकप्रिय हो गया। मुगल सम्राटों ने भी संगीत का राज्याश्रय देकर प्रोत्साहित किया था। अकबर के आगमन के बाद न दक्षिणी और हिन्दुस्तानी (उत्तर भारतीय) संगीत एक-दूसरे के सम्मिश्रण में आ गया। मुस्लिम मगीतकारों के सम्पर्क से भारतीय संगीत में गजल, ठुमरी, कब्याली, तराना, रायाल बट गुजरी आदि रागों का विशेष चलन हुआ।

3 धर्म के क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव

डा. सागाचद ने लिखा है कि इस्लाम ने हिन्दू धर्म में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन किया। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत हैं—एकेश्वरवाद में विश्वास, मानव की समानता, जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध। शकराजाय, रामानन्द, कबीर आदि हिन्दू विचारकों और धर्म सुधारकों का सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित हुए। शकराजाय ने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। रामानन्द ने मानव समानता के विचारों का अनामक भी जातियों के मनुष्यों को अपने शिष्यों में स्थान दिया। कबीर ने मूर्तिपूजा का वर्णन किया। प्रो. बी. एन. लूणिया का मत है कि धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम के प्रभाव से त्रिगुण ईश्वर का प्रतिपुन श्रद्धा प्राप्त हो गयी। पर यह सब हिन्दू धर्म के लिए ऐसा था माना मुरा को एक पात्र से दूसरे पात्र में बदल दिया गया तो। हिन्दू धर्म के नेताओं ने इस्लाम की तरह हिन्दू धर्म का अधिक मजबूत, सरल, भावुक व व्यापक कर। के लिए उसकी बाहरी रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया। साराण में, इस्लाम से प्रभावित हुए हिन्दू समाज सुधारकों ने जाति-प्रथा, मूर्ति-पूजा, यम शास्त्र और धार्मिक आडम्बर का विरोध किया। सूफीवाद से प्रभावित हुए अनेक हिन्दुओं ने मुसलमान पीरा और फकीरा की उपासना प्रारम्भ कर दी और आज भी बरतते हैं।

निष्कर्ष—हिन्दू समाज पर इस्लाम के आगमन से उपयुक्त वर्णित विभिन्न सुप्रभाव पड़े, जो अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। पर तु, कुछ हिन्दू लेखकों ने हिन्दू समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के चालू होने का दोष मुसलमानों के आगमन व उनके प्रभाव से जोड़ा है। उनके अनुसार, हिन्दुओं में शिशु हत्या की प्रथा विस्तृत रूप से फैल गयी और हिन्दू समाज में पर्दा प्रथा भी विस्तृत रूप में प्रचलित हो गयी। मुसलमानों द्वारा कन्याओं का बलात्कृत अथवा हरण होने से बाल विवाह उस युग की सबसे बड़ी प्रथा हो गयी थी। हिन्दू स्त्रियों में मुसलमानों से अपने धर्म और सतीत्व की रक्षा करने हेतु सती प्रथा देखवानी हो गयी। मुसलमानों के आने के कारण

भारतीय सामाजिक जीवन में दासता की अवाधनीय प्रथा घट कर गयी थी। दास रखना उस युग की सवमाय प्रथा थी।" परन्तु यह तथ्य विचारणीय है कि इस्लाम शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा आदि का प्रबल विरोधी रहा है, उसने ही विधवा विवाह को धार्मिक मयता दी है। अस्त, भारत में इस्लाम के आगमन से पहले ही प्रचलित कुरीतियों के लिए उसे दोषी ठहराना यथोचित नहीं है। सारांश में, इस्लाम का भारतीय धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा।

III मुस्लिम समाज पर हिन्दुत्व का प्रभाव

जहाँ इस्लाम धर्म न भारत में हिन्दू धर्म व समाज को अनेक दिशाओं में प्रभावित किया, वहाँ इस्लाम और मुस्लिम समाज भी हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका। डा० ए० एल० श्रीवास्तव के शब्दों में, "मुसलमान लोग भी हिन्दुओं के सामाजिक संगठन सभ्यता और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए।" मुस्लिम समाज में, आज भी ऐसी अनेक प्रथाएँ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हिन्दू प्रथाओं या परम्पराओं का परिवर्तन मात्र दिखाई देती हैं।

भारतीय मुसलमानों पर हिन्दुत्व के प्रभाव के कारण—वस्तुतः मुस्लिम समाज पर हिन्दुत्व अथवा हिन्दू सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव पड़ने के अनेक कारण हैं। श्री गौरीशंकर भट्ट के अनुसार "भारत में एक बड़ी सीमा तक इस्लाम ने हिन्दू प्रथाओं और मान्यताओं को आत्मसात किया। इस हिन्दूकरण के मुख्य माध्यम रहे हैं—मध्य युग के वे मुसलमान जो भारत में जमे थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और जिन्हें लिये 'हिन्दुस्तानी मुसलमान' की उपेक्षापूर्ण संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। वे भारतीय मुसलमान, जिनमें लत हिन्दू थे, अपना मौलिक दृष्टिकोण, जीवन दर्शन और सामाजिक स्तर लेकर इस्लाम में प्रविष्ट हुये।" इस कारण, वे अपने साथ जिन प्रथाओं और परम्पराओं को लाये थे, वे तत्कालीन भारतीय मुसलमानों की जीवन का अंग बन गयीं।

प्रो० बी० एन० लूनिया ने एक अन्य कारण के सम्बन्ध में लिखा है कि, मध्य युग में अनेक सुल्तानों और मुगल शासकों ने हिन्दू राजकुमारियों का विवाह किये थे, जिसका परिणाम यह निकला कि उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में शासकों पर पड़ा तथा उन्हें अपनी रानिया का मान रखने के लिये धार्मिक कट्टरता की भाँति में भी परिवर्तन करना पड़ा। प्रो० लूनिया के शब्दों में, 'मुस्लिम विजेताओं ने हिन्दू नारियाँ, रानियाँ और राजकुमारियों से विवाह किये। इन हिन्दू स्त्रियों ने अपने आधीन गृह में हिन्दू प्रथाओं का प्रस्ताविन किया जिससे मुसलमान प्रभावित हुए। मुसलमानों के अंतःपुरों में हिन्दू महिलाओं का प्रभाव उन तत्त्वों में से एक था जिन्होंने इस्लाम और हिन्दू धर्म का समन्वय कराया। भारतीय आनुवंशिकी परम्परागत भक्ति, श्रद्धा, सहृदयता और दयालुता ने तुकों और मंगोल खानाबदोशों की बबरता व क्रूरता को कम कर दिया था।" इस प्रकार हिन्दू स्त्रियों के सम्पर्क

न मुस्लिम शासकों को उदार बना दिया था तथा अनेक हिंदू रीति रिवाजों को शाही महला में प्रचलित किया।

डॉ० ए० एल० श्रोवास्तव ने भी लिखा है कि जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, वे अपनी हिंदू परम्पराओं को नहीं भुला सके। उनके द्वारा फकीरा और दरगाहों की पूजा किया जाना, हिंदू देवी देवताओं की उपासना का दूसरा रूप था। मुसलमानी त्यौहार भी भारत के हिंदुओं व समान हाठ-बाट से मनाये जाने लगे।

उपरोक्त कारणों से मुसलमान लोग भी हिंदुओं के सामाजिक संगठन, सम्भ्यता और सस्कृति से प्रभावित हुए थे। हिंदू धर्म, सम्भ्यता व सस्कृति के प्रभाव व कारण ही भारत के मुसलमानों के अथवा मुसलमानों से अनेक बातों में भिन्नता रखते हैं।

1. धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव—मुसलमान हिंदुओं के धार्मिक विचारों और रीति रिवाजों से भी बहुत कुछ प्रभावित हुए। हिंदुओं के अर्धावस्था और परम्पराओं का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। हिंदुओं के समान मुसलमान भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिये पीरो, फकीरा व साधुओं के पास जाने लगे। श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है कि, मुसलमानों के त्यौहारों, रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों और धार्मिक जादुई अनुष्ठानों में हिंदुत्व के प्रभाव के अनेक प्रमाण उपस्थित हो गये। पीरो की कल्पना और उनमें विश्वास, दरगाह में मजारा के सामने माथा टकना, हर हर महादेव की तरह या अली का नारा लगाना, सगुन विचारना, विधवा की अपेक्षा सधवा या सुहागिन को शुभ मानना, हिंदुओं व ही अनुरूप मृत व्यक्तियों के नाम पर तीजा (भोज) और खरात का आयोजन करना आदि स्पष्ट हिंदू सस्कृति व प्रभाव के कारण हैं।

डॉ० के० एम० अशरफ के अनुसार हिंदुओं के 'शिवरात्रि' त्यौहार का अनुकरण मुसलमानों ने 'शव ए बरात' नामक त्यौहार के रूप में किया। इस विषय में डॉ० यूसुफ हुसन ने भी लिखा है 'नये वातावरण में मुसलमानों की प्रथाओं में भी परिवर्तन किये गए। कुछ नये त्यौहार व उत्सव, जैसे शबे बरात' सार देश में मनाये जाने लगे। बहुत सम्भव है कि यह उत्सव हिंदुओं के 'शिवरात्रि' के उत्सव की नकल थी। आतिशबाजी का प्रचलन दोनों में समान रूप से है। इसी प्रकार मुहरम के महीने में 'ताजियेदारी' न (करबला के शहीदा की समाधि के छोटे भाँवर) एक औपचारिक रूप धारण कर लिया। उनमें हिंदुओं की जगन्नाथ की गाड़ी और 'श्रीकृष्ण लीला' के उत्सव में एक आश्चर्यजनक साम्य पाया जाता है। अथ किसी भी मुस्लिम देश में ताजिये नहीं पाये जाते। यह सत्य है कि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का विरोधी था और आज भी है, लेकिन हिंदुओं के सम्पर्क के कारण भारतीय मुसलमान लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने लगे। बंगाल में

‘सत्य नारायण’ की रथा’ के अनुकरण क आधार पर ही ‘सत्य पीर’ की पूजा की जाने लगी। डॉ० सत्यरेतु विद्यालकार क अनुसार, ‘वर्मान क मुसलमान काली, धर्म राज वचनाथ, आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा करने थ। भारत क तागम प्रकृति के विविध शक्तिया का देवी देवता के रूप म देवने की परम्परा थी। व नदी, पर्वत आदि के अविष्टाता देवताओं की कल्पना कर उनकी पूजा करते थ। भारतीय मुसलमानों पर भी भारत की इस परम्परा का प्रभाव पड़ा और मुसलमानों ने खजाजाखिज के रूप म नदियों के अविष्टाता देवता की और जिंदा गाजी’ क रूप म सिंहवाहिनी देवी के प्रती देवता की कल्पना कर डाली। भारत क मुसलमान पीरों के मजारों की पूजा करने के लिए भी प्रवृत्त हुए।’ वर्तमान म भी दश क कुछ भागों म पीरों के मजारों की पूजा मुसलमानों काग देवी श्रद्धा स करता है। उम क अवसर पर हिंदुओं की तरह वहाँ नृत्य और गायन (कव्वाली) का आयोजन बने उत्साह से किया जाता है।

धार्मिक क्षेत्र म हिंदू धार्मिक विचारधारा का प्रभाव इस्लाम के सूफीवाद पर भी पड़ा। अभिकाश विद्वान इस बात म सहमत हैं कि सूफीवाद पर वेदा त दशन की स्पष्ट छाप पड़ी है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वत से प्रभावित होकर ईश्वर (अल्लाह) को प्राप्त करने के लिए सूफी फकीर प्रम साधना पर बल देते थे। सूफिया द्वारा स्वच्छता, पवित्रता तथा सत्य पर अत्यधिक बल देना, हिंदू धर्म के सम्पक का ही परिणाम है। इतिहासकार गिब क मतानुसार, ‘भारत के सूफी, इस्लाम के उत्तम निकट नहीं हैं, जितने कि हिंदू धर्म क।’ डॉ० बहीद मिर्जा न भी लिखा है— ‘बलदरो और फकीरों जस साधु स यासिया की बड़ी सख्या म हान का सब मिलाकर यह प्रभाव हुआ कि सरल शुद्ध इस्लाम, जिसमे बाह्य धार्मिक कृत्यों पर बल दिया जाता था, अब बदलकर एक मिश्रित-सा भक्ति सम्प्रदाय बन गया जिसम चमत्कार और अंध विश्वास स त पूजा म समन्वित होकर अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये। अब यही साधारण सी प्रथा हो गई थी कि मुसलमान लोग अपना एक आध्यात्मिक गुरु बना लेते थ और ऐसी जन प्रास्था थी कि कबल वही उस लोक और परलोक म सुखी और सम्पन्न जीवा का वरदान दे सकता है।’

उपयुक्त बातों के बावजूद कुछ विद्वानों का मत है इस्लाम और उसके मौलिक सिद्धांतों पर हिंदू धर्म का कोई विशेष उत्प्रेक्षनीय प्रभाव नहा पड़ा। डॉ० ए० एल० श्री वास्तव ने लिखा है कि “मुसलमानों के धार्मिक विचारधारा और रीति रिवाजों पर हिंदू धर्म का सीमित सा प्रभाव पड़ा था।” डॉ० जदुनाथ सरकार का भी यही मत है। उनके अनुसार, हिंदू धर्म इस्लाम के निकट रहने के पश्चात् भी उसे अधिक प्रभावित नहीं कर सका। उनके शब्दों म “ इस्लाम बटटर एकेश्वर वादी धर्म है। बहुदेववाद के साथ इसका किसी प्रकार मेल नहीं हो सकता। यद्यपि हिंदू और मुसलमानों ने एक ही दश म साथ साथ रहना पड़ा, तथापि य हिंदुओं

म घुल मिलकर कभी नहीं रह सने। धार्मिक भेद भाव की यह खाई किमी प्रकार भी नहीं पाटी जा सकी। परत क मुसलमानों के हृदय में भारत के बाहर (इस्लाम के उदगम स्थान) का सम्मान हटा नहीं। अब भी उनमें मुँह भक्ता की ओर ही नमाज के लिये मुडत है। वे आगे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं “हिंदुओं ने मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ‘अल्लोपनिषद्’ की रचना की तथा सम्राट अकबर को अपना अवतार तक मानने को प्रस्तुत हो गये, पर तु मुसलमान इस धार्मिक उदारता के बदले में तनिक नहीं झुके और (मूर्ति पूजक) हिंदुओं को ‘काफिर’ कहते रहे।”

2 सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव—यम के क्षेत्र में हिंदू धर्म ने चाहे इस्लाम को अधिक प्रभावित नहीं किया, पर तु सामाजिक क्षेत्र में हमें अनेक प्रभावशाली परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। डा० ए० एल० श्री वास्तव के अनुसार, मुसलमान लोग भी हिंदुओं के सामाजिक संगठन, सभ्यता व सस्कृति से काफी प्रभावित हुये। मुसलमानों में ‘अकीका’ और ‘बिस्मिल्लाह’ के उत्सव हिंदुओं के ‘मुण्डन’ और ‘विद्यारम्भ’ के संस्कारों जैसे मनाये जाने लगे। हिंदू विवाह संस्कारों से मुसलमानों ने वधु श्र गार की प्रथा को गानाया। ‘हसन ओ नह’ हिंदू वधु के सौनह श्र गार का दूसरा नाम है। मुसलमानों ने हिंदुओं के कुछ कीमती वस्त्रा जैसे पाग और चौर आदि को पहनना शुरू कर दिया था। यहा तक कि मुसलमान सुल्तान और बादशाह भी हिंदू राजा के समान ‘छत्र’ और शय राजकीय चिह्न का प्रयोग करने लगे। यद्यपि इस्लाम हार, अगुठी और कानों के आभूषण पहनने की अनुमति नहीं देता है, पर मुसलमानों ने उनको पहनना प्रारम्भ कर दिया।

इन ए बतूता के अनुसार, पान का चवाना भी मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा है। उन्होंने हिंदू पकवाना, मिठाइया और मिच मसालेदार भोजन को अपना लिया। भारत के निर्मित महीन सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, आदि का प्रयोग अब उच्च वर्ग के मुसलमान करने लगे।

अन्तिम यह कि, हिंदू जाति-व्यवस्था भी जनवादी मुस्लिम समाज को प्रभावित किय बिना न रही। हिंदुओं की जाति प्रथा से प्रभावित होकर मुसलमान दिल्ली सल्तनत काल के प्रारम्भिक दिनों में ही तुर्कों, पठान, सय्यद और शेख आदि में बंट गये और अपने ही वर्ग में विवाह करने लग, क्योंकि इनमें से कुछ अपने को अन्य वर्गों से श्रेष्ठ समझते थे। आगे चलकर ये लोग “अपने ग नीची जाति या चारा घात अथवा कामा से बाहर, यहाँ तक कि अपनी निजी कीम से बाहर, विवाह सम्बंध करने की बात नहीं साच सकते थे।” व्यवसाय के आधार पर मुसलमानों में अनेक जातियाँ न जन्म लिया। ये जातियाँ परस्पर विवाह सम्बंध नहीं करती।

3 कला के क्षेत्र में प्रभाव—अकबर के समय से मुसलमानों ने हिंदू चित्र कला को अपना लिया। हिंदू संगीत और कुछ अन्य कलात्मक कलाओं भी मुसलमानों

ने सीखी। कुछ मुस्लिम विद्वान योग और वदात के अध्ययन की ओर भी आकर्षित हुये, और कुछ ने हिंदू धर्मोपधि शास्त्र और ज्योतिष का भी अध्ययन किया। निष्कर्ष—उपरोक्त वरुण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि इस्लाम ने हिंदू जीवन के सभी अंगों को प्रभावित किया और स्वयं भी हिंदुभा व धार्मिक और सामाजिक संगठन से प्रभावित हुआ। अतः भारतीय सभ्यता व सस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव एक सम-वयवादी दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है। टीटस के मतानुसार “हिंदू धर्म ने जो कि अभी भी सुस्वियर भाग पर आश्चर्यजनक सन्तोष और विश्वास से बढ़ता जाता है भारतीय मुसलमानों पर अपने ऊपर इस्लाम के प्रभाव की अपेक्षा कही अधिक प्रभाव डाला।”

IV मध्ययुगीन सांस्कृतिक सम-वय (Medieval Cultural Synthesis)

‘शायद ही कभी मानव जाति के इतिहास में हिंदू और मुस्लिम सस्कृतियों जसी दो गहन, शक्तिशाली पर मौलिक मिश्रता रहने वाली सस्कृतियों का प्रापस में पुल मिल जाने का ऐसा चमत्कार दिखायी दिया हो। इनके पारस्परिक भेदों तथा विशाल सांस्कृतिक व धार्मिक मिश्रताओं ने अपने प्रभाव से इतिहास को ही शिक्षा प्रद बना दिया।

मध्यकाल के प्रारम्भ में अर्थात् कुछ अप्रगण युग में हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो बग थे जिनमें शासक और शासित का सम्बन्ध था। पर जब दो विभिन्न धर्मों का सस्कृतियाँ व लोग दीर्घकाल तक एक साथ निवास करने लगे तो उन पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ना आवश्यकता ही हो जाता है। जब मुस्लिम विजेता अरब, तुर्क, अफगान व मुगल आदि स्थायी रूप से भारत में आबाद हो गये तो स्वाभाविक रूप से व भारत के योगियाँ स ती, धर्माचार्यों, विद्वानों और शिल्पियों के सम्पर्क में आये, और वे उनसे प्रभावित हुये बिना नहीं रह सके। इसी प्रकार इस्लाम के रूप में जो नया धार्मिक आ-दोलन इस देश में प्रविष्ट हुआ था, उसमें अपूर्व जीवन शक्ति थी। वह भी इस देश के पुराने धर्म को प्रभावित किये बिना नहीं रहा। हिंदू और मुस्लिम सस्कृतियों के इस सम्पर्क ने जो परिणाम उत्पन्न किये। उनका भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। इसी से भारत की वह प्राधुनिक सस्कृति प्रादुभूत हुई, जिस पर अनेक अंगों में मुस्लिम धर्म व सस्कृति का प्रभाव विद्यमान है।

परस्पर सामंजस्य, सहयोग और सहिष्णुता की भावना का विकास— हिंदुभा और मुसलमानों के मूलभूत मतभेदों व होने पर भी प्राथमण और विप्लव की अशान्ति के नीचे बालांतर में जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सामंजस्य और सहिष्णुता की मुखद धारा प्रवाहित होने लगी थी। व त हो जाने पर हिंदुओं और मुसलमानों ने मूढ़ और

समझ लिया था व धीरे धीरे दोनों समुदायो में सामंजस्य और सहयोग की भावना प्रबल हो रही थी। व परस्पर एक दूसरे को जानने और समझने की चेष्टा भी करते लगे। "फलत हिन्दू धर्म, हिन्दू कला, हिन्दू साहित्य और हिन्दू विज्ञान ने मुस्लिम तत्त्वा को अपनाया ही नहीं अपितु हिन्दू संस्कृति की भावना और हिन्दू मनीषा की प्रेरणा में भी परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार मुसलमानों ने भी जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उद्युक्त होकर खुले हृदय से आदान प्रदान किया। हिन्दुओं के धार्मिक नेताओं और सत्तों ने हिन्दू मुस्लिम विचारों व समकाल का सफल प्रयास किया तो मुसलमानों के सूफ़ी सम्प्रदाय तथा उनके लेखकों व कवियों ने भी हिन्दू सिद्धांतों व परम्पराओं को ग्रहण किया।"

धार्मिक क्षेत्र में—पारस्परिक सहिष्णुता की भावना की अभिव्यक्ति मुसलमानों के सत्तों के प्रति, विशेषकर रहस्यवादी आध्यात्मिक सत्तों के लिए, हिन्दुओं की बढ़ती हुई श्रद्धा और भक्ति में हुई थी और इसी प्रकार मुसलमान भी हिन्दुओं के साधु-सत्तों के प्रति ऐसी ही श्रद्धा और भक्ति की भावना रखने लगे। हिन्दुओं ने उदारतापूर्वक मुस्लिम पीरों और उनके मजारों का पूजा आरम्भ किया। मुस्लिम पीरों की कब्रों पर हिन्दू मिठाइयाँ चढाते और कुरान के पाठ का श्रवण करते। व कुरान को एक देववाणी के समान मानने लगे, जीवन में बुरे प्रभावों और अपशुक्तियों से बचने के लिए अपने घरों में कुरान की प्रतियाँ रखने लगे तथा आतत्त्व प्रदर्शित करने के लिए मुसलमानों को भोजन कराने लगे। अजमेर के शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के भक्तों में बहुसंख्यक हिन्दू भी थे। इसी भाँति मुसलमान भी हिन्दू धर्म की ओर झुके। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी होने पर भी बंगाल में मुसलमानों ने हिन्दुओं की शीतला, काली और धमराज, वैद्यनाथ आदि अथर्व देवी देवताओं की पूजा को अपना लिया। सामंजस्य, सहिष्णुता, सहयोग और समीक्षा की भावनाओं के इन परिणामों के साथ-साथ सत्य पीर नामक देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों मानते थे। गौड़ (बंगाल) नरेश हुसनशाह को इसका संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू धर्म और इस्लाम की पारस्परिक प्रतिक्रिया से कई विविध समकालीन सम्प्रदायों और क्रियाओं का उदय हुआ।

प्रो० बी० एन० लूनिया के मतानुसार, सामंजस्य, सम्मिश्रण और समीप्य की मंगलकारिणी भावनाओं का प्रभाव इस्लाम पर भी कम न हुआ। उसमें कोमलता और सरसता आ गई। उसके भारतीय स्वरूप में खूब परिवर्तन हुआ और सूफ़ी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही, सूफ़ी सम्प्रदाय के सत्तों को मानने लगे। उनकी समाधियाँ (मजार) इन दोनों सम्प्रदायों के लिये तीर्थ स्थान बन गयीं। एवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है जहाँ उस के मेले पर लाखों हिन्दू और मुसलमान आज भी आते हैं। तेरहवीं सदी में निजामुद्दीन औलिया (दिल्ली) और सोलहवीं सदी में शेख सलीम चिश्ती सूफ़ी सम्प्रदाय के अथर्व प्रसिद्ध

सत थे। सतों के अय सम्प्रदाय सुहरावर्णों और कान्री थे। इन सफी सम्प्रदायों का प्रभाव यह हुआ कि इस्लाम ने अपने भारतीय वातावरण में सत पूजा को ग्रहण कर लिया। हिन्दू मुसलमानों में परस्पर भेद और सामीप्य तथा सहिष्णुता की भावनाओं का अय परिणाम यह हुआ कि सत्यपीर सत्तानामी, नारायणी आदि ऐसे पन्था का प्रादुर्भाव हुआ जिनका अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे और जो परस्पर दोनों में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। कालांतर में मुसलमानों में पन्थी साहित्य का विकास भी हुआ।

सम्मेलन, सामजस्य, सहिष्णुता और सहकारिता एव परस्परिक प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति उच्च कुलीन मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रयत्नों से हुई जो उन्होंने हिन्दू वातावरण में रहने पर हिन्दू प्रथाओं को अंगीकार करने के लिए किये थे। इन दोनों समुदायों के शासकीय वर्ग के सदस्यों में हुए परस्पर अन्तजातीय विवाहों से इन सामजस्य को सहायता प्रदान की। इन दोनों समुदायों के बीच तीव्र मतभेद को कम करने का अधिक प्रयास किया गया एक एक दूसरे की प्रथाओं का अपनाने में सहयोग दिया गया।

राजनीतिक क्षेत्र में भी सामजस्य और सहयोग की यह भावना दृष्टिगोचर हुई। स्थानीय शासन की हिन्दू प्रणाली को स्थिर रखने के अतिरिक्त मुस्लिम राज्य ने कभी-कभी बहुसंख्यक हिन्दुओं को मना में नियुक्त किया। जो शासन की विभिन्न शाखाओं में प्रभावशाली हो गये। उदाहरण के लिए, चन्देरी के भेदनीराय और उसके मित्र मालवा में माण्ड के सुल्तान के यहाँ उच्च पदा पर थे। बगाल में हुमन शाह ने पुरन्दर, रूप और सनातन जैसे हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। गोलकुण्डा और बीजापुर के सुल्तानों ने कतिपय हिन्दुओं को अपना मंत्री बनाया। यही नहीं, मुस्लिम शासकों और नरेशों द्वारा, विशेषकर सभों (प्रांता) में हिन्दू मंदिर और समाधियाँ को अनक प्रकार के अनुदान दिए जाते थे। बोधि-गया के महत् की जागीरदारी का प्रमुख भाग मुहम्मद शाह का अनुदान था। काश्मीर का सुल्तान प्रायः अमरनाथ और शारदादेवी के मंदिर में दशनाथ जाता था और यात्रियों की सुख-सुविधा के हेतु उसने वहाँ विश्राम स्थल बनवाये थे। मुसलमानों के प्रति राजपूतों की उदारता और वीरता के उदाहरण भी प्रचुर हैं। राणा हम्मीर के राणा हम्मीर ने यह जानते हुए भी कि अलाउद्दीन सुल्तान की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी, सुल्तान के विद्रोही सरदार मुहम्मद शाह व उसके साथियों को आश्रय दिया। राणा सग्रामसिंह के पास मुगल बादशाह बाबर से युद्ध करते समय ओक मुस्लिम शासक महमूद लोदी, हुसैनखा मेवाती आदि दल-बल सहित थे। इसी तरह दक्कन में विजयनगर के हिन्दू सम्राट भी अपनी सैनिक सेवा में मुसलमानों को नियुक्त करते थे और उन्होंने अपनी राजधानी और उसके बाहर इस्लाम को संरक्षण दिया।" के राजनीतिक नियुक्तियाँ सम्भवतः सद्भावना की अदेक्षा राजनीतिक

भावश्यकता के कारण हुई थी। परन्तु, निस्सन्देह इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सहृदयता और व धुत्व की वृद्धि का माग सुलभ कर दिया।

इस प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली की तुक अफगान सल्तनत के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सृष्टियों को एक दूसरे के निकट में आने का वैसा अवसर नहीं मिला, जसाकि गुजरात, मालवा जोनपुर, टोलनाबाद और बगान के मुस्लिम राज्या में मिला। इन प्रांतीय सल्तनतों के शासन में हिंदू कर्मचारियों का बड़ा भाग था, और इनके मुल्तान व अन्य अमीर मरदार हिंदुओं के बहुत निकट सम्पर्क में थे। इसी कारण अहमदाबाद, माण्डू, लखनौती, काश्मीर आदि में हिंदू और मुसलमान सृष्टियों का एक दूसरे को प्रभावित करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ था। इसी के फलस्वरूप साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण समन्वय और उन्नति हुई।

हिंदू व मुस्लिम कला का समन्वय

वर्तमान काल में हमारी स्थापत्य, मणीत और चित्रकला का जो रूप दिखाई देता है उस पर हिंदू मुस्लिम सृष्टियों के समन्वय की स्पष्ट छाप है।

वास्तुकला एवं स्थापत्य कला भारत में जब मुस्लिम शासकों इमारतें बनाने लगे तो यह काम मुस्लिम इंजीनियरों को सौंपा गया जो केवल मुस्लिम जगत की निर्माण विधि और रचना काशल से परिचित थे। परन्तु इन इमारतों को चुनने वाले सब कारीगर भारतीय थे। ये लोग भारतीय परम्पराओं में पले हुये थे और भारतीय नमूनों पर इनका हाथ जमा हुआ था। दोनों के सम्पर्क से स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई और मिश्रित शैली का उदय हुआ।

हिंदू और मुस्लिम सम्पर्क की सबसे प्रत्यक्ष व स्थूल रूप वह वास्तुकला है जिसका इस युग में विकास हुआ और जिसे इतिहासकारों ने 'इण्डो मुस्लिम' कला नाम दिया है। डॉ० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मतानुसार इस्लामी वास्तुकला की मुख्य विशेषताएँ चार थीं—(1) गुम्बद (2) ऊँची ऊँची मीनारें, (3) मेहराब और (4) मेहराबा की डाटदर छाने। जबकि भारतीय शैली की मुख्य विशेषताएँ थीं—(1) पटी हुई छाने, (2) आगे निकले हुए ब्रैकेट (3) शिखर (4) घोंडियों पर आधारित मेहराब (5) छोटे दृज्जे और (6) छोटे-छोटे गोल और चाकोर खम्भे। सजावट की प्रधानता के कारण हिंदू कला मुस्लिम कला की शैली को प्रभावित करती रही। मुसलमानों ने हिंदू भवनों की मजबूती और उनकी सुदरता को ग्रहण किया। मुसलमान अपनी इमारतों में कब्रिस्तान और चूने का बहुत अधिकता से उपयोग करते थे और इसलिए वे चौड़े और खुले भागों को मेहराबा और गुम्बदों से जोड़कर इमारतों में वह सुदरता और विगलता ले आते थे जिससे हिंदू कारीगर अनभिज्ञ थे। दोनों शैलियों के सम्मिलन से एक नयी स्थापत्य कला ने जन्म लिया जिसे कि 'हिंदू मुस्लिम कला' कहा जा सकता है। सल्तनत युग में

इस मिली जुली वास्तुकला का विकसित रूप प्राचीन सल्तनतों या इमारतों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। मुगल सम्राट अकबर के समय से बने वाली इमारतों में से अधिकांश इन मिली जुली शैली की प्रतीक बनी जा सकती हैं। मुगलों की स्थापत्य कला को राजपूत राजाओं ने बहुत जल्दी अपना लिया। हिंदू मंदिर भी इस कला के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। पर्सों का मत है कि बदायुन के मंदिरों की इमारतों में मुसलमानों की प्रचलित शैली का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। अहमदाबाद की इमारतों में 'तीन दरवाजा' और 'जामा मस्जिद' श्रेष्ठ हैं, जो सल्तनत काल की इण्डो मुस्लिम वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

चित्रकला—अकबरान युग में भारतीय चित्रकला की उन्नत शैली का विकास हुआ जिसे "राजस्थानी शैली" कहते हैं। इसका विकास राजपूताना और गुजरात के प्रदेशों में पन्द्रहवीं सदी में हुआ था। गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगडा (1451-1511) कला का संरक्षक व कलावन्तों का आश्रयदाता था। उसके संरक्षण में मिली जुली चित्रकला की—राजस्थानी शैली की अच्छी उन्नति हुई। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में मुसलमानों ईरानी शैली का सम्पर्क भारतीय चित्रकला शैली से हुआ। ईरानी और भारतीय चित्रकला शैलियाँ धीरे धीरे मिलकर एक हो गयीं। इस नवीन शैली में विदेशी शैली एकदम मिलकर पूरा रूप से भारतीय हो गई। यही मिश्रित शैली 'मुगल चित्रकला' शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस शैली में राजपूत चित्रकला शैली को भी पूरा बदल दिया और कागजा शैली में परिवर्तन का परिणाम था।

संगीत कला—संगीत के क्षेत्र में भी हिंदुओं और मुसलमानों के सम्पर्क ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। भारत के मुसलमानों ने कव्वाली और खयाल के रूप में अकबरों में व धार्मिक उत्सवों पर संगीत का प्रारम्भ किया। संगीत की ये शैलियाँ भारत के लिए नई थीं, पर बाद में भारतीय संगीतकारों ने इन्हें पूरी तरह से अपना लिया, और ये भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण अंग बन गये। संगीत के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम शैलियों के सम्बन्ध में अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा। महान मुगल सम्राट (सिवाय औरंगजेब) को संगीत एक नरक में रचि रही जिसके परिणामस्वरूप संगीत के क्षेत्र में सम्बन्ध के काम को बहुत प्रोत्साहन मिला। अकबर का दरबार संगीत कला का भी प्रसिद्ध केन्द्र था। डॉ० आशीर्वादी लाल का मत है कि अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम संगीत पद्धतियों का मुक्त रूप से सम्मिलन हुआ और अंत में दोनों ही एक दूसरे से इतनी घुल मिल गयीं कि उनका अलग अलग पहचानना कठिन हो गया।

भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सम्बन्ध व उन्नति

कतिपय मुस्लिम सुल्तान व उनके दरबारी साहित्य में अधिक रुचि रखते थे और उनके आश्रय में अच्युत का साहित्य तयार हुआ। अमीर खुसरो

मीर हसन दहलवी, ब्रह्मद थानेसरी, बद्र-ए-चख, अमीउलमुल्क मुल्तानी टिर्ली के सुलतानो के युग म साहित्यिक नभ पण्डित व ददीप्यमान नक्षत्र थे। मुहम्मद तुगलक की राज्य सभा कविया, तक शास्त्रज्ञो, दाशनिको और बद्या से सुशोभित थी। इसी प्रकार प्रत्यात कवि और लेखक प्रातीय राजवशो की राजसभाओ मे रहते थे जिसके सरक्षण म प्रचुर साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। जौनपुर अरबी विद्वत्ता, इस्लाम दर्शन के अध्ययन और साहित्य का बद्र था और वहां का नरेश इब्राहीम शाह शर्की विद्वाना का उदार आश्रयदाता था। उसके शासन काल म अनेक साहित्यिक व दाशनिक ग्रंथा का सम्पादन हुआ। चौदहवीं शताब्दी म फीरोज तुगलक ने दशम शास्त्र, ज्योतिष आदि भारतीय ग्रंथो का फारसी मे अनुवाद करवाया। लोदी वंश के सुलतान सिक दर के शासनकाल मे सञ्चुत, आयुर्वेद ग्रंथो का अनुवाद फारसी में किया गया। मुगल सम्राट अकबर के काल मे अनेकानेक सञ्चुत ग्रंथो, रामायण, महाभारत आदि का फारसी मे अनुवाद करवाया गया।

मध्ययुग के साहित्यिक क्षेत्र म समन्वय को उत्प्रेक्षनीय सफलता हुई। उर्दू भाषा का समुदय और विकास था। संस्कृत मे उत्पन्न हुई विचारधाराओ और भाषाओ के साथ तुर्की, फारसी और अरबी शब्दो और विचारों के सम्मिश्रण से उद भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। इसमे अरबी, फारसी, तुर्की, पश्चिमी हिंदी एव दिल्ली प्रदेश की स्थानीय भाषा के शब्द हैं। वास्तव मे यह भाषा हिंदुओ और मुसलमाना के साहित्यिक समन्वय का परिणाम थी। अमीर तुसरो ने सब प्रथम इस भाषा में रचना की। कालांतर म मुस्लिम नरेशो की राजसभाओ के कवियो, लेखका और इतिहास वेत्ताओ ने इसके साहित्यिक रूप को निखारा और उत्तर भारत म अठारहवीं शताब्दी मे यह एक अच्छी साहित्यिक भाषा हो गई जिसके विकास मे हिंदू और मुसलमान लेखको का योगदान था। इसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बहुत समीप आते गये और उनसे मध्य का भेद भाव बहुत कुछ दूर हो गया।

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सम्बन्धो मे विद्वेष होने पर भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के हेल मेल से सुदूर तक प्रभावित करने वाले परिणाम हुए। मुस्लिम विजेता अपने साथ निर्दिष्ट सामाजिक और धार्मिक विचार लाय थे जो हिंदुओ के विचारों से मौलिक रूप मे भिन्न थे। परंतु सुदीर्घकाल के सम्पर्क मे हिंदुओ और मुसलमाना के दो विभिन्न समुदाय परस्पर अधिक समीप आ गये जिनके परिणामस्वरूप हिंदू संस्कृति का विकास इस्लामी रंग से रजित हो गया। परंतु हिंदू संस्कृति भी मुसलमानी तत्त्वों को प्रभावित किये बिना न रही। "वास्तव मे हिंदू और मुसलमान दोना ने ही सांस्कृतिक देन के विकास म अपना अपना योग दिया है। मध्य युग म दो विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर ससंग और हेल मेल हुआ, परंतु उनका पूरा समन्वय नहीं हुआ। वे एक दूसरे मे पूरातया

नहीं डुल मिल गयी। प्रथम इन दोनों मस्जिदों में मग़ब हुआ और तब समझ, परन्तु यह पूरा रूपेण था।”

हिन्दू धर्म पर इस्लाम की प्रतिप्रिया विविध रूप से हुई। हिन्दू समाज के अनुसार सनातनी तत्त्वा ने विस्तृत मठों और अपरिवर्तनशील जाति नियमों को बनाकर अपनी सामाजिक और धार्मिक प्रणालियाँ को ऋद्ध कर लिया। परन्तु उदार तत्त्वा ने इस्लाम के कतिपय तोत श्रेय सिद्धांतों को अंगीकार कर लिया। ये सिद्धांत रामानन्द, अदीर, नानक, दादू और चतुर्थ जैसे सात्ता के उपदेशों और मना म अभिव्यक्त हुए। बंगाल में बङ्गाल धर्म और महाराष्ट्र में भक्ति सम्प्रदाय का विकास हिन्दू धर्म के इस्लाम के सम्पर्क की दल मानी जाती है। इस ससग की दूसरी देन सहयोग, सहिष्णुता और सामजस्य की भावना है जिसकी अमिध्यकित सूफी सतों के विचारों और मुस्लिम सतों के प्रति हिन्दुओं की श्रद्धा हुई थी। सूफी मत का आधार हिन्दू विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित हुआ। इस सम्पर्क का अर्थ महत्त्वशील प्रभास प्रादेशिक भाषाओं और उद्बुद्धों के विकास में दृष्टिगोचर होता है। वैष्णवों की कविता हिन्दू धर्म और इस्लाम के समझ का सर्वोत्कृष्ट प्रिस्तक्षण उदाहरण है। कला व क्षेत्र में, हिन्दू और मुस्लिम तत्त्वों के समझ से भवन निर्माण कला की एक नवीन शली का विकास हुआ।

V हिन्दी साहित्य में मुस्लिम कवियों का योगदान

डॉ ए. एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, 'गोलहरी तथा सत्रहवीं शताब्दी में उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण हुआ। अक्षर से पूर्व हिन्दी में उच्चकोटि के अर्थ का निर्माण होना शुरू हो चुका था, जिनमें 'पदमावत' और 'मृगावत' उल्लेखनीय हैं। अक्षर का शासन हिन्दी कविता का स्वर्ण युग था।" इस युग में हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों ने हिन्दी में कविताएँ लिखीं। उच्चकोटि के हिन्दी मुस्लिम कवियों में अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, अदुर हीम खानखाना तथा उसमान का नाम उल्लेखनीय है।

1 अमीर खुसरो [1253-1325 ई.]

अमीर खुसरो हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के एक प्रधान प्रतिनिधि, एक महान कवि तथा एक सच्चे राष्ट्रवादी सूफी सत थे। 'वह अपने समय के श्रेष्ठ इतिहासकार, संगीतज्ञ और कवि थे। इन सभी रूपों में उसने जो कार्य किया वह भारत के इतिहास में सर्व अमर रहेगा। डॉ. युसुफ हुसैन ने ठीक ही लिखा है— 'मध्य काल का महान कवि साहित्यकार और राष्ट्रवादी अमीर खुसरो भारतीय मुस्लिम संस्कृति के सब प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक था।' वह पहला मुसलमान कवि था जिसने हिन्दी में उत्कृष्ट कविताएँ लिखीं।

डॉ. माताबदल जायसवाल ने लिखा है कि, यद्यपि अमीर खुसरो की महत्ता उनके फारसी काव्य पर आधारित है, परन्तु उनकी लोकप्रियता का कारण उसकी

हिंदी रचनाय है। हिंदी में काय रचना करने वालों में खुसरो का नाम सर्व प्रमुख है। अरबी फारसी के साथ साथ गमीर खुसरो को अपने हिंदी ज्ञान पर भी गर्व था। "अमीर खसरो के नाम से हिंदी में पहिलिया, मुकरिया, दो सखुने और कुछ गजलें प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनका फारसी हिंदी कोष 'खालिफबारी' भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है।

इतिहासकार इलियट के अनुसार अमीर खुसरो अपनी कविता 'आशिक' में हिंदी भाषा की प्रशंसा करता और वरान तथा अरबकार में इसके गुण का उल्लेख करता है। अरबी, फारसी और हिंदी की तुलना करते हुए खसरो कहता है— "आपको हिंदी भाषा के शब्द फारसी से निम्नतर नहीं मिलेंगे। पर हिंदी अरबी से निम्नतर है। हिंदी अरबी से इस बात में समान है कि दाना में से किसी में मिश्रण सम्भव नहीं है। यदि अरबी में व्याकरण और शब्द योजना है, जो हिंदी में किंगी प्रकार कम नहीं है।"

डा. युसुफ हुसैन के अनुसार, खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग किया है। कभी कभी यह अपनी फारसी की कविताओं में हिंदी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि कविताये अत्यधिक प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने हिंदी कविताएँ लिखी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उसे अपने भारतीय होने और हिंदी में कविताएँ लिखने पर गर्व था। उसका कहना था— "मैं भारतीय तुक हूँ और तुम्हें हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी का बान करने के लिये मेरे पास मिश्री शककर नहीं है क्योंकि मैं भारत का ताता हूँ, इसलिए मुझसे हिंदी में बात चीत करा तानि मधुरतापूर्वक बोल सकूँ।" प्रायः सम्पूर्ण मध्यकाल में खुसरो की हिंदी कविताओं का उल्लेख किया गया है।

पिंगल साहित्य में प्रारम्भिक नाम अमीर खुसरो का आता है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। पिंगला साहित्य भी उसी के कारण फारसी भाषा के समान उन्नत स्थान पा सका।

डा. रामधारीसिंह दिनकर ने लिखा है कि, 'दिल्ली के आस पास प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सज्जन का काम सबसे पहले, खुसरो ने आरम्भ किया था। अमीर खुसरो ने प्रचलित जन भाषा में रचना करके हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। अतएव वे खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता हुए।

प्रसिद्ध उर्दू शायर, भारतकी 'मीर' ने लिखा है कि मध्यकाल में अमीर खुसरो के हिंदी गीत जन साधारण में अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्होंने फारसी और हिंदी में मिश्रित वाक्यों द्वारा अपने काव्य का सज्जन किया और बाद में पूरे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। उनके काव्य की स्पष्टता का अग्रलिखित उदाहरण विशेष उल्लेखनीय है—

खुसरो रन सुहाग की, जानी पोवा सग ।
तन मेरो मन पीड की, दोड भये एक रग ॥

कहा जाता है कि खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुरु और विख्यात सूफी सत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के उपरान्त उनकी कब्र पर निम्नलिखित दफ्तरी कविता कही थी—

“गोरी सोये सेज पर, मुल पर डाले केश,
चल खुसरो घर आपने, रन भई चहुँ देश ।”

डॉ० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, “भारत का तोता, अमीर खुसरो, कविया का सच्चाट था ।” उसकी कवितायें हृदय और मस्तिष्क में हलचल मचा देने वाली हैं । उसकी काल्पनिक उड़ान, भाषा पर अधिभार, विषया की विभिन्नता, आश्चर्यजनक सौंदर्य, मानव भावनाओं का बखान, प्रेम और युद्ध के दृश्य इतने अद्वितीय हैं कि वे उसको सब समय के सर्वश्रेष्ठ कविया में अग्र स्थान प्रदान करते हैं । कवि होने के अतिरिक्त वह गद्य का लेखक भी था । अस्तु, “खुसरो को पद्यात्मक गद्य का महान् कलाकार घोषित करना पड़ेगा ।” सारांश में, अमीर खुसरो ने पिंगल साहित्य को विकसित किया तथा हिंदी लड़ी बोली का शिलायास किया ।

2 मलिक मोहम्मद जायसी [1475-1542 ई०]

सूफी प्रेम काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि जायसी हैं । अवध में जायस नगर नामक स्थान से सम्बन्धित होने के कारण ‘जायसी’ कहलाय । जायसी एक किसान गृहस्थ के रूप में जायस में रहते थे । वह आरम्भ से बड़े ईश्वर भक्त और साधु प्रकृति के थे । इनका स्वभाव नम्र एवं साधुवत था तथा इनमें दानशीलता एवं एकांतप्रियता के गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे । इनका अमेठी राज्य के दरबार में एक उच्चकोटि के फकीर के रूप में प्रतिष्ठा पाना भी प्रसिद्ध है ।

जायसी की रचनायें विशेष महत्त्व—जायसी मध्ययुगीन साहित्य की परम्परा के प्रवक्तक थे । उनकी प्रमुख रचनायें निम्नलिखित हैं (1) पद्मावत, (2) अखरावत, (3) आखरी कलाम, (4) महरी बाईसी, (5) चित्रावत, और (6) मोस्तीनामा । इनके अतिरिक्त ‘भसदा’, ‘मुकहरानामा’, ‘चम्पावत’, ‘सुखरावत’, ‘लहरावत’, आदि रचनाएँ भी जायसी की बतलाई जाती हैं, किंतु इनमें विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं । डॉ० परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “जायसी का वास्तविक महत्त्व उनके द्वारा प्रेम तत्व के व्यापक रूप का सफल चित्रण करने में ही देखा जा सकता है । उन्होंने इसे भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से प्रकट किया है तथा ऐसा करत समय उन्होंने अलहद अवधि को सशक्त एवं समृद्ध बना दिया है, जिसके लिए हम उनके विरक्तगी रहने ।”

पद्मावत साहित्यिक महत्त्व—'पद्मावत' प्रसिद्ध मसनवी (प्रेम-काव्य), जायसी की प्रौढ रचना है और निश्चय ही प्रौढ अवस्था में लिखी गई होगी। पद्मावत की कथा का प्रमुख आधार इतिहास है। इसकी मूलकथा पद्मावती और रत्नसेन का प्रेम विवाह है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने सिंहल-द्वीप की राजकुमारा पद्मावती के अप्रपूव सौ दय की प्रशंसा सुनकर उससे विवाह किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, परंतु उसे दो बार मुँह की खानी पड़ी। वह छल-पूवक राजा रत्नसेन का बाध ले जाता है। परंतु रानी पद्मिनी एक छल करके उसे छुड़ा मगा लेती है। अन्त में, युद्ध होता है जिसमें राजा रत्नसेन मारा जाता है। परंतु, पद्मिनी जोहर कर लेती है और अलाउद्दीन हाथ मलता ही रह जाता है।

डॉ० के० एस० लाल ने अपने शाध प्रबन्ध में, इस रत्नसेन, पद्मावती और अलाउद्दीन की कथा व युद्ध की घटनाओं को पूरातया काल्पनिक कथा स्वीकार किया है। वस्तुतः इस ग्रन्थ का पूर्वाद्ध पूरातया काल्पनिक तथा उत्तराद्ध ऐतिहासिक है।

पद्मावत एक उत्कृष्ट प्रेम काव्य है जिसे जायसी की रचनाओं में सदा सर्वोच्च स्थान दिया जाता है तथा कदाचित् अन्य सूफी प्रेम काव्यों में यह सर्वश्रेष्ठ है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में, 'इसमें सदेह नहीं कि केवल अपने 'पद्मावत' नाम के प्रमाणों के कारण ही, व श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। उनका समय तक इस प्रकार का काव्य साहित्य का पूरा विकास नहीं हुआ पाया था और इसने आदश केवल इने गिन ही थे। जायसी ने इस रचना शैली की नवीन धारा को अपनाकर बहुत बड़ी सफलता दिखलाई और एक ऐसी सुंदर कृति प्रस्तुत की जो आगे के लिये नमूना बन गयी।' जायसी ने सदेह हिंदी के सूफी कवियों के शिरोमणि हैं, वे अवधि भाषा के महाकवि हैं। पद्मावत में तत्कालीन अवधि का रूप सुरक्षित है।

3 रसखान [1548 ई० जन्म]

कृष्ण भक्त कवियों में रसखान की बड़ी प्रतिष्ठा है। रसखान मुसलमान होते हुए भी बर्णव भाव में तल्लीन रहे। सुलभ सामग्रियों के आधार पर कवि का असली नाम संयद इब्राहीम था। यह दिल्ली के पठान सरदार थे। दूसरा नाम रसखान तो काव्य रचना आरम्भ करने पर प्रचलित हुआ। रसखान का जन्मकाळ 1548 ई० के लगभग माना जाता है। इनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। किंवदन्ती है कि रसखान का प्रेम पहले लाकिक था। कृष्ण की चर्चा सुनकर उन्होंने सच्चे प्रेम का महत्त्व समझा और दिल्ली छोड़कर वे बूदावन और गोकुल की गलियों में घूमते रहे। स्वामी विठ्ठलनाथ ने इन पर कृपा की। रसखान उच्चवर्गीय पठान सरदार थे किन्तु भगवत भक्ति में इन्होंने अपने जीवन के समस्त वैभव को

परित्याग कर दिया था। "व मुमनमान परिवार व हाकर भी मुसलमान न थे। और हिंदू देवता की पूजा अचना करने भी हिंदू न थे। किसी जाति या धर्म विशेष को न अपनाकर उन्होंने उस भक्ति-जाति और प्रेम धर्म का अपनाया जो विश्व व्यापी, सावभौम और विरतन सत्य है। इसलिए रसखान की भक्ति सरस तथा सात्विक है।" वस्तुतः रसखान प्रेम की ऊँची दशा को पहुँचे थे, जहाँ सीमित व घना से ऊपर उठकर सौंदर्य व आनंद के असीम रस राज्य में आत्मा विचरण करने लगती है।

रसखान की रचनायें—रसखान की प्रमुख रचनायें— 'प्रेम वाटिका' तथा 'मुजान रसखान' और 'रस रत्नाकर' हैं। 'प्रेम वाटिका' में दोहा का अधिष्ठान प्रयोग किया है। परंतु 'मुजान रसखान' नामक रचना में सवैया का अधिष्ठान प्रयोग किया है।

रसखान की भक्ति गोपिया की सी भक्ति थी। वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति चाहते थे। उनकी रचनाओं की वस एक चाह है—एक ही आवाधा है, वह है कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना। कृष्ण उनके प्रिय हैं और वे उनके प्रेमी। 'रसखान के रूप, सौंदर्य चित्रण में जो सौंदर्य तमयता, सजीवता और शक्तिमत्ता है वह अन्यत्र नहीं है। रसखान की भाषा ब्रज है।

रसखान ने अपनी कृति 'मुजान रसखान' में कृष्ण के वचन या विचारण किया है। वे कृष्ण और राधा के यमुना तट पर मिलन या वरण करते हैं जब दोनों एक-दूसरे की भोद में वेसुध हो जाते हैं और प्रेमी तथा प्रेमिका एक हो जाते हैं। वे कृष्ण के वचन के सौंदर्य का वरण करते हैं, जो अत्यधिक स्वभाविक है। डा. विनयमोहन शर्मा ने लिखा है 'इनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत मनोहारी वरण हुआ है। यह कवि अपने प्रेम की तमयता, भाव विह्वलता और आसक्ति व उत्साह के लिये उतना प्रसिद्ध है, जितना अपनी भाषा की भाषिकता, शब्द-चयन तथा व्यंजन शैली के लिये रसखान ने अपनी रससिक्त रचनाओं से अपना नाम साधक कर दिया है।'

4 अब्दुर्रहीम खानखाना [1556-1626]

अकबर की दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वह उच्च कोटि के कवि और विद्वान थे। समस्त समकालीन कवियों से उनका सम्पर्क था। वह स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। केशव आसकरण मण्डन, नरहरि, गगन जैसे कवियों ने इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। अपनी उदारता के कारण जीवन का अंतिम दिना में यह निधन ही बन चुके थे।

इनका जन्म सन 1556 ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम बरमखान था जो सम्राट अकबर का अभिभावक थे। जब रहीम बचकर 5 वर्ष की आयु के थे तब गुजरात के पाटन नगर में उनके पिता की हत्या कर दी गई। तभी से उनका पालन पोषण अकबर ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया। इनकी कायक्षमता से

प्रभावित होकर अबबर न इनको 1572 ई० म पाटन नगर की जागीर प्रदान की । अपनी कायक्षमता, योग्यता तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण रहीम निरंतर उन्नति करते रहें । 1584 ई० मे इन्हें 'खानखाना' की राजकीय उपाधि तथा पाच हजारी मसब दर अबबर ने सम्मानित किया । वह दक्षिण के सूबेदार भी रहें । 1626 ई० म 70 वष की अवस्था मे उनकी मृत्यु हुई ।

रहीम की रचनाएँ—समीक्षा—रहीम की कुल मिलाकर 13 रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । 'इन्के प्राय 300 दोहे 'दोहावली' नाम स संग्रहित ह । दोहे मे ही रचित इनकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है । इसम विभिन्न चातिया की स्त्रिया का श्रु गारिक बणन है । 'डा रचताया के अतिरिक्त उनकी अन्य रचनायें—'बरवनायिका भद, श्रु गार तोरठ, 'रहीमसतसद, मदनाष्टक', 'रहीम रत्नावली', रहीम विलास 'रास पनाध्यायी' आदि ह ।

रहीम की कल्पना शक्ति महान थी जिसकी छाया इनकी कविताओ म मिलती है । सरस्वति का निवास रहीम की वाणी मे था । इनके दोहे सरल भाषा म हैं जो महत्त्वपूर्ण ह । इनकी फारसी कविताएँ भी उच्चकोटि की हैं ।

डा रामचंद्र तिवारी के शब्दो म कहा जा सकता है कि 'रहीम के काव्य के मुख्य विषय श्रु गार, नीति और भक्ति ह । इनकी विष्णु और गंगा सबधी भक्ति-भावमयी रचनाएँ बष्णव भक्ति आन्दोलन से प्रभावित होकर लिखी गयी हैं । नीति और श्रु गार परक रचनाएँ दरवारी वातावरण के अनुकूल हैं । रहीम की ग्याति इही रचताया के कारण ह । बिहारी और मनिराम जैसे समय कवियो ने भी रहीम की श्रु गारिक उत्क्रिया से प्रभाव ग्रहण किया ह । व्यास, व द और रसविधि आदि नीति विषयक दोहे रहीम स प्रभावित होकर लिखे गये हैं । रहीमक 'अज और कवियो के सबधी दोनो पर समान अधिकार था ।' साराश मे रहीम का काव्य उनके सहज उद्गारा की अभिव्यक्ति है । इन उद्गारा म इनका दोगकालीन अनुभव निहित है । वे सच्चे और सवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे । जीवन मे आने वाली कष्ट मधुर परिस्थितियो न इनके हृदय पट पर जा बहु विधि अनुभूति की रेखाएँ अंकित कर दी थी, उ ही के अकृतिम अकन म इनक काव्य की रमणीयता का रहस्य निहित है ।

5 उसमान

जायसी की भाति उसमान कवि भी प्रेम के चित्रण मे अधिक सफल हुय हैं । यह गाजीपुर के निवासी थे । इनके पिता का नाम शेख हुसैन था । ये मुगल सम्राट जहाँगीर के समकालीन थे ।

उसमान ने 'चित्रावली' नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की । चित्रावली म जायसी का अत्यधिक अनुकरण किया गया है । अ तर इतना ही है कि उसकी कहानी सबथा काल्पनिक ह और जायसी की कुछ एतिहासिक है । उसमान ने 'चित्रारली' म सुजान कुमार की प्रेम गाथा लिखी है जो कवलावती और चित्रावली नामक राजकुमारियो से विवाह करने म समय होते हैं । इस काव्य म बीजापुर नगर

की विस्तृत बरण है। कविता के एक भाग में जा जोगी खण्ड कहलाता है, उसमें वावुल, खुरासान, गुजरात, लका, बदर्शा तथा भारत का भी बरण है। उसमान की रचना तत्कालीन सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालती है। कवि के तिस्रन का ढग भाकपक तथा मधुर है। उ हाने जहागीर की 'मायप्रियता, उसके दरबार में जाने वाले विदेशिया आदि का भी बरण किया ह। श्री रामपूजन तिवारी के शब्दा में कहा जा सकता है कि, "कवि की दृष्टि से हिंदी के सूफी कवियों में जायसी के बाद उसमान को ही स्थान दिया जा सकता है। चित्रावली' में पद पद पर कवि की काव्य प्रतिभा वाग्वंदग्य और रचना कौशल का परिचय मिलता है।"

निष्कष—यह केवल प्रेम का ही स्वटर नहीं था कि मुसलमान कविया ने हिंदी में रचनाएँ की आर घपनी योग्यता का परिचय दिया। यथाय म, यह स्पष्ट करता है कि हिंदू व मुसलमानों में घनिष्ठ प्रेम सम्बन्ध था। यदि सौ दय बरण में एक तरफ महाकवि तुलसीदास व सूरदास हैं, तो दूसरी तरफ रहीम रसखान तथा आलम' कवि भी हैं, जिहान हिंदी कविता और साहित्य को समुन्नत किया है।

□□□

भक्ति आन्दोलन

[The Bhakti Movement]

- I भक्ति आन्दोलन उदय के कारण
- II भक्ति आन्दोलन की विशेषतायें और प्रभाव
- III भक्ति आन्दोलन के प्रवक्त क सन्त

I भक्ति आन्दोलन उदय के कारण

“मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय की एक महत्वपूर्ण देन भक्ति आन्दोलन है।”

—प्रो० बी० एम० सूनिघा

डा० ए० एल० श्रीवास्तव ने लिखा है कि “दिल्ली सुल्तानों के काल (1206-1526 ई०) में कई हिन्दू सन्तों और सुधारकों ने धर्म सुधार के आन्दोलन का सूत्रपात किया। इस आन्दोलन ने भक्ति पर जोर दिया। इसलिए इसे भक्ति आन्दोलन कहा गया।” भक्ति मार्गीय साधना के उदभव एवं विकास को इतिहासकारों ने आन्दोलन या धर्म-सुधार की संज्ञा दी है।

उत्पत्ति और विकास—भारतवर्ष में भक्ति के विचारों की उत्पत्ति के लिए विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव का मत है कि यह आन्दोलन पूण्यतया नवीन न था और इसकी प्रगति का श्रेय इस्लाम को उर्ही था। इस आन्दोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारम्भ होता है जिन्होंने हिन्दू धर्म को एक ठोस दार्शनिक भूमि प्रदान की थी। सेनाट का भी मत है कि भारत में भक्ति की जड़ें बहुत गहरी हैं। वनों के देव गीत अगाध भक्ति से भरे हुए हैं। हिन्दू और प्राचीन ग्राय भी देवताओं के सामने भक्ति से नतमस्तक हो जाते थे। बाय ने भी कहा है कि भक्ति आन्दोलन एक भारतीय घटना है, जिसकी जड़ें हिन्दुओं के धार्मिक विचारों में थीं। डा० यूसुफ हुसन ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति का जन्म बिल्कुल स्वाभाविक रूप में भारत में हुआ। भारत में जिस प्रथम में भक्ति समझी जाती थी, वह प्रेम से परिपूर्ण है।

परन्तु, अनेक विद्वान उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि मध्यकालीन भक्ति प्रादोलन इस्लाम धर्म की देन है। इस्लाम धर्म की सादगी, मति-पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद में विश्वास, जाति-पाति के विरुद्ध सभी बातें इस्लाम धर्म की विशेषताएँ थीं, जिसे भक्ति प्रादोलन के सतत ने अपनाया था। मुस्लिम धर्म से सम्पर्क के कारण भक्ति प्रादोलन की भावना को प्रोत्साहन मिला और जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हमें नामदेव, दादू, कबीर और नानक की शिक्षाओं में परिलक्षित होता है जिन्हें हमें हिन्दू तथा मुस्लिम विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दर्शित होता है।

1. श्री प्रा० हरिवंश वेदालाकार के अनुसार भारत में इस्लाम धर्म का शांति-पूर्वक प्रवेश दक्षिण भारत में हुआ। वही सां धार्मिक सुधार और दोलनों का धुरा हाना सूचित करता है कि इनको इस्लाम से कुछ परछाया अवश्य मिली। इस्लाम के अनुयायियों की उपस्थिति ने जाति भेद, धार्मिक जीवन और ईश्वर के अस्तित्व आदि विषयों पर लोगों का विचार करना के लिए उत्तेजित किया। एकेश्वरवाद और समानता आदि के विचार हिन्दू-धर्म में पहले से ही विद्यमान थे, किन्तु इस्लाम से उन्हें बल मिला।

1. डा० ताराचंद ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव' में लिखा है कि 'भक्ति इस्लाम के प्रारम्भिक काल में ही पश्चिमी समुद्र तट पर आकर बसने वाले धरवा की देन है। इस्लाम के आगमन के पूर्व एकेश्वरवाद भारत में था ही नहीं और शबर जस आचार्यों की शिक्षा पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा है।'

1. प्रो० बी० एन० लूनिया का कथन है कि इस्लाम और हिन्दू धर्म के परस्पर ससर्ग के महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए। इस सम्पर्क से कुछ ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ जो हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के भेद भाव का मिटाने वाले थे और जिन्होंने हिन्दू धर्म के सुधार-आंदोलनों का रूप ले लिया। इस्लाम विश्व-व्युत्पत्त-का सदेश देता है, धर्म की सादगी का समर्थन करता है एवं एकेश्वरवाद का उपदेश देता है। इस्लाम के ये सिद्धांत दार्शनिक हिन्दू मस्तिष्क पर चेतन या अचेतन रूप में अपना प्रभाव डालने लगे और इन्होंने इतिहास में धार्मिक सुधारों के नाम से प्रसिद्ध होने वाले सतत उपश्रवणों, उदार आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। विशिष्ट-विस्तृत वातावरण में कतिपय मतभेदों को छोड़कर ये सुधारक उदार भक्ति-सम्प्रदाय के समर्थक थे।

1. भक्ति आंदोलन के दो काल—डॉ० यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि भक्ति आंदोलन को दो स्पष्ट कालों में विभाजित किया जा सकता है।

1. (1) प्रथम काल (प्राचीनकाल में 13वीं शताब्दी ई० तक) यह काल 'भगवद् गीता' के समय से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, जबकि इस्लाम धर्म ने भारत के आन्तरिक भागों में प्रवेश किया था। इस काल में भक्ति, व्यक्तिगत भावना

थी। यह भक्ति वासुदेव अर्थात् सर्वोच्च ईश्वर के प्रति थी। 'भगवद्गीता' का उद्देश्य किसी निश्चित ऋशा या धर्म का निर्माण न करके हिंदू धर्म के विभिन्न अंगों का समन्वय करना था। इस समन्वय का आधार भक्ति था।

(2) द्वितीय काल (1 वीं सदी से 16वीं सदी तक)—यह काल सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का काल है। इस काल में इस्लाम और हिंदू धर्म सम्भव के कारण प्रबल मानविक जाति हुई, जिसका प्रभाव प्रायः सभी अंगों पर पड़ा। इस काल में सुधार आंदोलन का प्रारम्भ पहिले दक्षिण भारत में हुआ फिर उत्तर भारत में। दक्षिण में रामानुज ने लोगों को त्याग की भावना के माध्यम से उच्च रहित भक्ति करने का उपदेश दिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवक्तव्य रामानुज थे, उन्हें जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं था और उन्होंने सभी जातियों के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। बंगाल में चतुर्थ ने लोगों को कृष्ण से प्रेम करने और उसकी भक्ति करने की शिक्षा दी। तैलंग ब्राह्मण बल्लभाचार्य का मत था कि ब्राह्मण और अन्य व्यक्ति की आत्मा में कोई अंतर नहीं है और मनुष्य की आत्मा को केवल भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। महाराष्ट्र के नामदेव ने ईश्वर की एकता प्रवृत्त दी। उनका यह विश्वास था कि केवल ईश्वर प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर से एकता प्राप्त हो सकती है। रामानुज ने शिष्य कथोर ने ध्यान और उसमें सहयोग तथा समन्वय की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। पंजाब के गुरु नानक ने कबीर के समान सब धर्मों की मौलिक एकता और हिंदू मुसलमानों के अन्तर्गत परतल दिया। इस तरह, यह "मध्ययुग का भक्ति आंदोलन इस्लामी संस्कृति के हिंदू समाज पर प्रथम प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है।"

भक्ति आन्दोलन के उदय के कारण

1 शंकराचार्य का अद्वैतवाद ज्ञान मार्ग—दक्षिण भारत में, सातवीं शताब्दी में हुए शंकराचार्य ने 'अद्वैतवाद के सिद्धांत' का प्रसार किया। उनका कथन था कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, पर माया से घिरे रहने के कारण आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं हो पाती है। यह तभी सम्भव है जब मनुष्य ज्ञान मार्ग का अनुसरण करे। परंतु साधारण मनुष्यों के लिए इस ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना कठिन था, वह उनकी समझ से बाहर था। वे ऐसे मार्ग की खोज में थे जो उनके हृदय और अस्तित्व दोनों का सतोष दे। अतः जैन साधारण ने मध्यकाल में प्रतिपादित भक्ति मार्ग को अपनाया क्योंकि वह अपेक्षाकृत सरल और रुचिकर था। इस तरह डा. यूसुफ हुसैन के शब्दों में, भक्ति आंदोलन को अपने विकास के लिए उचित वातावरण मिला।

11 वेदिक धर्म का जटिल रूप ब्राह्मणवाद का खोजलापन—वेदिक धर्म की शिक्षा केवल रक्षात्मक थी। ब्राह्मणवाद मूलरूप से एक बौद्धिक सिद्धांत बनकर

रह गया था तथा अपने आप में नीरस था, उनकी शिक्षाएँ कात्पनिक और समझ से बाहर थी। इ ही परिस्थितियों में भक्ति प्रेम मिश्रित ईश्वर भजन के आंदोलन ने एक अनुकूल वातावरण पाया।”

3 जाति व्यवस्था की कठोरता—पूर्व मध्यकाल में भारतवर्ष में हिंदुओं की जाति प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया था। निम्न जातियों के व्यक्तियों को न केवल घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, वरन् उन पर अत्याचार भी किये जाते थे। जबकि भक्ति-मार्ग में जाति भेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। भक्ति आंदोलन के अनेक सतों के शिष्यों में सभी जातियों के व्यक्ति और मुसलमान भी थे। इसके फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का मार्ग प्रशस्त होता चला गया।

4 इस्लाम का प्रभाव—बहुत से विद्वान भक्ति आंदोलन का कारण इस्लाम धर्म बतलाते हैं। डॉ० रमेशचंद्र भज्जमदार ने लिखा कि “इस्लाम की प्रजातान्त्रिक और उदार भावनाओं ने इस आंदोलन को विशेष रूप से प्रभावित किया। डॉ० जदुनाथ सरकार के मतानुसार, “यह वास्तविकता है कि मध्यकालीन भारत के इस विवादास्पद आंदोलन को उनके अत्यंत पड़ोस में मुसलमानों की उपस्थिति में बड़ी प्रेरणा मिली।” इस्लाम जाति पाति का विरोध करता है और मूर्ति पूजा को महत्त्व नहीं देता जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे।

II भक्ति आंदोलन की विशेषताएँ और प्रभाव

भक्ति आंदोलन देश की तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन था। बड़े बड़े सत्त एवं साधु जिसमें सहयोग करने को तत्पर हुए। ऐसा शक्तिशाली आंदोलन निश्चय ही तत्कालीन व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। इसमें किसी एक वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित न होकर सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। अतः इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक रहे। डॉ० यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि “इस आंदोलन ने न केवल दानों वर्गों (हिंदुत्व और इस्लाम) के निष्ठावान व्यक्तियों के मिलन के लिए एक सगम-भूमि तैयार की, अपितु मानव की सावभौम एकता का प्रचार किया तथा खुले रूप में कुसकारों और क्रूर धरण व्यवस्था का खण्डन किया। मौलिक रूप से यह आंदोलन नया था तथा मूल रूप से प्राचीन परम्पराओं और धार्मिक प्रभुत्व के विचारों से भिन्न था।”

भक्ति आंदोलन राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित था। इस आंदोलन में वे सत्त और महात्मा सम्मिलित हुए थे, जो कट्टर धर्मानुयायी न होकर एक उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये वे लोग थे जो मनुष्य के बीच धर्म अथवा जाति की मनुष्य द्वारा खड़ी की गयी दीवारों के अस्तित्व को स्वीकार करने को तयार नहीं थे। वे जमकर धर्म के ठेकेदारों का विरोध कर रहे थे और मानवीय समानता को खुला समर्थन दे रहे थे। इससे देश में राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म मिला। शासन व समाज में ऐसा तत्त्व सामने आया जो हिंदू मुस्लिम एकता को अर्द्धी नजर

से देवता था और मानवता को धार्मिक बंधमुत्थापन से दूर ले जाना चाहता था। यही कारण है कि रसाखान का, मुस्लिम पठान होते हुए भी, हिन्दुओं ने भक्तता की धोखी में रखा। इसी तरह, मुसलमानों ने भी—नाटक और दाबूदमाल को थप्पा के फूल चढाये। कबीर जैसे सत सत्क की मृत्यु पर हिन्दू मुस्लिम दाना घम के लोका ने धामू बहाय। वास्तव में, यही वह राष्ट्रीयधारा है जिसको अकबर बादशाह ने आगे चलकर अपनी राज्य शासन की नीति के रूप में स्वीकार किया।

भक्ति और दोलन की विशेषताएँ—भक्ति और दोलन के सतों के उपदेशों में कुछ सामान्य विशेषताएँ मिलती हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाओं का सारांश इस प्रकार है

1 धार्मिक सकीणता का विरोध—भक्ति और दोलन ने धार्मिक सकीणता के बंधना को तोड़ने पर बल दिया और लिंग, घम, वर्ण, जाति, स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण गब्राह्मणों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया। इस और दोलन के सत मनुष्यमात्र को एक मानते थे।

2 जात-पात से ऊँच नीच के भेदभाव का खण्डन—इन सतों ने भक्ति के आधार पर सबकी समानता का प्रतिपादन किया। उनमें जाति पाति को महत्व देने जसी धुंध प्रवृत्तियाँ नहीं थीं। उन्होंने जात पाति और ऊँच नीच के भेदभाव का खण्डन कर सामाजिक क्षमता की घोषणा की। स्वामी रामानन्द का तो मूलमंत्र था

“जात पात पुछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई।”

इस शिक्षा को द्विजतर जातियों ने बड़े ही उत्साह से ग्रहण किया।

3 ईश्वर की एकता पर बल—इस और दोलन में भाग लेने वाले, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने के बजाए एक ईश्वर में विश्वास करते थे। यह सत्य है कि उनमें कोई निगुण ब्रह्म का उपासक था, तो कोई सगुण ईश्वर का, परन्तु सबका मूल उद्देश्य सवशक्तिमान भगवान की उपासना करना मात्र था। उन्होंने सभी धर्मों की आधारभूत समानता का उपदेश दिया तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया।

4 मूर्ति पूजा का खण्डन और विरोध—भक्त सतों ने मूर्ति पूजा में कोई रुचि नहीं दिखायी और कुछ सतों ने तो स्पष्ट विरोध किया, जिनमें कबीर प्रमुख थे। उनके अनुसार—

“पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूँ पहार।

ताते या चाकी भली, पीम खाये ससार।

भक्त विसोवा खेचर ने प्रत्यक्ष मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा था,

“पत्थर का देवता तो बोलता तक नहीं, फिर भला हमारे इस जीवन के दुखों को

कसे दूर कर सकता है ? यदि वह हमारी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति रखता तो स्वयं गिर जाने पर टूट क्या जाता ?”

5 कमकाण्ड तथा आडम्बरो का विरोध—भक्ति आन्दोलन के प्रवक्तव्य धार्मिक कम काण्ड, अंधविश्वास तथा आडम्बरो के विरोधी थे। नभी भक्त मता का मोक्ष के एक मात्र माध्यम के रूप में, भक्ति माध्यम में घट्ट विश्वास था। उहाने मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रेमपूर्वक शरणागति को सर्वोत्तम साधन बताया। भक्ति आन्दोलन का स्वरूप अत्यन्त सरल तथा आडम्बरहीन था। सरल रूप में भगवान् के प्रति प्रेम तथा सच्चे हृदय से भक्ति करना, उस मत का प्रमुख आधार था। उनका मत था कि “सच्चा धर्म दाशनिकी, पंडितों और पुरोहिता के कठोर सिद्धांतों और मिथ्या वादानुवाद से नहीं है और न गिर्यक कमकाण्ड में, बल्कि ईश्वर के प्रति आत्म भक्ति में है।”

हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल—भक्ति आन्दोलन ने अधिकांश सत प्रसाधन प्रदायिक थे। व किसी भी सम्प्रदाय अथवा अंधविश्वास के कट्टर अनुयायी न थे। उहोने हिन्दू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। भक्ति आन्दोलन के कबीर, नानक, दादू आदि सत्ता ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच भेद की लार पाटने का प्रयास किया। उहोने दोनों धर्मों के बाल्य भेद, रुद्धिया और आडम्बरो का खण्डन करते हुए मूलभूत आंतरिक एकता पर बल दिया और हिन्दू मुस्लिम धर्मों की भेदों की पृथक्ता का खण्डन किया। इस तरह उहाने हिन्दूत्व और इस्लाम की मूलभूत एकता पर बल दिया।

7 जन-भाषा का प्रयोग—इस आन्दोलन के सत्ता ने अपने उपदेश साधारण बोल चाल की भाषा में किये। जो सत्ता जिस प्रांत का निवासी था, उसने वही की सामान्य भाषा को अपनाया। भक्ति मार्ग के सत्ता ने महात्मा बुद्ध और महावीर की भाँति जन भाषा का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप इस आन्दोलन के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार हुआ। कबीर तथा नानक ने हिंदी, नानक ने पंजाबी, मीरा ने राजस्थानी, नरसी मेहता ने गुजराती तथा चतुर्धन ने बंगाली भाषा में काव्य रचना की।

8 सत्यास-धारण करने का विरोध—इस आन्दोलन के प्रवक्तव्य कमकाण्ड तथा आडम्बरो के तों विरोधी थे ही, परंतु सत्यास लेन के पक्ष में उहो थे। उनके विचार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिये सत्यास ग्रहण करना आवश्यक नहीं था। यदि व्यक्ति का आचरण पवित्र है और उसके हृदय में भगवान् के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वह गहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कबीर, नानक, रदास आदि सत्ता ने गहस्थ मो रहते हुए भक्ति-प्रचार किया।

9 कुप्रथाओं का विरोध—इस आन्दोलन के समर्थकाने मती प्रथा दास प्रथा और शिशु हत्या जसी सामाजिक कुतियों की समुत्पन्न नष्ट करने का प्रयास किया।

10 जनवादी आन्दोलन—इसे न तो राज्यधन प्राप्त था और न उच्च बग का समयन। यह एक जनवादी आन्दोलन था और जन साधारण ने इसको पूरा-पूरा सहयोग दिया।

भक्ति आन्दोलन प्रभाव और परिणाम

भक्ति आन्दोलन ने सम्पूर्ण भारत को प्रभावित किया और उसका प्रभाव अनेक शताब्दियों तक कायम रहा। पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय उत्तर प्रदेश से लेकर कयाकुमारी तक भारत का कोई भी भाग ऐसा न था जहाँ पर यह आन्दोलन लोकप्रिय न हुआ हो। डॉ ए एल श्रीवास्तव ने ठीक ही कहा है कि, "यह जन आन्दोलन था और इसने लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया था। शायद बुद्ध-धर्म के पतन के पश्चात् भक्ति आन्दोलन जसा देशव्यापी जन आन्दोलन हमारे देश में दूसरा नहीं हुआ था।"

प्रो बी एन लूनिया के अनुसार, इस्लामी समाज का उदाहरण हिन्दुओं के ईर्ष्या द्वेष का मलाने वाला पदाय था। सभी सुधारकों ने जाति प्रथा को निंदा की, बहुदेववाद और मूर्ति-पूजा का खण्डन किया और सच्चा धर्म सात्त्विक आचरण एवं पवित्र जीवन का समयन किया। उनका कथन था कि सच्चा धर्म निरर्थक आडम्बरों से निहित नहीं है, पर भक्ति व ईश्वर के पवित्र प्रेम में है। ईश्वर तो हिन्दुओं और मुसलमानों, चाण्डालों और ब्राह्मणों सभी का है और उनमें सम्मुख सब समान हैं। उन्होंने प्रेम व दया से पूर्ण अपने उपास्य देव की भक्ति का उपदेश दिया और उसी को मुक्ति का साधन बतलाया।

इन सतों ने अपने उपदेशों से जनता के मस्तिष्क को पण्डितों, पुजारियों और मौलवियों के हाथ से मुक्त करने में सहायता दी, धार्मिक पक्षपात, कट्टरता और असहिष्णुता को कम करने का प्रयत्न किया, धार्मिक कमकाण्ड और बाह्या-दम्बर की निस्सारता प्रदर्शित की बहुदेव पूजा की रोकथाम की एवं एकेश्वर का पुनः प्रचार किया। उन्होंने हिन्दू वर्ण व्यवस्था को कट्टर अनुदार व अपरिवर्तनशील भावनाओं से मुक्त किया निम्न श्रेणी के लोगों के लिए आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्तरों को ऊँचा उठाया जन्म की श्रेणी कम का अधिक महत्त्व दिया एवं समाज में उदारता, सहनशीलता, दान आदि की उच्चतम भावनाओं का प्रसार किया। वास्तव में उन्होंने, "देश को विचार और कार्य दोनों ही दृष्टियों से ऊँचा उठाने तथा क्षमताशील बनाने में सफलता प्राप्त की।"

भक्ति आन्दोलन मध्य कालीन भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना है। यह एक जन आन्दोलन था जिससे देश में धार्मिक व सामाजिक चेतना की एक नई लहर उत्पन्न हुई। भक्ति-आन्दोलन का हिन्दू समाज पर गहरा प्रभाव रहा। इसके परिणाम भी महत्त्वपूर्ण निकले जो अग्रानुसार हैं -

1 समानता की भावना का उदय—हिंदू समाज में समानता के सिद्धान्त का समर्थन किया जाने लगा और लोग वा जात-पात तथा ऊच नीच में विश्वास कम हो गया ।

2 मूर्तिपूजा में कमी—इस आन्दोलन में मूर्ति पूजा समाप्त नहीं हुई, पर कम अवश्य हो गई । लोगो में यह धारणा प्रवृत्त हो गई कि मूर्तियों की पूजा निरर्थक है ।

3 ब्राह्मणों में अविश्वास—अथ धार्मिक कम-बाण्डा व सामाजिक बाह्य ब्राह्मणों में लोगो की आस्था न रह गई ।

4 ब्राह्मणवाद के प्रभाव का पतन—भक्ति आन्दोलन के विस्तार में ब्राह्मणों की पौराणिक परम्परागत प्रभुता तथा धार्मिक क्षेत्र में उनके एकमात्र अधिकार का अन्त हो गया ।

5 निम्न जातियों का उत्थान—अथ समाजों में निम्न जातियों को भी ऊँचा उठने और भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार मिल गया ।

6 धार्मिक सहिष्णुता का विकास—इस आन्दोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को जन्म दिया । इसके फलस्वरूप भारतीय समाज में दो मुख्य अंगों—हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य और समन्वय की भावना उदय हुई । परिणामतः भारत के सामाजिक जीवन में समृद्धि स्थिरता और शांति दृष्टिगोचर होनी लगी । ऐसे ही वातावरण में मुगल साम्राज्य की, सौलहवीं शताब्दी में स्थापना हुई थी ।

7 जन भाषाओं की अभूतपूर्व उन्नति—अधिकांश भक्तों व धर्म व समाज सुधारकों ने इस काल में लोगो को अपने अपने प्रदेश की जन भाषाओं में उपदेश दिए । भक्ति आन्दोलन के कारण अनेक शीतों और पदा ने गुजराती एवं राजस्थानी में, चण्डीदास तथा चैतन्य ने बंगला में, एकनाथ और नानेश्वर न मराठी में, कबीर, जायसी व रसखान ने हिन्दी में, तुलसी ने अवधी में, मुरदास ने वृज भाषा तथा नानक ने पंजाबी में अपनी रचनाएँ की । इस तरह भाषाओं के साहित्य की सम्पन्नता में वृद्धि हुई ।

निष्कर्ष—इस तरह भक्ति आन्दोलन का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस आन्दोलन के कारण हिंदू जाति के निराश हृदय में आशा का संचार हुआ । इसके प्रभाव से अनेक सामाजिक कुरीतियों का नाश हुआ तथा राष्ट्रीय विचारधारा को शक्ति प्राप्त हुई । धर्म का रूप शुद्ध एवं सात्विक बन गया । उसमें व्यर्थ के कमकाण्ठों एवं बाह्य ब्राह्मणों का महत्त्व कम हुआ । लोगो में भक्ति भावना का जोर बढ़ता गया ।

डा० मूसुफ हुसैन ने ठीक ही लिखा है कि “भक्ति आन्दोलन ने ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के महत्त्व के विषय में एक नया सामाजिक संदेश दिया । साथ ही नये सामाजिक तथा आध्यात्मिक आदर्शों की भक्ति का अनुसरण करके

उपयुक्त साधन बनाने के लिए प्रचलित हिंदू भ्रातृदोलन ने दलित वर्ग के लिए मुक्ति का माग खोल दिया। सब साधारण म धार्मिक कट्टरता के स्थान पर उदारता लगी। इससे धार्मिक, सामाजिक तथा दर्शनिक क्षेत्र में समन्वयकारी प्रवृत्तियाँ कायम मिली।

III भक्ति भ्रातृदोलन के प्रवर्तक सन्त

मध्य काल में इस्लाम और हिंदू धर्म के परस्पर ससंग से अति महत्व-माली परिणाम हुए। इस सम्बन्ध में डॉ० मजूमदार, राय चौधरी एवं दत्त ने लिखा है "इस्लाम के कुछ प्रजातन्त्रीय सिद्धांतों ने हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रवेश किया और कुछ धार्मिक उपदेशकों की अध्यक्षता में उदार भ्रातृदोलनों को जन्म दिया। विस्तार में कुछ अंतरों के अलावा ये सब सुधारक उदार भक्ति सम्प्रदाय के निवेशक थे।" कुछ प्रमुख सन्त इस प्रकार हैं

रामानुज—भक्ति भ्रातृदोलन के सबसे पहले समय में रामानुज थे, जिनके सिद्धांत भक्ति के आधार बन गए। रामानुज का जन्म दक्षिण में मद्रास के पास तिरुपति में 1060 ई० में हुआ और इनकी शिक्षा काल काजीवरम में बीता। अपनी विद्वता के कारण वे शीघ्र ही महान् ब्रह्मण्य आचार्य यमुनामुनि की गद्दी के उत्तराधिकारी हो गये और त्रिचनपल्ली के समीप श्रीरंगम उनका प्रमुख केन्द्र बन गया। उनका जीवन बहुमुखी था एवं काय क्षेत्र व्यापक था। उन्होंने ब्रह्मण्यो का सत्त्वाबद्ध रूप में संगठन किया। उनके सतत् सफल प्रयासों से ब्रह्मण्य-मत की नींव दृढ़ हो गई और उसने स्थायी रूप ले लिया।

रामानुज सुधारक थे। उनका मत था कि "समाज में पुरुष अथवा स्त्री को चाहे जो भी दशा हो, परमात्मा के समीप सभी समान हैं, शत यह हैं कि वे सदैव जीवन का पालन करते हैं।" उनके अनुसार, एक शुद्ध अत्यंत भी भक्ति, और प्रेम के माध्यम द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने शूद्रा को एक निश्चित दिवस पर मंदिर प्रवेश की अनुमति दे दी।

उन्होंने ब्रह्मण्य नाम के अतन्त एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और शंकराचार्य के अद्वैत मत का खंडन किया। ईश्वर में अनन्य भक्ति को ही उन्होंने मुक्ति का एकमात्र साधन बतलाया। उनका मत था कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न हैं। यद्यपि आत्माओं का समुदाय आग स चिनगारी के समान उसी से होता है। मनुष्य की आत्मा ईश्वर से इस प्रकार निकलती है, जिस प्रकार आग से चिनगारी। उन्होंने निराकार ईश्वर का प्रतिरोध करते हुए कहा कि ईश्वर में अनेक विशिष्ट गुण हैं, भक्त जिनका ध्यान कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उनका सिद्धांत "विशिष्ट द्वैत" नाम से प्रख्यात है। उन्होंने लोगों को त्याग भावना के साथ इच्छा रहित भक्ति का उपदेश दिया। उनका विचार था कि बिना मन की एकाग्रता तथा भक्ति के मोक्ष प्राप्ति सम्भव नहीं है।

माध्वाचार्य—दक्षिण के अथ प्रसिद्ध उपदेशक माध्वाचार्य थे जो दक्षिण कन्नड में उद्विपी नामक स्थान के निवासी थे । ये विष्णु के उपासक थे और शिव को कोई महत्त्व नहीं देते थे । उनके सिद्धांत के अनुसार ज्ञान से भक्ति होती है और मनुष्य का अंतिम उद्देश्य हरि का प्रत्यक्ष दर्शन है जिससे माया भी प्राप्त होती है । उनका मत था कि “सुखो-दुखो की स्थिति कर्मानुसार होने, से उनका अनुभव सभी के लिए अनिवाय है । इसलिए सुख का अनुभव करने समय भी भगवान को न भूलो तथा दुःख काल में उसकी निन्दा मत करो । वेद शास्त्र सम्मत कम-मांग पर अटल रहो । कोई भी कम करते समय बड़े दीन भाव से भगवान् का स्मरण करो । भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत के माता पिता हैं । इसलिए अपने सारे कम उही को अर्पण करने चाहिए ।”

बल्लभाचार्य—अन्य प्रसिद्ध ब्रह्मण सत्त बल्लभाचार्य थे जो कृष्ण सम्प्रदाय के सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रवक्तक माने गये हैं । ये दक्षिण के तलग ब्राह्मण थे और अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विद्वता से शीघ्र ही विद्वानों में प्रसिद्ध हो गये । उन्होंने शारीरिक यातनाएँ, वैराग्य और ससारत्याग का उपदेश दिया एवं सर्वोपरि परमात्मा के साथ अपनी आत्मा व विश्व के सम्पूर्ण एकीकरण पर बल दिया । उन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और पुष्टि मांग की स्थापना की । उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खण्डन किया और लोगों को बतलाया—“जीव उतना ही सत्य है, जितना कि ब्रह्म । फिर भी वह ब्रह्म का अंश और सेवक है । जीव को भगवान की भक्ति के बिना शांति नहीं मिल सकती है । भगवान् श्री कृष्ण ही परमब्रह्म है ।” डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव के मतानुसार, “बल्लभाचार्य के उपदेशों में एक भावात्मक प्रेरणा थी और इस प्रेरणा ने ब्रज, राजस्थान और गुजरात की कला और काव्य को बहुत ही ऊँचा उठाया । वास्तव में बल्लभाचार्य के विचारों ने केवल धार्मिक जागृति ही उत्पन्न नहीं की, बल्कि संगीत, काव्य, नृत्य और चित्रकला में भी महान पुनरुत्थान का श्रीगणेश किया ।”

बल्लभाचार्य का अधिकारा जीवन ब्रज में व्यतीत हुआ । उनका एकेश्वरवाद “शुद्ध ब्रह्म” नाम से प्रसिद्ध है । प्रो० धी० एल० लूनिया के अनुसार, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायियों ने इस सिद्धांत का भौतिक अर्थ लगाया । अतएव उनके सिद्धांतों में दुर्गुण उत्पन्न हो गये और उनकी भौतिक पवित्रता व सरलता विनष्ट हो गयी । अपने पतितरूप में यह इन्द्रिय सुख में निरत रहने वाली वा विषयासक्त धम हो गया ।

रामानन्द [1356-1410 ई०] उपदेश की विशेषताएँ

14वीं शताब्दी तक सभी धर्म गुरु दक्षिण भारत में ही हुए थे । पर 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक प्रसिद्ध आचार्य का जन्म हुआ । यह आचार्य रामानन्द थे । वे रामानुज के बाद ब्रह्मण

धर्म के पाचवें गुरु थे। उत्तर भारत में ब्रह्मण्य धर्म के प्रसार के लिए वही अधिक उत्तरदायी हैं। उन्होंने जाति प्रथा का खण्डन किया और बिना किसी भेद भाव के सभी वर्गों और जातियों से लोगो को अपना शिष्य बनाया। उनके प्रमुख शिष्यों में एक नाई, एक मोची व एक मुसलमान था। उन्होंने ईश्वर के सम्मुख मनुष्य की समानता का उपदेश दिया। व पहले सुधारक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग किया और इस प्रकार जन साधारण में, विशेषकर निम्न वर्ग के लोगों में, उन्होंने स्याति प्राप्त की।

डॉ० धीरे द्र वर्मा ने लिखा है "रामानन्द का महत्त्व अनेक दृष्टियों से है। व राम भक्ति को साम्प्रदायिक रूप देने वाले मध्य-प्रथम आचार्य थे। उही की प्रेरणा से मध्य युग में तथा उसके पश्चात् प्रचुर रामभक्ति साहित्य की रचना हुई। कबीर और तुलसी दोनों का श्रेय रामानन्द को ही है। रामानन्द ने भक्ति के द्वार स्त्री और शूद्र के लिये भी खोल दिये। फलत मध्य युग में एक बड़ी सबल उदार विचारधारा का जन्म हुआ। स त साहित्य की अधिकांश उदार चेतना रामानन्द के ही कारण है। यही नहीं, रामानन्द की इस उदार भावना ने हिन्दू और मुसलमानों को भी समीप लाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका तैयार कर दी। हिन्दी के अधिकांश सन्त कवि, जो रामानन्द को ही अपनी मूल प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मुसलमान ही थे। रामानन्द की उदार विचारधारा प्रायः समूचे भारत में फल गयी।

रामानन्द के उपदेश विशेषताएँ—स्वामी रामानन्द ने जो उपदेश दिये, उनके विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित पत्रियों में प्रकाश डाला जाता है

(1) राम और सीता की उपासना—उन्होंने राम और सीता के पवित्र रूप को जन साधारण के आगे प्रस्तुत किया तथा नतिक और सामाजिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। राम भक्ति में ईश्वर के अवतार पुरुषोत्तम राम के आदर्श का पशागान किया गया।

(2) मानव समानता में विश्वास—रामानन्द मानव समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके प्रातिकारी विचारों के फलस्वरूप शूद्रों और निम्न जातियों में जागरण की लहर दौड़ गयी। उन्होंने स्त्रियाँ की दलित दशा के प्रति दुःख प्रकट किया और उनके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि "सब लोग परमात्मा के सेवक हैं, इसलिए वे सभी आपस में भाई भाई हैं।"

(3) परम्पराओं में विश्वास—रामानन्द ने जाति-व्यवस्था व बंधनों को शिथिल किया और शूद्रों एवं स्त्रियों के लिए अपने धर्म के द्वार खोल दिए। इतना करने पर भी व इस पक्ष में नहीं थे कि प्राचीन परम्पराओं को पूर्णरूप से समाप्त कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में डॉ० बडवात ने लिखा है "उन्होंने शूद्र के वेदों को पढ़ने व अधिकार को स्वीकार नहीं किया और सामाजिक मामलों में वे मुसलमान से हिन्दू की ओर शूद्रों से द्विजों की श्रेष्ठता को धरतीकार न कर सके।

(4) जन भाषा हिंदी का प्रयोग—यह प्रथम वर्षणव गुरु थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार हिंदी भाषा में किया। इससे पूर्व वर्षणव धर्म का प्रचार संस्कृत भाषा में किया जाता था। हिंदी उत्तर भारत की जन साधारण की भाषा थी अतः उनके उपदेशों को सर्वसाधारण ने बड़ी सरलता से ग्रहण कर लिया और उनके सिद्धांतों का प्रचार भी व्यापक मात्रा में हुआ।

(5) भक्ति के दो सम्प्रदायों के जन्मदाता—रामानंद का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इनके शिष्य सगुण और निगुण दोनों प्रकार के उपासक थे। डॉ० ताराचंद ने लिखा है—“रामानंद के उपदेशों में धार्मिक विचारधारा के दो सम्प्रदायों को जन्म दिया, एक अनुदार और दूसरा उदार। पहले सम्प्रदाय में प्राचीन विश्वासों में आस्था रखी और धार्मिक सिद्धांतों तथा विधियों में बसत मामूली परिवर्तन किया। दूसरे में अधिक स्वतंत्र मार्ग का अवलंबन किया और ऐसे धर्म का निर्माण करने का प्रयास किया, जो विभिन्न धर्मों के मनुष्यों को, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों को स्वीकारेगा। पहले सम्प्रदाय में सर्वश्रेष्ठ नाम तुलसीदास का और दूसरे में कबीर का। ये दोनों वास्तव में मध्ययुगीन भारत के अद्वितीय महापुरुष थे।”

निष्कर्ष—रामानंद के उपदेशों के परिणाम अति हितकर सिद्ध हुए। डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव के शब्दों में “क्योंकि हर कोई वर्षणव धर्म के उपदेश समझ सकता था, इसलिए शूद्रों में काफी जागृति हुई। रामानंद ने धार्मिक सभाओं में अपने शिष्यों की समान व्यवहार का आश्वासन दे रखा था, इसलिए उनके उपदेशों में स्त्रियों का स्तर ऊँचा उठाया और पारिवारिक जीवन को पवित्रता प्रदान की। रामानंद ने प्रेम और भक्ति पर जोर दिया पर धार्मिक कृत्यों, धार्मिक रस्मों, उपासकों और तीर्थ यात्राओं पर बल नहीं दिया। फिर, उन्होंने भक्ति आंदोलन का लोकवादी रूप प्रदान किया जो उनकी जनप्रियता का स्वाभाविक परिणाम था। इन सबके परिणाम स्वरूप रामानंद की उदार विचारधारा प्रायः समूचे भारतवर्ष में फैल गयी।”

संत कबीर मुख्य शिक्षार्थों और महत्त्व

रामानंद के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ स्थान कबीर का है। भक्तकालीन सतों में कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका जन्म संवत् 1456 के लगभग हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1515 वि० संवत् में हुई। नाम के लिए तो वे मुसलमान थे, पर उनके विचार हिंदुओं के से थे। यद्यपि वे विवाहित थे, पर उनके विचार त्यागी मनुष्यों जैसे थे। वे जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका इस बात में दृढ़ विश्वास था कि केवल ईश्वर भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने सभी प्रकार के आडम्बरों की निन्दा की। कबीर ने गुणों को अति उच्च स्थान प्रदान किया है। सत्ता गुरु केवल भगवान की कृपा से ही

मिलता है। गुरु के माध्यम से ही शिष्य ईश्वर के समीप पहुँच सकता है। कबीर ने अपने उद्देशो में ईश्वर और मानव जाति के पति प्रेम पर बल दिया। उन्होंने अछड़ी भगति की अत्यधिक प्रशंसा की।

प्रो० बी० एन० लूनिया के मतानुसार, 'कबीर की शिक्षाओं पर, जो रहस्यवाद में आत प्रान्त थी इस्लाम के सूफी सत्ता का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कबीर एक निमल भविष्य के स्वप्नदृष्टा थे जिसमें असत्य और असमानता तथा आडम्बर और अलंकार का सबथा अभाव था। वे समाज के दब सचत्व, निभय आलोचक, हिंदू मुस्लिम समन्वय के प्रथम प्रयासक, मध्य वर्ग के प्रणेता, मार्ग दर्शक, हिंदू मुस्लिम एकता के महान् अग्रदूत और विमुक्त मानव धर्म के प्रशस्त प्रचारक तथा महान धार्मिक जाति नारक थे।'

कबीर-समाज सुधारक के रूप में—कबीर का महत्त्व एक कवि या साहित्यिक की अनेका एक सुधारक के रूप में अधिक है। डॉ० यूयुफ हुसन के मतानुसार, उत्तरी भारत के विभिन्न वर्ण और धार्मिक समुदायों के मतभेदों का माय उखाया द्वारा अंत करना कबीर का प्रमुख उद्देश्य था। वे वर्णाश्रम-प्रथा के साथ ही अ धविश्वासा पर आचारित धर्मों की शक्त का अथवा दूसरा की मूलता से नाश उठाकर उन्हें भ्रष्ट करने वाले एक स्वार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का उन्मूलन करना चाहते थे। साथ साथ रहने वाले लोगों के बीच वे सामाजिक एवं धार्मिक शांति स्थापित करने के आकांक्षी थे, क्योंकि धर्म के नाम पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया था।

कबीर पूरा शक्ति के साथ उन परम्पराओं का खण्डन करते रहे जो ऊँच-नीच की भावनाओं का उत्साहित करती थी। कबीर के युग में—य द्रहवीं शताब्दी में—सामाजिक समानता की बात करना एक अनायास था। प्रारम्भ में अवश्य ही उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा होगा, परंतु वे अपने विचारों में दृढ़ रहे और मानव समानता पर जीवन भर बल देते रहे। एक विद्वान के शब्दों में "कबीर का व्यक्तित्व जातिकारी था। उनका यह व्यक्तित्व ही अस्त प्रसी तथा शुद्ध मानव की विभिन्न धाराओं में बहा है। उनके व्यक्तित्व में सब कुछ एक प्रसरता, निश्छलता तथा स्पष्टता है।" उनके सामाजिक सुधार की उत्तरेखनीय विशेषताएँ निम्न लिखित थीं

(1) जाति प्रथा व ऊँच-नीच की भावना की निन्दा—डॉ० यूयुफ हुसन के अनुसार कबीर जाति प्रथा के अंत के बारे में मुनिश्चित थे। वे इसका निरंकुश और अयायपूर्ण मार्ग थे तथा उसकी लुलवर निन्दा करते थे, जसा कि उनसे पहले किसी सुधारक ने नहीं किया। उन्होंने शूद्रों के लिये अथ जातियों के बराबर सामाजिक समानता की मांग की। उन्होंने जाति भेद का गणन करत हुए मनुष्य की समानता पर बल दिया और इस बात की घोषणा की कि ईश्वर के उच्च सिंहासन के सम्मुख

ऊँच और नीच, हिंदू और मुसलमान सभी समान हैं। कबीर ने स्वयं कहा था “यह क्या बात है कि एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और अपनी मृत्यु तक शूद्र रहता है ? ब्राह्मण स्वयं अपने लिए जनेऊ बनाता है और उस धारण करता है। यदि ब्राह्मणी से जन्म लेने वाला ब्राह्मण है, तो तेरा जन्म दूसरे ढंग से क्या नहीं होता है ?”

(2) ब्राह्मण पवित्रता का उपहास—कबीर ने ब्राह्मण पवित्रता और स्पृश द्वारा अपवित्र होने के विचार का प्रति व्यंग्यात्मक भाषा में उपहास किया है। उनका कथन था “मुझे बताइये कि अपवित्रता क्या है ? यह किस प्रकार उत्पन्न होती है ? तुम्हारा भोजन में और पानी में, जिससे तुम अपना मुँह साफ करते हो अपवित्रता है। मछलियाँ, कछुआ और मगरों के रूप में नयी रक्त से श्रोत प्रोत है। ओ पण्डित ! तुम भोजन करने के लिए पृथ्वी पर बैठते हो, पर पृथ्वी अपवित्र है। पग पग पर उसमें लोग दफन हैं और वे मिट्टी हो गये !”

(3) मानव कल्याण पर बल—कबीर ने आध्यात्मिक समस्याओं के बजाय मानव आचरण की समस्याओं पर अधिक बल दिया है। उन्होंने अच्छी सगति की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा—“मनुष्य जसी सगति में रहता है, वैसा ही उसका आचरण और स्वभाव हो जाता है।”

कबीर—धार्मिक सुधारक के रूप में—डा० यूसुफ हुसैन के अनुसार, कबीर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे मार्ग की खोज करना था, जिसको स्वीकार करके उत्तरी भारत की विभिन्न जातियाँ और धार्मिक सम्प्रदायों में समन्वय स्थापित हो सके। परंतु, कबीर ने नया धर्म स्थापित करने का कभी विचार नहीं किया। उन्होंने न तो हिंदू धर्म और न इस्लाम धर्म का श्रेष्ठता प्रदान की, बल्कि उन्होंने दोनों धर्मों की अच्छी बातों की प्रशंसा और बुरी बातों की निंदा की। अतएव, उन्होंने धार्मिक सुधारों पर बल दिया जो निम्नानुसार है

(1) सर्वोच्च सत्ता एक है—कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को यह बताकर कि सर्वोच्च सत्ता एक ही है, हिंदू और इस्लाम धर्मों की झूठी पृथक्ता का खण्डन किया। उन्होंने कहा—“भाई ! सत्ता के दाँव स्वामी कहाँ से आये ? मुझे बताओ कि अल्लाह राम, केशव, हरि और हजरत नाभ किमने रखे हैं ? सोने के सभी आभूषण एक ही अणु धातु के बने हैं। सत्ता को दिखाने के लिए उपासना के दो रूप हैं, जिनमें से एक को नमाज और दूसरे को पूजा कहते हैं। महादेव और मुहम्मद, ब्रह्म और आदम एक ही हैं। हिंदू और तुक क्या है ? दोनों इसी सत्ता में रहते हैं। उनमें से एक वेद पढ़ता है और दूसरा कुरान, एक पण्डित है दूसरा मोताना। यद्यपि मिट्टी के बतन एक ही वस्तु में बनते हैं, पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों भ्रम में हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी ईश्वर नहीं मिला है।”

(2) धर्मों की झूठी प्रयत्नता का खण्डन—कबीर ने कहा कि धार्मिक भेद भाव अर्थहीन है। वास्तविक मानवता तो एक ही है। उनका कथन था—“ओ सयासियो ! मैं दोनो धर्मों की विधिया का देखा है। अपने गव के कारण हिंदू और मुसलमान की विधि एक ही है। सतगुरु न मुझे यह बात बताई है। जो बात कबीर कहता है उसे सुनो—राम और सुदा एक ही है।”

(3) मूर्ति पूजा व आडम्बरो की निंदा—कबीर ने हिंदुआ और मुसलमानो के अर्थहीन आडम्बरो और रस्मा की निंदा की है। उहाने दिखाव फ व्रत, रोजा, कर्तों की पूजा आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। मूर्ति पूजा की निरर्थकता का विरोध करते हुए उहाने हिंदुआ स कहा—

‘पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार।

तात या चाकी भली, पीस खाव ससार ॥

(3) तीथ यात्रा मे अविश्वास—कबीर का हिंदुआ की तीथ यात्रा और मुसलमाना के हज (मक्का की तीथ यात्रा) मे अविश्वास था। उनका कहना था कि तीथ यात्रा करना व्यर्थ है। इससे कही आवश्यक है—भाव की शुद्धता, मालिक का भय, नस्बि आचरण सवके प्रति स्नेह और भाईचारे का व्यवहार।

(5) ब्राह्मणों और मुस्लाओ की निंदा—कबीर ने पुरोहित ब्राह्मणों व मौलवियों को अर्थ विश्वासी, अहकारी, सत्य भ्रष्ट व मूख आदि कहकर निंदा की। उहाने कहा कि ब्राह्मण और मौलवी जिं धार्मिक कृत्या को करते हैं, उससे उनको मोक्ष नहीं मिलती है बल्कि लोगो मे भेदभाव बढता है।

निष्कर्ष—वास्तव मे यह सत कबीर ही थे जिन्होंने हिंदुआ और मुसलमाना मे सामंजस्य की भावना स्थापित करने के लिए उत्साहपूर्वक हादिक प्रयत्न किये। उहोंने प्रेम तथा धर्म का उपदेश दिया जिसका उद्देश्य समस्त वर्गों और सम्प्रदाया मे एकता का विकास करना था। उहोंने इस्लाम और हिंदू धर्म की विस्तीण खाई को भरने तथा उसमे सहायग, समन्वय और सम्मिलन की भावना धर्मों के बाह्य भेदो रुडिया एव आडम्बरो का खण्डन करत हुए उनकी आ तरिक एकता पर अधिक जोर दिया। डा० ताराचंद के शब्दा मे कहा जा सकता है कि “कबीर के जीवन का उद्देश्य प्रेम के धर्म की शिक्षा देना था, जो सब जातियों और धर्मों को एक बनाये। उहोंने हिंदू धर्म और इस्लाम के उन तत्वों को अस्वीकार कर दिया, जो इस भावना के विरुद्ध थे।”

गुरु नानक [1469-1538 ई०] प्रमुख उपदेश

गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एव सिखों के आदि गुरु थे। व अपने समय के अपूर्व धर्म सुधारक, नैतिकविरोधी तथा अदभुत युग पुरुष थे। मध्य युगीन धर्म सुधारका मे नानक का विशिष्ट स्थान है। कनिष्ठ मे अनुसार, “प्रत्येक मौलिक धर्म-संस्थापक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप

ही अपने धार्मिक संदेश देता है जिसका पालन नानक ने भी किया ।" गुरु नानक का जन्म 1469 ई० में पाकिस्तान स्थित वर्तमान 'ननकाना' में हुआ था ।

उद्देश्य और धर्म प्रचार—गुरु नानक के अनुसार, 'एक युवक के रूप में वह उस समय प्रचलित भ्रष्ट भाग के सीधे सम्पर्क में आया । कबीर ने उन्हें काफी प्रभावित किया और पंजाब की यात्रा करते समय उनका कई मुसलमान सूफ़ी सत्तों से भी मिलना हुआ । सूफ़ी शख़ फरीद के जीवित दर्शन ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया ।' वास्तव में, नानक विभिन्न धर्मों की वृत्तियों के विरोधी थे तथा साथ ही विभिन्न धर्मों की अन्धकारों को स्वीकार करना अपना परम कर्तव्य समझते थे । डॉ० ताराचंद के मतानुसार नानक के मस्तिष्क में यह विचार सर्वथा स्पष्ट था कि उनका जन्म केवल एक ही काय की सिद्धि के लिए हुआ है और वह काय है—लोगों को उस मुक्ति का मार्ग बताया जो एक है तथा जिस पर एक ही ईश्वर का शासन है ।"

डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव ने गुरु नानक के उपदेशों के लक्ष्य के सम्बन्ध में लिखा है 'नानक का उद्देश्य एक ही ईश्वर की भावना के आधार पर हिन्दू धर्म में सुधार करना और हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना था ।' प्रो० बी. एन. लॉया के अनुसार, 'उन्होंने मृत्युपश्चात् हिन्दू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की । इनके शिष्यों में हिन्दू व मुसलमान दोनों ही थे ।"

गुरु नानक ने उपनिषद् के विद्वद् एकेश्वरवाद के सिद्धांत को पुनः जागृत किया । कबीर के समान उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, मूर्ति पूजा की निन्दा की, बहूदेव पूजा का विरोध किया एवं हिन्दू धर्म और इस्लाम के कमकाण्ड का प्रतिरोध किया । उनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के संघर्ष का अन्त करना था । उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के धर्म निरर्थक हैं । उन्होंने ईमानदारी, विश्वासपात्रता, सत्य निष्ठा, दान दया, मद्य निषेध आदि उच्चतम आदर्शों के पालन करने का आदेश दिया । उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लाना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है, उसके लिए तो धार्मिक संन्यासी तथा भक्त के गृहस्थ सभी समान हैं ।

गुरु नानक के उपदेश प्रमुख विशेषताएँ

गुरु नानक ने जो उपदेश दिए उनके विभिन्न पहलुओं और प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं— (1) हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल—नानक हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे । उन दोनों को पिता परमेश्वर की मतांत मानते थे । नानक ने हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य द्वेष को मिटाने के लिए कहा "ईश्वर ने मुझमें कहा कि तू गंगा में जा और लागा से एक ही ईश्वर का नाम लेने के लिए कह । सत्य का धर्म स्थापित कर और घुराई को दूर कर, दोनों जातियों में से

जो भी तेरे पाम आए, उसे अपना शिष्य बना । जीवन को व्यथ नष्ट मत होने दे' निघना की रक्षा कर, याद रख कि 84 लाख योनिया म ईश्वर विद्यमान है ।"

(2) एक सर्वोच्च सत्ता—नानक ने चरम सत्य ईश्वर का बताया और उसी को जनता के समान रखा । उनका कहना था—“ससार भर का ईश्वर एक है, समस्त भेद भाव मानव दृष्ट हैं ।” विश्व म या इसमें बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका सम्बन्ध ईश्वर से नहीं है । जितनी भी सृष्टि है, वह सब उसी का नाम है ।

(3) सच्चे धर्म पर जोर—नानक ने लोगो को सच्चा धर्म का अभिप्राय बताते हुए कहा “धर्म केवल शब्दों म नहीं ह । जो व्यक्ति सब मनुष्या को बराबर समझता है, वही धार्मिक है । मकदरा या कब्रिस्ताना में धूमना या समाधि में बठना धर्म नहीं है । विदेशो में धूमना या तीर्थ स्थाना में स्नान करना धर्म नहीं है । ससार की अशुद्धताओ म गुद रहो और इसी म तुम्ह सच्चा धर्म मिलेगा ।” धार्मिक कट्टरता और अंध विश्वास किसी भी धर्म का हो, उ हें अप्रिय था और वे उसका बिना किसी हिचक के विरोध करते थे ।

(4) ब्राह्मणों की निंदा—गुरुनानक ने हिन्दुओ और मुसलमाना के बाहर ब्राह्मणों की निंदा की । उ होन गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों और भालवियों की प्रमुखता और इस्लाम के धर्म कमकाण्डा का विरोध किया । कबीर के समान नानक यदो म विश्वास नहीं करते थे तथा मूर्ति पूजा को भी व्यथ समझने थे । मुसलमाना को उ हाने उपदेश दिया था—“दया को अपनी मस्जिद बना, इ साफ को अपना कुरान समझ, नेक कार्यों को अपना काबा बना और परोपकार को कलमा तथा खुदा की मर्जी को अपनी तस्बीह मान ।” हिन्दुओ से उहोने कहा कि ‘वही मनुष्य अपने धर्म के प्रति सच्चा है जा भगवान से डरता है और अच्छे काम करता ह ।’

(5) जाति प्रथा का विरोध—नानक का कहना था कि जाति की उच्चता का आधार पर गव करना अपने को ईश्वर से दूर ले जाना है । “याद रखो कि कम ही जाति को निश्चित करता है । मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से श्रेष्ठ अथवा पतित बनता है । जाति भेद की चिंता न करो । याद रखो कि ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में है और उसके यहां जाति भेद नहीं ।”

(6) चरित्र एवं हृदय की पवित्रता पर बल—गुरुनानक ने चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया । उनका कथन था—“यदि मनुष्य का चरित्र ठीक नहीं ह, तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता । मनुष्य समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का उचित प्रचार से पालन तभी कर सकता है जबकि उसका चरित्र अच्छा हो । उ हाने हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया ।

(7) गुरु का महत्त्व—नानक न कहा ह "गुरु के मिलने से ही हमें सांसारिक जीवन के अंध और आध्यात्मिक जीवन के प्रारम्भ का अनुभव होता है, गुरु का नाश होता है; मुक्तावस्था की प्राप्ति होती है और परमात्मा की शरण में स्थान मिलता है। ससार में चाहे जितने भी मित्र या सखा हों, पर गुरु के बिना ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है।

निष्कण्टक—गुरुनानक हमेशा 'पुण्य की प्रशंसा, और 'पाप की निंदा' पर बहुत जोर देते थे। इस तरह, गुरुनानक का जीवन एक प्रकाश की भांति तथा नतिकता और चरित्र की निर्भयता लिए हुए है। उनका जीवन समस्त व्यक्तियों के दिलों में प्रेम, धर्म और धार्मिक सद्भावना जागृत करने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरुनानक के अनुयायी बाद में सिक्ख कहलाये और उन्होंने उनके सिद्धान्तों का अर्थ साहब में समझी लिया।

सन्त दादू [1544-1603 ईस्वी]

भक्ति सम्प्रदाय के सतों में दादू का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। सत कबीर की तरह दादू ने भी रूढ़िवाद की कटु आलोचना करते हुए हिन्दुओं और मुसलमानों को नजदीक लाने का सफल प्रयत्न किया। इनका जन्म ही अहमदाबाद में हुआ पर इन्होंने अपने जीवन का विशेष समय राजस्थान के नराना और भराना नामक स्थानों में व्यतीत किया। अथ सतों के समान इन्होंने भी मूर्ति-पूजा, जाति बंधन, तीर्थ, व्रत, अवतार आदि अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। वे विभिन्न विरोधी सम्प्रदायों को भातृत्व और प्रेम में बाधर एक करना चाहते थे। अतएव इन्होंने एक अलग पथ का निर्माण किया जो 'दादू पथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे धार्मिक अर्थों की प्रभुता व प्रामाणिकता में विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर के साक्षात्कार में विश्वास करते थे। इसलिए उनका उपदेश था कि हम पूण्य तथा अपने आपको ईश्वर का समर्पित कर दे।

सत दादू के महान् त्याग, ऊँचे प्रेम और अथाह दया ने हजारों को बरबस खींच लिया था। सत दादू का कहना था कि "आत्म ज्ञान, जाति पात की निस्तारता लया, सधर्म नियम भावाभिपक्ति सच्ची उपासना के ठोस साधन हैं।" उनके अधिकांश अनुयायी गृहस्थ और व्यवसायी थे। इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे।

चेतन्य [1485-1533 ई०]

भक्ति आंदोलन की कृष्ण भक्ति शाखा आंदोलन के महान् प्रवर्तक म चैतन्य का नाम सबसे ऊपर आता है। बंगाल के नुदिया ग्राम में उनका जन्म हुआ था और पच्चीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इन्होंने जाति-प्रथा की घोर निंदा की मनुष्य के विश्व-बन्धुत्व की घोषणा की और कमकाण्ड की निस्तारता प्रवर्ध की। उनका मत था कि प्रेम और भक्ति, भजन और नृत्य के द्वारा आनंद और उत्साह की ऐसी दशा उत्पन्न होती है जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है।

उन्होंने हरि भक्ति का प्रचार किया एवं प्रेम दया धातृ भाव का उपदेश दिया, स यासी जीवन के व पक्षपाती थे और संकीर्तन प्रथा के वे जनक थे। उहान गोसाइयो के सप को प्रतिष्ठित किया था। प्रेम इनके सम्प्रदाय की प्रधानता थी। इसने जन साधारण पर अत्यंत ही गहन और विस्तृत प्रभाव डाला। उन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति का मंत्र दिया। इनका धर्म रस्म रिवाजों तथा आडम्बरों से मुक्त था। उहो ज्ञा के स्थान पर प्रेम और भक्ति को मुख्य बताया।

पशु, चतुर्ध का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित था, सामाजिक मामलों में यह परिलक्षित नहीं हुआ। चूंकि चतुर्ध समाज सुधारक न थे इसलिए सामाजिक कुप्रथाओं की और विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर भी, धर्म और ईश्वर की दृष्टि में वे सभी व्यक्तियों को समान मानते थे।

मीराबाई [1498-1546 ई०]

मीराबाई का नाम भक्तकालीन सती में विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मीराबाई राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के मेडता म उत्पन्न हुई थी। यह बाल्यकाल से ही स्वयं पद बनाने लगी थी। सती की भक्ति भावना का प्रभाव उन पर पडा और उहोने मत मत के अनुसार ईश्वर की भक्ति की।

मीरा की उपासना माधुय भाव की थी अर्थात् वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। उन्होंने अपने भगवान का उल्लेख प्रियतम, योगी, सगुण ब्रह्म प्रणय लीलाकारी आदि रूपों में किया है। अस्तु, मीरा का भगवान प्रियतम पुरुष है, जिनकी दासी मीरा नारी है। मीरा का प्रेम ही उनकी साधना है। मीरा प्रेम योगिनी थी। उनकी प्रणयानुभूति और विरह पीडा की अभिव्यक्ति रहस्यवाद की भावना से ओत प्रोत है।

डा० ए० एल० श्रीवास्तव के अनुसार मीरा की प्रसिद्धि उनके भजनो के कारण है। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति भावनाओं से ओत प्रोत थे। "मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न है।" मीरा न थ गार रस में अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इसमें वासना का सौरभ नहीं मिलता। साराश में कृष्ण भक्त गायकों में मीरा का स्वर काफी ऊँचा और उनकी पुकार हृदय की सच्ची पुकार लगती थी जिसने कृष्ण भक्तों की अपनी और आर्कायित किया। अपने मधुरतम गेय पदों के कारण ही मीराबाई का नाम अमर हो गया।

नामदेव

15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग को बहुत लोकप्रिय बनाया। नामदेव अपनी युवावस्था में ही कृष्ण भक्त हो गये और पशुवर्जों के व्यवसाय के स्थान पर हरि कीर्तन का व्यवसाय अपना लिया। उनका मुरय केन्द्र पण्डरपुर था। नामदेव ने सभी लोगों को प्रेम व भक्ति का पवित्र उपदेश दिया। वे जाति प्रथा के पक्ष में नहीं थे। उनके शिष्यों में सभी जातियों और

बर्गों के लोग थे । उन्होंने साहसपूर्वक परम्परागत रीति-रिवाजा और जाति-पाति के बंधनों को काटने का सफल प्रयास किया । अय म तो की भांति नामदेव भी एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा तथा पुरोहितों के नियंत्रण एवं प्रभुत्व के विरुद्ध थे । उनकी मान्यता थी कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । नामदेव भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे । उनके भूटे ब्राह्मणों के विरुद्ध थे । उनकी बाणी का नमूना प्रस्तुत है

“हिन्दू अर्था, तुरको फाना । दूर्वी ते ज्ञानी सयाना ।”

“हिन्दू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद ।

नामा सोई सविया, जहाँ देहरा न मसीद ।”



भारतीय पुनर्जागरण : कारण और परिणाम

- I भारतीय पुनर्जागरण या पुनरुत्थान के कारण
- II राजा राममोहनराय आधुनिक भारत के जनक ।
- III ब्रह्म समाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान
- IV स्वामी दयानन्द व्यक्तित्व और योगदान
- V आय समाज पुनर्जागरण में योगदान
- VI रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व एवं योगदान
- VII स्वामी विवेकानंद भारतीय पुनर्जागरण में योगदान
- VIII थियोसोफीकल सोसायटी उद्देश्य एवं योगदान
- IX मुस्लिम समाज का पुनर्निर्माण अलीगढ़ आन्दोलन

“बिना पुनर्जागरण के कोई भी सुधार सम्भव नहीं है ।”

—ई० बी० हैवल

भारतीय पुनर्जागरण—19वीं शताब्दी, विशेषतः इसका उत्तरार्ध, भारतीय इतिहास में एक उभे चेतन और उत्थान का युग था। राजनीतिक कारण सामाजिक चेतना उत्पन्न करते हैं, सामाजिक चेतना राजनीतिक उत्थान का कारण बन जाती है। अस्तु जो कारण राजनीतिक चेतना के लिए उत्तरदायी थे, वे ही सामाजिक पुनरुत्थान के लिए प्रेरक सिद्ध हुए।

पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है पुनर्जागना। इसका शाब्दिक अर्थ है ‘पुनर्जावन’। साधारणतया यह माना जाता है कि जब किसी देश में सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में अत्यंत हीन दशा हो जाती है तो कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो धार्मिक और सामाजिक ह्रास को रोककर इन क्षेत्रों में विकास करने का प्रयत्न करते हैं, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। “भारतीय पुनर्जागरण भारतीय सांस्कृतिक जीवन की नवीन यौवनावस्था है जिसने बिना प्राचीन सिद्धांतों को तोड़े नवीन वेप भूषा धारण करली थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता ने ही वह मूलाधार प्रदान किया है जिस पर वर्तमान नवोद्योगिक युग भारत ने अपने नव्य भवन का

निर्माण किया है।" इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण प्रमुख एक भावना का विषय है जिसे राष्ट्र के विकास व साथ साथ धर्म, समाज और सस्कृति में विलक्षण परिवर्तन कर दिये हैं। आधुनिक भारत का विकास उन्नीसवीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का बेखल एक अंग माना है। इस पुनर्जागरण ने भारतीय आत्मा का उसकी गहराई तक हिला दिया है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वशाली परिवर्तन उत्पन्न कर दिये हैं। आधुनिक भारत प्रत्येक विषय के लिए इस पुनर्जागरण का ऋणी है।

भारतीय आधुनिकता प्रारम्भ में एक बौद्धिक पुनर्जागरण था और इसने हमारे साहित्य, शिक्षा, कला और विचारधारा को प्रभावित किया। दूसरी पीढ़ी से यह एक नतिक शक्ति हो गयी और इसने हमारे समाज व धर्म को सुधारा। तीसरी पीढ़ी में इसने प्रारम्भ में ही भारत का आर्थिक दृष्टि से आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया और अन्त में राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त की।

भारत की सभ्यता और सस्कृति श्रेष्ठ है, उसमें प्रगति करने का साहस है और यह पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले खड़ी हो सकती है, यह पुनर्जागरण आन्दोलन का आधार था। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और सुधार उसका व्यावहारिक स्वरूप तथा भारत के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और कलात्मक क्षेत्र में एक नवीन चेतना प्रदान करना उसका परिणाम था।

भारत का पश्चिमी सभ्यता का अंग बनाने में रोचना, भारतीयों में आत्म गौरव और आत्म विश्वास उत्पन्न करना, परम्परागत धर्म और समाज में विभिन्न परिवर्तन करना तथा नवीन भारत का निर्माण करना भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन की आधुनिक भारत को देन है। प्रारम्भ में पुनरुद्धार आन्दोलन एक बौद्धिक परिवर्तन था, बाद में वह अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधारों का आधार बना। अन्त में, उसने भारत के राजनीतिक आन्दोलन को जीवन प्रदान करने में सहयोग दिया। भारतीय जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी न रहा था जिसपर इस आन्दोलन का प्रभाव न पड़ा हो।

I भारतीय पुनर्जागरण या पुनरुत्थान के कारण

1. पश्चात्य सभ्यता का प्रभाव—अपनी राजनीतिक सावधानिकता और आर्थिक सत्ता के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत में पश्चात्य सभ्यता व सस्कृति का भी बीजारोपण कर दिया। इससे भारत की लडखलती हुई व्यवस्था को गहरा आघात लगा। प्राचीनतम विचारधाराएँ, प्रणालियाँ तथा रूढ़ियाँ विस्तृत होने लगीं और नवीन विचारों और प्रथाओं ने उनका स्थान ले लिया। सांस्कृतिक धाराओं का एक नवीन रूप दृष्टिगोचर होने लगा। इनके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजों और उनके सुदृढ़ साम्राज्यवाद ने अनेक विरोधी तत्वों के मध्य हम आति, राजनीतिक एकता और शासकीय सभ्यता दी। इससे राष्ट्रव्यापी पुनर्जागरण का माग सुलभ हो गया।

(2) विदेशों से सम्पर्क—अंग्रेजी शासन काल में एक बार फिर भारतीयों का विदेशों से सम्पर्क स्थापित हुआ। यूरोप के विभिन्न राज्यों के अनिर्दिष्ट चीन, अमरीका जापान, रूस आदि राज्यों से भी भारत का सम्पर्क हुआ। इससे भारत को विभिन्न देशों की सामाजिक व्यवस्था शासन, राजनीतिक विचार, आर्थिक व्यवस्था औद्योगिककरण आदि के बारे में जानकारी हुई। इससे भारत में अपने सुधार करने तथा प्रगति करने की भावना आयी।

(3) अंग्रेजी भाषा की शिक्षा—भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण यहाँ की अंग्रेजी शिक्षा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरम्भ ईसाई पादरियों और स्वयं भारतीयों के प्रयास से हुआ। सन् 1816 में यह भाषा शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। अनेक भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड गये और उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा भी की। अंग्रेजी भाषा ने पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता के द्वार भारतीयों के लिए खोल दिये। पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों से भारतीय प्रभावित हुए।

स्कूला और कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा न लोगों के विचारों और दृष्टिकोण में खूब परिवर्तन कर लिया। इस अंग्रेजी शिक्षण ने भारतीय मस्तिष्क के वादिक पृथक्त्व का भंग कर दिया और उन्हें पश्चात्य विज्ञान, साहित्य और इतिहास के सम्पर्क में ला दिया। फलस्वरूप, यहाँ एसी ही विशाल मानसिक प्रगति हुई जसी यूरोप के राष्ट्रों में पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में पुनर्जागरण के समय हुई थी। 'हमारे नौजवान विद्यार्थियों के सामने नवीन विचारों का एक समार खुल गया। धार्मिक व पौराणिक भूगोल काल्पनिक इतिहास और मिथ्या विज्ञान के स्थान पर, जिनसे वे परिचित थे अब पृथ्वी के रूप आकृति के विषय में गंभीर विद्युद्ध सत्य, पश्चिम के नवीन विकसित सामाजिक व राजनीतिक विचार राष्ट्रों के उत्थान व पतन एवं प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम उनके ध्यान में आ गये। वस्तुतः भारतीय पुनर्जागरण अंग्रेजी साहित्य, आधुनिक दर्शन और विज्ञान के अध्ययन से आरम्भ होता है।

(4) प्रारम्भिक ईसाई धर्म प्रचारक—सन् 1813 के पश्चात् विदेशी ईसाई पादरियों ने काफी बड़ी संख्या में भारत आना शुरू कर दिया था। इन ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाया और भारत में ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का प्रचार किया। शिक्षा, दान, अस्पताल, सेवा आदि सभी का उपयोग उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिये किया। भारत सरकार ने भी उनके काम में उन्हें सहायता प्रदान की। इन प्रचारकों ने सामाजिक कुरीतियों को धर्म में मर्मित करने हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों पर कठोर प्रहार करना शुरू किया। इस कारण भारतीय, मुख्यतया हिन्दू बहुत बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। इस कारण हिन्दू और मुसलमानों को अपने अपने धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता

ध्यान देना पडा। इसी कारण 19वीं शताब्दी
धार्मिक आन्दोलनों का भारत में सूनपात हुआ

(5) भारतीय प्रेस, समाचार

धार्मिक व समाज सुधार आन्दोलन के
पत्रिकाएँ और साहित्य सशक्त सहायक और

हमने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पत्रिका
प्रयत्न में दूँद लिया, जिहान भारतीय सा
और ग्रन्थों को प्रकाशित किया। विलियम जे.
न भारतीय प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया,
उन्हें प्रकाशित कर विश्व को प्रकट किया कि
निधियाँ हैं। पश्चिम के विद्वानों ने भारत की
के वेदा की खोज की प्राचीन
की। उनके अध्ययन
भारतीय धर्म, दर्शन
आत्म-सम्मान और
उनका विश्वास जतान
प्रयत्न किया।

भारत में अनेक

बाह्य विश्व के धर्मिष्ठ
नीतिक, आर्थिक, धार्मिक और
दिया। हमें अपनी दुदशा का
शिक्षित वर्ग ने दृष्टि संकल्प किया

(6) पश्चिमी सभ्यता

भारत में पश्चिमी सभ्यता का
जिनके लिए पश्चिमी सभ्यता
समाज और धर्म से नै इतने अधिक
अपना गौरव मानने लगे। भारतीय
रहा और एक समय ऐसा आया जबकि
सभ्यता का शिकार हो जायगा। परन्तु यह
भारतीयों ने पश्चिम की धार की इस घुटनी-
सभ्यता और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा

पश्चिमी सभ्यता न अथ विदेशों के स्थान
की भावना को बाह्य व घना न अधिक महत्त्व दिया और
और राजनीतिक अधिभारों की नवीन भावना को जन्म दिया

सभ्यता की भारत को मूल देन यही थी जिसके द्वारा भारतीया ने परम्परा और अध विश्वास के आधार पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं को मानने से इन्कार कर दिया तथा उन सभी का तक और बुद्धि के आधार पर जाचना शुरू कर दिया। मस्तिष्क की यह स्वतंत्रता ही भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन का एक मुख्य कारण थी जिससे भारत में धर्म, समाज, कला, साहित्य, अथ व्यवस्था, राजनीति आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की भावना जागृत हुई और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए।

निष्कर्ष—उपरोक्त सभी कारणों ने लोगों को झकझोर दिया और उन्हें युग की कुम्भकर्णी निद्रा में जाग्रत कर दिया। यह भारतीय पुनरुत्थान का सूत्रपात था। एक विद्वान के शब्दों में, 'भूतकाल पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण और भविष्य के लिए नवीन महत्वाकांक्षाएँ इस नवीन पुनर्जागरण की विशेषताएँ रही। धर्म और विश्वास का स्थान विवेक और 'यायसगत' विषय ने ले लिया था, अध विश्वास ने विज्ञान का आत्म समर्पण कर दिया था, गतिहीनता का स्थान प्रगति ने ले लिया था। निर्दिष्ट दोगों और बुराईयों का दूर कर सुधार करने के तीव्र उत्साह ने युगों की उदासीनता व अज्ञान्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। शास्त्रों की परम्परागत अर्थों की समालोचनात्मक दृष्टि से जाच की गयी और नतिकता तथा धर्म की नवीन धारणाओं ने सनातनी विश्वासों और प्रथाओं के ढाँचे को परिवर्तित कर दिया।' नवीन विचार और भावनाएँ पहले तो लोगों के एक छोट्टे से समुदाय तक ही सीमित रही। धीरे धीरे ये लोगों के विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित हो गयी और अंत में उनका प्रभाव जन साधारण तक पहुँच गया।

पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के परिणाम

भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन ने न केवल विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आन्दोलनों को भारत में जन्म दिया बल्कि उसने आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में भारतीयों का प्रभावित किया और जीवन के सभी अंशों में एक नवीन जागृति को जन्म दिया।

1. राजनीतिक क्षेत्र—इस क्षेत्र में जो जागृति हुई, उससे राष्ट्रीयता की लहर समस्त देश में फैल गयी और अंग्रेजों के विरुद्ध सघर्ष व विद्रोह की भावना का उत्कर्ष हुआ। फलतः महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से सघर्ष कर भारत में अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। पुनर्जागरण की भावना ने भारतीयों की सांस्कृतिक एकता और गौरव का निमाण किया। 'यह राष्ट्र महान था' की भावना से 'यह राष्ट्र महान है' की भावना को प्रोत्साहन मिला। पुनरुद्धार आन्दोलन के सभी नेता चाहते थे धर्म सुधारक हो या समाज सुधारक, साहित्यकार हो अथवा कलाकार, राष्ट्र प्रेमी भी थे।

2. सामाजिक क्षेत्र—इस क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो लहर व्यक्त हुई उसमें समाज की काया पलट हो गयी। इसके फलस्वरूप ही भारतीय समाज में फली

ध्यान देना पड़ा। इसी कारण 19वीं शताब्दी के आरम्भ में अनेक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों का भारत में सूनपात हुआ।

(5) भारतीय प्रेस, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ और साहित्य—पुनरुत्थान एवं धार्मिक व समाज सुधार आन्दोलन के लिए भारतीय छापाखाना, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और साहित्य सशक्त सहायक और उत्तेजक प्रभाषित हुए।

हमने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पतृव सम्पत्ति को उन योरोपीय लोगों के प्रयत्नों से ढूँढ लिया, जिन्होंने भारतीय साहित्य और इतिहास का अध्ययन किया और ग्रन्थों को प्रकाशित किया। विलियम जोन्स और मैक्समूलर जैसे अनेक विद्वानों ने भारतीय प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया, अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया और उन्हें प्रकाशित कर विश्व को प्रकट किया कि ये ग्रन्थ सत्कार की सभ्यता की अमूल्य निधियाँ हैं। पश्चिम के विद्वानों ने भारत की अनेक प्राचीन कला कृतियों और सभ्यता के केंद्रों की खोज की तथा उनसे प्राचीन भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। उनके अध्ययन से जब भारतीयों को यह पता चला कि पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय धर्म, दशन, साहित्य और कला को इतना श्रेष्ठ बताया है तो उन्हें भी अपने आत्म-सम्मान और गौरव का ध्यान आया, आने धर्म और सस्कृति में उनका विश्वास उत्पन्न हुआ तथा उन्होंने उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

भारत में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ। वे भारतीयों को बाह्य विश्व के धनिष्ठ सम्पर्क में ही नहीं लाये अपितु इन्होंने हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का भी हमारे सामने प्रकट कर दिया। हम अपनी दुर्दशा का आभास हुआ और इनको दूर करने के लिए हमारे शिथिल धर्म नष्ट सकल्प किया।

(6) पश्चिमी सभ्यता का प्रचार—भारत में पुनर्जागरण का एक मूल कारण भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रचार भी था। भारत में अनेक व्यक्ति ऐसे हो गये जिनके लिए पश्चिमी सभ्यता आदर्श बन गयी। पश्चिमी विचार, वैश्वभूषण, खान पान, समाज और धर्म में इतने अधिक प्रभावित हो गये कि वे उसकी नकल करने में अपना गौरव मानने लगे। भारतीय सभ्यता धर्म और समाज में उनको विश्वास नहीं रहा और एक समय ऐसा आया जबकि यह प्रतीत हुआ कि सम्पूर्ण भारत पश्चिमी सभ्यता का शिकार हो जायगा। परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। अनेक भारतीयों ने पश्चिम की ओर की दृष्टि घुट डोड़ का विरोध किया और अपनी प्रारम्भिक सभ्यता और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा भारतीयों को प्रदान की।

पश्चिमी सभ्यता ने अंध विश्वास के स्थान पर तर्क का श्रेष्ठ बताया। व्यक्ति की भावना का बाह्य व धर्मा से अधिक महत्त्व दिया और इन प्रकार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की नयी भावना का जन्म दिया। माराथा में, पश्चिमी

सभ्यता को भारत को मूल देन यही थी जिसके द्वारा भारतीया ने परम्परा और अंध विश्वास के आघार पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं को मानने से इन्कार कर दिया तथा उन सभी को तक और बुद्धि के अंधार पर जाचना शुरू कर दिया। मस्तिष्क की यह स्वतन्त्रता ही भारतीय पुनरुद्धार का दोलन का एक मुख्य कारण थी जिससे भारत में धर्म समाज, कला, साहित्य, अर्थ-व्यवस्था, राजनीति आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की भावना जागृत हुई और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए।

निष्कर्ष—उपरोक्त सभी कारणों ने लोगों को झुंझोड़ दिया और उन्हें युगा की कुम्भकर्णी निद्रा से जाग्रत कर दिया। यह भारतीय पुनरुत्थान का सूत्रपात था। एक विद्वान के शब्दों में 'भूतकाल पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण और भविष्य के लिए नवीन महत्वाकांक्षाएँ इस नवीन पुनर्जागरण की विशिष्टताएँ रही। धर्म और विश्वास का स्थान विवेक और 'यथार्थ' ने ले लिया था, अंध विश्वास ने विज्ञान को आत्म समर्पण कर दिया था, गतिहीनता का स्थान प्रगति ने ले लिया था। निर्दिष्ट दोगों और घुराइयों को दूर कर सुधार करने के तीव्र उत्साह ने युगा की उदासीनता व आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। शास्त्रों की परम्परागत अर्थों की समालोचनात्मक दृष्टि से जाच की गयी और नतिकता तथा धर्म की नवीन धारणाओं ने सनातनी विश्वासा और प्रथाओं के ढाँचे को परिवर्तित कर दिया।' नवीन विचार और भावनाएँ पहले तो लोगों के एक छोटे से समुदाय तक ही सीमित रही। धीरे-धीरे ये लोग के विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित हो गयी और अंत में उनका प्रभाव जनसाधारण तक पहुँच गया।

पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के परिणाम

भारतीय पुनरुद्धार का दोलन ने न केवल विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार का दोलन का भारत में जन्म दिया बल्कि उसने आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में भारतीया का प्रभावित किया और जीवन के सभी अंशों में एक नवीन जागृति को जन्म दिया।

1. **राजनीतिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में जो जागृति हुई उसमें राष्ट्रीयता की लहर समस्त देश में फैल गयी और अंग्रेजों के विरुद्ध सघर्ष व विद्रोह की भावना का उत्कर्ष हुआ। फलतः महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से सघर्ष कर भारत ने अपनी स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली। पुनर्जागरण की भावना ने भारतीया की सांस्कृतिक एकता और गौरव का निर्माण किया। 'यह राष्ट्र महान था की भावना से यह राष्ट्र महान है' की भावना को प्रोत्साहन मिला। पुनरुद्धार का दोलन के सभी नेता चाहते थे धर्म सुधारक हो या समाज सुधारक, साहित्यकार हो अथवा कलाकार, राष्ट्र प्रेमी भी थे।

2. **सामाजिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो लहर व्याप्त हुई उसमें समाज की काया पलट हो गयी। इसके फलस्वरूप ही भारतीय समाज में फनी

बुप्रयागो—सती प्रथा, बाल वध, बाल विवाह, पदा प्रथा, अशिक्षा, छुआ छूना, ऊँच नीच और जटिल जाति प्रथा आदि का निवारण सभ्य हो सका। देश की सामाजिक दशा सुधर गयी। फलतः आज भारतीय समाज प्रगतिशील हो रहा है। अब भारतीय समाज के अनेक प्रतिश्रियावादी तत्व समाप्त कर दिये गये हैं।

3 धार्मिक क्षेत्र—पुनरुद्धार आन्दोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव 19वीं सदी के धर्म सुधार आन्दोलन थे। प्रायः सभी धर्मों ने एक नवीन चेतना का अनुभव किया। ईसाई, पारसी, इस्लाम और मुख्यतः हिन्दू धर्म में जा जागृति की भावना आयी, उसने भारतीय समाज और राष्ट्र को एक नवीन जीवन प्रदान किया। विभिन्न धार्मिक आन्दोलन न हिन्दू धर्म को उसके दोषों से मुक्त किया और उसके सत्य सिद्धांतों को खोज निकाला। अब अध्यात्मवाद भारत की श्रेष्ठता का प्रतीक है।

4 आर्थिक दृष्टिकोण—भारतीय काफी समय से अर्थ विश्वासी और परम्परावादी रहें हैं। पश्चिमी सभ्यता, विचारधारा और अर्थजी शिक्षा न उनकी जड़ता को समाप्त कर दिया। तब के आधार पर अर्थदार्दी और बुराई का निपटारा करने की भावना को जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करने की प्रेरणा प्रदान की।

5 साहित्यिक क्षेत्र—इस क्षेत्र में जा पुनर्जागरण हुआ। उसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों ने सस्कृत का अध्ययन किया, जिससे भारत विषयक अध्ययन का उदय हुआ। भारतीयों को अपने राष्ट्र के विलुप्त यश गौरव और अतीत के स्वर्णिम इतिहास का प्रमाणिक परिचय मिला। भारतीयों में बौद्धिक जागरण हुआ जिसकी विलक्षण अभिव्यक्ति प्रान्तीय भाषाओं के विकास में हुई।

निष्कर्ष—इस प्रकार भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन ने भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। धर्म, समाज, राजनीति बना, साहित्य आदि क्षेत्रों में वह भारतीयों के विकास का आधार बना। उसने उस आधार-शिला का निर्माण किया, जिस पर आधुनिक भारत की नींव है।

III राजा राममोहन राय

आधुनिक भारत के जनक

(Raja Ram Mohan Ray—The father of Modern India)

'भारत नवोत्थान की धारा के क्रम में थोड़े बड़े अनक व्यक्तिव उत्पन्न हुए हैं। यह धारा अब भी प्रवाह में है और आज भी इस व्यक्तिगण का अविभाज्य अङ्ग नहीं हुआ है। किन्तु इन सब व्यक्तियों के आध्यात्मिक पिता राममोहन राय हैं।'

—प्रो० एच० सी० जकरिया

भारतीय धार्मिक तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है। वह ही आधुनिक सामाजिक सुधार आन्दोलन के जनक थे। वह भारतीय पुनरुत्थान के प्रथम और सभवतः सबसे महान् तपस्वी थे।

डॉ० के० एम० परिणकर के शब्दों में, "उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इस भारत के वक्ष स्थल पर उस मनीषी ने पदापण किया जिस भारतीय पुनरुद्धार का जन्मदाता कहा जा सकता है।"

राममोहन राय एक दूरदर्शी प्रणेता थे। वे आधुनिक युग के प्रथम भारतीय बौद्धिक थे। उन्होंने समझ लिया था कि भारत भविष्य में किस दिशा की ओर मुड़ेगा और बड़े साहस से उन्होंने यूरोपीय विचार और विज्ञान का स्वागत किया। लेकिन, जहाँ एक ओर वे अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य विद्याओं का स्वागत करने को नकार थे, वहीं दूसरी ओर वे अपने धर्म, अपनी परम्परा और अपने विश्वासों के प्रति आस्थावान थे। राममोहन राय का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने भारतीयता और यूरोपीयता के उत्तम तत्वों का समावेश करके आधुनिक भारत के निर्माण का ठोस आधार तैयार किया।

यूरोपीय उदार दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होकर राममोहन राय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि देश की काया पर से नराशय की कञ्चुल उतार फेंकनी है तो हिंदू धर्म के मिथ्याता में और हिंदूओं के सामाजिक लोकाचारा में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

उनका काय क्षेत्र बहुत व्यापक था। उन्होंने धार्मिक सुधार, सामाजिक जागृति, बौद्धिक कोनाहल और राष्ट्रीय उत्थान के लिए समान दृष्टि से काय किया। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथा उनके काय कलाप से समाज तथा राष्ट्र हर प्रकार से प्रभावित हुआ। इस कारण उनके योगदान की चर्चा करते समय यह जरूरी है कि सभी पहलुओं में उनके विचारों का अध्ययन किया जाय।

सक्षिप्त जीवन परिचय—राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ई० में बंगाल के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में यह पटना विद्याभ्यन के लिए भेजे गये। जब वह मुश्किल से 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने फारसी में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद की प्रशंसा की और मूर्ति पूजा का खंडन किया जिसके बारे में उनका कहना था कि वह वेदा में नहीं है। उन्हें कट्टरपंथी परिवार में घर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि वह तिव्वत गए और वहाँ बौद्ध मत का अध्ययन किया। वह पटना में रहकर अरबी तथा फारसी का अध्ययन कर चुके थे वनारस में रहकर उन्होंने सस्कृत में भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। कुछ दिन उपरांत वह कम्पनी सरकार की नौकरी में आ गये। सन 1805 में 1814 ई० तक उन्होंने विभिन्न पदा पर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी की। वहाँ रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी में भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

राममोहन राय के हृदय में मानवता का स्रोत उमड़ रहा था। उन्हें एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक बनना था। उन्होंने कम्पनी की सेवा को लात मार दी और मत् 1814 में नौकरी से त्यागपत्र देकर, अपने देश की जनता जनाने की सेवा क्षेत्र में कूद पड़े। वे कलकत्ता में रहने लगे और अपने धार्मिक विचारों का प्रचार

परम रामे । क्याकि व सत्तार के समस्त प्रमुख धर्म ग्रन्थों को मूल्य म
 म समथ थे, इस कारण वे सत्तार के सभी प्रमुख धर्मों की तुलना करते हैं।
 सन् 1815 में इन्होंने 'भारतीय सभा' स्थापित की । सन् 1819
 'यदात्त सूत्रा' का सार बंगाली और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था।
 इस, भुण्डक, कठ और वेन का अनुवाद भी प्रकाशित किया । वे हिन्दूत्व का
 वेदान्त को मानना चाहते थे । सन् 1828 ई० में शुद्ध एकेश्वरता का उप
 लिए उन्होंने कलकत्ता में 'ब्रह्म समाज' संस्था की स्थापना की । सन् 1833
 इंग्लैण्ड-प्रवास के दौरान अचानक उनकी मृत्यु हो गई । नताजी सुनाप
 न पहा है कि, "वे भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा थे ।"

राममोहन राय द्वारा धार्मिक सुधार

डॉ० के० एम० पण्डितकर ने लिखा है कि, धार्मिक सुधार में राममो
 ने जो योगदान किया उसको भारतवासी भूल नहीं सकते । राममो
 की धार्मिक विचारधारा बहुत बुद्धिवादी, हिंदू धर्म की परम्परा में अतबद्ध
 प्राधुनिक विचारों से इतनी आत प्रोत थी कि जनता पर समष्टि रूप में उसका
 बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा । परंतु, फिर भी इसने बंगाल के मध्यम वर्गों का उस
 आहार प्रस्तुत किया, जब य नराशय में डूब रहे थे और इस प्रकार हिंदू धर्म का
 भारी संकट से बचा लिया ।

हिंदू धर्म को रूढ़िया से मुक्त करके वे उसे एक नया रूप देना चाहते
 हिंदू जनता धर्म के विषय में अतिक्रुल पौराणिक संस्कारों से भरी हुई थी ।
 चटदान को तोड़कर वे हिंदू हृदय को शुद्ध धर्म याताक से भरना चाहते थे ।
 रामधारीसिंह 'दिनकर' के अनुसार, "हिंदू धर्म की पवित्रता, इस्लाम की रूचि त
 ईसाइयत की सफाई (तक) उह बेहद पमद थी । एकेश्वरवाद में प्रदल विश्वास त
 मूर्ति-पूजा का विरोध-ये दो बाने पैदिक धर्म में भी थी और इस्लाम में भी ।"

राजा राममोहन राय ने स्वयं लिखा है कि मुझ यह देखकर दुःख होता
 कि हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था ऐसी है जिससे उनके राजनीतिक हितों का पूर्ति
 सहायता नहीं मिल सकती । उसके असंग्य विभाजन और उप विभाजन को
 देने वाली जाति-प्रथा में उसको राजनीतिक भावना में बिल्कुल वचित कर दिया
 और अगणित धार्मिक संस्कारों और सिद्धिकरण के नियमों में उनको किसी
 कठिन और साहसपूर्ण कार्य को करने के अयोग्य बना दिया है । मेरे विचार में
 जरूरी है कि कम से कम उनके राजनीतिक व सामाजिक कल्याण के लिए
 धर्म में कुछ परिवर्तन होना चाहिए ।" इसमें स्पष्ट है कि राममोहन राय ने
 धार्मिक सुधारों की मांग की जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें और साम
 जागति का माध्यम बन ।

राजा राममोहन राय के हृदय में अतिक्रुल से विशेष प्रेम था । परंतु,
 18वीं शताब्दी वाले हिंदू धर्म में अतन्वीय था । वे उसका परिष्कार करना
 थे । उसका परिष्कृत रूप में उह निम्नांकित तत्व ग्राह्य थे —

कहा अधिक सगत होगा। सती प्रथा के उन्मूलन के लिये उहाने 'विधवा विवाह' का समर्थन किया तथा 'बहु-विवाह का विरोध किया।

राममोहन राय ने स्त्रियाँ को समाज में उचित स्थान दिलाने के प्रत्येक तरीके को स्वीकार किया। वे स्त्रियों के समान अधिकार के पक्षपाती थे। वे बाल विवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने अपनी पत्नी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया। उन्होंने दहेज प्रथा व कन्या बध का घोर विरोध किया। दहेज प्रथा के कारण माता पिता अपनी कन्याओं का जन्म ही गला घोटकर मार देते थे। "वास्तव में वे भारत में स्त्रियों के पक्ष में आवाज उठाने वाले प्रथम भारतीय थे।"

राममोहन राय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा द्वारा ही सामाजिक वायु प्राप्त किया जा सकता था। उनको यह अनुभव हुआ कि पश्चिमी ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा और यूरोपीय विचारों में अत्यंत प्रोत्साहित वगैरे सामाजिक चेतना और जागरूकता में योगदान देगा। उनका मुख्य अस्त्र तक था। हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण समझने की उहाने कोशिश की और तब उन्हें प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का पान हुआ और उनका प्रबल विरोध करने में सफलता प्राप्त की। सामाजिक सुधार का आविर्भाव सिद्ध करते समय राममोहन राय ने शास्त्रों का कुशलतापूर्वक सहारा लिया।

व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वतंत्रता—राजा राममोहन राय ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की आवश्यकता पर पूरा बल दिया। स्वतंत्रता की चर्चा उहाने समय समय पर की। राष्ट्र के उत्थान के लिए उहें यह एक आवश्यक सिद्धांत दिखाई दिया। यूरोप की यात्रा करने वाले वे पहले प्रमुख भारतीय थे। डॉ० विपिनचन्द्र पाल ने स्वीकार किया है कि "राजा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया।" वे ब्रिटेन में प्रचलित राजनैतिक परंपरा में प्रभावित हुए थे। एडम ने ठीक ही लिखा है कि, स्वतंत्रता की लगेन उनकी अंतः-रात्मा की सबसे ज़ारदार लगेन थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक राजनीतिक आदि सभी कार्यों में फूट फूटकर निकल पड़ती है।"

पत्रकारिता की स्वतंत्रता के पक्षधर—राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता का अपना परंपरा पर खड़ा किया। उनके समय से ही देश में छापखानों का कार्य शुरू हुआ था। सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर विवाद करने का अथवा अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रेस बहुत अच्छा माध्यम था। सुधारवादी विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए पत्रकारिता को उहोंने अपना साधन बनाया। 1821 में उहाने 'सवाद बौमुदी' नामक सब-प्रथम वगैरे पत्र और एक वर्ष बाद ही 'मिरातुल अज़वार' फारसी में निकाला। इन दोनों अज़वारों का स्थापित करने राममोहन राय ने सामाजिक चेतना जगाने का कार्य किया। 'समाचार पत्र अधिनियम, द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर राक लगेन के विरुद्ध उहाने प्रबल आवाजें भी चलायी थीं। इस तरह वे वैचारिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे।

इस प्रकार राममोहन राय के नतुत्व मे ब्रह्म समाज धार्मिक क्षेत्र म बहुदेवता वाद, मूर्ति-पूजा, अथ विश्वास, जादू-टोना का विराधी था । वास्तव म, राममोहन राय विश्व-बन्धुत्व तथा मानव धर्म के उपासक थे । उनकी निष्ठा किसी सम्प्रदाय विशेष तक सीमित न थी । वे सब धर्मों की मौलिक एकता व सत्यता म विश्वास करते थे । डा० के० एम० पण्डितकर के शब्दो म, "राममोहन राय ने भारत मे सब प्रथम बार धर्म निरपेक्ष आन्दोलन को जन्म दिया ।"

राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार ,

राममोहन राय एक महान् चिंतक तो थे ही पर इसके साथ ही उन्होने सक्रिय ढंग मे समाज-सुधार का काय किया । डॉ० एस० शर्मा के मतानुसार, "वे धर्म के शुद्ध आध्यात्मिक पक्ष की अपेक्षा उसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के प्रति अधिक उत्सुक थे ।" वास्तव म, वे सामाजिक जागृति के प्रेरक थे । सामाजिक सुधार के लिए उनका मत यह था कि इस दिशा म क्रमिक सुधार किया जाय । धीरे-धीरे सामाजिक सुधार की आवश्यकता जब सभी कोई स्वीकार करने लग्या तभी समाज म प्रचलित कुरीतियाँ और अंध-विश्वासो को दूर किया जा सकेगा ।

राममोहन राय के समय मे भारत की सामाजिक अवस्था बड़ी शांकीय थी समाज मे नाना प्रकार की कुरीतियो का प्रचलन था जैसे कन्या-वध, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा सती प्रथा आदि । हिन्दू समाज की दमनीय अवस्था देखकर उम तपस्वी का अन्त करण करने को उठा । अस्तु, राममोहन राय न समाज म प्रचलित बुराईयाँ को दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न किया । उन्होने तत्कालीन समाज म प्रचलित बाल विवाह, बहु विवाह सती प्रथा, शिशु हत्या आदि बुराईयाँ का डटकर विरोध किया । दूसरी ओर उहाने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह अतःजातीय विवाह आदि सुधारो का खुलकर समर्थन किया । उहाने स्त्री और पुरुष दोनों की समानता पर जोर दिया ।

उहोंने जिम ढंग से सती प्रथा के विरुद्ध सक्रियता दिखाई उससे उनके साहस का परिचय मिलता है । सती प्रथा के भीषण, बबर और अमानुषिक कृत्याँ ने उस मनीषी के हृदय को नक्कभोर दिया । जब उनकी विधवा भावज को सती होने के लिए बाध्य किया गया तो उनका अन्त करण प्रवृत्त हो उठा । उहाने अपनी विद्या और ज्ञान के बल मे समस्त भारतीय समाज शास्त्र और धर्मशास्त्र का मथन कर पौराणिक शास्त्रियाँ का मुँह बन्द कर दिया । उहोंने लाड बटिक का प्रेरणा दी कि धर्म निमय हाकर सती प्रथा को अवध घातित करें । यह राममोहन राय का ही नैतिक बल था जिसका अवलम्ब ग्रहण कर लाड बटिक ने 1829 ई० मे सती प्रथा विरोधी कानून पास किया । आज सती प्रथा की अवधता का महत्त्व उतना नहीं जान पड़ता परन्तु जिहाने उम भीषण दृश्य को देखा है उनकी लेखनी द्वारा उल्लिखित दग्ध सुनकर बबरता का वह प्रकाण्ड ताण्डव दृष्टि पथ के सामने साकार हो जाता है । न जाने इम सती प्रथा का उद्घात नाम किसने दिया, इस ता विधवा दहन'

कहना अधिक समत होगा। सती प्रथा के उन्मूलन के लिये उ होने 'विधवा विवाह का समर्थन किया तथा 'बहु-विवाह का विरोध किया।

राममोहन राय ने स्त्रियाँ को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रत्येक तरीके को स्वीकार किया। वे स्त्रियों के समान अधिकार के पक्षपाती थे। वे बाल विवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने अपनी पौत्री का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया। उन्होंने दहेज प्रथा का भी विरोध किया। दहेज प्रथा का कारण माता पिता अपनी कन्याओं का जन्म ही गला घाटकर मार देने थे। "वास्तव में वे भारत में स्त्रियों के पक्ष में आवाज उठाने वाले प्रथम भारतीय थे।"

राममोहन राय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा द्वारा ही सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता था। उनको यह अनुभव हुआ कि पश्चिमी ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा और यूरोपीय विचारों से जोत प्रोत वगैरे सामाजिक चेतना और जागरूकता में योगदान देगा। उनका मुख्य अस्त्र तब था। हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण सम्भले की उन्होंने कोशिश की और तब वह प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान हुआ और उनका प्रबल विरोध करने में सफलता प्राप्त की। सामाजिक सुधार का औचित्य सिद्ध करने समय राममोहन राय ने शास्त्रों का कुशलतापूर्वक सहारा लिया।

व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतंत्रता—राजा राममोहन राय ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की आवश्यकता पर पूरा बल दिया। स्वतंत्रता की चर्चा उन्होंने समय समय पर की। राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्हें यह एक आवश्यक सिद्धांत दिखाई दिया। यूरोप की यात्रा करने वाले वे पहले प्रमुख भारतीय थे। डॉ० बिपिनचंद्र पाल ने स्वीकार किया है कि "राजा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया।" वे ब्रिटेन में प्रचलित राजनीतिक परंपरा में प्रभावित हुए थे। एडम ने ठीक ही लिखा है कि, "स्वतंत्रता की लगन उनकी अंतः-आत्मा की सबसे ज़ारदार लगन थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में फूट फूटकर निकल पड़ती है।"

पत्रकारिता की स्वतंत्रता के पक्षधर—राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता को अपना पुरा पुरा खड़ा किया। उनके समय से ही देश में छापवाने का कार्य शुरू हुआ था। सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर विवाद करने का अथवा अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रेस बहुत अच्छा माध्यम था। सुधारवादी विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए पत्रकारिता का उन्होंने अपना साधन बनाया। 1821 में उन्होंने 'मवादा कामुनी' नामक सर्वप्रथम वगला पत्र और एक वर्ष बाद ही 'मिरातुल' अखबार फार्सी में निकाला। इन दोनों अखबारों का स्थापित करने राममोहन राय ने सामाजिक चेतना जगान का कार्य किया। समाचार पत्र अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर राक लगान के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन भी चलाया था। इस तरह वे पत्रकारिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे।

इस प्रकार राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज धार्मिक क्षेत्र में बहुदलतावाद, मूर्ति-पूजा, अध विश्वास जादू-टोना का विराधी था। वास्तव में, राममोहन राय विश्व-बन्धुत्व तथा मानव धर्म के उपासक थे। उनकी निष्ठा किसी सम्प्रदाय विशेष तक सीमित नहीं थी। वे सब धर्मों की मौलिक एकता व सत्यता में विश्वास करते थे। डॉ० के० एम० पणिकर के शब्दों में “राममोहन राय ने भारत में सब प्रथम बार धर्म निरपेक्ष आन्दोलन को जन्म दिया।”

राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार

राममोहन राय एक महात्मा चिंतक तो थे ही पर इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय ढंग में समाज-सुधार का कार्य किया। डॉ० एस० शर्मा के मतानुसार, ‘व धर्म के शुद्ध आध्यात्मिक पक्ष की अपेक्षा उसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के प्रति अधिक उत्सुक थे।’ वास्तव में वे सामाजिक जागृति के प्रेरक थे। सामाजिक सुधार के लिए उनका मत यह था कि इस दिशा में क्रमिक सुधार किया जाय। धीरे-धीरे सामाजिक सुधार की आवश्यकता जब सभी कोई स्वीकार करने लगेगी तभी समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंध-विश्वासों को दूर किया जा सकेगा।

राममोहन राय के समय में भारत की सामाजिक अवस्था बड़ी शोचनीय थी समाज में नाना प्रकार की कुरीतियों का प्रचलन था जैसे कन्या-बध, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा सती प्रथा आदि। हिन्दू समाज की दयनीय अवस्था देखकर उम तपस्वी का अन्त करण प्रदान कर उठा। अस्तु, राममोहन राय ने समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा शिशु हत्या आदि बुराइयों का डटकर विरोध किया। दूसरी ओर उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अतर्जातीय विवाह आदि सुधारों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों की समानता पर जोर दिया।

उन्होंने जिस ढंग से सती प्रथा के विरुद्ध सक्रियता दिखाई उससे उनके साहस का परिचय मिलता है। सती प्रथा के भीषण, बबर और अमानुषिक कृत्यों ने उन्हें मनीषी के हृदय को भक्भोर दिया। जब उनकी विधवा भावज की सती होने के लिए बाध्य किया गया तो उनका अन्त करण द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी और ज्ञान के बल से समस्त भारतीय समाज शास्त्र और धर्मशास्त्र का मध्यम पीरालिख शास्त्रियों का मुँह बंद कर दिया। उन्होंने लाड बटिक को प्रेरण कि वे निश्चय होकर सती प्रथा को ध्वंस घोषित करें। यह राममोहन राय के नैतिक बल था जिसका अवलम्ब ग्रहण कर लाड बटिक ने 1829 ई० में सती विरोधी कानून पास किया। आज सती प्रथा की अवधता का महत्त्व उतना जान पड़ता परन्तु जिन्होंने उस भीषण दृश्य को देखा है, उनकी लेखनी, उल्लिखित दण्ड सुनकर बरस्ता का यह प्रकाण्ड ताण्डव दृष्टि पथ के सामने सा हुआ जाता है। न जाने इस सती प्रथा का उद्घाटन नाम किसने दिया इसे तो विधवा द

III ब्रह्म समाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान

(Brahma Samaj Basic Principles and Contribution)

18 वीं मंथी में उच्च वर्ग के हिन्दुओं का धर्म अपने मूलरूप से वित्कुल बहक गया था। बहुत कम लोग उपनिषद् या दर्शन का अध्ययन करते थे और जो लोग करते भी थे, वे भी पौराणिक कथाओं और कम-काण्डों में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद की कल्पना एकत्र भुला दी गयी थी और बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का बोलबाला था। ग्रह नक्षत्रों में अंध विश्वास किया जाता था और कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिषी की राय ली जाती थी। त्यौहारों और तीर्थयात्राओं का बहुत प्रभाव था। निम्नतर वर्ग भी भयंकर कुसंस्कारों में डूबा हुआ था। दैवताओं और देवियों के अनावाजक चेतन पदार्थों, माँपा बदरा, पेड़ पीपों, नदियों, पहाड़ों पत्थरों आदि की पूजा होती थी। जाति-पाति जा रहा पर था और सामाजिक ऊँच नीचे का ईश्वरीय पद्धति माना जाता था। सती-दाह, नदियों में बच्चों को चढ़ाना जगन्नाथ के रथ के पहियों के नीचे विमकर मर जाना पुण्य काय समझे जाते थे। उपर्युक्त शोचनीय परिस्थितियों को बदलने का महान कार्य करने का घोटा राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज न उठाया।

ब्रह्म समाज का विकास काल—विद्वान फरबुहर के अनुसार ब्रह्म समाज के विकास का निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथमकाल (1828 से 1842) राजा राममोहन राय

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों की बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने सन् 1828 में कलकत्ता में 'ब्रह्म समाज' के नाम से एक नई धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे जो ईश्वर में विश्वास रखते हों और मूर्तिपूजा के विरोधी हों। राममोहन राय का मत था कि वैदिक धर्म अत्यन्त पवित्र शुद्ध सरल और अनुकरणीय है और जिसमें मूर्तिपूजा, अंध विश्वास आदि को कोई स्थान नहीं है।

प्रथम काल में ब्रह्म समाज की प्रतिष्ठा हुई और धीरे-धीरे उसका कार्यक्रम निर्धारित हुआ। इस समाज के लिए कलकत्ता में एक भवन का निर्माण किया गया। जिसका स्वामित्व ट्रस्टियों की एक समिति को सुपुद किया गया। सन् 1830 में इस भवन के विनय पत्र को तैयार करते हुए राममोहन राय ने उसमें लिखा था कि नस्ल, जाति व धर्म के भेद भाव रखे बिना सब प्रकार के लोग इस भवन में आकर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और इस उपासना के लिए किसी प्रतिमा मूर्ति व कमकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जायेगा।" राममोहन राय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भगवान की एकनिष्ठ पूजा स्थापित करने की ही महत्त्वाकांक्षा रखते हैं। वह हादिक पूजा थी हाथ की नहीं, आत्म बलिदान की थी आत्मा के अधिकार की नहीं। इसमें सब धर्मा तथा धर्म शास्त्रों के प्रति आदर प्रतिष्ठा की। सब धर्मा-

शिक्षा-सुधार अंग्रेजी शिक्षा पद्धति - सन् 1813 में पौर्वात्य और पाश्चात्य दला के बीच यह संधप मचा हुआ था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या संस्कृत राममोहन राय ने अंग्रेजी माध्यम का समर्थन किया। यद्यपि वे अपने युग के सबसे बड़े प्राच्य भाषाओं के ज्ञाताओं में से एक थे, तथापि उनका विश्वास और मन्तव्य था कि भारत की प्रगति केवल उदार शिक्षा के द्वारा होगी। जिसमें पाश्चात्य विद्या तथा ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षण की व्यवस्था हो। उन्होंने ऐसे लोगों का पूरा समर्थन किया जिन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन को भारत में प्रारम्भ किया। कलकत्ता का हिन्दू कालज उन्हीं के सक्रिय महयोग से 1817 ई० में खुल सका। स्मरणीय रहे कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारतीय बुद्धिजीवियों और नवयुवकों में क्रांतिकारी विचारों के बीजारोपण का साधन बना। 1825 में उन्होंने 'वेदांत कालेज' स्थापित किया। इन तरह भारतीय शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करने के लिए राममोहनराय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तव में वे एक प्रकाण्ड शिक्षा शास्त्री थे।

मूल्यांकन—राजा राममोहन राय को 'नये युग का अग्रदूत' ठीक ही कहा गया है। वे भारतीय नवोत्थान के एक महान् पथ प्रदर्शक थे। मिस्र कालेट के शब्दा में, 'इतिहास में राममोहन राय का स्थान उस महान् सेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य-में प्रवेश करता है। प्राचीन जाति प्रथा और नवीन मानववाद के बीच जो खाई है अथ विश्वास और विज्ञान के बीच जो दूरी है स्वच्छाचारों राज्य और जनतंत्र के बीच जो अंतराल है तथा बहुदेववाद एवं शुद्ध ईश्वरवाद के बीच में जो भेद है, उन सारी खाईयां पर पुल बांधकर भारत को प्राचीन से नवीन की ओर भेजने वाले महापुरुष राम मोहन राय हैं।'

'राजा राममोहनराय की भिन्न भिन्न भूमिका के सदर्भ में यह श्रेय उनको ठीक ही दिया जाता है कि उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके द्वारा भारतीयता तथा यूरोपीयता के उत्तम तत्वों का समावेश करने का अभियान चलाया गया जिसका परिणाम आधुनिक भारत के रूप में प्रकट हुआ। रबीन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा है कि 'राममोहन राय न भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया।' वास्तव में वे इस भारत पथ के सबसे प्रथम आधुनिक पुत्र थे।

अतः, नदलाले चटर्जी के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'राजा राम मोहन राय अद्विष्ट भूतकाल तथा उदित होते हुए भविष्य स्थिर अनुदारता तथा क्रांतिकारी सुधार अथ परम्परागत तथा प्रगतिशील एकता के मध्य मानव-सम्बन्ध स्थापित करने वाले थे। संक्षेप में, वे प्रविष्टियां तथा प्रगति के मध्य बिंदु थे।'

III ब्रह्म समाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान

(Brahma Samaj Basic Principles and Contribution)

18 वीं मदी में उच्च वर्ग के हिन्दुओं का धर्म अपने मूलरूप से बिल्कुल बहक गया था। बहुत कम लोग उपनिषदों या दर्शन का अध्ययन करते थे और जो लागू करते भी थे, वे भी पौराणिक कथाओं और कर्म-काण्डों में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद की कल्पना एकत्र भुला दी गयी थी और बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का बोलबाला था। ग्रह नक्षत्रों में अंध विश्वास किया जाता था और कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिषी की राय ली जाती थी। त्यौहारों और तीर्थयात्राओं का बहुत प्रभाव था। निम्नतर वर्ग भी भयंकर कुसंस्कारों में डूबा हुआ था। देवता और देवियों के अलावा जड़ और चतन पदार्थों, सापों वदरों, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, पत्थरों आदि की पूजा होती थी। जाति पाति जोरों पर थी और सामाजिक ऊँच नीचे को ईश्वरीय पद्धति माना जाता था। सती-दाह, नदियों में बच्चों को चढ़ाना, जगन्नाथ के रथ के पहियों के नीचे पिसकर मर जाना पुण्य काय समझे जाते थे। उपर्युक्त शास्त्रीय परिस्थितियों को उद्वेलन का महान कार्य करने का बीटा राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने उठाया।

ब्रह्म समाज का विकास काल—विद्वान् फरबुहर के अनुसार ब्रह्म समाज के विकास को निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथमकाल (1828 से 1842) राजा राममोहन राय

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों की बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने सन् 1828 में बनकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक नई धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे जो ईश्वर में विश्वास रखते हों और मूर्तिपूजा के विरोधी हों। राममोहन राय का मत था कि वैदिक धर्म अत्यंत पवित्र शुद्ध सरल और अनुकरणीय है और जिसमें मूर्तिपूजा, अंध विश्वास आदि का कोई स्थान नहीं है।

प्रथम काल में ब्रह्म समाज की प्रतिष्ठा हुई और धीरे धीरे उसका कार्यक्रम निर्धारित हुआ। इस समाज के लिए बनकत्ता में एक भवन का निर्माण किया गया। जिसका स्वामित्व ट्रस्टियों की एक समिति को सुपुद किया गया। सन् 1830 में इस भवन के विक्रय पत्र को तैयार करते हुए राममोहन राय ने उसमें लिखा था कि नस्ल जाति के धर्म के भेद भाव रखे बिना सब प्रकार के लोग इस भवन में आकर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और इस उपासना के लिए किसी प्रतिमा मूर्ति के कर्मकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जायेगा।" राममोहन राय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भगवान की एकनिष्ठ पूजा स्थापित करने की ही महत्त्वाकांक्षा रखते हैं। वह हादिक पूजा थी हाथ की नहीं, आत्म बलिदान की थी आत्मा के अधिकार की नहीं। इसने सब धर्मों तथा धर्म शास्त्रों के प्रति आदर प्रतिष्ठा की। सब धर्मा-

बलम्बियों को उम प्रायना भवन में आतृत्व भावना से पूजा इबादत करने का निमन्त्रण दिया गया ।

राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में प्रतिपादित किया कि ईश्वर एक है । वह सब गुण सम्पन्न है । वही ससार का पालक, स्रष्टा और रक्षक है । अतः उसी की भक्ति करनी चाहिए । मानव मान को धार्मिक व सामाजिक बंधनों का तोड़कर बिना किसी भेद भाव के ईश्वराधना करनी चाहिए । शाध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रायना, भक्ति सुकम सद व्यवहार तथा भगवान के प्रति समर्पण जरूरी है ।

ब्रह्म समाज के मूलभूत सिद्धांत—ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय धर्म और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था । संक्षेप में, ब्रह्म समाज के मूलभूत सिद्धांत निम्नानुसार थे—

(1) निगुण निराकार ब्रह्म का ध्यान व उपासना करना—वही ससार का कर्ता घर्ता है । किसी प्रकार की मूर्ति, शिल्प, चित्र या किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र इस सभा के अद्वैत के अंदर नहीं रखा जा सकता ।

(2) ससार के सब मनुष्य चाहे व किमी भी जाति अथवा धर्म के क्या न हो, भाई भाई हैं और ईश्वर सबका पिता है । दूआ छूत मानवता के नाम पर कलक है ।

(3) अवतारवाद मिथ्या है—ईश्वर अजमा है । वह न कभी पैदा होता है और न कभी ससार में उत्पन्न हुआ है ।

(4) सभी धर्म मौलिक रूप से एक हैं—इस समाज में दूसरे धर्मों के प्रति गाली गलोज या उनका अपमान नहीं किया जा सकता । वहा केवल ऐसी प्रायना व कदाओ की अनुमति थी जो मानव को भगवद भक्ति की ओर आकेषित कर । सभी धर्मों के प्रति सदभावना रखनी चाहिए ।

(5) पाप का प्रायश्चित्त तथा निरोध ही दवी क्षमा और मुक्ति का माग है । मनुष्य को पाप का त्याग कर शुद्ध आचरण और परोपकार का माग अपनाना चाहिए ।

(6) कोई शास्त्र धर्म ग्रन्थ दवीम नहीं है, प्रत्येक में कोई न कोई श्रुति है ।

ब्रह्म समाज के सिद्धांत बड़े ही उदार व तर्क सगत थे । बुद्धिवाद की कसौटी पर कसा जाने वाला सिद्धांत ही राममोहन राय का माग्य थे । वे ता मानव मान के प्रेम पूजागी थे । ब्रह्म समाज न धार्मिक अथ विश्वासा एव सामाजिक कुरीतियों का कर्म करन में पूरा यागदान दिया । इस तरह प्रथमकाल में राममोहन राय ने मध्यकालीन कुरीतियों और आडम्बरो को हटाकर, उपनिषदों और वेदांत के एकेश्वरवाद की स्थापना का प्रभाव पूरा प्रयास किया । डॉ० ताराचंद के शब्दों में, 'इसत हिंदुआ के धार्मिक इतिहास में एक अपूर्व क्रांति आयी ।'

द्वितीयकाल (1842 से 1856 ई०) देवेन्द्र नाथ टंगोर

ब्रह्म समाज के दूसरे काल में देवेन्द्रनाथ ठाकुर (रवि द्रनाथ टंगोर के पिता) राजा राममोहन राय के स्थानापन्न आचाय हुए । देवेन्द्रनाथ का परिवार बंगाल का

बहुत ही सम्पन्न सुसंस्कृत और प्रभावशाली परिवार था। वे स्वयं बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे। 1843 ई० में ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालकर उन्होंने इस संगठन को नयी दिशा दी। उनके प्रभाव के कारण समाज के अग्र्य लोग भी ब्रह्म समाज की ओर आकृष्ट हुए।

देवद्वेनाथ के प्रयत्नों से इस आन्दोलन ने एक पृथक् समाज व सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया। उन्होंने 'तत्वबोधिनी पत्रिका' के नाम से एक नवीन पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया और 'महानिर्वाणतंत्र' के आधार पर एक नई दीक्षा विधि का सूत्रपात किया, जिसके अनुसार ब्रह्म समाज के सदस्यों को दीक्षा दी जानी शुरू की गयी। उन्होंने 'तत्वबोधिनी पाठशाला' की भी स्थापना की। इनका उद्देश्य ईसाईयत की बाढ़ को रोकना था।

1743 ई० में देवद्वेनाथ ने ब्रह्म समाज में प्रवेश के पूर्व शपथ का विधान स्थापित किया। उसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्म समाजी को मूर्ति पूजा का निषेध, ईश्वरोपासना तथा ईश्वर के प्रायनाथ आचरण की शपथ लेनी पड़ती थी। वे सदैव ईश्वर के ध्यान और उपासना में निरत रहते थे। उन्होंने उपनिषदा से सामग्री एकत्रित कर 'ब्रह्म धर्म' नामक प्रतिबद्ध ग्रंथ लिखा जिसमें ब्रह्म समाजियों की उपासना के नियम हैं। इस तरह देवद्वेनाथ ईगोर ने ब्रह्म समाज में नयी जान डाली, उस संगठन को शक्तिशाली बनाया और उसकी विचार धाराओं, संस्कारों और सिद्धांतों को पुनर्धाराया की।

तृतीय काल (1865-1878) केशव चंद्र सेन

सन् 1857 के बाद ब्रह्म समाज में एक नवीन परिवर्तन हुआ। इसी समय अग्र्येजी शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता के रग में रगे हुए व्यक्ति केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। केशव चंद्र सेन का जन्म 1838 में बंगाल के एक प्रतिष्ठित और सम्पन्न परिवार में हुआ था। केशव चंद्र कुशाग्र बुद्धि व धर्म और इन्हें आधुनिक शिक्षा भी मिली थी। उनके प्रवेश में ब्रह्म समाज में नवीन स्फूर्ति और उत्साह का संचार हुआ।

केशव चंद्र अत्यन्त उदार व्यक्ति थे। वे प्राचीन रूढ़ियां एवं व्यवस्था के धार्मिक वर्णना के विरुद्ध थे। सन् 1861 में 'इण्डियन मिरर' नामक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी मान्यताओं को जन साधारण के सामने रखा। केशव चंद्र सेन जाति प्रथा का उन्मूलन चाहते थे। वे समाज सुधार के प्रबल समर्थक थे। वे धर्म के नैतिक पक्ष पर अधिक बल देने थे। 1862 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रधान आचार्य पद पर सुशोभित किये गये। ब्रह्म समाज का इतिहास में पहली बार पुनर्हित करने का उत्तरदायित्व एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो ब्राह्मण नहीं था। जानि प्रथा के वर्धना को अस्वीकार करके ब्रह्म समाज ने एक साहसपूर्ण कार्य किया।

ब्रह्म समाज का विस्तार एवं सामाजिक सुधार—केशव चंद्र की प्रेरणा से बहुत से ऐसे लोग ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जिन्होंने कि सांसारिक उत्पन्न व सुख को लात मार कर अपने समाज के सिद्धांतों के प्रचार में ही अपने जीवन का लगा देना का संकल्प कर लिया था। सामाजिक सुधार का प्रतिपादन करते हुए केशव चंद्र ने केवल बंगाल के समाज तक ही अपना ध्यान सीमित नहीं रखा। वे सम्पूर्ण देश को सामाजिक विचारों की परिधि में लाने के लिए आगे बढ़े। वे पहले प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यापक भारतीय सुधार आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का उत्साह से समर्थन किया तथा ब्रह्म विवाह बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। सन् 1864 में केशवचंद्र ने उत्तर भारत का दौरा किया और बम्बई व मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखाओं की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। 1870 ई० में वे यूरोप की यात्रा पर भी गये।

इंग्लैंड से वापस लौटकर केशव चंद्र ने 'भारतीय सुधार समिति' की स्थापना की। इस संस्था ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार मजदूर वर्ग की शिक्षा, सस्ते साहित्य का निर्माण नशाखोरी आदि समाज सुधार के कार्यक्रम को अपनाया। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, एक साप्ताहिक समाचार पत्र 'मूलभूत समाचार' को केशव चंद्र ने शुरू किया। स्त्रियों को उनके घरों पर शिक्षा देने के लिए एक उत्साही समुदाय बनाया। कुछ बुद्धिजीवी लोग सस्ती और उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन में लग गये। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवाह का जोरदार समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप 1872 ई० में सरकार ने ब्रह्म समाजियों के अंतर्जातीय विवाहों को कानूनी मानने के लिए 'सिविल मैरिज एक्ट' पारित किया, जिसमें कन्या (बधु) की अवस्था 14 वर्ष तथा लड़के (वर) की अवस्था 18 वर्ष कम से कम निश्चित की गई थी।

भारतीय पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज का महत्त्व

इस तथ्य से सभी विद्वान सहमत हैं कि ब्रह्म समाज ने समाज सुधार घम सुधार और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया। उसने पहली बार भारतीय समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं का भारतीयों के सम्मुख रखा तथा बौद्धिक जागृति की ओर एक साहसी कदम उठाया, जिससे आगे आने वाले सुधारकों को सहायता प्राप्त हुई। डा० एच० सी० जकरिया के शब्दों में कहा जा सकता है कि "राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज हिंदू धर्म, समाज और राजनीति में उन सभी सुधार आंदोलनों को प्रारम्भ करने वाले थे, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में भारत में उत्तेजना पैदा की और जिन्होंने हमारे समय में उसके अद्वितीय पुनर्जागरण को जन्म दिया।"

ब्रह्म समाज एक सक्रिय सुधारवादी आंदोलन था। शुरू में बंगाल के समाज की ही हिट्टिया न ब्रह्म समाज के कार्यो का बहुत विरोध किया। वह इस समाज के सदस्यों का विधर्मी और विजातीय समर्थन लगे। पर धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति में

अन्तर आने लगा । शिक्षा के प्रचार के साथ साथ अन्ध हिन्दुओं ने भी अनुभव किया कि बाल विवाह बुरी बात है और स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह सामाजिक उन्नति के लिए उपयोगी है । 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रह्म समाज के मतव्य बहुत धार्मिककारी माने जाते थे । पर 20 वीं सदी में हिन्दू धर्म के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग उनका समर्थन करने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि सुशिक्षित हिन्दुओं और ब्रह्म समाजियों में मत भेद कम होता चला गया । सारांश में, ब्रह्म समाज के आन्दोलन से हिन्दू धर्म व समाज में सुधार की प्रक्रिया को बहुत बल मिला ।

पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज की देन

(1) ब्रह्म समाज ने कुछ ऐसे सिद्धान्त निकाले, जो हिन्दुत्व तथा इस्लाम व ईसाईयत तीनों में शामिल थे । इसी कारण बंगाल में ईसाईयत की बाढ़ रुक सकी ।

(2) इसके द्वारा प्राच्य और पश्चात्य सस्कृतियाँ में सम बंध स्थापित हुआ सका ।

3) भारतीय समाज में अनेक सामाजिक सुधार सम्भव हुए सके जसे सती प्रथा उन्मूलन स्त्री शिक्षा तथा स्त्री पद में सुधार, बाल विवाह निषेध आदि । भारतीय सविधान न जिन बुरीतियों को अवध घोषित कर दिया है, उनके विरुद्ध सघन आरम्भ ब्रह्म समाज ने ही किया था ।

(4) देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ । अनेक ब्रह्म समाजियों ने विदेश यात्रा की । वहाँ की संस्थाओं का स्थानीय संचालन देखकर वे प्रभावित हुए और उनको अपने देश में क्रियान्वित करने के लिए सत्पर हुए ।

(5) अपने धार्मिक और सामाजिक विचारों को फलाने के लिए ब्रह्म समाज ने आधुनिक बाल के सभी माध्यमों का प्रयोग किया । इस हेतु इन्होंने विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के साथ ही समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, स्कूल और कालेज आदि की स्थापना की जिससे समाज में जागृति उत्पन्न होने में सहायता मिली ।

(6) जहाँ प्राचीन साहित्य का पुनरुद्धार हुआ वहाँ नवीन साहित्य का सृजन भी हुआ । इनके द्वारा रचित साहित्य में प्राचीनता की प्रेरणा और भविष्य का संदेश था ।

(7) ब्रह्म समाज व द्वारा भारतीय उदारवाद को प्रश्रय मिला और देश में राष्ट्रीयता की भावना को बल प्राप्त हुआ ।

(8) इनके द्वारा विदेश में भारतीय संस्कृति की नवीन धारणा संभव हो सकी और पश्चात्त्यों की धार्मिकता को बहुत कुछ निराकरण हो सका ।

निष्कर्ष—ब्रह्म समाज भारत के महत्त्वपूर्ण सामाजिक आन्दोलनों में प्रमुख स्थान रखता है । यूरॉप की प्रगतिशील विचारधारा ने आरम्भ में ब्रह्म समाज के माध्यम में ही हिन्दू समाज में प्रवेश किया । इससे उनके जीवन में बुद्धिवाद तथा व्यक्ति-अपतकरण की स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा की । ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उसने राष्ट्रीय चेतना की भूमिका तयार की । यह

स्वाभाविक ही था कि ब्रह्म समाज के कई नेता आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और इसी के अभाव के कारण बंगाल में राजनीतिक जागरूकता और पदेशों की तुलना में अधिक थी। सारांश में, भारतीय पुनर्जागरण का सूत्रपात करने और विकसित करने का श्रेय इनो सत्या और इसके प्रतिभाशाली उद्योगियों, विशेषतः राजा राममोहन राय को देना चाहिए। इसके विरुद्ध धर्म तथा पूर्व व पश्चिम की विचार धाराओं के समन्वय के सिद्धांत ने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग और बहुत से सामान्य लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है।

IV स्वामी दयानंद च्यक्तित्व और योगदान

यह विलुप्त सही बात है कि शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी दयानंद से बड़ा संस्कृतज्ञ, उससे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तजस्वी वक्ता तथा कुरीतियाँ पर दूट पढ़ने में उनसे अधिक निमग्न [हा हो ।”

—मादाम स्लेवट्स्की

प्राचीन हिंदू धर्म में नवजीवन का संचार करने और हिंदू जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिये उन्नीसवीं शताब्दी में जिन विविध आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, उनमें आय समाज का स्थान सबसे अधिक महत्त्व का है। जो काय बंगाल में राजा राममोहन राय (1772-1833 ई०) ने किया वही उत्तर भारत में स्वामी दयानंद (1824-1883 ई०) ने किया।

ब्रह्म समाज की तरह आय समाज की प्रेरणा पश्चिमी विचारधारा में नहीं आयी। इसका मूलधार वैदिक परम्परा थी। स्वामी दयानंद ने हिंदुओं का ध्यान हिंदुत्व की बुनियादी शक्ति की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने धार्मिक संस्कृति के पुनरुद्धार का दृढ़ संकल्प कर अथक प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने न तो अंग्रेजी पढ़ी और न ही पश्चात्य सभ्यता का ही अध्ययन किया। पर उस समय चारों ओर पश्चिमीय सभ्यता की गौरव गाथा का जय घोष हा रहा था। भारतीय सभ्यता अधकार में पड़ी थी। स्वामीजी की धारणा थी कि यदि हिंदुत्व पर जमी हुई बाई को खराब कर साफ कर लिया जाय तो द्वादश वरुण के स्वरुण के समान वह चमकने लगेगी और उसकी नर्सगिक कांति में पश्चिम की चमक फीकी पड़ जायेगी।

दयानंद का संक्षिप्त जीवन वृत - दयानंद का जन्म सन् 1824 ई० में काठियावाड़ के मोरवी नगर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। 1845 ई० में अपने विवाह के पूर्व ही घर से इन्होंने पलायन कर दिया और एक ब्रह्मचारी साधु के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने लगे। अल्पावस्था में ही मूर्ति पूजा पर मे इनका विश्वास हट गया था। सन् 1851 में मथुरा के स्वामी विरज नंद को अपना गुरु मानकर उनमें वेदों का अध्ययन किया। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने शपथ ली कि वे दश में वेदों के ज्ञान को पलायने।

घस्तु अपने गुरु से अलग होकर इन्होंने ब्रह्म हिन्दू धर्म, सभ्यता और सस्कृति के प्रचार का कार्य आरम्भ किया। वे स्थान स्थान पर घूमे और लोगों को अन्न विचारा का बनाया। उनके अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए जहाँ अनेक प्रभाव-शाली व्यक्ति उनके शिष्य बने। 30 अक्टूबर 1883 ई० को किसी के द्वारा घोड़े से बिपन्न जाने से स्वामीजी की अजमेर में मृत्यु हो गयी।

दयानन्द के धार्मिक विचार एवं धर्म सुधार—वे अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित न थे, किन्तु वे सस्कृत के महान् विद्वान् थे। उनका पुराणों में विश्वास न था तथा उन्होंने उम स्वार्थी अज्ञानी तथा बुद्धि व्यक्तियों की वृत्ति बताया। उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा यज्ञों में पशु बलि का खण्डन किया। उन्होंने जन्म-जात जाति पाति का भी विरोध किया।

श्री अरविन्द—न लिखा है कि “राममोहन राय उपनिषद् पर ही ठहर गये थे, किन्तु दयानन्द ने उपनिषद् से भी आगे देखा और यह जाना कि हमारी सस्कृति का मूल, वेदा में है।” स्वामीजी की मान्यता थी कि हिन्दू समाज का उद्धार ब्रह्म विचारधारा को पुरुषरूप से जीवित करके ही किया जा सकता है। उन्होंने हिन्दुओं को ‘वेदों की आरंभ मुडन का आह्वान किया।’ उन्होंने बताया कि हिन्दुओं के लिए वेद उतने ही पवित्र प्रमाणिक हैं जितना ‘कुरान मुसलमानों के लिए और ‘बाईबल’ इसाईयों के लिए। उनके अनुसार, ‘सब तरह का ज्ञान वेदों में है।’

सामाजिक सुधार—दयानन्द ने धर्म-सुधार का ही बीड़ा नहीं उठाया बल्कि राममोहन राय की भाँति उन्होंने भी हिन्दू समाज में पत्नी हुई कुरीतियों और बुराइयों का दूर करन का प्रयास किया। उन्होंने हिन्दू समाज में क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा का खण्डन किया और अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामीजी ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जन्म या वंश की परम्परा पर आधारित वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जन्म के स्थान पर कर्म व चरित्र को वर्ण का आधार माना। उन्होंने ब्राह्मणों के शास्त्रों पर एकाधिकार को नहीं माना और वेद तथा धर्म-ग्रन्थ पढ़ने का अधिकार सब को दिया। व हर प्रकार की अस्पृश्यता (छुआ दूत) के भी विरोधी थे। उन्होंने कर्म और व्यवसाय के आधार पर जाति को मान्यता दी। उन्होंने सार देश में धर्म-धूमकर मानवता की समानता का प्रचार किया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वातावरण बनाया। स्वामीजी न सती प्रथा को क्रूरता तथा घोर पाप की मना प्रदान की और इस प्रथा का समाप्त करने हेतु अथक प्रयास किया। ग्राम समाज द्वारा हजारों विधवा स्त्रियों की शादी प्रति वर्ष ब्रह्म रीति से होने लगी क्योंकि स्वामीजी ने विधवा विवाह का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था। स्वामीजी की प्रेरणा से अनेक नवजात नवग्रामों के जीवन यापन और विवाह आदि के लिए अनाथालयों की भी स्थापना

स्वाभाविक ही था कि ब्रह्म समाज के कई नेता आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और इसी के अभाव के कारण बंगाल में राजनीतिक जागरूकता अथवा प्रदेशों की तुलना में अधिक थी। सारांश में, भारतीय पुनर्जागरण का सूत्रपात करने और विकसित करने का श्रेय इन्हीं सभ्यता और इसके प्रतिभाशाली उन्मादकों, विशेषतः राजा राममोहन राय को देना चाहिए। इसके विश्व धर्म तथा पूर्व व पश्चिम की विचार धाराओं के समन्वय के सिद्धांत ने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग और बहुत से सामान्य लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है।

IV स्वामी दयानन्द च्यक्तित्व और योगदान

“यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी दयानन्द से बड़ा संस्कृतज्ञ, उससे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निमग्न [रहा हा। ”

—मादाम ब्लेवट्सकी

प्राचीन हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार करने और हिन्दू जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए उन्नीसवीं शताब्दी में जिन विविध आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, उनमें आय समाज का स्थान सबसे अधिक महत्त्व का है। जो काय बंगाल में राजा राममोहन राय (1772-1833 ई०) ने किया, वही उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द (1824-1883 ई०) ने किया।

ब्रह्म समाज की तरह आय समाज की प्रेरणा पश्चिमी विचारधारा से नहीं आयी। इसका मूलधार वैदिक परम्परा थी। स्वामी दयानन्द ने हिन्दुओं का ध्यान हिन्दुत्व की युनिवर्सल शक्ति की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने दार्शनिक संस्कृति का पुनरुद्धार का दृढ़ संकल्प कर अथक प्रयास किया। स्वामी दयानन्द ने न तो अंग्रेजी पढ़ी और न ही पाश्चात्य सभ्यता का ही अध्ययन किया। पर उस समय चारा मोर पश्चिमीय सभ्यता की गौरव-नाथा का जय घोष हो रहा था। भारतीय सभ्यता अधकार में पड़ी थी। स्वामीजी की धारणा थी कि यदि हिन्दुत्व पर जमी हुई कोई को खराब कर साफ कर दिया जाय, तो द्वादश वर्ष के स्वरूप के समान वह चमकन लगेगी और उसकी नर्सिंग का र्ति में पश्चिम की चमक फीकी पड़ जायेगी।

दयानन्द का संक्षिप्त जीवन वृत्त - दयानन्द का जन्म सन् 1824 ई० में काठियावाड़ के मोरवी नगर में हुआ था। उनका वचपन का नाम मूलशंकर था। 1845 ई० में अपने विवाह के पूर्व ही घर से इन्होंने पलायन कर दिया और एक ब्रह्मचारी साधु के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे। अल्पवस्था में ही मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास हट गया था। सन् 1851 में मथुरा में स्वामी दिवज नन्द का अपना गुह्य मानकर उनसे यशो का अध्ययन किया। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने शपथ ली कि वह देश में वृद्धा के ज्ञान को फलायेंगे।

अस्तु अपने गुरु से अलग होकर इन्होंने वदिक हिंदू धर्म, सभ्यता और सस्कृति के प्रचार का कार्य आरम्भ किया। वे स्थान स्थान पर घूमे और लोगों को अपने विचारों का बनाया। उनके अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए जहाँ अनक प्रभावशाली व्यक्ति उनके शिष्य बने। 30 अक्टूबर, 1883 ई० को किसी के द्वारा धोखे से विपत्तिये जाने से स्वामीजी की अजमेर में मृत्यु हो गयी।

दयानंद के धार्मिक विचार एवं धर्म सुधार—वे अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित न थे, किंतु वे सस्कृत के महान् विद्वान् थे। उनका पुराणों में विश्वास न था तथा उन्होंने उस स्वार्थी, अज्ञानी तथा बुद्धि व्यक्तियों की कृति बताया। उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा यज्ञों में पशु बलि का खण्डन किया। उन्होंने जन्म-जात जाति पाति का भी विरोध किया।

श्री अरविन्द—न लिखा है कि “राममोहन राय उपनिषदों पर ही ठहर गये थे, किन्तु दयानंद ने उपनिषदों से भी आगे देखा और यह जाना कि हमारी सस्कृति का मूल, वेदा में है।” स्वामीजी की मायता थी कि हिंदू समाज का उद्धार वदिक विचारधारा को पूर्णरूप से जीवन करके ही किया जा सकता है। उन्होंने हिंदुओं का बने की ओर मुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हिंदुओं के लिए वेद उतने ही पवित्र प्रमाणिक हैं जितना कुरान मुसलमानों के लिए और ‘बाइबल’ ईसाइया के लिए। उनके अनुसार, ‘सब तरह का ज्ञान वेदों में है।’

सामाजिक सुधार—दयानंद ने धर्म-सुधार का ही बीड़ा नहीं उठाया बल्कि राममोहन राय की भांति इन्होंने भी हिंदू समाज में फली हुई कुरीतियों और पुराणियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू समाज में आतिकारी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बाल विवाह बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा का खण्डन किया और अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामीजी ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जन्म या वंश की परम्परा पर आधारित वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जन्म के स्थान पर कम व चरित्र को वर्ण का आधार माना। उन्होंने ब्राह्मणों के शास्त्रों पर एकाधिकार को नहीं माना और वेद तथा धर्म-ग्रन्थ पढ़ने का अधिकार सब को दिया। वे हर प्रकार की अस्पृश्यता (छुआ छूत) के भी विरोधी थे। उन्होंने कम और व्यवसाय के आधार पर जाति को मायता दी। उन्होंने सारे देश में घूम घूमकर मानवता की समानता का प्रचार किया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जातावरण बनाया। स्वामीजी न सती प्रथा को क्रूरता तथा धार पाप की सजा प्रदान की और इस प्रथा का समाप्त करने हेतु प्रयत्न प्रयास किया। धर्म समाज द्वारा हजारों विधवा स्त्रियों की शादी प्रति वर्ष वदिक रीति में होने लगी क्योंकि स्वामीजी ने विधवा विवाह का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था। स्वामीजी की प्रेरणा न धर्म नाना न अज्ञान न अज्ञान के जीवन यापन और निर्वाह आदि के लिए अनायासों की भी स्थापना

की। उन्होंने भारतीया को अध्ययन तथा यात्रा के लिए विदेशों की यात्रा करने की प्रेरणा दी।

डॉ० रामधारीसिंह 'दिनकर' ने लिखा है कि दयानन्द के अग्र समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्र थे, किन्तु दयानन्द प्रान्ति के वेग में आये और उन्होंने निश्चल भाव में धारणा कर दी थी कि हिन्दू धर्म प्रथा में केवल बद होना चाहिए, अन्य शास्त्रों और पुराणों की बातें बुद्धि की कमौटी पर कसे बिना नहीं मानी जानी चाहिए। वास्तव में, दयानन्द ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी। उसका कोई जवाब नहीं था।

स्वामीजी द्वारा धार्मिक समाज की स्थापना—स्वामी दयानन्द सन् 1874 में 'सत्याय प्रकाश' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ समाप्त कर प्रयाग से बम्बई पहुँचे और वहाँ पर 'प्रायना-समाज' के अधिष्ठाता बन गये। वहाँ उनके व्याख्यानो का बड़ा प्रभाव पड़ा। परन्तु स्वामीजी ने अनुभव किया कि सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसके लिए किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो किन्हीं निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनवरत काशिश करता रहे। व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक और संगठित प्रयास को भी उन्होंने आवश्यक समझा। इसी उद्देश्य में उनके द्वारा सन् 1875 में बम्बई में आय समाज की स्थापना की गई। कुछ समय के भीतर ही आय समाज की शाखाएँ देश के विभिन्न नगरों में स्थापित हो गईं। पंजाब में स्वामीजी को बड़ी सफलता मिली और थोड़े दिनों में ही सन् 1877 में लाहौर आय समाज का बन्धन बना। पल्लवस्वरूप पंजाब में सभी प्रसिद्ध नगरों में आय समाज की शाखाएँ खुल गईं।

दयानन्द द्वारा प्रतिपादित आय समाज के दस सिद्धांत

1. यह ईश्वरगत है। इनमें प्रकृति का स्थान नहीं है। यह स्वतंत्र प्रमाण है।
2. ईश्वर मन चित्त अज्ञान है। आत्मा-परमात्मा में भिन्न होना हुए भी पृथक् नहीं है। इन ज्ञानों के बीच व्यापक और व्याप्य का सम्बन्ध है। प्रकृति दृष्टि का कारण है। परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति अज्ञान हैं।
3. आय तथा मरणा यात्रा, कर्मणा मरणा का आधान ही धर्म है। स्वयं से अज्ञान मरणा ही धर्म है। आय की कर्मणा आय है। ईमानदारी के साथ पदों की हर्ष कर्षा की मरणा में उचित कामनाओं का उपयोग ही धर्म है। गुलाब द्वारा ही किसी व्यक्ति की जानि और आश्रय निपाति करना धर्म है।
4. मोक्ष प्राप्ति का माध्यम ईश्वरप्रायता सर्वत्र ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा मन ज्ञान का अज्ञान मरणा में निपात अज्ञान है।
5. मरणा के सम्बन्ध में शिवाय ही ज्ञान द्वारा मनुष्य का नारीक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक परिवर्तन होगा है। इसकी मरणा 16 है। मरणा के बाद मरणा मरणा करना चाहिए।

6 अविद्या का नाश और ज्ञान की प्राप्ति मानव का ध्येय हो और विद्या समाज के सभी प्राणियों को प्राप्त होनी चाहिए। नारी शिक्षा भी महत्त्वपूर्ण अंग है।

7 व्यक्ति के साथ ही समाज की सर्वांगीण उन्नति आवश्यक है, तभी राष्ट्र की उन्नति सम्भव होगी।

8 जाति व्यक्ति के कम और गुणा पर आधारित है जन्म पर नहीं।

9 मनुष्य का विकास उमकी शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति पर निर्भर करता है। प्रत्येक भारतीय को शारीरिक व मानसिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

10 प्रत्येक काय करने से पूर्व उसके उचित तथा अनुचित पक्ष पर विचार करना चाहिए।

मूल्यांकन—पंडित चमूपति—के अनुसार, आर्य समाज के जन्म के समय हिंदू कोरा पुमफुसिया जीव था। उसका मेरुदण्ड की हड्डी थी ही नहीं। चाहे कोई उसे गाली दे उसकी हँसी उडाय, उसके देवताओं की भत्सना करे या उसके धर्म पर कीर्त्त उछाने जिसे वह सन्तियों से मानता आ रहा है, फिर भी इन सारे अपमानों का सामने वह दांत निपोड कर रह जाता है। परंतु दयानन्द के आर्य समाज ने हिन्दुत्व के संरक्षण का प्रबल बीड़ा उठाया। यद्यपि आर्य समाज ने पौराणिक कुरीतियों तथा अध विश्वासा का खण्डन किया पर वह हिन्दुत्व से पृथक नहीं हुआ।

स्वामीजी की मृत्यु पर दि श्योसोफिस्ट' पत्रिका ने उनकी प्रशस्ति में एक सम्पादकीय लेख लिखा था, 'उन्होंने माना पतित हिन्दुत्व के गतिहीन जन समूह में बम फेंक दी हो और उनकी वृत्तता का प्रभाव जिन पर पड जाता, उनके हृदय पर ऋषिया के उपदेश के प्रति प्रेम तथा वदिक ज्ञान की अमिट छाप लग जाती।'।

साराश में स्वामी दयानन्द ने सुधरे हुए उग्र हिंदू धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और लूथर के समान धर्म में प्रविष्ट हुए दोष का दूर करने का बीड़ा उठाया एवं उपनिषदा एवं वेदा की प्रारम्भिक सादगी को धर्म में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल वेद का प्रमाण माना और उसके अध्ययन का द्वार जाति पारि का विचार छोड सबके लिए खोल दिया। उन्होंने अनेकेश्वरवादी मूर्ति पूजा, अवतारवाद एवं श्रद्धा का विरोध किया तथा सबव्यापी, सबशक्तिमान एक ईश्वर की आराधना व उपासन का उपदेश दिया। उन्होंने जाति के प्रतिबंधों वाल विवाह अंधरुत्पान्तिता, अशिक्षा पर्दा प्रथा, छुआ छूत तथा समुद्र यात्रा निषेध व विरुद्ध आवाज बुलन्द की एवं विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बड़ी दृढता से हिन्दुओं को अपने प्राचीन धर्म, गौरव, सम्पत्ति और आदर्श का स्मरण कराकर उन्हें स्वायत्तबो धनान की चेष्टा की। उन्होंने विविध राष्ट्र हितमूलक सुधारों का प्रचार कर भारतीय हिंदू समाज को एक ही मूल

म सगठित कर, उसे अघट्टिवादिता के जजाल से मुक्ति दिलायी । इस तरह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के महायज्ञ में उन्होंने महत्त्वशाली भाग लिया ।

दयानन्द ने अपने ग्रन्थ हिन्दी में लिखकर राष्ट्रभाषा के हेतु रचोत्तमक प्रयत्न के रूप में ठोस कदम बढ़ाया । इसके अतिरिक्त उनकी 'स्वधर्म', 'स्वभाषा' और 'स्वदेश' की आवाज ने कालान्तर में इस दश में 'स्वराज्य' की आवाज बुलन्द करने में बहुमूल्य योग दिया । योगिराज अरविन्द के शब्दों में "दयानन्द सरस्वती परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि के एक अद्वितीय योद्धा तथा मनुष्य और मानवीय सस्थाओं का सस्कार करने वाले एक अदभुत शिल्पी थे ।" डॉ. दिनकर के मतानुसार, 'रणारण्य' हिन्दुत्व के निर्भीक नेता जैसे स्वामी दयानन्द हुए वसा कोई नहीं हुआ ।"

V आर्य समाज पुनर्जागरण में योगदान

'आर्य-समाज शुद्धि-संस्कार का प्रबल सम्प्रदाय है और वह सामाजिक सेवा की पगडंडी का अविशाल पथिक है । उत्तर भारत में हिन्दू पुनरुत्थान के चरण में आर्य समाज का नाम अमिट अक्षरों में लिखा जायेगा ।'

— डॉ० के० एम० पणिकर

सन् 1877 ई० में आर्य समाज की स्थापना कर उसके प्रचार में स्वामी दयानन्द न देश के धर्म-प्रागम में एक व्यापक क्रांति का सूत्रपात किया, जिसने कालान्तर में हमारे जीवन के अर्थ अर्थ को हिलाने में सहायता दी । आर्य समाज के दिव्य धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षण सम्बन्धी कार्यों ने भारत के राष्ट्रीय जीवन के निमाण में बहुत योग दिया है । इसने हिन्दुओं के धार्मिक और सामाजिक जीवन को स्वस्थ करने के लिए निरन्तर सधर्म किया और हिन्दू जाति का सबल व क्रियाशील बनाया ।

धर्म तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज ने जो कार्य किया, उसका भारत के नवजागरण में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । दयानन्द के आज्ञाकारी विचारों ने हिन्दू जाति में अपूर्व उत्साह उत्पन्न किया और वे अपनी कुरीतियों को दूर करने व उन्नति पथ पर आहट होने के लिए उद्यत हो गए ।

धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य—धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा को बर्णन वलि प्रथा, स्वर्ग और नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास का विरोध किया । उसने धर्म की श्रेष्ठता का दावा किया और उसी आधार पर उसने मन्त्र पाठ हवन यज्ञ कर्म आदि पर बल दिया । आर्य समाज ने हिन्दू धर्म को सरल बनाया और उसकी श्रेष्ठता में विश्वास उत्पन्न किया । वेदा की व्याख्या उसने इस प्रकार की जिसमें वेद अनन्त वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांतों के स्रोत माने जा सकते हैं । कोई भी ऐसा गान नहीं है जिसे हम वेदों में प्राप्त नहीं कर सकते, यह उसका विश्वास था । हिन्दू केवल अपने सत्य ज्ञान को भूल गए हैं और यदि वे वेदों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें सत्कार का सम्पूर्ण ज्ञान वधा में ही प्राप्त हो जायेगा ।

इस कारण हिंदुओं को धर्म के विषय में ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक धारणाओं के लिए भी इस्लाम और ईसाई धर्म या सभ्यता की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास तथा हिंदू धर्म और वदो की श्रेष्ठता के आधार को लेकर आय समाज ने हिंदू धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म के आक्रमणों ने बचाने में सफलता पायी। आय समाज सभ्यता प्रवृत्ति वाले हिंदू धर्म का प्रतीक है। राष्ट्रीयता के अर्थ के रूप में तथा इस्लाम व ईसाई धर्म के सिद्धांतों के प्रतिरोध के रूप में आय समाज का अत्यंत महत्वशाली भाग रहा है। आय समाज ने इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचार पर जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे कठोरता से आक्रमण किया।

1877 में आय समाज ने जिन दस सिद्धांतों का निश्चित किया, उनमें हिंदू धर्म को सुधारने की ओर विशेष जोर दिया गया था। मूर्ति पूजा का खण्डन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, बहुदेव उपासना का खण्डन तथा एक ईश्वर में विश्वास करने पर जोर दिया गया। सारांश में, आय समाज के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार से हिंदुओं में आत्म विश्वास व स्वाभिमान का विकास हुआ।

आय समाज द्वारा सामाजिक सुधार के कार्य—सामाजिक क्षेत्र में भी आय समाज का कार्य बहुत सफल रहा। उसने बाल विवाह, बहु विवाह पदा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि सभी हिंदू सामाजिक कुरोतियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा जाति-समानता और अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। अन्तर्जातीय सखान पान और विवाह तथा पारस्परिक सम्पर्क आय समाज ने जीवन की दिन चर्या में चलाया। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य आय समाज ने शुद्धि आंदोलन प्रारम्भ करके किया। इसके अन्तर्गत जो भी धर्म परिवर्तन हिंदू, ईसाई या इस्लाम धर्म को छोड़कर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता था, वह पुनः हिंदू धर्म में शामिल हो सकता था। सामाजिक सेवाओं और सुधारों पर अधिक जोर देने के कारण आय समाज उत्तर भारत में हिंदू-पुनर्जागरण के क्षेत्र में आज भी एक महत्वशाली तत्व है। आय समाज देश व जाति के लिए सबल बन गया। इस विशाल सस्या की लगभग डेढ़ हजार विविध शाखाएँ आज भी विभिन्न स्थानों में प्रस्थापित हैं जिनके द्वारा जातिभेद उच्छेद विधवा विवाह अछूतों के शुद्धि-संस्कार, नाक सवा आदि के रूप में निरंतर सुधार संगठन का यूनाधिक क्रम जारी है।

समाज सेवा के क्षेत्र में आय समाज का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। विधवा और भूली भटकी स्त्रियों का संरक्षण और उद्धार करने के लिए आय समाज ने यद्यत्न विधवा आश्रम और महिला आश्रम स्थापित किए। अनाथ बच्चों की रक्षा करने के लिए कई अनाथालय खोले, जिनमें बालकों का संरक्षण, पोषण और शिक्षण किया गया और उन्हें भारत का उपयोगी नागरिक बनाया। अनाथ लड़कों को सेवा के लिए कई औपघालय खोले जा चुके हैं चलाय गए और जिनमें लड़कों को नि:शुल्क चिकित्सा की गई। दलित और अछूत जातियों के उद्धार के लिए आय समाज ने बहुत काम

किया गया। इनके लिए पाठशालाएँ खोलीं, छात्र वृत्तियाँ जारी कीं, छात्रावास चलाये और समानता के व्यवहार का प्रचार किया।

आर्य समाज द्वारा शैक्षणिक काम—आर्य समाज आन्दोलन के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा हुई। लाहौर में दयानंद एंग्लोवेदिक (डी० ए० वी०) कॉलेज की स्थापना हुई। डी० ए० वी० कॉलेज का उद्देश्य संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमीय विज्ञान, वेदों का अध्ययन तथा टेक्निकल शिक्षा का प्रचार करना था। इस सस्था को काफी सफलता मिली। कालान्तर में इसी प्रकार के अनेक (डी० ए० वी०) कॉलेज भारत के आर्य नगरो में भी खोले गये। इन कॉलेजों में विद्यार्थियों का रहन सहन आर्य समाज के आदर्शों के अनुसार होता था। नवीन ज्ञान-विज्ञान के साथ साथ उच्च वैदिक धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी।

इस शिक्षा पद्धति से आर्य समाजियों का एक दल सतुष्ट न हुआ। इसलिए, सन् 1803 में हरिद्वार के निकट 'गुरुकुलकामंडी' की स्थापना की गई। इसमें प्राचीन वेदों शास्त्रों को प्रमुख स्थान दिया गया, पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा नहीं की गई। इसमें हिंदी भाषा के माध्यम से समस्त विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी किन्हीं कक्षाओं में अनिवार्य नहीं थी। वस संस्कृत पर अधिक जोर दिया जाता था। लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए भी जालंधर में एक कामा गुरुकुल विद्यालय स्थापित किया गया।

आर्य समाज द्वारा स्थापित इन शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा में महत्व की एक बात यह थी कि गणित, रसायनशास्त्र आदि आधुनिक विज्ञानों की शिक्षा भी हिंदी के माध्यम द्वारा दी जाती थी, इस तरह आर्य समाज ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग लिया तथा अब भी ले रहा है देश में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का श्री गणेश करने का श्रेय आर्य समाज को ही है, जिसने अनेक राष्ट्रवादी नेताओं को उत्पन्न किया—उदाहरणतया स्वामी शंकरानंद, लाला लाजपत राय आदि।

राजनीतिक क्षेत्र में—राजनीतिक जागृति में भी आर्य-समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी दयानंद का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया। वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करता तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया। आर्य समाज ने अनेक ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में सहयोग किया जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक बनीं कांग्रेस में उग्रवाद की भावना के आरम्भ होने का कारण हिंदू धर्म में आर्य समाज द्वारा प्रज्वलित उग्र भावना भी थी और इसमें सन्देह नहीं कि आर्य समाज ने उस भावना के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। आर्य समाज ने भारतीय उदारवाद तथा राष्ट्रीयता का सदैव प्रबल समर्थन किया।

निष्कप समालोचना—इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्य समाज ने भारत को धर्म, समाज, शिक्षा और राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में बहुत कुछ प्रदान किया है। धर्म तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज ने जो कार्य किया, उसका भारत के नवजागरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 'आर्य समाज ने हिन्दुत्व की गरिमा को पुनः स्थापित करने का सफल प्रयत्न किया। यह पश्चिम की आँधी से इतना प्रभावित नहीं हुआ। इसने हिन्दुत्व के प्रछन्न रत्न को माफ कर हिन्दुओं के सामने रखा।

यह हिन्दू समाज का संरक्षक दल है। इसने स्वयं का कठिनाइयाँ सहन कर हिन्दुत्व को आर्य धर्मों के प्रबल अधाता से बचाया। परन्तु, डा० रामधारी सिंह दिनकर का मत है कि, आर्य समाज ने अधिक पुनरुत्थानवादी नीति अपनाई है—उसने वेदाती और पौराणिक तत्वों को निरसित करने और पश्चात्त्य एवं मुस्लिम संस्कृतियों का एकदम अस्वीकार करने हिन्दू जाति को वैदिक युग की प्राक्कालीन सरलता में लौटा ले जाने का प्रयत्न किया। स्वामीजी ने कहा कि वेदों में केवल धर्म की ही बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञान की भी मारी बातें प्रचलित हैं। इससे लोग के जानो-प्रेम में बाधा पड़ी। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में दूर रहने का एक ही परिणाम हो सकता है कि प्रगति की दौड़ में हम सबसे पीछे रह जाय। अस्तु, कटकरता से दूर रहकर। आधुनिक सत्य को अपनाकर ही आर्य समाज एक जीवित आंदोलन बना रह सकता है।

VI रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व एवं योगदान

'सच्चे अर्थों में धार्मिक जागरण के—जिसका शोक विगुह धार्मिक अनुभूति और परम तत्व के निकट एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार में होता है—अग्रदूत थे श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके उत्तराधिकारी स्वामी विवेकानन्द।'

डा० आर्यभट्ट हुसैन

ब्रह्म समाज और आर्य समाज बड़े ही प्रबल मासृतिक आन्दोलन थे किन्तु उनमें भी अपनी कमजोरियाँ थीं। आर्य समाज के प्रवक्तक स्वामी दयानन्द वाल ब्रह्मचारी, निरीह सयासी, प्रचंड तार्किक और उदभट्ट विद्वान थे किन्तु सत्ता की नभ्रता और निरहकारिता उनमें नहीं थी। ब्रह्म समाज में तार्किकता तो अधिक नहीं थी किन्तु ब्रह्म समाजी लोग अपने को जितना भक्ति विह्वल लिखलाना चाहते थे, वस्तुतः उतनी भक्ति विह्वलता उनमें थी नहीं। राममोहन राय दयानन्द व एनी-बेसट के प्रचार से यह तो सिद्ध हो गया कि हिन्दू धर्म निन्दनीय नहीं बेराय है, किन्तु जनता तो यह दगना चाहती थी कि धर्म का जीता जागता रूप क्या होता है। धर्म का यह जीता जागता रूप उन्ने तब दिखाई पडा जब रामकृष्ण परमहंस का आविर्भाव हुआ।

रामकृष्ण परमहंस जीवनवृत्त एवं शिक्षाएँ—जिस समय स्वामी दयानन्द उत्तरी भारत में हिन्दू जाति में नवजीवन का संचार करने के लिये

धम के जीते-जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण

परमहंस रामकृष्ण राजा रामभोहन राय या स्वामी दयानन्द के समान विद्वान नहीं थे। फिर भी, वे एक उच्चकोटि के सत ये जिहान महान् आध्यात्मिक उपलब्धियाँ अर्जित कीं। रामकृष्ण ने वेदांत की बहुत ही सुंदर व्याख्या की और उसका जीवन में व्यावहारिक प्रयोग कर दिखाया। धम के गहन तत्व को उन्होंने सीधेसाधे वाक्यांश में दृष्टांत देकर लोगों को समझाया। रामकृष्ण ने सभी धर्मों की मूल्यता में विश्वस प्रकट किया। उनकी मान्यता थी कि 'विभिन्न धम ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न माग हैं। ईश्वर एक है लेकिन विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों और भिन्न भावों से पूजा जाता है। इसलिए धर्मों की अनन्यता देखने का मिलती है। रामकृष्ण परमहंस ने सर्वत्र मानवता की एकता का स्वप्न देखा। उन्होंने कहा कि 'सब धम समाज के आदर्श द्वारा ही वह स्वयं पूरा हो सकता है।'

जब सभी धर्मों के लोग-हिन्दू, ईसाई और मुसलमान आपस में इस प्रश्न पर लड़ रहे थे कि किसका धम ठीक है और किसका नहीं, तब परमहंस रामकृष्ण ने सभी धर्मों के मूल तत्व को अपने जीवन में साकार करके माना सारे विश्व को यह सदेश दिया कि धम को शास्त्राथ का विषय मत बनाओ, हो सके तो उसकी सीधी अनुभूति के लिए प्रयास करो। सभी धम एक ही ईश्वर की ओर ले जाने वाले अनेक माग हैं।' रामकृष्ण उस ऊँचाई के मनुष्य थे जहाँ से सभी धम सत्य और सबके सब समान दीखते हैं। आजीवन वे बालकों की तरह सरल और निश्चल रहे। हिन्दू धम में जो गहराई और माधुर्य है रामकृष्ण उसकी प्रतिमा हैं।

रामकृष्ण परमहंस ने अपने आचरण से हिन्दुत्व के उस उदार भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया जो हिन्दू संस्कृति की, आदिकाल में विशेषता रही है। मनुष्य की सेवा में वे पीड़ित, जीवित, प्रेमालु मानवता के सम्पक में आते थे। वे प्रायः कहते थे, "मा ! मुझे दासानुदास बना।" स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में 'बाहर से वह भक्त थे भीतर से वह ज्ञानी थे।'

रामकृष्ण की शिक्षाएँ—रामकृष्ण यद्यपि उच्च शिक्षित विद्वान नहीं थे, मगर उन्होंने वेदांत के मूल्यों की अति सुंदर ढंग में व्याख्या की। उनकी शिक्षाओं में उपदेशों का सारांश निम्नानुसार है —

- 1 ईश्वर साक्षात्कार ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।
- 2 मन को कचन और कामिनी से हटाकर ईश्वर की ओर लगाओ।
- 3 शरीर और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ हैं। कामिनी-कचन की आसक्ति यन्त्रि रूप से नष्ट हो जाय तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, यह स्पष्ट रूप से देखने लगता है।
- 4 ईश्वर शास्त्राथ की शक्ति से परे है। बगीचों में तुम आम खान जात हो, न कि पत्तों के पत्ते गिनन।

- 5 मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं करना चाहिए ।
- 6 विद्वता और पांडित्य के साथ मनुष्य में शील और सदाचार भी होना चाहिए ।
- 7 सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं ।

रामकृष्ण का पुनर्जागरण में योगदान

स्वामी रामकृष्ण ने न कोई धर्म चलाया, न मठ बनाया और न नवीन धार्मिक सिद्धांतों को जन्म दिया । वह साधारण तरीके से उपदेश दिया करता था और उन्हीं में उनके धार्मिक विचारों का पता लगता है । उन्हीं में उनके अध्ययन नहीं किया था लेकिन उनके विचार उन्हीं पर आधारित थे । उनका कहना था कि मनुष्य का गूलात्म ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अत्यात्मवाद के द्वारा ही सम्भव है । इसके लिए वे ससार का त्यागना आवश्यक नहीं मानते थे और न ही वे इच्छाओं के दमन में विश्वास करते थे । उनका कहना था "ससार में रहो, कार्य करो और इच्छाओं का दमन करने के स्थान पर उनको ईश्वर प्राप्ति में लगाओ ।" वे जान से अधिक चरित्र निर्माण पर बल देते थे । उनका कहना था कि, "बिना स्पष्ट और विकार रहित बुद्धि के धर्म शास्त्रों का ज्ञान और पवित्र पुस्तकों का अध्ययन बेकार है । विवेक और बराह्य के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है ।"

प्रमुख देन (1) ससार के लिए रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है । अपने सरल उपदेशों और जीवन के उदाहरण से उन्होंने वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्ति के निकट पहुँचा दिया और हिन्दुओं में अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न किया ।

(2) रामकृष्ण की दूसरी महत्वपूर्ण देन, सभी धर्मों की एकता में विश्वास जाग्रत करना था । अपने उपदेशों में ही नहीं बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं और किसी भी मार्ग का सही अनुकरण करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है । उनका कहना था कि "ईश्वर को जिस शक्ति और नाम से तुम पुकारोगे । उन्हीं नाम और स्वरूप में तुम उसे देखोगे ।

(3) मनुष्य मात्र की सेवा और भलाई को धर्म बनाना रामकृष्ण की ससार की तीसरी महत्वपूर्ण देन थी । उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान् का स्वरूप है और इस कारण मनुष्य की सेवा करने से एक व्यक्ति ईश्वर का प्राप्त कर सकता है ।

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने व्यवहार और काम से उपनिषदों और वेदों के मूल विचारों का स्पष्ट करव दिखाने पुनर्जागरण आन्दोलन को उसकी श्रेष्ठता पर पहुँचा दिया । यही नहीं बल्कि उन्होंने मानव मात्र को यह संदेश भी दिया कि वे धर्म और सस्कृति के विभेदों का भूतबर्

मानव मात्र की भलाई का प्रयत्न करें। भौतिकवाद, सघष और घृणा के इस युग में उन्होंने ससार को अध्यात्मवाद का उपदेश देकर ससार को एकता, प्रेम और सहयोग का माग बताया।

महात्मा गांधी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखा है कि "रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी व्यावहारिक धर्म है। उनका जीवन हमें ईश्वर को हमारे समक्ष दिखाता है।"

सारंगश म कहा जा सकता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महात्मा विभूति थे जिन्होंने अत्य मुधारकों के समान किसी समाज या संस्था की स्थापना नहीं की। उन्होंने अपनी दृष्ट दवी काती की भक्ति, ध्यान और योग से यह अनुभव कर लिया कि सत्र धर्म एक ही सनातन धर्म के अंश और अंग हैं। उन्होंने सभी मत मतान्तरो की साधना प्रणालियाँ से ईश्वर का साक्षात्कार किया। उन्होंने देश की फिर से सब धर्मों की मूलभूत एकता ईश्वर की लाकिक सत्ता एवं आध्यात्मिक जीवन की महत्ता में विश्वास जमान की सबल प्रेरणा दी एवं निगुण सगुण, एक अनेक, द्वैत अद्वैत साकार निराकार सबका मूल्य बताकर सुंदर समन्वय किया। वे पूर्व और पश्चात्य संस्कृतियों के समन्वय का स्वप्न साधक करने के लिए इस युग में अवतीर्ण हुए थे। डा० सिल्वेन लिवी के शब्दों में, "क्याकि रामकृष्ण का हृदय और मोस्तष्क सभी देशों के लिए था इसलिए उनका नाम सम्पूर्ण मानव मात्र की सम्पत्ति है।"

VII स्वामी विवेकानंद भारतीय पुनर्जागरण में योगदान

(Vivekanand's Role in Indian Renaissance)

'वर्तमान भारत जिस ध्येय का तेंकर उठा है, उसका सारा आग्रहान विवेकानंद कर चुके थे। वाद के महात्मा और नता उस ध्येय का वाय रूप देने का प्रयास करते रहें हैं। जिस स्वप्न के कवि विवेकानंद थे, गांधी और जवाहरलाल उनके इंजिनियर हैं।

डा० रामधारी सिंह 'दिनकर

परमहंस रामकृष्ण ने साधनापूर्वक धर्म की जा अनुभूतियाँ प्राप्त की थीं, स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यावहारिक सिद्धांत निकाले। जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि विवेकानंद एक आग्नेवी वक्ता थे और बगला गद्य और पद्य के सफल लेखक थे। वह एक सुंदर और रोवीले आदमी थे और उनमें शान तथा गभीरता भरी हुई थी। उनका अग्रण में और अपन मिशन में पूरा भरोसा था, साथ ही वह सत्रिय और तीव्र शक्ति से भरपूर थे और भारत को आग बलाने की उनमें गहरी लगन थी।"

विवेकानंद के वचनपन का नाम था नरेन्द्र दत्त, जिनका जन्म 12 जनवरी, 1863 ई० को हुआ। वह बड़ याग्य और मधावी छात्र थे। अपन कानेज के प्रिंसिपल महादय ग परमहंस रामकृष्ण की अत्रुव प्रणामा सुनकर वह उनसे समीप

पहुँचे। जाते ही उन्होंने रामकृष्ण से प्रश्न किया, "क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है?" उन्होंने उत्तर दिया, "मैं ईश्वर को ऐसे दयता हूँ, जम मैं तुमको देख रहा हूँ।" इसी उत्तर को सुन कर वह बहुत प्रभावित हुए और परमहंस क शिष्य हो गये। गुरु की कृपा से उन्हें धर्म में प्रतीति बढी और उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ। रामकृष्ण ने नरेन्द्राय के जीवन को नई दिशा दी। गुरु की प्रेरणा के कारण ही वह धार्मिक सामाजिक चेतना के कायम जुट गये। रामकृष्ण परमहंस के सन् 1886 ई० में देहावसान के पश्चात् वह उनके उत्तराधिकारी बने तथा उन्होंने मयास धारण करने के साथ अपना नाम विवेकानन्द रख लिया। उन्होंने उस समय यह प्रणालियाँ कि मैं अपना जीवन रामकृष्ण के सदेश के प्रचार व प्रसार में लगा दूँगा।" रामकृष्ण के मानववाद का उनका प्रिय शिष्य विवेकानन्द के रूप में एक शक्तिशाली प्रचारक प्राप्त हुआ।

विवेकानन्द द्वारा भारत भ्रमण—विवेकानन्द जब भारतीय समाज को जागृत करने में जुट गये। गुरु ने जिस समय परम गति पाई उस समय स्वामी विवेकानन्द की अवस्था केवल तीसरे वर्ष की थी। पाँच वर्ष तक तीर्थाटन एवं भारत-दर्शन के उद्देश्य से उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया। इस भ्रमण में दशवासिया के धीरे अज्ञान और बहद गरीबी का अनुभव कर उनका दिल भर आया। कन्याकुमारी अत्ररीप के पवित्र मंदिर में दशगोपरात्त हिंद महासागर के तट पर एक चट्टान पर खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपना जीवन निधनता के मारे लारों कराडो भारतीयों की भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नयन एवं उनकी शिक्षा के लिए होम देंगे।

स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व अनुपम था उनकी विद्वता अगाध थी और उनमें तजिस्वता विद्यमान थी, जो आध्यात्मिक शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। इस तरह रामकृष्ण अनुभूति थे और विवेकानन्द उसके "यात्राकार बनकर आये। रामकृष्ण दर्शन थे विवेकानन्द ने उसके क्रिया पक्ष का आरयान किया।

शिकागो सब धर्म सम्मेलन में—स्वामी विवेकानन्द के हृदय में एक आधी उपन रही थी और उनकी आत्मा में एक अग्नि प्रज्वलित थी। इस हात में उन्होंने यह निश्चय किया कि ससार के सामने भारतीय अव्यात्म का सन्देश प्रस्तुत किया जाए। अस्तु सन् 1893 में वह अमरीका गए और शिकागो में उन्होंने धर्म के विश्व सम्मेलन के सामने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उनका भाषण भारत की सावद शिक्षा और जीवन हृदयता में अति प्रगत था। वहाँ उपस्थित सभी धीरे उनकी वाणी सुनकर मन मुग्ध हो गए।

भारतीय आत्म ज्ञान पर उनका जा "यात्राकार हुआ उन सुनकर लोग चकित रह गये। स्वामी विवेकानन्द ने उनमें कहा, 'जिस प्रकार सारी धाराएँ अपने जल को ले जाकर सागर में मिला देती हैं उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर से जाते हैं।' वहाँ अनन्य प्रेम और आस्था के सन्देश का अच्युत स्नागत हुआ दयकर

उन्होंने पूरे समुदाय राज्य अमेरिका का दौरा किया जिसमें उन्होंने जगह जगह व्याख्यान दिए अन्तर्दशन समझाने के लिए गोष्ठियों की। 'राजयोग' नाम में एक ग्रन्थ लिखा और 'यूयाक' में एक वदन्त समाज की स्थापना की।

उनके वहाँ दिये गये भाषणों से प्रभावित होकर वे 'यूयाक हेराल्ड' समाचार पत्र में लिखा कि 'उनका भाषण सुनने पर अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसी नानी देश का मुद्धारों के लिए इसाई धर्म प्रचारक भजना वितनी बबकूफी की बात है।' इसी पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, विवेकानन्द निश्चित रूप से विश्व धर्म सभ के पहले प्रमुख व्यक्तित्व थे। 'वे विषय शक्ति के वक्ता थे।' उनकी आज्ञाकारी मधुर जानमयी वाणी नेटवार्क देश और दुर्द्धि गिप्त मुख मण्डल में शोताआ को अत्यन्त प्रभावित किया। यह पहला अवसर था जब कि पाश्चात्य देशों की जनता को भारतीय धर्म की महत्ता पता हुई। इस तरह शिवागा के विश्व धर्म-सम्मेलन के पश्चात् ही भारतीय धर्म व सस्कृति का महत्त्व यूरोपीय देशों में बढ़ा। उनमें इनके प्रति आकर्षण और सम्मान बढ़ गया। इस तरह भारत में ही नहीं अपितु पाश्चात्य देशों में भी विवेकानन्द ने उपनिषदों के अन्तर्दशन एवं प्राचीन आत्मज्ञान का मन्देश गुंजा दिया।

विश्व के सम्मुख भारतीय सभ्यता और सस्कृति की श्रेष्ठता और सर्वोपरिता की साहसपूर्ण घोषणा करने से उन हिन्दुओं में नवीन प्रेरणा व शक्ति का संचार हुआ जो यूरोपीय सस्कृति व सभ्यता के सम्मुख अपने का हेय समझते थे। इसमें भारतीयों के मन में आत्म गौरव का एक सशक्त भाव उत्पन्न हुआ जिससे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मार्ग का प्रशस्त होने में निःशिष्ट सहायता प्राप्त हुई।

विवेकानन्द द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना उद्देश्य

मार्च 1897 में, यूरोप व अमेरिका भ्रमण से लौटने पर स्वामी विवेकानन्द का लंदनवागिया में भाव्य स्वागत किया। कुमारी अन्तर्गता (अश्विणी) में नकार कलकत्ता तक उनकी यात्रा एक विजय यात्रा रही क्योंकि वह प्रथम भारतीय थे जिसने पाश्चात्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। स्वामी विवेकानन्द ने अन्तर्गता और दौरा किया। इस वार उठोने हिन्दू जाति का चुनौती दा कि पश्चिम की भाँति व्यवस्थित और सुसंगठित ढंग में समाज सेवा और मुद्धार का कार्य करें विशेष रूप में स्त्री शिक्षा और उत्थान का कार्य।

अस्तु 1897 ई० में उन्होंने इस संगठन के आदेश के रूप में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य परमार्थस रामकृष्ण की शिक्षाया के अनुसार जन-समाज की सेवा करना था और इसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नहीं थी। कुछ समय में ही भारत तथा विदेशों में उनकी अनेक स्थानों पर शाखाएँ पायम हो गयीं। 'इस मिशन को भारत की प्राचीन, सस्कृति में प्रेरणा प्राप्त हुई। यह धार्मिक तथा सामाजिक सुधार का समर्थन करता है। विगुद्ध वेदांत सिद्धान्त इसने आदेश द और मनुष्य की सबश्रेष्ठ आध्यात्मिकता का विकास करना इसका

लक्ष्य है। भारत में विभिन्न स्थानों में अपनी शाखाओं द्वारा यह मिशन परोपकारिता के दिव्य कार्य और देश हितकारी साधनों से समाज सेवा कर रहा है। अस्पताल खोलकर रोगियों की सहायता व सेवा सुश्रुता करना, अनाथालयों और आश्रमों द्वारा दीन-दुखियों की सेवा करना तथा विद्यालयों व वाचनालयों द्वारा ज्ञान व शिक्षा का प्रचार करना, आजकल इस मिशन का विशेष कार्य है। इस मिशन में नयी परिस्थितियों के अनुरूप हिन्दुत्व की नयी अभिव्यक्ति के लिए असाधारण कार्य किया।

स्वामी विवेकानन्द ने अपने शेष जीवन काल का बहुत जोर शोर से मिशन को संगठित करने में लगाया। व अंतिम क्षण तक तमयता से अपने वेदाती विचारों द्वारा देश को ऊँचा उठान में लगे रहे। उन्होंने मिशन के दो प्रधान केंद्र स्थापित किए एक कलकत्ता के पास बलूर में और दूसरा अल्मोड़ा के पास मायावती में। इन केंद्रों में रामकृष्ण मिशन में शामिल होने वाले लोगों को सत्यासी के रूप में धार्मिक और समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों की दीक्षा दी जाती थी। सन् 1902 में 39 वर्ष की अल्पावस्था में ही विवेकानन्द का देहांत हुआ।

विवेकानन्द एवं रामकृष्ण मिशन का योगदान—परमहंस रामकृष्ण व स्वामी विवेकानन्द ने अपने आचरण से हिन्दुत्व के उदार भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें हिन्दू मुत्सद्धानों ईसाई किसी में भेद नहीं जान पड़ता था। जातिगत ऊँच नीच व युद्धा दूत का भी उन्होंने प्रबल विरोध किया। हिन्दुत्व के प्रबल समर्थक होने पर भी उनका इस्लाम के प्रति कोई द्वेष नहीं था। रामकृष्ण ने तो छ महीने तक विवेकानन्द मुसलमान रहकर इस्लाम की साधना भी की थी। उनकी कल्पना थी कि इस्लाम की व्यावहारिकता का आत्मसात करके विद्या वेदात के सिद्धांत जनता के लिए उपयोगी नहीं हो सकें। स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि हमारी जन्म भूमि का कल्याण तो इसमें है कि उसके दो महान धर्म—हिन्दुत्व और इस्लाम मिलकर एक हो जायें। वेदाती मस्तिष्क और इस्लामी तरीके के संयोग से जो धर्म सदा होगा वही भारत की आशा है।

(1) स्वामी विवेकानन्द के नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन ने प्रचार किया कि सभी धर्म सच्चे और सुन्दर हैं। प्रत्येक धर्म को चाहिए कि वह अपने में अन्य धर्मों की एकता का आत्मसात कर लें।

(2) पश्चिमीय सभ्यता भातिक्वादी स्वार्थी एवं विलासपूर्ण है। इन दोषों से प्रत्येक हिन्दू को अपने धर्म व नस्ल की रक्षा करना चाहिए। परन्तु देश की उन्नति के लिए पश्चिमीय कार्य प्रणाली तथा शिक्षा की आवश्यकता है।

(3) विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के सत्यासी एक नये तरीके से समाज की सक्रिय सेवा में—दुर्भिक्ष पीड़ितों का दूर दूर करन में रागियों की चिन्तना में अनाथों के पात्रन पाषण में लगाय गये। उन्होंने शिक्षा प्रसार हेतु अनेक विद्यालय खोले और नये केंद्र स्थापित किए। अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना

भी की। जिना जिसी भेग भाव के मिश्रा शांत भी सेवा कायम जुटा हुआ है जो श्लाघनीय है।

(4) रामकृष्ण और विवेकानंद की अनुभूति आचरण अभ्यास, लगन और निष्ठा के द्वारा पथ भ्रष्ट पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुयायी हिंदुओं को सच्चे हिंदुत्व की ओर आकर्षित किया गया।

स्वामी विवेकानंद के धर्मों का सूत्रावली— स्वामी विवेकानंद के धर्म में मानव-समाज की सेवा का महत्त्वपूर्ण स्थान था। वे शिक्षा स्त्री पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। निधनता अशिक्षा अध-विश्वास और रूढ़िवादों पर उन्होंने कठोरतम पहार किये। उनका कथन है 'निष्ठा, अनजान अशिक्षित और असहाय को अपना ईश्वर बनाओ। इनकी सेवा करना ही महान धर्म है।' उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि "जब तक करोड़ा व्यक्ति भूखे और अज्ञानो हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देश द्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के लोचों पर शिक्षा प्राप्त करता है और उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता।"

विवेकानंद धर्म के उस स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे थे जो मानव कल्याण में सहायक हो। उन्होंने कहा कि 'वे ऐसे धर्म पर विश्वास नहीं करते जो विधवा के आसू न पीछे सके अथवा अनाथ के मुँह में रोटी का टुकड़ा न ला सके।' उनके मतानुसार गिरे हुए की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों की मूलभूत एकता में विश्वास करते थे, और उन्होंने सबका धार्मिक उदारता, समता और महयोग पर बत दिया। उन्होंने कहा था कि "सहायता दरो राडो नही, एक-दूसरे से ग्रहण करो, बिनाश नहीं मेल और शांति, मतभेद नहा।" विवेकानंद ने धर्म के सङ्कुचित स्वरूप को कभी नहीं माना। धर्मापत्ता रूढ़िवाद और मिथ्या विश्वासों को दूर करने पर उन्होंने जोर दिया। डॉ० हेनसय क शब्दों में, "वर्तमान युग में भारतीयों के मौलिक कष्ट और मिथ्या विश्वासों को सभवत सबसे अधिक तीखी जोरदार और कटु मत्सना विवेकानंद ने की।

डॉ० के० एम० पण्डितकर के मतानुसार, "उनमें सबसे ज़िलक्षण बात यह थी कि उनके हृदय में देश भक्ति की ज्वाला धधक रही थी। और वह हिंदू धर्म और मातृ भूमि के अतीत गौरव के पुनरुद्धार के लिए बेचैन थे।"

स्वामी विवेकानंद के उपदेशों के फलस्वरूप भारतीयों में पागुरिक उन्नति, मान, सेवा और कम की मत्ता का सम्मान और प्रचार बढ़ गया। विवेकानंद ने अनेकों बार कहा है भारत का कल्याण शक्ति के साथनों में है। जन जन में जो शक्ति श्रिपी हुई है हमें उसे साकार करता है। जन जन में जो साहस और जो विवेक प्रचलन है उसे हम बाहर लाना है।

विवेकानंद नारी शिक्षा और उनके उन्नयन के प्रबल समर्थक थे। पागुरियों के प्रति उनमें असीम उदारता थी। उन्होंने कहा है 'सत्तर की रानी जाति

नारियों का समुचित सम्मान करके ही महान हुई हैं। जो जाति नारियों का सम्मान करना नहीं जानती वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी और न आगे उन्नति कर सकेगी।”

निधनता, पुण्यहितवाद और धार्मिक अत्याचार सिलाने वाले दशना के स्वामी विवेकानन्द प्रचंड विरोधी थे। जैसे-तैसे धन संग्रह करने वाले धनवानों के प्रति भी उनमें आदर भाव नहीं था। उन्होंने कहा है, “भारत की एक मात्र शाशा उसकी जनता है ऊँची श्रेणी के लोग तो शरीर और नैतिकता, दोनों ही दृष्टियाँ से मर चुके हैं।”

इस तरह, हम देखते हैं कि समाज का नव निर्माण और सेवा ही विवेकानन्द का प्रथम धर्म था। एक आधुनिक इतिहासकार ने ‘भारतीय राष्ट्रीयता’ के निर्माण में उनके योगदान के द्वार में लिखा है कि स्वामी विवेकानन्द को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का पिता पुकारा जा सकता है बहुत कुछ अंशों में उन्होंने उसका निर्माण किया और साथ ही अपने जीवन में उसके अछूतम और ऊँचे आदर्शों को सम्मिलित किया।

शाशा में स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों ने राष्ट्रीयता, भारतीय सभ्यता व संस्कृति की शक्ति में वृद्धि की। उन्होंने भारतीयों को नवयुग की प्रेरणा दी। उनका नमो में जागरण का नूतन स्वर भर हमारी आध्यात्मिक और नैतिक भिन्न का पुनर्दृष्टि बनाकर हमारे उत्थान की एक विशाल पट्ट भूमि तैयार कर दी। इस तरह विवेकानन्द की वाणी में ही साम्प्रतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ ०५ भारतीयों में अन्त उज्ज्वल भविष्य के प्रति उज्ज्वल आशा का संचार हुआ।

VIII थियोसोफिकल सोसायटी उद्देश्य एवं योगदान (Theosophical Society Aims and Contribution)

ब्रह्म समाज की भाँति एक और उदारवादी आन्दोलन भारत में चला जिसकी प्रेरणा विदेशीय थी। परन्तु विकास क्षेत्र भारत था। उसकी धार्मिक नीति भारत के तत्कालीन वातावरण के अनुकूल थी। इस कारण उसके प्रचार व प्रसार में यहाँ उसे अनुकूलता मिल सकी। यह आन्दोलन ‘थियोसोफी’ अथवा ‘ईश्वर का ज्ञान’ था। यह मत अथवा संगठन भी नववाचन का द्योतक है। इसकी विनोदता अंतर्राष्ट्रीयता और विश्वास मृष्टि-यापी है। ‘थियोसोफी’ शब्द का निर्माण यूनानी भाषा के दो शब्दों— ‘Theos = ईश्वर + ‘Sophia = ज्ञान—से मिलकर बना जिसका अर्थ “ईश्वर का ज्ञान” है। मस्त्रुत में इसके लिए ‘ब्रह्म विद्या’ शब्द का प्रयोग होता है।

स्थापना—सन् १८७५ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ‘न्यूयार्क’ नगर में एक स्त्री महिला मडम हेलन फ़ेट्रोवना ब्लेवट्स्की और कनल एच एम आलवाट ने थियोसोफिकल सोसायटी अथवा ब्रह्म विद्या मण्डल की स्थापना की थी। सोसायटी की स्थापना के चार वर्ष बाद य दोनों भारत आये तथा यहाँ प्रचार कार्य आरम्भ किया। १८८२ ई में इस सभ्यता का अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुख केन्द्र अहमदाबाद (मद्रास) हो गया और तब भारत से ही

इसका प्रचार भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं अन्य देशों में होने लगा। सन् 1907 में श्रीमती एनीबीसेट इस सस्था की अध्यक्षता बनी और पृथुपयन्त (सन् 1937 ई०) तक पद पर आसीन रही।

प्रमुख उद्देश्य—इस सस्था के उद्देश्यों की व्याख्या करने हुए सस्थापक बनल ऑलकॉट ने बम्बई में घोषणा की थी, “उमका लक्ष्य भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव और महानता की याद दिलाना है ताकि भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त कर सके।” वस इस सस्था का मुख्य उद्देश्य सृष्टि के अधिशासी नियमों का अनुमधान तथा प्रचार करना था। आगे चलकर इनका विस्तार हो गया, जैसे सर्वोच्च नतिकता और धार्मिक आकांक्षाओं का चरित्र द्वारा जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत करना, पाश्चात्य राष्ट्रों में पूर्वोक्त धार्मिक दशना तथा ज्ञान की विविध शाखाओं का प्रचार करना मानव मात्र में भ्रातृत्व भाव उत्पन्न करना तथा सभी धर्मों के लोगों को एक समान समझना। सारांश में, “यह कोई साम्प्रदायिक सस्था व आंदोलन नहीं है। इसका प्रमुख उद्देश्य समस्त धर्मों की मूलभूत एकता, आध्यात्मिक जीवन का महत्त्व और विश्व-बन्धुत्व का प्रचार करना है।”

दशना एवं प्रमुख सिद्धांत—यियोसोफिकल समाज ने प्रकृति के नियमों को खोजना और मनुष्य की दली शक्तियों के विकास की निम्नलिखित मुख्य बातें बतायी हैं

1. ब्रह्म की कल्पना, जिससे सभी व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है और जो सभी मनुष्यों में निवास करता है।

2. धर्म के विभिन्न स्वरूप हैं, परंतु वे सभी ब्रह्म के अंग हैं।

3. ब्रह्म की देखभाल में उसके बड़े बच्चे जिन्हें सत, दाशनिक, महात्मा दयता आदि पुकारते हैं, ससार का मार्ग दर्शन करते हैं।

4. मनुष्य अपने कर्म के अनुसार धीरे धीरे प्रयत्न करत हुए ‘निर्वाण’ प्राप्त कर सकता है।

5. सभी धर्मों का महत्त्व है क्योंकि प्रत्येक धर्म किसी न किसी प्रकार मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताता है।

6. स्त्री और पुरुष समान हैं क्योंकि आत्मा सभी पुरुष शरीर में जन्म ले सकती तो सभी स्त्री शरीर में।

महत्त्व एवं योगदान—भारत में यह सस्था डा० एनीबीसेट के सभापतित्व में एक अनुपम शक्ति हो गयी इसने विश्व का तथा विशेषकर भारतीयों का भारतीय ससृष्टि की उत्कृष्टता की ओर ध्यान आकर्षित कर, धार्मिक सहिष्णुता पर अधिक जोर दिया। इसने शिक्षा तथा समाज सुधार के अनेक कार्य किये। इसने बनारस मद्रास, मदनपल्ली आदि स्थानों में साधारण व उच्च शिक्षा के साथ साथ बज्ञानिक हिंदू धर्म के अध्ययन का भी सफल प्रयत्न किया। इस सस्था द्वारा स्थापित किया

बनारस का सेन्ट्रल हिंदू कालेज' ही आगे चलकर 'बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी' में परिवर्तित हो गया। इसी सत्या न सबप्रथम अद्वैतो के लिए पाठशालाएँ निर्माण कर राष्ट्रीय काय की ओर ठोस कदम बढ़ाया।

साराश में, 'थियोसोफिकल समाज' न भारतीयों में नवीन प्रेरणा शक्ति, अतीत में अद्वैत भविष्य में विश्वास व आशा उत्पन्न की एवं हिन्दू मस्तिष्क में धार्मिक हीनता की भावना को दूर कर आत्म गौरव की भावना का संचार किया। इसने प्राचीन भारतीय आदर्शों और परम्पराओं का पुनर्जीवित करने में सहयोग दिया। इस तरह इस सत्या का भारतीय सत्त्वृति के पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

एनीबीसेंट भारतीय पुनरुत्थान में योगदान

डा० रामधारीसिंह 'दिनकर' का कथन है कि थियोसोफिकल समाज का नाम विदेशी है और यह सत्या भी विदेश में ही जन्मी थी। इसका सदस्या की सत्या भी कभी इतनी नहीं हुई कि इसकी गिनती भारत के महान् सांस्कृतिक आन्दोलनों में की जा सके। किंतु फिर भी इस सत्या की एक सभानित्री श्रीमती एनीबीसेंट ने हिन्दुत्व के नवोत्थान एवं भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए इतना कुछ किया कि उनकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती। उनके जीवन का सबसे बड़ा काम यह रहा कि उन्होंने ऊँघते-हुए हिन्दुओं में आत्माभिमान भर दिया एवं जब ईसाई मिशनरी भारत के बाहर भारत के विषय में कुप्रचार करके यहाँ के लोगों को ईसाई बना रहे थे तब इस ईसाई महिला ने खुलकर भारत और हिन्दुत्व का पक्ष लिया।

श्रीमती एनीबीसेंट 16 नवम्बर, 1893 ई० के भारत आयीं तब उनकी अवस्था 46 वर्ष की थी। इंग्लैंड में भारत आते ही, वे भारत के सांस्कृतिक आन्दोलन में कूद पड़ी और भारत के साथ थियोसोफिकल समाज का नाम भी बहुत ऊँचा कर दिया। इंग्लैंड में वे 'फर्बोयन सोसायटी' में काम करती थी, जहाँ उसके महकमों विश्व विख्यात साहित्यकार जाज बर्नाड शॉ थे। शॉ न लिखता है कि 'उस समय इंग्लैंड में उनके सुमान अजसवी भाषण देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण प्रभुत्व था।'

हिंदू धर्म के प्रति सेवाएँ— भारत और हिन्दुत्व को श्रीमती एनीबीसेंट एक दूसरे का पर्याय मानती थी। वे मानती थी कि पूव जन्म में वे हिंदू थीं। हिंदू धर्म को वे विश्व के धर्मों में सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ मानती थी। सन् 1914 में एनीबीसेंट ने एक भाषण में कहा था 'विश्व के अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि मुझे हिन्दुत्व के समान कोई धर्म इतना पूरा, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं जँचता। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा उतना ही अधिक तुम इससे प्रेम रखोगे।'

श्रीमती एनीबीसेंट का व्यक्तित्व अदभुत था उनकी वाक्पटुता, कृतव्यशति तत्परता और अदम्य उत्साह, ज्ञान भण्डार, सम्पन्न व्यक्तित्व सभी का प्रयोग हिन्दुत्व

क परिवार में हुआ। डॉ० श्री प्रकाश के मतानुसार, "श्रीमती एनीबीसेट को ही इस बात का श्रेय है कि उन्होंने एक उदासीन और सोती हुई जाति को नीचे से जगा दिया, उसके अपने आत्म-सम्मान और गौरव को पुनर्जीवित कर दिया। भारतीयों को त्रिंश कर दिया कि वे अपने कदम टेक सके और ससार के राष्ट्रों में अपना स्थान ले सके।"

राजनीतिक क्षेत्र में सेवाएँ भारत भक्ति—भारत की निंदा करने वाले यूरोपियों और भारतवासियों को जसा मुँह-ताड़ जवाब श्रीमती एनीबीसेट ने दिया वसा किमी और से न दिया जा सका। एनीबीसेट और मैक्समूलर जैसे लोगों की ही निष्पक्षता और उदारता का परिणाम था कि ईसाई मिशनरियों के दम में कमी आयी और ससार भारत के सात्विक रूप का पहचानने में समर्थ हुआ।

सन् 1914 में श्रीमती एनीबीसेट ने देश की राजनीति में प्रवेश किया। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक द्वारा चलाय हुए 'होम रूल' आन्दोलन का उन्होंने बड़े जोर के साथ समर्थन किया। 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापति चुना गया। वहाँ उन्होंने बड़ी मायगता से जिम्मेदारी का निभाया। कुछ वर्षों तक उन्होंने देश में राजनीतिक चेतना जगान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने लिखा है कि "जब तक भारतवर्ष जीवित है, एनीबीसेट की सेवाएँ भी जीवित रहेंगी, जो उन्होंने इस दश के लिए की थी।"

निष्कप थियोसोफी धर्म नहीं, धर्म की सजीवनी—थियोसोफी सभी धर्मों का समन्वय चाहती है। थियोसोफिस्ट प्रत्येक धर्म में जो उसका असली तत्त्व है, उसे अपने विश्वास का उपकरण मानते हैं। सारांश में, विश्व बहुत्व तुलनात्मक धर्म और परलोक विद्या का अनुसंधान थियोसोफी के ये तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। इस तरह थियोसोफी वह असली गहराई है जिसमें से सभी धर्म निकले हैं उठ लेकर सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित की जा सकती है।"

IX मुस्लिम समाज का पुनर्जागरण अलीगढ़ आन्दोलन

[Reconstruction of Muslim Society Aligarh Movement]

19वीं सदी में धर्म और समाज सुधार की जो लहर भारत में उठी उसमें मुसलमान सम्प्रदाय भी मुक्त न रहा। उसमें भी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन हुए। मुस्लिम समाज में भी अनेक कुरीतियों का समावेश छा चुका था। अंधविश्वास, पाखण्ड और रूढ़िवादिता धर्म पर बुरी तरह से छा चुकी थी।

बहावी आन्दोलन धार्मिक सुधार—19वीं सदी के शुरु में मुसलमानों में प्रभूव जागृति आरम्भ हुई। अरब देश में 'बहावी आन्दोलन' चला। जिसका मुख्य उद्देश्य था—इस्लाम को परिमार्जित और परिशुद्ध करना। उसी समय मुस्लिम भारतीय समाज में व्याप्त निराशाजनक वातावरण में सौभाग्य में मुहम्मद शाह वली उल्गाह (दिल्ली) जस उच्च धार्मिक नेता का अविभाव हुआ। उन्हीं के एक शागिद

(शिष्य) अहमद शाह (रायवरेली) ने भारत में 'बहावी सम्प्रदाय और आन्दोलन' का जन्म दिया। इसका उद्देश्य भारतीय मुस्लिम समाज में किमुद्धता लाना और इस्लामी धार्मिक विचारधारा और आचरण में घुस आयी दुबलताओं को निकाल बाहर करना था। सयद अहमद दरलवी ने पारश्चात्य सभ्यता के विराध में कट्टर इस्लामी सिद्धांतों का प्रचार किया। वे अंग्रेजों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। डॉ० के० एम० परिष्कर ने लिखा है कि "यद्यपि बहावी आन्दोलन की पृष्ठभूमि आमूल परिवर्तनवादी थी फिर भी वह एक धार्मिक पुनरुत्थान का निमित्त बनकर रह गया। किंतु वह किसी प्रकार में हिन्दू विरोधी नहीं था। उसकी शत्रुता तो अंग्रेजी सत्ता से थी जिसने बठोर हाथों में उनका दमन किया था।"

सर सय्यद अहमद खाँ मुस्लिम समाज का पुनर्निर्माण

सयद अहमद खाँ का जन्म सन् 1817 ई० में दिल्ली में हुआ था। हिन्दू पुनर्जागरण में जो काय राजा राममोहन राय ने किया, वही काय मुस्लिम पुनर्जागरण में सयद अहमद खाँ ने किया। वे मुस्लिम समाज में धर्म में घुस आयी बुराईयों को दूर करना चाहते थे। वे मुसलमानों को पारश्चात्य एवं आधुनिक रीति नीति में शिक्षित करना चाहते थे। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि भारत के मुसलमान इस्लामी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पारश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा के भी महत्त्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करें।

मुस्लिमों की शोचनीय दशा—1857 के ग्दर के बाद अंग्रेज सरकारी अधिकारी मुसलमानों के प्रति खुली शत्रुता ही नहीं निभा रहे थे, उनके कार्यों को बहुत सद्दृष्टि से देखते थे। तत्कालीन परिस्थितियों में उनको किसी तरह तरजीह मिलना कठिन था, क्योंकि वे नूतन शिक्षा पश्चिमी विद्या उपाजन के क्षेत्र में नहीं उतरे थे। अब अंग्रेजी भाषा न राजकीय भाषा के रूप में फारसी भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया था और मुसलमानों ने अंग्रेज दुश्मनी के कारण अंग्रेजी शिक्षा की ओर उपेक्षापूर्वक ध्यान नहीं दिया था।

इस सम्बन्ध में डॉ० के० एम० परिष्कर ने लिखा है "सबसे बड़ी बात यह थी कि वे देश में अल्प सख्यक थे और यदि वे समय रहते भली भाँति आख रोलकर ठीक ढंग से सही स्थिति को पहचानने या अपने ह्रास को रोकने में सक्षम न थे तो सचमुच उनके सामने सबनाश का संकट मुँह फलाये खड़ा था। अब या तो इस्लाम का किसी नयी नीति का सहारा पकड़ना था या उसको विनाश के गत में चले जाना था।"

जब भारतीय मुस्लिम समाज इस सघन अधकार में भटक रहा था तब उसे सौभाग्यवश सय्यद अहमद खाँ नामक मुगल दरबार के अमीर का नेतृत्व मिला। सय्यद अहमद खाँ के पिता का मुगल दरबार में फोर नाम का एक उच्च पद प्राप्त था। यद्यपि सय्यद अहमद खाँ को भी अपने पिता की इस उपाधि

श्रीर पद का लालच दिया गया था फिर भी उन्होंने इसकी अपेक्षा कम्पनी के अतगत एक यायागीय (Judicial) पद पर सेवा करना बहतर समझा ।

सय्यद अहमद और अंग्रेजी शासन—जब भारत में इस्लाम का अध पतन बड़ी तेजी से हो रहा था । तब उ हान उन अपेक्षाकृत नरम तत्वों का नवृत्त्व ग्रहण किया जो इस मत के समर्थक थे कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का सहयोग करके ही मुसलमानों के भविष्य की रक्षा की जा सकती है । उनका कहना था कि मुसलमानों का एक जाति के रूप में संगठन किया जाय और इस अधि में उसके निमित्त अंग्रेजों का सहयोग रखा जाय ताकि वे उनकी मदद से अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर सकें । साथ ही उन्हें अंग्रेजी शिक्षा की ओर भी मुडना चाहिए । अस्तु सय्यद अहमद ने अंग्रेजी शासन की दृष्टि-दृष्टि प्राप्त करने की मन में ठान ली ।

अंग्रेजों के विरुद्ध जब सन् 1857 में प्रथम बगावत की गयी थी तब प्रमुख मुस्लिम धार्मिक गुरुआ (मूल्लाआ) ने फतवा (धार्मिक आदेश) जारी किया था कि यह मुसलमानों का धार्मिक कृतव्य है कि वे अंग्रेजों का डटकर प्रतिरोध करें । उस कारण अंग्रेज मुसलमानों से सख्त नाराज थे । किंतु सय्यद अहमद की प्रेरणा से गौनपुर के मौलवी करामत अली ने घोषणा की कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इस्लाम बाध्य नहीं करता है । इधर अंग्रेज सरकार भी अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए तयार थी । सन् 1872 में सर विलियम हटर ने अंग्रेजी शासन को रामश दिया कि इस्लाम के दृष्टिकोण का बेहतर तरीके से समझन और उसके प्रति सम्मोक्षा करने की ओर ध्यान दिया जाए । इस परिस्थिति में सरकारी क्षेत्र में सय्यद अहमद का जारंगर पूछ हाने लगी ।

मुस्लिमों में शिक्षा प्रसार

सय्यद अहमद का जीवन का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सय्यद अहमद का ने सबप्रथम 1864 ई० में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल स्थापित किया । एक वर्ष बाद अंग्रेजी की पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए एक विज्ञान समाज (Scientific Society) की स्थापना की । 1869 ई० में वे लखनऊ पर गये और वहाँ शिक्षा जगत में हो रही प्रगति का अध्ययन किया । 1876 ई० में वे राजकीय सेवा को त्यागकर मुसलमानों की सेवा में जुट गये । 1877 ई० में उन्होंने अलीगढ़ में 'मुहम्मदन एग्लो ओरिएण्टल कालेज' की स्थापना की जो आगे चलकर मुस्लिम विश्व-विद्यालय कहलाया और अलीगढ़ आदोलन का केन्द्र-बिन्दु बनी । सर सय्यद अहमद का ने मुसलमानों की शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए एक मुस्लिम शिक्षण समिति (Muhammadan Educational Conference) की भी स्थापना की । उन्होंने इस समिति के द्वारा अंग्रेजों से मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर लिया, जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में लाने के लिए

उत्सुक थे और उसके लिए प्रयत्न करने के लिए नैयार थे। इन सबके फलस्वरूप अंग्रेजी के अनेक उपयोगी ग्रन्थों के अनुवाद द्वारा उद्दू-साहित्य सम्पन्न हुआ।

सर सैय्यद अहमद और सामाजिक सुधार—सर सैय्यद न मुस्लिमों में प्रचलित पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। तथा मुस्लिम समाज में प्रचलित पद्धति का विरोध किया। उन्होंने इन सुधारों के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका भी प्रारम्भ की थी। सर सैय्यद अहमद का दृष्टिकोण लौकिक था। वे 'अम्ल ए सालेह (सद कार्यों) का अर्थ सत्कार मरहकर अच्छे काम करना समझते थे। निरी मुक्ति व परलोक की चर्चा उन्हें अस्वीकार्य थी। उन्होंने पवित्र 'कुरान' का उद्दू भाषा में भाष्य भी लिखा जिसमें नवीन विचारों के आधार पर कुरान का मही तात्पर्य स्पष्ट किया।

'अलीगढ़ आन्दोलन' का इतिहास व महत्व

डॉ० के० एम० परिशद्वर—ने लिखा है कि आरम्भ ही से अलीगढ़ आन्दोलन को अंग्रेजों का समर्थन मिल गया। सर सैय्यद ने ताड़ लिया कि अब समय उनके अनुकूल है और वह अपने साथ सहानुभूति रखने वाले अंग्रेजों की मदद से एक विद्यालय की स्थापना करने में जुट गये जहाँ शिक्षा पाकर मुस्लिमों में 'मिल्लत का जज्बा' (विशेष विरादरी की भावना) पैदा हो सके।

सौभाग्यवश उन्हें प्रिंसिपल थ्योडोर बैक जसा सहायक मिल गया जिसने उनके आशों के प्रति सहानुभूति दिखायी और जो जान से उनके कामों में जुट गया। उन्होंने अलीगढ़ में तबलीग (धर्म-प्रचार) व सामाजिक सुधार की भावना उत्पन्न कर दी। सर सैय्यद के नेतृत्व में इससे दो बातें पूरी हुईं। इसने अंग्रेजों की पीढ़ी में अंग्रेज मुस्लिम सहयोग की भावना कूट-कूटकर भर दी। जिससे दोनों पक्षों ने तत्काल लाभ उठाया, और उसने अलीगढ़ को पढ़े-लिखे मुस्लिम लोगों का एक उद्भवस्थल बना दिया। उन्होंने अंग्रेजों के मैदान में आकर इस्लाम और मुस्लिम समाज के सगठन का मुस्लिमों से काम किया।

'अलीगढ़ आन्दोलन' भारत में इस्लाम के पुनरुत्थान का मूल कारण माना जा सकता है। इसके दो मुख्य महत्वपूर्ण परिणाम सामने देखने में आये। पहला यह भारतीय इस्लाम के समेकन की दिशा में पहला कदम साबित हुआ। भारत के विभिन्न भागों में बिखरी मुस्लिम जनसंख्या के लिए उसने एक केन्द्रिय संस्था का काम किया जहाँ उसे एक सामान्य बौद्धिक पृष्ठभूमि और सामान्य विचारधारा से परिचित होने का अवसर मिल गया। यह अलीगढ़ का ही आदमी था। जिसने भारत के काने-काने में मुस्लिम आन्दोलन का पथ प्रदर्शन और नेतृत्व किया। दूसरा, अलीगढ़ ने उद्दू को भारतीय इस्लाम की राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। उद्दू तीन सौ वर्षों से भी अधिक काल तक यहाँ के सरकारी वर्गों की, चाहे वे हिन्दू ही, चाहे मुस्लिम, एक सामान्य भाषा बनी रही।

अलीगढ आन्दोलन का प्रतिबिम्ब शीघ्र ही सभी प्रान्तों और देशी रियासतों में लगा। हैदराबाद (दक्कन), भोपाल और अन्य मुस्लिम रियासतों अपनी रियासतों में मुस्लिम आंग्ल ओरियंटल कालेज के स्नातकों को भरती करने लगी। एक नगर में अजमुने (सस्थायों) स्थापित हुई जहाँ अलीगढ के सिद्दातों का प्रचार। और उदू को प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी समय भारत में मुस्लिम समाचार। की, विशेषकर उदू में, वृद्धि हो चली।

इस तरह 'अलीगढ आन्दोलन, ने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक प्रार्थिक प्रगति और आधुनिकीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया। धीरे धीरे भारत में मुसलमान भी उस प्रगति के माग पर अग्रसर हुए जिसका अनुकरण हिंदू पहले कर रहे थे। जो कार्य भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और हिंदू सामाजिक तथा मिक आन्दोलनों ने हिंदुओं के लिए किया वही कार्य अलीगढ आन्दोलन ने रतीय मुसलमानों के लिए किया। इस आन्दोलन ने मुस्लिम सम्प्रदाय को शकता और निराशा से बचाया तथा उसे मध्य युग से आधुनिक युग में लाने में लता दिलायी।

सैयद अहमद के कार्यों का मुल्याकन—इस सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि र्णम जाति की शिक्षा, समाज सुधार और जागृति के लिए जो कार्य सर यद अहमद खा ने किया वह अभी तक किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान ने किया था। उन्होंने मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार करके उन्हें आधुनिक र्म्यतिया के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने ही मुसलमानों को पश्चिमी शा और सभ्यता के सम्पर्क में लाकर उन्हें प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न किया। ने इस लक्ष्य में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की।

डा० के० एम० पण्डित के शब्दों में, "वास्तव में, इन बातों का श्रेय सर यद खाँ को दिया जाएगा कि उन्होंने भारतीय इस्लाम को विघटन ही से नहीं पाया प्रत्युत उस एक पीढ़ी के भीतर ऊँचा उठाकर एक महत्त्वपूर्ण आसन पर बठा या और उसे अग्रद्विग्ध रूप में प्रभावशाली बना दिया।" सर सैयद के विचारों र अलीगढ आन्दोलन के फलस्वरूप ही भारतीय मुसलमानों की नींव टूटी और नई जागृति और आशा की किरण उत्पन्न हुई। इस तरह बीसवीं शताब्दी के म, मुस्लिम समाज में सामाजिक व राजनतिक चेतना का उदय हो गया और भी अन्य देशवासियों के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला।

तिलक और टैगोर का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Tilak and Tagore)

- I तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान
- II लोकमान्य तिलक की उपलब्धियाँ
- III बंगला साहित्य को टैगोर की देन
- IV विश्व कवि टैगोर की उपलब्धियाँ

I बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान

“ वे बहुत ही बुद्धिमान और दृढ़ विश्वासों के व्यक्ति थे। उन्हें स्वतंत्रता सब याता से अधिक प्यारी थी। वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि इतिहास में उनको आधुनिक भारत के महान् राजनीतिज्ञ के रूप में स्थान दिया जायेगा।

रेम्जे मेकडोनल्ड

(1920 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

बाल गंगाधर तिलक ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने तथा स्वतंत्रता सघष संचालन में निभय होकर नेतृत्व दिया, वह स्मरणीय है। भारत की जनता पर, उनके समय में जितना प्रभाव तिलक का था उतना किसी भी अन्य राजनेता का न था।

संक्षिप्त जीवन परिचय—बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 ई० को महाराष्ट्र के चिरवल ग्राम में हुआ था। प्रारम्भ में ही बाल गंगाधर का जीवन उदीयमान रहा और उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने बी ए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर अपने मेधावी छात्र होने का परिचय दिया। सन् 1879 में उन्होंने एल एल बी की कानूनी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सन् 1880 में सावजनिक जीवन में प्रवेश किया और अन्तिम क्षण (19२० ई० में अपनी मृत्यु) तक वह सावजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। इस 40 वर्ष के सावजनिक जीवन में इन्होंने राष्ट्रीय-उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जिनके पन्त्स्वरूप इनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्मरण किया जायेगा।

तिलक की उग्र-राष्ट्रवादी विचार धारा — तिलक उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे उनका राष्ट्रवाद मध्यमव्यवादिता का राष्ट्रवाद नहीं था। वे तो स्वयं कम म विश्राम करते थे और साथ ही राष्ट्र को काय करन को प्रेरित करते रहते थे उनकी वाणी में बहुत अधिक असर था। वे केवल बात करना नहीं, काय करना जानते थे वे राष्ट्र का निभय एवं शक्तिशाली तथा सगठित दसना चाहते थे। वे कांग्रेस की तत्कालीन नरम विचारधारा के विरोधी थे और यह मानते थे कि केवल प्रस्तावों को पारित करने में देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। केवल धारा सभाओं में चुन जाकर तथा वहाँ विरोध करते रहना नहीं मांग नहीं है। उनकी मायता थी कि अंग्रेजी सरकार भारत की जनता के साथ कभी काय नहीं कर सकती। अस्तु, वह चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और अधिक वास्तविक नीति अपनानी चाहिए और उसे वलानिक जन आन्दोलन शुरू करना चाहिए।

तिलक की यह मायता थी कि भारतवर्ष एक महा राष्ट्र है। उसका अतीत गौरवमय है, परन्तु ऐसे देश पर अंग्रेजी शासन का कुप्रभाव है। अतः वे सघप करके स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। उनका मूल मन्त्र स्वावलम्बन ही था। उनकी मायता थी कि स्वतंत्रता अर्पण अपन नहीं आ सकती बल्कि उसे अंग्रेजों से घोर सघप करके प्राप्त करना होगा। इसलिए, लोकमाय तिलक ने ही सर्वप्रथम सावजनिक रूप से यह उल्घोष किया था कि— स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेगे।”

तिलक द्वारा कांग्रेस सगठन में जाग्रति— 1900 के बाद तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उन्होंने वहाँ काय करते हुए उसके स्वरूप और ध्येय को बदलने का प्रयास किया। उस समय कांग्रेस में उदारवादी-नरमदली भारतीय नेताओं की प्रधानता थी। उनको अंग्रेज शासकों की काय प्रियता में विश्वास था और वे सोचते थे कि यदि वे प्राथना पत्रों के रूप में अपनी मांग सरकार के सामने पेश करेंगे तो वे उन्हें अवश्य स्वीकार करेगे इन उदार नेताओं में किराजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी दादाभाई नौरोजी, और रास बिहारी घोष प्रमुख थे। उनकी यह मायता थी कि समय आन पर जब भारतवासी स्वराज्य को पाने योग्य हो जायेंगे तब अंग्रेज शासक स्वतः उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करके यहाँ से लौट जायेंगे परन्तु कांग्रेस की प्राथना पत्रों की नीति से अंग्रेज सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा और वे पहिले की तरह शासन में मनमानी करते रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मागन से नहीं बल्कि सघप में प्राप्त होगा। सवधानिक आन्दोलन से भारत के जागरूक नागरिकों का विश्वास उठ गया। सघप द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करन की भावना को प्रोत्साहित करन वाला में लोकमाय तिलक प्रमुख व्यक्ति थे।

लोकमान्य तिलक कांग्रेस के नरमप्ली नेताग्रा की नीति से अग्रतुष्ट थे। उन का तो स्पष्ट लक्ष्य भारत में राजनीतिक स्वराज्य की प्राप्ति था। उसे प्राप्त करने के लिए वे सघप, त्याग व बलिदान का मांग ग्रहणना चाहते थे। अतएव, तिलक ने 1905 में पंजाब के लाला लाजपतराय तथा बंगाल के विपिन चन्द्रपाल जैसे मुखर और साहसी नेताग्रा के सहयोग में कांग्रेस में एक उग्र विचारों वाला दल संगठित किया। इस गम दल का कार्यक्रम अंग्रेजी सरकार से सघप करने का था। तिलक अपने समाचार पत्र 'केशरी तथा मंगठा' और विपिनचन्द्र अपने समाचार पत्र में 'यू इण्डिया' के द्वारा निरन्तर इसी प्रकार के विचारों का प्रचार कर रहे थे। नम दल की तरह उनका लक्ष्य अंग्रेजी की आधीनता में स्वशासन प्राप्ति न था बल्कि वे 'पूर्ण स्वराज्य' की अपना लक्ष्य मानते थे। परंतु तब भी गम दल का तरीका हिंसात्मक न था। वे सरकार से अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे।

उग्र-दल और कांग्रेस का सूरत-विभाजन — (1907 ई०) कांग्रेस में नम दल और गम दल के नेताग्रा के मतभेद बढ़ने ही गये। सन् 1906 में कांग्रेस महापति दादाभाई नौरोजी की कुशलता के कारण दोना दल में उस वष सीधा सघप होना संभव गया। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन के अवसर पर दोनो दलों में खुला सघप हो गया। उम वष महापति के पद के लिए रासबिहारी बोस चुने गये जबकि गम दल वाले लाल गंगाधर तिलक को महापति बनाना चाहते थे। इसी कारण दोनो में खुला सघप हो गया। इस पर तिलक तथा उनके साथी कांग्रेस से अलग हो गये। परन्तु कांग्रेस से अलग हो जाने पर भी तिलक का सम्मान पूर्ववत् रहा और वे निरन्तर अपने सघपवादी विचारों का प्रचार करते रहे।

तिलक को राजद्रोह में कारावास, - सन् 1905 में बंगाल के विभाजन कर दिये जाने के विरोध में देश भर में आन्दोलन किया गया। तिलक के प्रयत्नों से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और बंगाल में 7 अगस्त को अंग्रेजी शासन नीति विरुद्ध दिवस मनाया गया। शीघ्र ही उग्र विचार धारा देश-की प्राण बन गयी। युवकों में असंतोष की अग्नि भड़क रही थी। अंग्रेज अधिकारियों की हत्याओं का ताता लग गया। खुशीराय बोस ने भुजपूरपुर के अंग्रेज सेशन जज पर बम फेंक कर हत्या कर दी तो एक अन्य आविष्कारी युवक नटाका के अंग्रेज क्लकटर को मौत के घाट उतार दिया।

ऐसे समय महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के संपादन में अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'मंगठा' और मराठी दैनिक 'केशरी' ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के विरोध में आग उगल रहे थे। परेशान व भयभीत होकर अंत में अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह का अपराध लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज यायाचीश ने उन्हें राजद्रोह फलान के अपराध में छह बर की सजा सुना दी। इसके कारण लोकमान्य तिलक को सन् 1908 से 1914 तक बर्मा के माण्डले कारावास में रहना पड़ा जेल में ही तिलक को सूचना मिली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। परंतु उस महान आत्मा ने कभी जीवनकी भावना प्रदर्शित करके क्षमा मांगने का प्रयत्न नहीं किया।

होम-रूल-लीग की स्थापना - 1914 म तिलक जेल मे छूटकर वापस आये। उन्हाने पुन राष्ट्रीय जीवन मे सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया और होम-रूल-लीग की स्थापना की। उसी प्रकार श्रीमती एनीबेसेट न भी एक 'होम रूल लीग' की स्थापना की। बाद मे ये दोनों सस्थाएं मिलाकर एक करदी गयी। इस लीग का उद्देश्य आयरने ट की भांति भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। 1916 म एनीबेसेट के प्रयत्नो स कांग्रेस के दोनो दला गम दल और नम दल को मिलान का प्रयत्न किया गया। और उह इस काय मे सफलता प्राप्त हुई। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन म श्री तिलक ने भाग लिया। इस अधिवेशन में गेम व नम दोनो गुटो न मिलकर भारत के लिए स्वायत्त शासन की माग की उसी समय म कांग्रेस म गम दल वाला का प्रभाव बढ़ता गया।

कांग्रेस व मुस्लिम लीग की निकट लाना—सन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन म कांग्रेस और मुस्लिम लीग क बीच समझौता कराने म श्री तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इसीसे उनके असाम्प्रदायिक एवं हिंदू मुस्लिम एकता क मन्त्रे स्वरूप को जाना जा सकता है। यह 'लखनऊ समझौता' के नाम मे विख्यात है।

राष्ट्रीय आंदोलन मे तिलक के अंतिम वय—सन 1919 के सुधार अधिनियम क सबब म लाकमान्य तिलक न इ गलण्ड जाने वाले कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल का नतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हान वाले पेरिस शांति सम्मेलन म तिलक न एक स्मरण-पत्र भेजकर भारत के लिए आत्म निर्णय की माग की थी। इधर भारत म अंग्रेजी शासन के निरन्तर प्रयत्नो के बावजूद भी आतिकारी आंदोलन समाप्त न हा सका था। इस कारण भारतीय नागरिको को सतुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक समझा गया और इस आशय स भारत मंत्री मोटेम्पू ने ब्रिटिश संसद म एक घोषणा की कि "संघाट की सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग म भारतीयो स अधिकारिक सहयोग लिया जाय और भारत म ब्रिटिश स्वशासित सस्यामो का नैतिक विकास किया गया" पर तु यह सब शब्द-जाल ही सिद्ध हुआ।

अस्तु अंग्रेजी शासन पर दबाव डालने के लिए तिलक न कांग्रेस के मामन विश्वी वस्तुओं के बहिष्कार, सरकारी नौकरिया तथा उपाधियो के त्याग करन आदि के काय क्रमा को रखा जिससे स्वराज्य आन्दोलन एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सका। सन 1920 म लाकमान्य तिलक का असामयिक स्वगवास हा गया। इस तरह लाकमान्य तिलक न अपन 46 वय के सावजनिक जीवन म समस्त क्षेत्रो म विरोधन स्वतन्त्रता सधप म महत्वपूर्ण काय किय। महात्मा गांधी भी तिलक क सम्पर्क म आय तथा उन्हाने ही तिलक को सब प्रथम बार 'लाकमान्य' कहकर अपना सम्मान प्रकट किया था।

निष्कण्य तिलक का राजनतिक दशन—लोक माय तिलक काय करन म विश्वास रखते थे। गीता का कमवाद उन्हाने अपने जीवन म पूरी तरह उतार लिया

पत्रकार के रूप में योगदान—यद्यपि बाल गंगाधर तिलक न अपना सावजनिक जीवन एक अध्यापक एवं शिक्षाविद के रूप में प्रारम्भ किया था, परन्तु वे शीघ्र ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद पड़े। वास्तव में, तिलक की प्रतिभा सबसे अधिक प्रकट थी। वे भारत में जनजाति के विभिन्न साधनों को विकसित करना चाहते थे। अतः, उन्होंने उनमें एक साधन पत्रकारिता को भी चुना। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' और मराठी भाषा में 'केसरी' नामक समाचार पत्रों का सम्पादन प्रारम्भ किया। 'मराठा' का प्रथम अंक 2 जनवरी, 1881 ई० को तथा 'केसरी' का 4 जनवरी 1881 को प्रकाशित हुआ।

श्री तिलक ने अपने स्पष्ट एवं उग्रलेखा द्वारा जनसाधारण को स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाया, जनता में आत्मविश्वास, बहादुरी और साहस की भावना का अभूतपूर्व संचार किया। इन समाचार-पत्रों में प्रकाशित त्वेलाग एवं देशभक्ति-पूर्ण लेखों से लोकमान्य तिलक अंग्रेज सरकार की आँखों में खटकने लगे। अगले वर्ष 1882 में ही एक मानहानि के मुकद्दमे में उन्हें फमाकर चार माह की सजा दी गई। परन्तु इस जेल-यात्रा से श्री तिलक की रियासति दूर-दूर तक फल गयी। अब उनकी वाणी और लेखा में और अधिक तीखापन पड़ा हो गया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की पूरी तरह से खबर लेना शुरू कर दिया। उनकी उग्रता बढ़ती ही चली गयी और शीघ्र ही वे देश की उग्रवादी-क्रांतिकारी विचारधारा के अग्रगण्य माने जाने लगे अब अंग्रेजी शासन वेचन हो गया। सन 1908 में जब श्री तिलक सरकार के अत्यायपूर्ण कारनामों के विरोध में अपने सपादकीय में आग उगल रहे थे, उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनपर राजद्रोह का मुकद्दमा चलाने का नाटक कर उन्हें अंग्रेज जज ने 6 वर्ष की सजा सुना दी जिसके कारण सन 1908 से 1914 तक वमा के माण्डले जेल में श्री तिलक को रहना पड़ा। फिर भी तिलक झुके नहीं।

समाज सेवी के रूप में योगदान—1886-97 ई० में दक्षिण भारत में एक भीषण अकाल पड़ा। अंग्रेजी राज्य सरकार ने इस भयंकर संकट के समय कोई विशेष सहायता नहीं की, जिससे हजारों लोग मौत के शिकार हो गए। ऐसे समय, श्री तिलक न सभी समाज सेवियों के सहयोग में दुखी जनता की भरसक सहायता की। उन्होंने अपने समाचार पत्रों—'केसरी' और 'मराठा' में अंग्रेजी सरकार के निष्क्रिय प्रशासन की कटु आलोचना की। मई 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैल गया जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। सरकारी उपक्षा और चिकित्सा कुच्यवस्था को आलोचना करते हुए श्री तिलक न आम जनता और किसानों की निडरतापूर्वक कायबरन की सलाह दी। अपने जीवन की परवाह न करके उन्होंने घर-घर जाकर जिस प्रकार से प्लेग से ग्रस्त रोगियों की सेवा की तथा अनाज एकत्रित करके अकाल-प्राणित भूखों की भोजन-व्यवस्था की वह सभी के लिए एक आदर्श वस्तु है।

समाज-सुधारक के रूप में योगदान—समाज सुधार के मन्व-ध में श्री तिलक की मायता थी कि समाज में वही सुधार करना चाहिए जो अधिक व्यावहारिक है। वह इन सुधारों को अंग्रेजी सरकार के माध्यम से न कराकर समाज के लोगों से ही करवाना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने समाज में प्रमत्त सुधार करने पर बल दिया। उनका विचार था कि समाज में शिक्षा और पान के प्रसार के साथ यह सुधार स्वाभाविक रूप से पनपन लगे और समाज में उत्पन्न बुराईयों अपने आप दम टाड़ देगी। तिलक दश में सामाजिक सुधारों से १९२० राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय जगृति का आवश्यक मानते थे।

समाज सुधार के क्षेत्र में श्री तिलक के निम्नलिखित प्रयास उल्लेखनीय हैं

(1) बाल विवाह का विरोध—तिलक बाल विवाह को पसंद नहीं करत थे। उन्होंने मांग की थी कि विवाह की उपयुक्त अवस्था बच्चे के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 20 वर्ष रानी जानी चाहिए। (2) दहेज प्रथा की निन्दा—उन्होंने हिन्दू समाज में व्याप्त दहेज की कुप्रथा की कटु निन्दा करते हुए उसे समाप्त करने की मांग की। (3) विधवा विवाह का समर्थन—तिलक तत्कालीन समाज में विधवाओं की दयनीय अवस्था से क्षुब्ध थे। उनकी मायता थी कि 40 वर्ष की अवस्था से आंधक अवस्था के पुरुष पुनर्विवाह नहीं करें और यदि वे विवाह करना चाहें तो केवल विधवाओं से करें। विधवा स्त्रियों के मुँह की प्रथा समाप्त की जाय तथा शुभ अवसरों पर विधवा स्त्रियों को हय दृष्टि से न देखा जाय। (4) अछूतों के लिए—व अछूतों के खिलाफ और अछूतों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि समस्त भारतीय एक भारत माता की सतत हैं।

एक विद्वान के रूप में योगदान

श्री तिलक एक स्याति प्राप्त उच्चकोटि के विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में निम्नलिखित उच्चकोटि की रचनाओं की (1) ओरियन्ट—इस ग्रंथ में उन्होंने आर्य सभ्यता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ऋग्वेद की कथाएँ 4000 ईसा पूर्व के समय का संकेत करती हैं। (2) आकटिक होम—इन वेदाङ्ग—इस विद्वता पूर्ण ग्रंथ में तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। (3) गीता रहस्य लोकमाय तिलक की यह सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने अपने छह वर्ष के कारावास काल (1908-14) में बर्मा के माडले जेल में लिखा था। यह ग्रंथ मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में उन्होंने कम को सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान दिया है। उनका कथन था कि मनुष्य चाहे पूणत्व के किसी भी स्तर पर पहुँच जावे वह कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता यथा—गीता सत्कार से ज्ञान के भक्ति द्वारा ईश्वर से पूर्ण ए-आत्म होने के उपरान्त भी कम करने को प्रेरित करती है। गीता के कमयोग विषय में उनका कथन था कि देश में स्वराज्य भी इसी पर अमल करने से प्राप्त हो सकता है।

सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विकास में योगदान

श्री बालगंगाधर तिलक पहले भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विचार का प्रवर्तन किया। तिलक राष्ट्र को शक्तिशाली और सगठित बनाना चाहते थे। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा व गव की भावना को भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख आधार बनाना चाहते थे। उनके द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सवों को प्रोत्साहन देना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

(1) गणपति उत्सव लक्ष्य—श्री तिलक ने सामंता द्वारा प्रचलित परम्परा को जन माधारण का उत्सव बनाने का सफल प्रयास किया। इस उत्सव को राजनीतिक रंग देकर उन्होंने राष्ट्रीय उत्सव का रूप प्रदान किया। विभिन्न नगरों व ग्रामों में गणपति सथाएँ शुरू की गईं जहाँ शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था होती थी। गणपति के उत्सव पर जलूस भाषणा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। तिलक व अनुसर इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में वीरता तथा अनुशासन की भावना तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम व सगठन को बढ़ावा देना था। धीरे-धीरे यह महात्सव महा राष्ट्र भर में लोकप्रिय हो गया और इसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होने लगे।

(2) शिवाजी-उत्सव उद्देश्य—श्री तिलक छत्रपति शिवाजी की गौरव गाथा तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अत्यधिक प्रभावित थे। वे शिवाजी का गीता वे मन्त्र का अनुरूप, एक महान विभूति समझते थे। अस्तु मंत्र 1895 में रायगड में शिवाजी का जन्म के उपलक्ष्य में वापिक उत्सव श्री तिलक की अध्यक्षता में मनाया गया। उन्होंने शिवाजी को राष्ट्रीयता का प्रतीक बताया। इस उत्सव के आयोजन के पीछे तिलक का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों में देश भक्ति एवं राष्ट्रीयता की प्रबल भावना का प्रसार करना था। श्री तिलक ने कहा था, "भाट की तरह गुणगान करने में स्वतंत्रता नहीं मिल जायगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी व बाजीराव की भाँति साहसी कार्य करने पड़ेंगे।"

क्या तिलक साम्प्रदायिकता वादी थे?—तिलक के कुछ आचार्यों ने उनका दावा उल्टा करके उनका कटु आलोचना की है। विरोधियों ने तिलक का विपुल हिन्दू साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ तथा मुस्लिम विरोधी का रूप में जनता के सामने प्रचारित किया। परन्तु विरोधियों का ऐसा आरोप लगाना गत्यय में पर है। वास्तव में लोकमान्य तिलक साम्प्रदायिक एवं महान राष्ट्रवादी थे। वे तो भारत में बसने वाले सभी धर्मों के नाता का 'स्वराज्य' चाहते थे। मंत्र 1919 में भारतीय मुन्दमानों द्वारा दत्त व्यापी छेदने एवं विनाशपूर्ण घातोलन को तिलक का हार्दिक समर्थन प्राप्त था। विनाश के शीघ्र-नेता धर्मो वदुषा की रिहाई का प्रस्ताव कांग्रेस सम्मेलन में भी निमग्न ने ही प्रस्तुत किया था। उनके धर्मो मुस्लिम अनुयायी धर्मो समर्थक थे। तिलक तो हिन्दू व मुन्दमानों दोनों का ही समान रूप में ही हित चाहते थे। सभी नस्लों को देश भक्ति एवं राष्ट्रीय विचारों की प्रगति की है।

तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में महान् योगदान

भारत में लोकमान्य तिलक ही वह नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारत को राष्ट्रवाद का सही सिद्धांत मुझाया। "जब भारत में वास्तविक राजनीतिक जागृति हुई, तो सब प्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज्य की आवश्यकता एवं उसके लाभों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। श्री तिलक ने ही सब प्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय शिक्षा, जन प्रिय समुक्त राजनीतिक मोर्चे आदि के सशक्त आन्दोलन के तरीकों की खोज की। बाद में इन्हीं के द्वारा स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली वस्तुतः स्वातंत्र्य आन्दोलन की आधार शिला रखने का श्रेय तिलक को ही है।

निष्कर्ष—इस तरह तिलक का सभी क्षेत्रों में महान् योगदान रहा। वास्तव में, देश तिलक जैसे महान नेता का पाकर घाय हो गया।

डॉ० आर० सी० मजूमदार ने लिखा है, "अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक 'लोकमान्य' कहलाये जाने लगे और उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वह जहाँ भी जाते थे, उनका राजकीय सम्मान तथा स्वागत किया जाता था'। सी० आई० चिंतामणि, के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति तिलक के जीवन का चरम लक्ष्य था, जब कभी वे किसी बात पर उत्पन्न हो जाते थे, तो फिर पीछे हटना उनके लिए असम्भव था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों के लिए समकालीन राजनीतिज्ञों में सबसे अधिक कष्ट सहन किये।" राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने में उनके समान योग्यता उस समय के किसी भी राजनीतिज्ञ में दिखाई नहीं देती। बेलन्टाईल शिरोल ने ठीक ही लिखा है कि 'यदि कोई व्यक्ति 'भारतीय चेतना का जनक होने का दावा कर सकता है। तो यह बाल गंगाधर तिलक है।' अतः, श्री अरविन्द के शब्दों में कहा जा सकता है "श्री तिलक का नाम राष्ट्र निर्माता के रूप में आधी दजन महानतम राजनीतिक पुरुषों, स्मरणीय व्यक्तियों, भारतीय इतिहास के इस सकटमय काल में राष्ट्र के प्रतिनिधि व्यक्तियों में होने के नाते सदा अमर रहेगा। और इसे लोगों तब तक वृत्तपत्ता पूर्वक स्मरण रखेंगे, जब तक कि देश में अपने भूतकाल पर अभिमान और भविष्य के लिए आशा बनी रहेगी।"

रवीन्द्रनाथ टैगोर [1861-1941 ई०]

का

सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व

"बुद्ध, व्यास, बाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास आदि के रूप में जो भारतीय प्रतिभा समय समय पर प्रस्फुटित होती रही हैं, वही जाज्वल्यमान भारतीय प्रतिभा रवीन्द्रनाथ के रूप में प्रकट हुई।"

—प्रो० सितवन लेखी

टगोर का साहित्य न केवल भारत का किं तु विश्व का अमूल्य भण्डार बना। टगोर भारतीय साहित्य की लगभग पूरी एक शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी विविध रचनाओं में उन्होंने अपने युग की समस्त प्रवृत्तियाँ तथा शक्तियाँ का समावेश किया है। डॉ० श्रीकुमार बनर्जी ने लिखा है कि, 'कवि के रूप में वे भारतीय संस्कृति के कदाचित् प्रतिम प्रतिनिधि हैं। कवीन्द्र रवींद्र एकाधार में नारीत्व, वक्ता, लेखक, उपन्यासकार, नाट्यकार, सुकवि और अच्छे अभ्यापक हुए हैं। आप अपनी नवात्मपशांलिती प्रतिभा को जब जित आर लाते, वही वह अपना बमाल दिसा देती थी।

संक्षिप्त जीवन परिचय—रवींद्रनाथ टगोर का जन्म 6 मई 1861 ई० को कलकत्ता में, बंगाल में एक सभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इनके पिता का नाम दत्त ब्रह्म ठाकुर तथा माता का नाम शारदा देवी था। यह परिवार बड़ा ही सुसम्पन्न, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत था। इनके पिता एक बड़े जमींदार थे। ठाकुर का ही अग्रजों में रूपान्तर 'टगोर' हुआ। सन् 1883 में मणालिनी देवी नामक कन्या से रवींद्रनाथ का विवाह हुआ। रवींद्रनाथ की शिक्षा प्रथम घर पर ही हुई। साहित्य संगीत तथा दर्शन से उन्हें बाल्यकाल से ही बड़ा प्रेम था। बंगाल के सुरम्य प्राकृतिक दृश्या का भी इनके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपका ज्येष्ठ भ्राता द्विजेन्द्रनाथ अच्छे विद्वान् थे। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके दूसरे भाई सत्येन्द्रनाथ भारतीय लोक सेवा (ICS) में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। सन् 1878 में रवींद्रनाथ पहली बार इंग्लैंड गये और वहाँ उन्होंने अग्रजों साहित्य का भनीभांति अध्ययन किया। साराश में, टगोर एक सच्चं देश भक्त एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। एम महान् दूरदर्शी, साहित्य पथी, समाज एवं राष्ट्र प्रेमी, मनीषी की जीवन ज्योति 9 अगस्त 1941 को सदा के लिए बुझ गई।

III बंगला साहित्य को कवि टगोर की देन

रवींद्रनाथ के जीवन के साथ-साथ भाषा का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है, दोनों का प्राण जन्म एक ही। रवींद्रनाथ के उदय के बाद ही बंग साहित्य का परिपूर्ण विकास हुआ। उन्होंने—साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी समस्त विषयों पर रचनाएँ की हैं।

प्रारम्भ से ही कविता की ओर झुकाव—बाल्यकाल से ही रवींद्रनाथ ने बंगला भाषा में कविताएँ लिखना शुरू कर दिया था। टगोर ने जब पहली कविता लिखी तब उनकी उम्र केवल सात वर्ष की थी। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में ही उनकी कविताएँ 'भारती' पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। उनकी सब प्रथम कृति 'कवि कन्या' के नाम से प्रकाशित हुई थी। दूसरा काव्य संग्रह 'बनफूल' के नाम से प्रकाशित हुआ। शीघ्र ही उनका खण्ड काव्य 'गाथा भी प्रकाशित हो गया।

वप की रम्र होते होते उनके माहित्य न बगला म अपना स्थान बना लिया और उनकी गिनती अच्छे साहित्यकारों में होने लगी ।

काव्य रचना में इह उपनिषदा, प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य विवेचन कालिदास तथा बगला साहित्य के बंष्णव गीता, द्विदी के संत साहित्य तथा बगला के ग्रामीण गीतों में बड़ी प्रेरणा मिली । उनकी आजीवन साहित्यिक साधना के फलस्वरूप बगला साहित्य अपनी कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुच गया ।

टंगोर महाकवि के रूप में—रवीन्द्र बाबू की साहित्यिक प्रतिभा सवतोमुखी थी । परंतु, उनका काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ । अतः साहित्यिक जगत में वे कवी के रूप में अधिक विख्यात हैं । इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति प्रेम तथा आध्यात्मिकता का स्पष्ट प्रभाव भलकता है ।

17 वर की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते टंगोर ने अनेक कविताएँ लिख डाली । इनके गीता में बगला भाषा का नवीन रूप प्रकट हुआ । उनकी अधिकांश रचनाएँ नई शैली में लिखे हुए प्रेमगीत थे । इनका प्रथम गीत संग्रह 'साध्य-गीत' के नाम से प्रकाशित हुआ । रवीन्द्र के ये गीत बंष्णव कवियों के काव्य से प्रभावित थे । इसी तरह एक काव्य संग्रह 'प्रभात संगीत' रचा गया । इस पर अंग्रेजी कवि शली का प्रभाव प्रतीत होता है । यद्यपि प्राचीन ढर्रे के कवियों ने इनकी काव्य रचनाओं की आलोचना की, किन्तु नवीन शिक्षित बंगाली वग न इनका स्वागत किया । 'छवि ओ गान — नामक ग्रंथ कविता संग्रह तथा 'कवि ओ कोमल' काव्य ग्रंथ के उपरांत उनका महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मात्सी प्रकाशित हुआ । सोनातरी सीरीज की कविताएँ इसके बाद लिखी गई । इनकी अधिकांश कविताएँ सौन्दर्य और शली की दृष्टि से उच्चकोटि की हैं ।

गीताजलि पर, नोबल पुरस्कार विश्व कवि

रवीन्द्रनाथ टंगोर की सब श्रेष्ठ काव्य रचना 'गीताजलि' सन् 1909 में बगला भाषा में प्रकाशित हुई । यह रवीन्द्र के आध्यात्मिक भावों से ओत प्रोत गीतों का अनुपम सङ्कलन था । इस रचना ने वास्तव में कवि का नाम विश्व में प्रसार कर दिया । इस काव्य को जब सी एफ एंड्रयूज ने सुना तो वे इस पर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने कवि से इसका अंग्रेजी अनुवाद करने का आग्रह किया । उन्हीं की प्रेरणा में रवीन्द्र बाबू ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया । जिसने इस ग्रंथ की ख्याति दूर-दूर तक फनादी ।

विभिन्न पाश्चात्य देशों के साहित्यिक पत्रों में इस ग्रंथ की चर्चा हुई । तबसे यूरोप की अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने इस ग्रंथ का ले के बतलाया । "उसमें जो अद्भुत दार्शनिक तथा आध्यात्मिक आगे सभी श्रद्धा के साथ नैत मस्तक हुए । इस विश्व के महापुरुष प्रसिद्ध हुए ।"

गीताजलि की अभ्यातरिक गहराइयो, वाक्य सौष्ठव, भाषा की प्राञ्जलता एवं विचारो की नवीनता के कारण ही इस महान् ग्रंथ का नोबल पुरस्कार के योग्य ठहराया गया। सन् 1913 में नोबल पुरस्कार समिति ने यह पुरस्कार टगोर को उनकी रचना 'गीताजलि' पर प्रदान किया। इसके फलस्वरूप रवीन्द्र बाबू का नाम तो विश्व भर में फना ही, साथ ही भारत का नाम भी ऊँचा हो गया। साहित्यिक क्षेत्र में भारत को प्रथम बार यह विख्यात पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

इसके साथ ही गीताजलि के देश और विदेशों की अनेक भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुए। अनेक देशों ने कवि को सादर आमंत्रित करके इनका सम्मान किया। भारत सरकार ने भी आपको 'नाइट', 'सर' आदि सर्वोच्च उपाधियाँ में विभूषित किया।

टगोर—एक सफल गद्य लेखक के रूप में—बंगला कविता के अतिरिक्त उन्होंने लल्ल, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक भी लिखे।

व पाश्चात्य साहित्य तथा सस्कृति से भी भली भाँति परिचित थे। फिर भी अपने विचारों में वे भूषा, सस्कृति आदि में भी वे पूर्णतया भारतीय थे, किन्तु इंग्लैण्ड निवासियों अर्थात् अंग्रेजों की कमठता, सच्चाई व आधुनिक दृष्टिकोण से वे प्रत्यक्ष प्रभावित हुए।

रवीन्द्र बाबू ने आरम्भ से ही साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखना आरम्भ किया था। यूरोप से लौटने के पश्चात् उन्होंने अपनी यात्रा का वतान्त 'भारती' पत्रिका में प्रकाशित करवाया। उनका 'कहण' नामक उपन्यास तथा 'मन हृदय' नामक पद्य बद्ध नाटक भी प्रकाशित किया गया। इन दोनों ही रचनाओं में टगोर ने मानव-जाति के प्रति अपनी करुणा और वेदना को व्यक्त किया।

उपन्यास साहित्य—रवि द्रनाथ टगोर के उपन्यासों में समकालीन सामाजिक स्थिति विशेषतः उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन चित्रित है। मध्यम वर्ग के लोगों की मनो-शा, सामाजिक समस्याओं का सुन्दर चित्रण इनके उपन्यासों में मिलता है। राष्ट्रीय समस्याओं पर भी इनमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। सन् 1901 से 1907 के मध्य उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास 'गोरा' सम्पूर्ण किया। इनके द्वारा रचित अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं—'करुणा, बहू, ठकुरानी हाट, राजपि, चार अनाथ, आख की किरकिरी, नौका डूबी आदि।

कहानी साहित्य—कथा-क्षेत्र में भी टगोर ने अत्यधिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने अनेक उच्च कोटि की कहानियाँ लिखीं। वास्तव में, लघु कथाएँ लिखने का आरम्भ बंगला साहित्य में रवि द्रनाथ टगोर से ही शुरू हुआ। इनकी कहानियाँ में भारतीय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। उनकी प्रसिद्ध रचना 'काबुलावाला' इसका ज्वलंत उदाहरण है। उनके अनेक कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

नाटक साहित्य—नाटक रचना में भी रवींद्र बाबू की गति अग्रगण्य थी। इन नाटकों में अनेक नाटक दुखात ही हैं। फिर भी, काव्य में प्रवृत्ति प्रेमी और चिन्तनशील कवि, नाटक लिखने समय अपनी भावनाओं को इस धरती पर उतार लाया है। 'नलिनी' में उन्होंने अपनी इस कल्पना को स्वरूप प्रदान कर लिया है। 'मायार खेल' में भी उन्होंने मानवीय कष्टों का जो निरूपण किया है, वह अद्वितीय है। इनके अतिरिक्त उन्होंने 'ढाक घर' 'चांडालिका' 'चित्रांगदा' 'नदी की पूजा' 'राजा' तथा रक्त कार्थी आदि अनेक नाटक और नाटिकाएँ लिखीं। सौंदर्य के दृष्टिकोण में 'चित्रा तथा 'उधसी' रचनाएँ बहुत ही सुंदर हैं।

निष्कर्ष—इस तरह टंगोर को बंगला साहित्य का एक युग-निर्माता कहा जा सकता है। वे लेखक, कवि, समालोचक, संगीतज्ञ तथा अभिनेता सभी कुछ थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में क्लिष्ट साहित्यिक बंगला के स्थान पर बाल चाल की बंगला भाषा को अपनाया और उसमें अद्भुत सौंदर्य और कमनीयता भर दी। अपने काव्यात्मक गुणों से उन्होंने उस भाषा का संगीतमय बना दिया।

IV टंगोर की उपलब्धियाँ मूल्यांकन

यथाथवादी लेखक—रवींद्र बाबू की साहित्य सृजना उनके जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रही। वे सच्चे साहित्यकार थे। उनका साहित्य कल्पना मान पर आधारित न होकर जीवन का साहित्य था। वह देश की साम्प्रदायिक भावना का प्रतीक है। उनका उपन्यास इस धरती पर पलने वाले बड़े परिवारों के जीवन पर आधारित है। उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं का सच्चा स्वरूप हैं। उनकी कल्पनाएँ सत्य पर आधारित हैं। अतः उनमें दृढ़ है और मानवाय पीड़ाओं के लिए कल्पना है।

मानवता के पुजारी मनुष्य की बढता—पृथ्वी व प्रकृति में स्पष्ट उन उत्पन्न करने वाले जीवन देवता की शक्ति रवींद्र बाबू इसान में ही पाते हैं। वे किमान मजदूर रूपी नर देवता की आराधना के पोषक थे। देश की सम्पन्नता की आधार शिला वे उन्हीं को मानते थे। भारत वप के पतन के कारणों में वे एक कारण किमान व मजदूर को समाज में उचित सम्मान न मिलना ही मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने देशवासियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया कि वे समस्त लोगों को बराबर समझे। कवि की मानवीय अभिप्रायों का उनकी आध्यात्मिकता कही भी दबा नहीं पायी। उनके साहित्य में मानव को एक गौरव मिला, जो प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं था।

टंगोर ने भारतीयता का इतना व्यापक बनाया कि उसमें समूची मानवता का समावेश हो जाय। उन्होंने अपने ग्रंथ प्रेटर इंडिया में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए, इस तथ्य पर जोर दिया है कि महान भारत का इतिहास बनाने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं हैं सदियाँ पहले मुसलमान अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का लेकर

यहाँ आय और इनके इतिहास का अग्र बन गये। फिर, पश्चिम की निधि लेकर भारत में अग्रज (ईनाई) आय। इस तरह नये भारत पर किसी एक जाति या धर्म का एकाधिकार नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्म और सस्कृति वालों को प्रेम, और सामंजस्य का जीवन जीना है शांति का वह साम्राज्य बनाना और प्रेम एवं एकता का विकास करना ही आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या है। स्वयं टगोर ने इस समस्या को हल करने का भरमंका प्रयत्न किया। बंगाल में शांति निवेदन' में उहोंने अपने अंत राष्ट्रीय विश्व विद्यालय—'विश्व भारती'—का स्थापना सन 1921 में इस लिए का थी कि पाश्चात्य और प्राच्य सस्कृतियों के श्रेष्ठ प्रतिनिधि सम्पर्क में आये और एक विश्व बंधुत्व का वातावरण पैदा हो जिसमें भारत के युवक युवतियाँ पोषण पायें।

1. आदश समाज सुधारक—रवी द्रनाथ टगोर भारत के आदश समाज-सुधारक हैं। और वह सुधार आजकल के अग्रज सुधारकों की भाँति केवल सिद्धांतों में ही सीमित नहीं है, उनकी चरित्र और प्रत्येक कार्य में उसका निर्देशन मिलता है। जैसी उनकी सुधार मन्त्र की उक्ति है, वैसी ही आपकी कृति भी है। उन्होंने जाति प्रथा अस्पृश्यता तथा समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा पर भी अपनी रचनाओं में तीव्र प्रहार किया। साथ ही अनेकानेक अंध विश्वासों तथा अज्ञानता के विरुद्ध भी उहोंने बड़ी ही व्यापक भाँसा में आक्षेप किए। इस तरह अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने भारतवासियों का उनकी वास्तविक अवस्था से परिचित कराया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अवस्था में सुधार किस प्रकार हो सकता है।

निष्क्रियता और पलायनवाद की भावनाओं के टगोर कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज को रचनात्मक आधार पर पुनर्व्यवस्थित करने का मदेश दिया। उन्होंने कम करने पर बल दिया और हर व्यक्ति को समाज और सस्कृति के उत्कर्ष में यथायोग्य अर्पण योगदान देने का आग्रह किया।

रवीद्र का देश प्रेम—भारत के राष्ट्रीय नेताओं में उनका एक विशेष स्थान था। स्वदेश प्रेम के वं जीवित स्वरूप थे। देश की प्रत्येक बड़ी बड़ी समस्याओं में आपन सग्न भाग लिया और उन, पर बड़ी निर्भीकता से आपने विचार प्रकट किए। आपका यह स्वदेश प्रेम केवल लेख और व्याख्याना तक ही रहा हो यह नहीं, बल्कि आपने उनमें लिए अपूर्व स्वाध त्याग और अपनी असीम निर्भीकता का भी परिचय दिया। उन्होंने भारत देश के बारे में बड़ी मर्म-स्पर्शनी कविताएँ लिखी हैं। 'भारतीयता क्या है और किस राह पर चलने से देश का भविष्य उज्ज्वल होगा—कम अपनी पूर्य अवस्था की प्राप्ति हो सकेगी, यह महाकवि ने अपनी देश विषय की कविताओं में बड़ी निपुणता के साथ अंकित कर दिखाया है।'

टगोर का जीवन-दशन व्यापक मानववाद उनके जीवन दशन का मून मंत्र था। उन्होंने अपने दशवामिया की प्रोत्साहित किया कि वे समस्त लोगों का ममान

समझें । वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भावना का उदय देवना चाहते थे । उन्होंने भारत वासियों को सिखाया कि वे अपने को भारत के किसी एक प्रदेश का निवासी न मानकर समस्त देश का निवासी समझें । उनका सुप्रसिद्ध गीत 'जन गण-मन भर्ता नायक' भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया ।

निष्कर्ष—रवीन्द्रनाथ टैगोर का मत था कि विश्व की सम्स्त सस्कृतियों में भारतीय सस्कृति का क्लेवर सर्वाधिक उदार एवं विशाल है । वे मानव समाज में सकीर्णता के विचार नहीं देखना चाहते थे । वे भारतीय अध्यात्म और पश्चात् आधुनिकता, स्वतंत्रता एवं प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे । वे साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे । वे आर्थिक समानता पर आधारित समाज का प्रबल पक्षधर थे ।

साराश में, रवीन्द्रनाथ टैगोर केवल साहित्यकार ही नहीं सफल अज्ञान दार्शनिक एवं सफल वक्ता थे । उनका दशन भारतीय अध्यात्म का दशन था । वे जीवन के वास्तविक दृष्टा थे । वे अपने आप में एक सस्याय । वे सच्चिदानन्द भक्त एवं राष्ट्रीय विचार धारा के व्यक्तित्व थे । 'अनेक वर्षों तक कवि एवं दार्शनिक टैगोर पश्चात्प देगों में भारतीय सस्कृति के राजकीय प्रतिनिधि माने जा रहे हैं ।"

महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Gandhi)

- I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान
- II गांधीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचार
- III गांधीजी का सत्याग्रह-सिद्धांत व अहिंसा-दर्शन

I राष्ट्रीय, आन्दोलन में गांधीजी का योगदान

“वे इसलिए इतने महान् व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने अपना देश को स्वाधीनता के सपना का सफलतापूर्वक संचालन किया बल्कि वे महान् इसलिए थे कि हिंसा, स्वायत्त, शक्ति की सृष्टि और नैतिक पतन के वर्तमान वातावरण में सत्य, अहिंसा और साधनों की विशुद्धता का कठिन पाठ भी उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोगों के गले उतार दिया।”

— डॉ. जॉन हेस होम्स

जीवन-परिचय — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधीजी 19 वर्ष की अवस्था में मद्रास के कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गये थे। सन् 1891 में वे बकालत की परीक्षा पास कर बरिस्टर बनकर भारत लौटे और यहाँ बकालत शुरू की। वे 1893 ई. में दक्षिणी अफ्रीका में पर्यटन करने गये थे। वहाँ रंग भेद के पक्षपात के कारण भारतीयों पर जा अत्याचार हुए उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ‘सत्याग्रह’ के विचार तथा शक्तिशाली शस्त्र का आविष्कार कर उसका प्रयोग किया था। वहाँ सफलता मिलने के पश्चात् वे 1914 ई. में भारत लौटे आये तथा साबरमती में एक आश्रम खोला। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया। 1920 में असहयोग आन्दोलन तथा 1931 में पुनः सविनय अवज्ञा का किया जो लंदन में हुई प्रथम गान्धीय कांग्रेस का उद्देश्य था। 1942 में ‘दो-हफ्ते’ आन्दोलन से भारतीय जनता की शक्ति तथा एकता का

समर्थों । वे सच्चे धर्मों में राष्ट्रीय भावना का उदय दगना चाहते थे । उन्होंने भारत यागिया को सिखाया कि वे अपने को भारत के किन्हीं एक प्रश्न का निवामी न मानकर समस्त देश का निवासी समर्थों । उनका सुप्रसिद्ध गीत 'जन गण-मन अधि पायक' भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया ।

निरूपक—रवीन्द्रनाथ टगोर का मत था कि विश्व की सम्स्त सस्कृतियाँ में भारतीय सस्कृति का बलेश्वर रुधाधिक उत्तम एवं विशाल है । वे मानव समान में सकीर्णता के विचार नहीं देगना चाहते थे । वे भारतीय अध्यात्म और पारचात्य आधुनिकता, स्वतन्त्रता एवं प्रगति के बीच सामजस्य स्थापित करना चाहते थे । वे साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे । वे अध्यात्म समानता पर आधारित समाज का प्रबल पक्षधर थे ।

साराश में, रवीन्द्रनाथ टगोर केवल साहित्यकार ही नहीं सफन अध्यापक, दासनिष्क एवं सफल वक्ता थे । उनका दशन भारतीय अध्यात्म का दशन था । वे जीवन के वास्तविक रूपा थे । वे अधपन अधप म एव सस्या थे । वे मच्चे देश भक्त एवं राष्ट्रीय विचार धारा के व्यक्त थे । "अनेक ययों तक कवि एवं दासनिष्क टगोर पारचात्य देगों में भारतीय सस्कृति के राजकीय प्रतिनिधि माने जात रहे हैं ।"

महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Gandhi)

- I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान
- II गांधीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचार
- III गांधीजी का सत्याग्रह-सिद्धांत व अहिंसा दर्शन

I राष्ट्रीय, आन्दोलन में गांधीजी का योगदान

“वे इसलिए इतने महान् व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने अपना देश को स्वाधीनता के सपना का सफलतापूर्वक संचालन किया बल्कि वे महान् इसलिए थे कि हिंसा, स्वायत्त, शक्ति की कृपणा और नैतिक पतन के उत्तमान वातावरण में सत्य, अहिंसा और साधनों की विमुक्तता का कठिन पाठ भी उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोगों के गले उतार दिया।”

— डा जॉन हेन्रि होम्स

जीवन परिचय — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधीजी 19 वर्ष की अवस्था में मद्रास पास करके बालूच की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गये थे। सन् 1891 में वे बकालन की परीक्षा पास कर बरिस्टर बनकर भारत लौटे और वहाँ बकालन गुरु की। वे 1893 ई में दक्षिणी अफ्रीका में पंजी बन गये थे। वहाँ रंग भेद के पक्षपात के कारण भारतीयों पर जो अत्याचार हुए उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने 'सत्याग्रह' के विचार तथा शक्तिशाली शत्रु का अविचार कर उसका प्रयोग किया था। वहाँ सफलता मिलने के पश्चात् वे 1914 ई में भारत लौटे और तत्पश्चात् सावरयणी में एक आश्रम खोला। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अहिंसात्मक विद्रोह का एक अहिंसात्मक आन्दोलन छेड़ दिया। सन् 1920 में 'असहयोग आन्दोलन' तथा 1931 में पुनः 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' शुरू किया जो लखनऊ में हुई प्रथम गालमज काफ़ेस तक चलता रहा। सन् 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भारतीय जनता की शक्ति तथा अहं सफल

समझें । व सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भावना का उदय देगना चाहता थे । उन्होंने भारत वासियों को सिखाया कि वे अपने का भारत के किन्नी एक प्रवेश का निरामी न मानकर समस्त देश का निवासी समझें । उनका सुप्रसिद्ध गीत 'जन गण-मन अधि नायक' भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया ।

निष्कय—रवीन्द्रनाथ टगोर का मत था कि विश्व की सगस्त ससृष्टियों में भारतीय ससृष्टि का कलेवर सर्वाधिक उदार एवं विशाल है । वे मानव समाज में सकीणता के विचार नहीं देखना चाहते थे । व भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य आधुनिकता, स्वतंत्रता एवं प्रगति के बीच सामजस्य स्थापित करना चाहते थे । व साम्प्रदायिकता के धार विरोधी थे । वे अधिका समानता पर आधारित समाज के प्रबल पक्षधर थे ।

सारास में, रवीन्द्रनाथ टगोर केवल साहित्यकार ही नहीं सफन अध्यापक, दासनिष एवं सफल वक्ता थे । उनका दशन भारतीय अध्यात्म का दशन था । व जीवन के वास्तविक श्रुटा थे । वे अपने आप में एक सस्या थे । व सच्चे दश भक्त एवं राष्ट्रीय विचार धारा के ध्यवित थे । 'अनेक अर्थों तर ऋषि एवं दासनिष टगोर पाश्चात्य देशों में भारतीय ससृष्टि के राजकीय प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं ।"



महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Gandhi)

- I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान
- II गांधीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचार
- III गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धांत व अहिंसा-दर्शन

I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान

“वे इसलिए इतने महान् व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने अपना देश को स्वाधीनता के सपना का सफलतापूर्वक संचालन किया बल्कि वे महान् इसलिए थे कि हिंसा, स्वायत्त, शक्ति की तृष्णा और नैतिक पतन के वर्तमान वातावरण में सत्य, अहिंसा और साधनों की विशुद्धता का बंशिन पाठ भी उठाने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोगो के गुले उतार दिया।”

— डॉ. जॉन हेस होम्स

जीवन परिचय — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधीजी 19 वर्ष की अवस्था में मेट्रिक पास करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैण्ड गये थे। सन् 1891 में वे कलकत्ता की परीक्षा पास कर बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और वहाँ कलकत्ता चले गये। व 1893 ई. में दक्षिणी अफ्रीका में पंजी बनने गये थे। वहाँ रंग भेद के पक्षपात के कारण भारतीयों पर जो अत्याचार हुए, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ‘सत्याग्रह’ के विलक्षण तथा शक्तिशाली शस्त्र का आविष्कार कर उसका प्रयोग किया था। वहाँ सफलता मिलने के पश्चात् वे 1914 ई. में भारत लौट आये तथा सावरमती में एक आश्रम खोला। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आन्दोलन छेड़ दिया। सन् 1920 में ‘असहयोग आन्दोलन’, तथा 1931 में पुनः ‘सविनय अवज्ञा आन्दोलन’ शुरू किया जो लंदन में हुई प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस तक चलता रहा। सन् 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन से भारतीय जनता की शक्ति तथा दृढ़ संकल्प

का पना लगा। उनके अथक आन्दोलन एवं सत्य निष्ठा के कारण भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। विदेशी अंग्रेजी साम्राज्यवादियों को हिन्दुस्तान से जाना पड़ा। इस स्वाधीनता प्राप्ति का बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को ही है जिन्होंने 25-30 वर्षों तक दश के स्वाधीनता संग्राम का सफल नेतृत्व कर अहिंसात्मक ढंग में हिन्दुस्तान को आजादी दिलवाई। परन्तु देश के दुर्भाग्य से नार्थराम गोडसे नामक अध-साम्प्रदायिक व्यक्ति ने उनकी 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में हत्या कर दी। इस घटना से न केवल भारतवासी, अपितु सम्पूर्ण विश्व का शान्ति प्रिय मानव-समुदाय दुःख के मागर में डूब गया। गांधी जी ने 'हिंदू राष्ट्रवाद' और 'मुस्लिम राष्ट्रवाद' को एकाधिकार कर एक सामान्य भारतीय राष्ट्रियता का रूप दिया। यह उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण का्य था।

असहयोग आन्दोलन राजनीति में नई दिशा—महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग सन् 1919 से प्रारम्भ हुआ क्रूर जनरल-हायर के नरस कारनामा ब्रिटिश सरकार की-दमन पूर्ण नीति तथा ब्रिटिश पालियामेंट के कुछ भी न करने की भावना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने एसी-निकम्मी और भारत विरोधी अंग्रेजी सरकार से पूर्ण असहयोग करने का निश्चय किया। 20 अगस्त, 1920 ई. को दश भर में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ। सभाय हुई, भाषण हुए और विदेशी माल का होलिया जली। स्कूल, कॉलेज और कचहरिया बंद हो गयी। देशभक्त लोगो ने सरकारी नौकरिया छोड़ दी तथा पदविया त्याग दी। देश में अजीब सा वातावरण बन गया। लाखो नर-नारी, ग्रामीण व शहरी, युवक और प्रौढ घर से निकल कर सड़को पर आ गये। बड़े पातरम के नारो से आकाश गूज उठा। राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा देश के आकाश में पहचाने लगा। इस पर अंग्रेजी सरकार ने असहयोग में भाग लेने वाले हजारो लोगो को पकड़ कर जेलों में भर दिया। आन्दोलनकारियों को लाठी और गोलियों का शिकार बनाया गया। 1921 तक आन्दोलन चरम सीमा पर पहुँच गया। परन्तु, चौरा-चोरी गाँव के हिंसात्मक घटना से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने अचानक अपना असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया। जनता में हिंसापूर्ण प्रतिजिया को अहिंसात्मक आन्दोलन के विपरीत समझा गया। अंग्रेजी सरकार ने स्थिति का लाभ उठा कर गांधीजी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 6 वर्ष का कारावास दण्ड दिया गया।

दूसरे आन्दोलन में स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की गयी है। अभी तक आन्दोलन इस प्रकार के समूचे दश में एक नाम सम्पन्न नहीं हो सके थे और ही इस प्रकार के शांति प्रदर्शनो को देना ही गया था। अभी तक देश का युवक हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए प्रसिद्ध था वही युवक अब बिना उद्विग्न हुए, हुक्मत के अत्याचारो को साहस तथा धैर्य के साथ सहन करने का परिचय देने लगा। देश की राजनीति में सत्य और अहिंसा का स्थान मिला। इस तरह दश में पहली बार एक नई चेतना, एक नई जागृति एवं उत्साह उत्पन्न

हुआ। अभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस सगठन का काम कुछेक उच्च शिक्षित व्यक्तियों के मध्य केवल बादविवाह तक सीमित था। परन्तु, सब प्रथम बार गांधीजी के नेतृत्व में देश भर के जन-साधारण ने राष्ट्र-वापी पमान पर स्वाधीनता आंदोलन में खुलकर भाग लिया। विदेशी अंग्रेजी सरकार से असहयोग करके एव इंग्लण्ड में निर्मित वस्तुओं का देश भर में बहिष्कार करके विदेशी साम्राज्य की राजनतिक व आर्थिक स्थिति पर करारी प्रभावपूर्ण चोट की गई।

1930 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन—सन् 1930 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूरा स्वराज्य की अपना लक्ष्य घोषित किया। 2 मार्च 1930 को गांधीजी ने गवर्नर जनरल लार्ड इरविन को 11 मांगों का एक माँग पत्र प्रस्तुत किया और उसके अस्वीकार कर दिये जाने पर 12 मार्च से देश भर में 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' छेड़ दिया गया। इस राष्ट्र-वापी आन्दोलन के अन्तर्गत नमक-कानून तोड़कर नमक बनाने, सरकारी नौकरी त्यागन तथा छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कालेजों का बहिष्कार करने, शराब, अफीम तथा कपड़ा की बिक्री को रोकने हेतु स्त्री सत्याग्रही जत्थों द्वारा धरना देना, विदेशी कपड़ों की होनी जलाना, सरकार को कर न देने आदि के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित किया गया। गांधीजी के नेतृत्व में सब भारतीय जनता स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हर प्रकार के कष्ट भोगने को तैयार हो चुकी थी। फलस्वरूप, देश भर में हजारों लोगों ने सरकारी अनुचित कानूनों को भंग किया। विदेशी वस्त्र जलाये गए, शराब की दुकानों पर धरना दिये गये। इससे अंग्रेजी प्रशासन देश भर में ठप्प हो गया। किसानों ने भी ग्रामों में लगान कर देने से इंकार किया। स्त्रियों ने भी पर्दा त्यागकर इस आन्दोलन में बढ चला कर हिस्सा लिया। अनेक बड़े बड़े नगरों में स्त्रियों द्वारा धरना दिये जाने के कारण शराब की बहुत सी दुकानें बंद हो गईं। क्रुद्ध होकर अंग्रेज सरकार ने गांधीजी सहित अन्य नेताओं तथा 60,000 सत्याग्रहियों को जेल के सीखे में बंद कर दिया। परन्तु 3 मार्च, 1931 को लार्ड इरविन को गांधीजी से समझौता करना पड़ा। अधिकांश राजनीतिक वन्दियों को रिहा कर दिया गया तथा उनकी जमानत भी उन्हें लाटा दी गई।

पूरा स्वाधीनता से कम पर समझौता नहीं गांधीजी के नेतृत्व का एक विशेषता यह रही कि उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को पूरा स्वाधीनता की मांग का दृढ़ आधार दिया। ब्रिटिश सरकार जब कभी भी सुधार योजना लाती और आम कांग्रेस को उद्देश्य की पूर्ति हाथी नहीं दिवाई देती तो फिर आन्दोलन नज कर दिया जाता। 1935 के एक्ट में अंग्रेजी सरकार ने मध्य व्यवस्था को लागू कर प्रान्तों को पूरा स्वायत्त शासन देना स्वीकार कर लिया। 1937 में विभिन्न प्रान्तों में चुनाव हुए और 8 प्रान्तों में कांग्रेस का पूरा बहुमत मिला। इन मन्त्री मण्डलों ने गांधीजी द्वारा निर्धारित रचारात्मक कार्यक्रम की अनक धातों पर अमल किया। गभीर पुरान स्वाधीनता सन्धि-या व आतिकांगियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। राज्य

शासन सभालने का उन्हें प्रथम प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। परन्तु 1939 में द्वितीय महा युद्ध छिड़ने पर, बिना देश के नेताओं से राय लिये भारत को मित्र राष्ट्रों की आर से युद्ध में भेज दिया गया। इसमें छूट होकर गांधीजी के निर्देश पर सभी कांग्रेसी मंत्रीमण्डलाने अपने त्याग पत्र दे दिये। गांधीजी को कांग्रेस की बागडोर पुन सभालनी पड़ी और स्वाधीनता संग्राम नया मोड़ लिया।

1942 का 'भारत छोड़ो आन्दोलन'—अंग्रेजी सरकार ने घोषणा की कि यह महायुद्ध मानव जाति की स्वतंत्रता के लिए फासिस्टों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। इस पर भारतीय नेताओं ने घोषणा की कि एक आजाद देश ही दूसरे देशों की आजादी की रक्षा के लिए सहायता दे सकता है। इसलिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि पहले हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाय। सन् 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारतीय नेताओं का सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव लेकर भारत आए। परन्तु गांधीजी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाधीनता से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इन्कार कर दिया। क्रिप्स प्रस्तावों की अस्वीकृति के बाद भारत में राजनीतिक गतिराध उत्पन्न हो गया। भारतीय नेताओं ने समझ लिया कि अंग्रेज सरकार भारत को आजादी नहीं देना चाहती। वह हिन्दू तथा मुसलमानों में फूट डालकर स्वयं अपना साम्राज्य स्थायी रखना चाहती है। अतएव कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में 8 अगस्त, 1942 ई० को बम्बई में अंग्रेजों 'भारत छोड़ो' के ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया।

इस प्रस्ताव के द्वारा हिन्दुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत के जुरन्त हटाये जाने की मांग की गई। गांधीजी ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता का 'करो या मरो' का आह्वान किया। इन पर अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि को गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद आदि नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया। देश के विभिन्न भागों में प्रमुख कांग्रेस नेताओं को सरकार ने जेल के सीखे में बन्द कर दिया। कांग्रेस को सर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरकारी अत्याचारों की शान्ति आ गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर बड़े से बड़ा दण्ड दिया गया फिर भी जनता सधन में विचलित नहीं हुई। इस आन्दोलन ने भारतीय जन जीवन में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति और उत्साह उत्पन्न कर दिया। अंग्रेज सरकार ने भी भली भाँति समझ लिया कि अब भारतीय जनता अपनी पूर्ण स्वाधीनता के लिए कठोर से कठोरतम त्याग व बलिदान से पीछे नहीं हटेगी। इसी दौरान 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति (15 अगस्त 1947)—जिस व अमरीका के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य की जमनी व जापान पर विजय हुई। परन्तु अब वह युद्ध ज्वरित खोलला साम्राज्य रह गया था। इसी समय इंग्लैंड के नये चुनावों में लबर पार्टी की सरकार बनी। लबर पार्टी (मजदूर दल) की भारतीय जनमत के प्रति सहानुभूति

थी। 1946 ई० में इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री एटली ने एक मन्त्रिमण्डल मिशन भारत भेजा पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उनकी योजना 'आन्तरिक सरकार' को स्वीकार नहीं किया। अतः म. मा. 1947 में लाड माउ टवेन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उस समय तक देश में एक और मुस्लिम लीग और दूसरी और हिंदू-सभा आदि के विचार प्रचार के कारण साम्प्रदायिक सदभाव समाप्त हो चला था। अतएव, माउ टवेन ने 3 जून, 1947 को हिंदुस्तान का विभाजन कर, भारत व पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की स्थापना करने की योजना बनाई। गांधीजी और खान अब्दुल गनफार खान ने इसका पूरा विरोध किया लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों का एव कटुता व हिंसा को बढ़ते देखकर सरकार पटेल जवाहरलाल नेहरू स्थितियों का अग्रणी अधिकारी भारतीय नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग तो इन्हीं पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' का अंतर्गत 15 अगस्त 1947 ई० को हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग मिल गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा दीर्घकालीन स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ। इसे अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति का बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को ही है जिन्होंने 25-30 वर्षों तक देश के स्वाधीनता-संग्राम का सफल नेतृत्व कर अहिंसात्मक ढंग से हिंदुस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाई।

निष्कर्ष मल्याकन—महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन जिस बुद्धिमत्ता से किया उसने स्वतंत्रता प्राप्ति को किसी सीमा तक सरल बना दिया। उन्होंने यह बिलकुल समझ लिया कि अंग्रेजी-साम्राज्य जसी महाशक्ति का सामना सिर्फ सत्य और अहिंसा से ही किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस को भी उन्होंने एक समन्वयपरक संस्था बनाय रखा। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी में कई बार सद्भावनात्मक एक व्यक्तिगत मतभेद हुए। किंतु गांधीजी ने विभिन्न तथा विरोधी विचारों का एक रूप एव समन्वित करने की अपूर्व क्षमता थी। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि इस क्षमता के ही कारण कांग्रेस पार्टी कई बार विघटित होने से बची। कांग्रेस पार्टी के मंच पर सभी विचारधाराओं को एकत्रित कर एक रूप बाना गांधीजी के ही वंश की बात थी।

स्वराज्य प्राप्ति तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करने में महात्मा गांधी ने एक अत्यंत ही निपुण आंदोलन सचिव के रूप में राजनीति और अनुभवों में गोबिन्दानिक व्यक्ति का परिचय दिया। सत्य एव अहिंसा का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग कर महात्मा गांधी ने एक महान् एव श्रेष्ठतर आत्मशक्ति का प्रयोग किया जिसे साम्राज्यवादीयों को घुटाने के लिए विवश ही नहीं किया बल्कि विराधियों का भी गान्धीजी की प्रशंसा करनी पड़ी। सारांश में अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की शब्दा में, गांधीजी ने यह प्रदर्शित कर दिया कि एक शक्तिशाली मानव समूह का, चालाकी या चालवाजी द्वारा ही नहीं, जसा कि सामाज्य राजनीति

म किया जाता है, किंतु जीवन आचरण के श्रेष्ठ नतिक उदाहरण द्वारा सगठित किया जा सकता है। इस पूरे नतिक पत्र के युग में गांधी ही एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो राजनीतिक क्षेत्र में उच्च मानवीय सम्बंधों पर दृढ़ रहे।”

डॉ० के एम पणिकर ने भारतीय समाज में गांधीजी के योगदान का बखान करते हुए लिखा है, “भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में महात्मा गांधी के योगदान को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को, जो बौद्धिक ढंग तक सीमित एक आन्दोलन था, एक जातिवारी जन आन्दोलन का रूप प्रदान किया। उन्होंने इस आन्दोलन के सगठन और अनुशासन का विकास किया और आन्दोलन को प्रभावदायक ढंग पर प्रवृत्ति प्रदान की। इन सबके अतिरिक्त उनके द्वारा ही इस आन्दोलन में सामाजिक न्याय की भावना, समानता की इच्छा और दलित वर्गों की मुक्ति की चाह उत्पन्न की गयी।” महात्मा गांधी ने अपने कार्यों से भारत राष्ट्र के जन जन के हृदय में स्थान पा लिया भारतीय जनता के द्वारा उन्हें ‘राष्ट्र पिता’ के नाम से सम्बोधित किया गया।

फ्रेंच दार्शनिक रोम्य रोलां ने ठीक ही कहा है कि “गांधीजी ही केवल भारत के राष्ट्रीय इतिहास के ऐसे नायक हैं, जिनकी विवदतिया युगों तक प्रसिद्ध रहगी। उन्होंने मानवता के सत्ता और महात्माओं में अपना स्थान प्राप्त किया है और उनके व्यक्तित्व का प्रकाश सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। गांधीजी वस्तुतः एक महान् पुरुष थे जिन्हें राष्ट्र पिता, राष्ट्र निर्माता तथा युग पुरुष की उपाधियाँ से विभूषित किया गया है।

II गांधी जी के समाज-सुधार सम्बंधी विचार

समाज सुधार के क्षेत्र में गांधीजी के विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस और किन्हीं भी भारतीय राजनीतियों ने स्थान नहीं दिया था। भारत में जितने भी राजनीतिक आन्दोलन हुए हैं, उनमें समाज सुधार की समस्या को जान-बूझकर राजनीति से अलग रखा गया। भारतीय नेताओं का कहना था कि हम सबसे पहले स्वाधीनता प्राप्त करनी है, समाज सुधार का काम तो बाद में भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। परंतु गांधीजी का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। वे जीवन को एक पूरे इकाई मानते थे और कहते थे कि जीवन को राजनीतिक सामाजिक धार्मिक, आर्थिक आदि भागों में विभाजित नहीं कर सकते। अतएव राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ समाज सुधार का काम भी अनिवार्य है। जब तक हम सामाजिक जीवन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महात्मा गांधी के विचार अस्पृश्यता शिक्षा नशाबंदी, साम्प्रदायिक एकता स्त्री-उत्थान आदि के विषय में अधिक महत्वपूर्ण हैं।

1 अस्पृश्यता विरोध हरिजनों का उत्थान गांधीजी एक महान् समाज शास्त्री थे। समाज के क्षेत्र में वे आदर्श समाज की स्थापना में विश्वास करते थे।

उनके आदश समाज में ऊँच नीच, छूआ-छूत अथवा वर्ग भेद को कोई स्थान नहीं था। उनका विचार मधम क आघार पर कोई भी वर्ण बना हुआ नहीं था। वे बहुधा जहाँ कहीं भी जात-उद्धार हरिजन वस्ती में अपना समय जरूर देते। उनकी प्रार्थना सभायें वही हुआ करती थी। उनका विश्वास था कि देश में जब तक अछूत वर्ग का उत्थान नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।

अस्पृश्यता हिंदू समाज में सदियाँ चली आ रही थी जो एक प्रकार से सामाजिक अभिशाप सिद्ध हुई। इनने देश की एकता को विघटित किया, सामाजिक असमानता का प्रोत्साहित किया तथा निबल वर्ग के शोषण में सहायक हुई। गांधीजी ने इस सामाजिक सुधारको जितनी भी शक्ति दी। मध्य तथा प्राथमिक कक्षाई सत एव सामाजिक सुधारको ने इस पर प्रहार किया। किन्तु किसी को भी उतनी सफलता नहीं मिल पायी जितनी की गांधीजी का मिलती थी।

गांधीजी ने अछूत एव पिछड़े वर्ग के लिए हरिजन जस उच्च शब्द का प्रयोग कर उनमें आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न की। हरिजना क उत्थान के लिए उन्होंने जीवन भर अनथक प्रयत्न किया। उन्होंने छूआ छूत की समस्या को राष्ट्रीय पमाने पर हल करने के लिए उक्त कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम का अग्र बनावना। सन् 1932 में गांधीजी ने हरिजन उद्धार काय क लिए हरिजन सेवक संघ का गठन किया। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य हरिजना का शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर ऊँचा उठाना था। इस संस्था ने गांधीजी के निर्देशन में छूआ छूत के खिलाफ देश क कोने-कोने में विरोध किया और सभी सांख्यिक कुआँ, धर्मशालाआँ सबको स्वला श्मसान-स्थला एव मदिरा को हरिजना के लिए भी खोल देने का आग्रह किया। गांधीजी ने हरिजन नाम से एक हिंदी साप्ताहिक पत्र भी अपने संपादन में जीवन पयन्त निकाला था जिसमें दूआ छूत क उमूलन व अछूत समाज सुधारो के पक्ष में निरंतर लक्ष्य प्रकाशित किया गया। गांधीजी क हृदय में हरिजनो के प्रति कितना प्रेम और आदर था। उनकी इन पक्तियाँ में व्यक्त होता है — 'मैं किन्तु जन्म लेता नहीं चाहता हूँ पर यदि मुझे लेना ही पड़े तो मैं अछूत के रूप में जन्म लेना चाहूँगा ताकि मैं अछूतों के कष्टों एव अपमानों में भाग ले सकूँ और इन दयनीय परिस्थितियों से अपना को धीरे उनको उन्नत कर सकूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे किन्तु जन्म लेना पड़े तो मुझे आहारण, क्षत्रिय या वश्य के रूप में नहीं बनना चाहिए।' वरन् अति शूद्र क रूप में जन्म मिले। वास्तव में यह गांधीजी के ही प्रयत्नों का सुपरिणाम है कि भारतीय मन्वियान में अछूत परम्परा तथा दूआ छूत का व्यवहार का गरवानुनी तथा दण्डनीय घोषित किया है।

2 साम्प्रदायिक एकता के प्रबल समर्थक गांधीजी के जीवन का उच्चतम आदर्श था भारत के विभिन्न सम्प्रदायो, जहाँ हिंदू मुसलमान इनाई पारसी, सिक्ख आदि को एकता के सूत्र में बांधा जाय। य इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने देख लिया कि सबसे बड़ी धीरे धीरे अछूत गतिशील अल्प संख्या (मुस्लिम) जाति

को राष्ट्रीय संगठन का अग्र बनाये बिना भारत न तो आजादी पा सकता है और न उसकी रक्षा कर सकता है और न ही भारत की भौतिक या साम्प्रतिक उन्नति हा सकती है। अस्तु उ होन 'हिन्दू राष्ट्रवाद' और 'मुस्लिम-राष्ट्रवाद' को एका-वित कर एक सामान्य 'भारतीय राष्ट्रीयता' का रूप दिया। यह उनक जीवन का एक सबसे महान् उल्लेखनीय काय है।

गांधीजी सब धर्मों के गहरे अध्ययन के बाद इस परिणाम पर पहुँचे थे कि सभी मजहबों के बुनियादी सिद्धांत एक हैं, फक तो रुढ़िया और कम-काण्ड तथा ऊपरी रीति-रिवाजों में हैं। परंतु रुढ़ियाँ और कमकाण्ड हमेशा बदलते रहते हैं, पर धर्म के बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं बदलते। अस्तु, गांधीजी न स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया था मैं ऐसी आशा नहीं करता कि मेरे सपनों के आदर्श भारत में केवल एक ही धर्म रहेगा यानी वह सम्पूर्ण। हिन्दू मुसलमान या ईसाई बन जायेगा मैं तो यह सोचता हूँ कि वह पूर्णतः उदार और सहिष्णु बनें और उसके सब धर्म साथ-साथ चलते रहें।' राजनीति में वे धर्म-निरपेक्षता के समर्थक थे। उनका कहना था कि न कोई धर्म श्रेष्ठ है और न कोई निम्न स्तर का। अतः सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे सभी धर्मों का समान आदर करें। सभी मन्प्रदाया को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में इसके लिए उच्च समान रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं।

3 नई शिक्षा प्रणाली के प्रणेता--महात्मा गांधी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि प्रजातन्त्र की सफलता अच्छी शिक्षा पर आधारित है। इसलिए वे शिक्षा का सामाजिक विस्तार करना चाहते थे। उनका कर्ना था कि शिक्षा को देश के अनुकूल होना चाहिए। वे अंग्रेजी के माध्यम द्वारा प्रदत्त शिक्षा-प्रणाली को दोषपूर्ण समझते थे, क्योंकि इसके द्वारा न तो शरीर, न बुद्धि और न आत्मा का विकास हुआ है। गांधीजी भारत में ऐसी शिक्षा-प्रणाली चाहते थे, जो चरित्र के विकास में सहायक हो सके। उन्होंने कहा था--"बिना आचार के बौद्धिक ज्ञान बसा ही है जसा कि खुशबूदार मसाला लगाया हुआ मुर्दा। वह देखन में तो शायद सुंदर लगेगा लेकिन उसमें स्फूर्ति देने वाली या मनुष्य का ऊँचा उठाने वाली कोई बात भी न होगी।" गांधीजी तो बालक के शरीर, मन और हृदय का विकास करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि "साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं तो वास्तव की शिक्षा में उसे कोई उपयोगी दस्तकारी मिखाना शुरू करूँगा।" इसलिए, गांधीजी ने भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन -एव सुधार लाने के उद्देश्य से 'बुनियादी शिक्षा योजना' का सूत्रपात किया। बुनियादी शिक्षा के जरिये वे देश में पली बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते थे। वे ऐसी शिक्षा नहीं चाहते थे जो भारत जैसे निधन ग्रामवासियों का महगी पड़े। इसी उद्देश्य के

सामने रखकर 'बुनियादी शिक्षा' प्रणाली की योजना तयार की गई । गांधीजी की यह क्रांतिकारी बुनियादी शिक्षा 'वर्षा शिक्षा योजना' के नाम से भी प्रसिद्ध है ।

बुनियादी शिक्षा पद्धति की विशेषताएँ—मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भारतीय परिस्थितियाँ के सदृश म बुनियादी शिक्षा गांधीजी का एक महत्त्वपूर्ण योगदान था । इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

- 1 शिक्षा बुनियादी दस्तकारी के आधार पर दी जाय ।
- 2 शिक्षा स्वावलम्बी हो ताकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ स्वयं पत्र भी चला सके ।
- 3 शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो ।
- 4 शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण हो ।
- 5 शिक्षा ऐसी हो जिससे साम्प्रदायिकता, जातिवाद और धार्मिक असहिष्णुता की भावनाएँ न बढें ।
- 6 प्राथमिक शिक्षा की अवधि छ साल की हो और उसमें अंग्रेजी को छोड़कर दूसरी कक्षा (मैट्रिक अथवा सक्ण्डरी) स्तर तक सामान्य ज्ञान का पाठ्य क्रम है ।

महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से देश भर में बुनियादी शिक्षा का प्रचार किया । उन्होंने अनेकानेक राष्ट्रीय शिवा सस्थाएँ खुलवाने में सक्रिय सहयोग दिया । साराश में व बालक की सर्वांगीण शिक्षा में विश्वास करते थे । इसलिए हाथ की शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा तथा शारीरिक शिवा का दिया जाना आवश्यक समझते थे ।

1 गांधीजी द्वारा स्त्री-सुधार—स्त्री सुधार के क्षेत्र में गांधीजी ने पूर्ण-प्रथा बाल विवाह देवदासी प्रथा आदि बुराइयों का डटकर विरोध किया । व स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में थे । व कहा करते थे । स्त्रियों को 'अवना' कहना उनका अपमान करना है । उनके मतानुसार, नतिक वन त्याग, सहन शक्ति और ग्रहिता स्त्रियों में पुरपा से अधिन देखने को मिलती है । उनका स्पष्ट मत था कि 'स्त्री समाज द्वारा स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिये बिना स्वराज्य की मजिल दूर रहेगी । उनके अतहत आन्दोलन में भारतीय नारी का मुक्ति द्वार खुल गया । घर घर में चरखा चलाने से लाखों स्त्रियाँ को पाटी में रोजगार मिला । साराश में गांधीजी व संप्रयत्ना से स्त्री समाज का भारी उपकार हुआ ।

5 मद्य निषेध—महात्मा गांधी मदिरापान के विरुद्ध थे । मद्य निषेध गांधीवादी के सामाजिक वायतन का अंग था । उन्हीं के प्रभाव के कारण अनेक प्रांता में राज्य सरकार शराब-बंदी लागू कर सकी हैं । गांधीजी तो सभी तरह के मादक द्रव्यों-शराब, गाजर, चरस आदि की बड़ी भत्सना करते थे । उन्हीं मद्यपान

को विपणन की सजा दी। उनका कहना था कि मदिरापान से लाखा घर नार चोपट हो गये। यह व्यक्ति को वासनाप्रा को शिकार बना, उसके स्वास्थ्य का एक चरित्र को चोपट कर देती है। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि मद्य निरोध नीति अपनाते पर भारतीयों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सकता है। शराब बंदी आन्दोलन को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने कांग्रेस द्वारा सन् 1930 में राष्ट्र व्यापी स्तर पर छेड़े गये 'प्रसह-योग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन', के कार्यक्रम में शराब की दुकानों पर सत्याग्रहिया द्वारा धरना देने का भी कार्यक्रम निश्चित किया था। उस आन्दोलन में लाखों स्त्री पुरुष कांग्रेस कार्यक्रमों में भाग लिया था।

आर्थिक विपन्नता को दूर करने की नीति

गांधीजी ने आधुनिक काल में मशीनीकरण से उत्पन्न आर्थिक विपन्नता को भारतीय समाज के लिए गहरा अभिशाप माना। वे चाहते थे कि समाज का कोई व्यक्ति भूखो न मरे। उसके साथ ही वे यह भी चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास अत्यधिक पूँजी जमा न हो जाय। वे हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध थे। गांधीजी ने शोषण की समाप्ति के लिए 'ट्रस्टीशिप' (संरक्षण) के सिद्धांत पर जोर दिया।

गांधीजी भारत की गरीबी, भुखमरी व गन्तता से बहुत ही विचलित थे। उनका मत था कि भारत की यह गरीबी और बेरोजगारी की समस्या गहरे उद्योग धंधों के गांव गांव में विकसित करने पर ही दूर हो सकती है। उनके मतानुसार केवल उही वस्तुओं के उत्पादन की भारी भण्डान लगाई जायें जिनका उत्पादन गहरे कुटीर उद्योग धंधों द्वारा न हो सके। ग्रामों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से ही उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योगों का समर्थन किया था। वे आर्थिक विकेंद्रिककरण के पक्ष में थे। उन्होंने स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया।

निष्कर्ष—गांधीजी के समाज सुधार की समस्त अवधारणा, प्रेम, सहिष्णुता सह अस्तित्व और भाई चारों की भावनाओं पर आधारित थी। उनकी काय प्रणाली पूर्णतः अहिंसावादी थी। उनके सर्वोत्पन्न समाज की कल्पना नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। गांधीजी सम्भवतः सबसे महान् भारतीय समाज सुधारक थे।

इस तरह गांधीजी केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने जिन विद्वान्ता और आदर्शों का प्रचार किया उनको व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया। उनका खादी कार्यक्रम स्वदेशी आन्दोलन राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामोद्योग, नशाबंदी छुआ छूट का अन्त, बाल विवाह का अन्त और विधवा विवाह को समर्थन इत्यादि सब व्यावहारिक आदर्श थे।

विश्व कवि रबीन्द्रनाथ टगोर ने महात्मा गांधी के सम्बन्ध में लिखा है 'गांधीजी राजनीतिज्ञ, संगठन कर्ता, जन-नेता और नैतिक सुधारक के रूप में महान्

हैं, परन्तु इससे भी महान् वे मनुष्य के माने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी रूप उनकी मान्यता को सीमित नहीं करता यत्कि व उनकी महानता में अनुप्राणित होत है। और उसी के सहारे टिके हुए हैं। यद्यपि वे दृढ़ आदर्शवादी हैं और प्रत्येक के कार्यों को अपनी ही कमाटी पर बन्धते हैं, तथापि वे विचारों की अपेक्षा मनुष्या को अधिक ध्यान करते हैं। इसी कारण हम उन्हें अपनी क्रांतिकारी योजनाओं में बहुत सावधान और परिवर्तनशील पाते हैं। यदि वे समाज पर किसी परीक्षा को करना चाहते हैं तो सबसे पहले वे उस अपने पर करते हैं यदि वे बलिदान तथा त्याग की मांग करते हैं तो सबसे पहले वे स्वयं उसकी कीमत चुकाते हैं। जूँकि इनके समाजवादी अपने विशेषाधिकारों को त्याग के पूर्व इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि पहले और सब अपने विशेषाधिकारों का त्याग कर दें, यह मनुष्य दूसरों के त्याग की आशा करने से पूर्व स्वयं त्याग करता है।”

III गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धान्त व अहिंसा दर्शन

“हम अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिये ही नहीं बरतें सषा, समुदायों और राष्ट्रों के व्यवहार का सिद्धांत बनाना है।”

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और आ्याय पर ही आधारित एक आन्दोलन का सूत्रपात किया था। भारत में अंग्रेजों के उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद, तथा शोषण नीति से दबा आ रहा था। अस्तु, सत्याग्रह आन्दोलन का प्रयोग एक व्यापक तथा निश्चित विज्ञान के रूप में गांधीजी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में किया।

सत्याग्रह अथ व उद्देश्य — सत्याग्रह का अर्थ सत्य की खोज है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर अटल रहना है। महात्मा गांधी सत्याग्रह का जो अर्थ समझते थे उसने अनुसार यह सत्य पर आहूँ रहकर प्रेमपूर्वक स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहना है। सत्याग्रह सत्य की प्राप्ति का अहिंसात्मक साधन है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन द्वारा विरोधी को गलत मांग से हटाने का प्रयत्न करता है। वह धरणा का प्रेम से, असत्य का सत्य से हिंसा का अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। गांधीजी ने इसे प्रेम बल तथा आत्म बल कहा है।

इस तरह सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचार का विरोध करना। अत्याचारी के आग्रह न तो आत्म समर्पण किया जाता है और न उसकी आयाय पूरा बाता का माना जाता है। अत्याधी या अत्याचारी को उस समय सम्मत्ता मिलती है जब लोग भयभीत होकर, उसके आग्रह नत मस्तक हो जाते हैं। किन्तु यदि सत्याग्रही यह निश्चय कर ले कि चाहे, जा हो जाय, हम तुम्हारी आयायपूर्ण आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अत्याचारी अधिक से अधिक सत्याग्रही का भरोसा करता है, किन्तु आदर्श का पालन नहीं करा सकता। इस तरह के जन आंदोलन में जब शासक दबता है कि उसका आदर्श निरर्थक हो रहा है, तब तक सत्या

अहियो द्वारा सहन की जाने वाली कठोर यातनाओं और कष्टों के कारण उसके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। वह कितना ही कठोर, क्रूर, निष्ठुर क्या न हो, उसमें मानव की प्रस्तुत भावना जाग्रत हो जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे लोभमत्त के कारण भी मजबूर होना पड़ता है और वह अपने अत्याचारा पर पश्चात्ताप करने लगता है।

सत्याग्रह का विवेचन करते हुए गांधीजी ने लिखा है, 'यह शास्त्र बल से उल्टा है। मिसाल के लिए, मान लीजिए, सरकार ने एक कानून बनाया जो मुझ पर लागू होता है। वह मुझे पसंद नहीं है। अब यदि मैं सरकार पर हमला करके उसे वह कानून रद्द करने को मजबूर करूँ तो मैंने अपनी शरीर बल से काम लिया पर मैं उस कानून को मजबूर ही न करूँ, उसे मानने की जो सजा मिले। उसे खुशी से भुगत लूँ तो मैंने आत्म बल से काम किया अथवा सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में अपनी ही बलि देनी होती है।' जब आत्म बल का पशुबल से सघप होता है तब आत्म बल की विजय निश्चित है।

सत्याग्रह के विभिन्न रूप—राजनीतिक जन आंदोलनों को अधिक क्रियात्मक रूप देने के लिए गांधीजी ने सत्याग्रह के चार स्वरूप बतलाये हैं (1) निष्प्रय प्रतिरोध—इस आंदोलन का अर्थ था कि अत्याय का विरोध शस्त्रों से न करके शांति पूर्वक उपायों से किया जाय। इसका प्रयोग गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका में गरीबों सरकार के अत्याचारों के विरोध में किया था। (2) असहयोग—एतिहासिक दृष्टि में भारत में यह आंदोलन 1920-21 में गांधीजी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था। भारत को ब्रिटिश सरकार की पराधीनता से मुक्त कराना। उनके अनुसार, शासन कायम सहयोग देने वाले भारतीय कर्मचारी यदि अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर दें तो अंग्रेजी शासन भारत में कायम नहीं रह सकता। सरकारी नौकरी छोड़ना अदालतों, स्कूल कालेजों का बहिष्कार करना ऐसे ही असहयोगी साधन हैं। असहयोग आंदोलन, हड़ताल का रूप भी धारण कर सकता है तथा सामाजिक बहिष्कार अथवा धरने का भी। (3) सविनय अवज्ञा—यह गांधीजी का सबसे अधिक प्रभावशाली और सशक्त क्रांति का रक्तहीन रूप है। इसे उठाने असहयोग आंदोलन की अंतिम सीढ़ी बनलाया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है, अनैतिक नियमों को तोड़ना। गांधीजी के अनुसार यह आंदोलन आनाओं को न मानते हुए भी आदर विनय एवं सयम से हाना चाहिए। घृणा या शत्रुता की भावना तो इनमें कदापि नहीं हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का गांधीजी ने भारत में सन् 1930-31 में प्रयोग किया था। (4) उपवास—गांधीजी उपवास को शीघ्र 'पंचदीयक' कहते हैं। इसे वे अग्निबाण भी कहते हैं। उपवास के दो उद्देश्य होते हैं—आत्म शुद्धि तथा अत्याय का विरोध। उपवास ब्रह्मी कर सकता है जिसमें पवित्रता आत्म सयम, नम्रता और अटल विश्वास हो। उपवास में विपक्षी का कष्ट नहीं

दिया जाता है, अपितु स्वयं कष्ट को सहा जाता है। यह विपरीत का त्रिवश करने या बाध्य करने की अपेक्षा उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। वस्तुतः अयाय तथा अतिक्रमता से छुटकारा पाने के लिए उपवास एक अतिम अहिंसक राजनतिक शस्त्र है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सन् 1924 में 24 दिन का और 1947 में दो लम्बे उपवास गांधीजी ने किये थे। इन उपवासा से उन्हें अधिक सफलता मिली।

सत्याग्रह का आधार अहिंसा विवेचन

“संसार का ध्यान गांधीजी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु-चल के समक्ष आत्म-जल का शस्त्र निकाला, तोरो और मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया।” गांधीजी ने अहिंसा के दो रूप बतलाये हैं— पहला नकारात्मक रूप और दूसरा सकारात्मक। किसी प्राणी को स्वाध, घोष अथवा द्वेषवश कष्ट देना या हानि पहुँचाना अहिंसा का नकारात्मक रूप है। सकारात्मक पक्ष में अहिंसा के चार मूल तत्व पाये जाते हैं। वे हैं—(1) प्रेम और उदारता, (2) धय (3) अयाय का विरोध और (4) वीरता।

अहिंसा का लेकर गांधीजी को जो मुयश प्राप्त हुआ, वह अपनी भिसाल आप है। गांधीजी अहिंसा को मोक्ष प्राप्ति का ही साधन नहीं बतलाकर उसे सामाजिक शांति, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक सम-वय तथा परिवार का भी साधन बतलाते हैं। यह मनुष्य एवं सम्पूर्ण प्राणी-जगत के लिए व्यवहार योग्य है। गांधीजी ने सत्याग्रह या दोहन में अहिंसा का प्रयोग किया और उनका प्रयोग से संसार के असत्य लोगो में यह आस्था उत्पन्न हुई कि अहिंसा की साधना सामूहिक कार्यों में भी चल सकती है।

अग्रज सांभ्राज्यवादियों के विरुद्ध अपने सघष में गांधीजी पशु और मनुष्य के सघष का स्वरूप देखते थे। उनके शब्दों में अग्रज हमारे सत्याग्रह सघष को बंदूकों के धरातल पर ले आना चाहते थे, क्योंकि बंदूके उनके पास हैं जिन्हें चला सकने हैं। किन्तु हम तो उसी धरातल पर टटकर लड़ेंगे, जिस धरातल के शस्त्र हमारे पास हैं और अग्रजों के पास नहीं हैं।’

गांधीजी के अहिंसा के प्रयोग पर एक समय सारा संसार हैमता था और बड़े बड़े लोग यह कहकर अकास तिर हिलाया करते थे कि इतिहास में कभी भी तो अहिंसक अन्ति नहीं हुई। किन्तु अहिंसा अजा शक्ति छिपी है, उसे केवल गांधीजी की दृष्टि देख सकती थी। “सच्ची अहिंसा भय नहीं प्रेम से जन्म लेती है निस्सहायता नहीं सामर्थ्य में उत्पन्न होती है। जिस सहिष्णुता में क्रोध नहीं, द्वेष नहीं और निस्सहायता का भाव है, उसके समक्ष बड़ी से बड़ी शक्तियों को झुकना पड़ेगा।”

११ - निष्कण्ड—साराश म, वतमान सभ्यता को विनाशकारी दीपा से मुक्त करन के लिए गांधीजी ने मानव जाति को अहिंसा का पाठ पढाया । उहाने सघप, भय और सशय के जीवन से छटकारा देने के लिए एक नतिक समाज की रचना की । गांधीजी के सत्य, अहिंसा और साधना की विशुद्धता को अव्यावहारिक समझने का अर्थ होगा। मानवता का परित्याग करना तथा पशुओं के स्तर का प्राप्त करना ।

डा राधा कृष्णन—ने ठीक ही लिखा है कि “गांधीजी एक क्रांतिकारी चिन्तक थे, उहाने राजनीति को शुद्ध बनाने के लिए मानव स्वभाव के परिवर्तन मे महत्वपूर्ण योगदान दिया ।” यह महात्मा गांधी ही थे जिहाने सत्य और अहिंसा जस मूक सिद्धांत एव अस्त्र का एक महान शक्ति के रूप म प्रयोग किया । अंग्रेजी साम्राज्यवाद को भारत से उखाड फकने म गांधीजी के अहिंसात्मक सत्याग्रही साधना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

आधुनिक भारत और पाश्चात्य संस्कृति

(Modern India and Western Culture)

- (i) राजनीतिक वातावरण
- (ii) राष्ट्रीय चेतना
- (iii) सामाजिक प्रभाव
- (vi) धार्मिक प्रभाव
- (v) आर्थिक प्रभाव
- (vi) कृषि पर प्रभाव
- (vii) शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव
- (viii) कला के क्षेत्र में जागरूकता
- (ix) वैज्ञानिक प्रवेक्षण एवं अनुसंधान
- (x) यातायात के साधनों में वृद्धि
- (xi) राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव

अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक राज्य किया। इस काल में उन्होंने भारतीय सभ्यता का शोषण करते हुए, भारतीय उद्योग पथों का लगभग नष्ट कर दिया। उनका निरन्तर प्रयास रहा कि भारत की मिली-जुली संस्कृति पनपने न पावे। भारत की सांस्कृतिक एकता नष्ट हो जावे तथा राष्ट्रीय एकता का यहो उन्मूलन हो न हो।

(I) राजनीतिक वातावरण—

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उन्नीसवीं सदी के मध्य तक मराठा विजय से महत्वपूर्ण घटनाएँ—प्रायः की राज्य प्राप्ति और नपोलियन बोनापार्ट का प्रादुर्भाव—से विद्यमान प्रभावित रहा। प्रायः की राज्य प्राप्ति न सामन्तवाणी प्रथा का विनाश तथा प्रजातन्त्र की स्थापना के नये नीतिमान स्थापित किए। इस राज्य प्राप्ति के अन्तर्गत, समानता और भाई-भार के आदर्श का बीज बोया, जो इतिहास में भविष्य में हानि काल सभी जन जातियों का मूलमंत्र बना। नरामिदन बाना पाट की विस्तारवादी प्राप्ति न सम्पूर्ण यूरोप क्षतिग्रस्त हुआ और यूरोप में राष्ट्रीयता

एव राष्ट्र धर्म का विनाश होना सम्भव हुआ। विख्यात राजनीति शास्त्रज्ञ हेल्डर लास्की का कथन है—“उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास को एक शब्द ‘राष्ट्रवाद’ में बाधा जा सकता है।”

पश्चिमी देशों में राष्ट्रीयता के इस व्यापक विकास का प्रभाव भारतीय जनमानस पर विशेष रूप से पड़ा। इसमें भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की सुप्त भावना जागृत हुई। इस तरह अंग्रेजों के सम्पर्क का परिणाम भारत के लिये हितकर हुआ। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से भारतीयों का सभी विषयों में नई व आधुनिक जागरूकी हुई। यूरोप के साहित्य और इतिहास का पढ़ने के बाद भारतीयों का बोध हुआ कि मानव समाज सबत्र एक सा ही है।

(II) राष्ट्रीय चेतना—

राष्ट्रीयता, स्वाधीनता एवं नाकत-शवाद आधुनिक युग का मुख्य विशेषताएँ हैं। मध्य युग में इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ब्रिटिश काल में भारत के लोग यूरोपीय विचारधाराओं के सम्पर्क में आये और पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए। यूरोप में राष्ट्रीयता के प्रसार से तथा इंग्लैंड और जर्मनी के स्वातन्त्रय युद्ध से प्रेरित हो भारतीयों के मन में तत्काल विचार आया कि इन्हीं देशों की भाँति हिन्दुस्तान भी आजाद हो सकता है। इस भावना के प्राभास रूप भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव हुआ और देश में राजनीतिक चेतना जागृत हुई।

भारतीयों ने राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित प्रयास किया। मई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किन्तु यह संस्था जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। उधर सामाजिक सुधारवादी आंदोलन जनता में नव जागरण उत्पन्न कर रहे थे, जिसके कारण जनता विदेशी शासन की राजनीतिक घुस्न का अनुभव करने लगी थी और अपने को स्वराज्य प्राप्ति के लिए सधियों के हेतु सज्जित कर रही थी। इस तरह जनसाधारण में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था।

भारत में मुद्रणालयों की स्थापना से भारतीयों को अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को प्रसन्न के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर मिला। उनमें सामूहिक जग्राहकता उत्पन्न हुई और उनको अपनी विकासोन्मुख शक्ति का आभास होान लगा। उनकी स्वतन्त्रता अधिकार एवं राष्ट्रीयता की सुस्पष्ट भावनाएँ जागृत हुई।

यह ठीक ही निर्देश किया जाता है कि प्रारम्भिक भारतीय राष्ट्रवादियों का आदर्श व्यक्ति यूरोपीय देश भक्त थे। 1870 के बाद सूरेंद्रनाथ बनर्जी ने अनेक बार अपने नेताओं से यह प्रश्न किया, ‘आप में से कौन मजिनी और गरी बाल्डी बनेगा?’ उनका उत्तर होता था—‘हम सब, हम सब।’

(III) सामाजिक प्रभाव—

पाश्चात्य सभ्यता और सस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति उत्पन्न

कर दी । समाज दो श्रेणियाँ म विभक्त हो गया । प्रथम श्रेणी के श्रमिक लोग
 यथास्थितिवादी थे । अर्थात् वे देश के सामाजिक ढाँचे में कोई फेर बदल नहीं चाहते
 थे । दूसरी श्रेणी के लोग प्रगतिवादी थे । उ हान अप्रसृश्यता, पर्दा- प्रथा, बहु विवाह
 देवनामी-प्रथा एवं निरक्षरता आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का बीड़ा
 उठाया जिससे मध्यम वर्ग में सामाजिक चेतना जागृत हुई । इसके अलावा पाश्चात्य
 सभ्यता का भारतीय समाज के संपर्क से भारतीय प्राचीन व मध्यकालीन नैतिक
 विचार परिवर्तित होने लगे । फलस्वरूप विवाह, खान पान, वेश भूषा, आचार
 विचार, शिष्टाचार व्यवहार आदि पर पाश्चात्य प्रभाव भलकने लगा । जाति प्रथा
 की जड़ें ढीली पड़ने लगी । इसी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं सभ्यता ने भारतीय
 जीवन और चरित्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया । व्यक्तिवाद के प्रसाद से
 सामाजिक बंधन ढीले पड़े, जिससे समय की गति के साथ जाति प्रथा और संयुक्त
 परिवार प्रथा विखर गई ।

(IV) धार्मिक प्रभाव—

पाश्चात्य प्रभाव की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लोगों
 तक ही सीमित थी । उनमें प्रायः हर पश्चिमी वस्तु के लिए आकर्षण था और मीन
 मधीकृति भी थी । हिंदू धर्म की अनन्त सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध में बहुत से
 हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल के कुछ प्रगतिवादी व्यक्तियों ने
 अपना धर्म बदला । इसलिए राजा राममोहन राय ने और उनके उत्तराधिकारी
 केशव चन्द्र सन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि धर्म को नये वातावरण के
 अनुकूल किया जाय । बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों के लोगों में भी इसी प्रकार
 के सुधारवादी उपाय किये । स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी
 विवेकानंद रवि द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने हिंदू मध्यम वर्ग में तथा सर-
 सैयद अहमद खा, मोलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ मोहम्मद इकबाल आदि ने
 मुस्लिम मध्यम वर्ग में एक आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय विरासत के प्रति विश्वास
 जन था । इस विश्वास में एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावना मिनी हुई थी, साथ
 ही इसकी एक शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी । उभरता हुआ मध्यम वर्ग
 एक सांस्कृतिक नींव पर आधारित राजनीति चाहता था जो उस मिली भी ।

(V) आर्थिक प्रभाव—

पाश्चात्य प्रभाव की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आर्थिक क्षेत्र में विपरीत हुई । ब्रिटिश
 शासन की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति ने भारत के परम्परागत उद्योग धंधों का
 धक्का लगा । देश को मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर रहने की मजबूर बना दिया । वस्तु
 केवल कृषि जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त न हो सकी । इसमें दवा में आर्थिक गड़बड़
 गया । इसी समय जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन में औद्योगिक और औद्योगिक
 करण की उठती लहर ने भारत को घेरना शिवा । भारत में कच्चे मान आधुनिक
 माधन की कमी न थी । इन दशा में औद्योगिककरण को नुस्खाने हैं । परन्तु दवा

में नये उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना हुई। देश में कृषि के साथ व्यावसायिक प्रगति भी शुरू हुई।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में रूप में एक बड़ी क्रांति हुई, और 1917 में वहाँ मजदूरी व किसानों का राज्य स्थापित हो गया। इससे दुनिया भर के मजदूरों को प्रेरणा व सबल मिला। भारत में भी साम्यवाद और समाजवाद की तरफ आगामी, जिससे खेतियार और श्रमिकों की हीन दशा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। इसके फलस्वरूप भारत में श्रम आंदोलनों का श्रीगणेश हुआ और किसानों को संगठन बनने लगे। बाल गान्धेय और एजिल्स द्वारा विकसित समाजवादी विचारधारा से सारा भारत प्रभावित हुआ। इसके अनिश्चित पश्चात्य नवीन आर्थिक विचारधाराओं ने भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला, सामाजिक न्याय की लालसा, क्रांतिकारी भावना और विप्लवकारी प्रवृत्ति उत्पन्न की। इनके परिणामस्वरूप धर्म, पूजावाद और शोषण के विरुद्ध आवाज उठी लोगों में नवचेतना का स्फुरण हुआ।

18वीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्यात मशीनों से होना लगा। इसलिए इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता हुई। भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य हो जाने से इंग्लैंड की उक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो गयी। एक तो उस भारत से कच्चे माल का भण्डार मिल गया, दूसरे अपने माल की रूपत व लिए मण्डी मिल गयी। इस प्रकार भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाना लगा और वहाँ से कारखानों में बना हुआ पक्का माल भारत आना लगा। परंतु, इसके कारण भारत के प्रचलित उद्योग धंधे चौपट हो गये। भारत में इंग्लैंड के कारखानों का मशीनों द्वारा निर्मित सस्ता माल बिकने लगा। हाथ का बना स्वदेशी माल महंगा पड़ने लगा, जो प्रतिस्पर्धा में विदेशी माल के आगे नहीं टिक सका।

1757 ई. से 1857 ई. तक भारत का विश्व व्यापार यूरोप के अनेक देशों (फ्रांस, इंग्लैंड व इटली) के हाथ में था, किंतु धीरे धीरे संपूर्ण व्यापार इंग्लैंड के हाथ में आ गया।

सन् 1860 में ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में विधिवत स्थापना के साथ मशीनों के आयात पर जो चुंगी कर लगी थी वह हटा ली गई और भारत में उद्योग धंधा का आधुनिक विकास प्रारम्भ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कतिपय शिक्षित एवं दूरदर्शी उद्योगपतियों ने तात्कालिक आर्थिक नीति एवं व्यावसायिक परिवर्तन के विषय में जानकारी करके उद्योगों का वैज्ञानिक ढंग से संगठन किया। यद्यपि यह अधिकांश व्यवस्थाएं एवं पूजा यूरोपियनों की थी, फिर भी भारतीयों ने इसका शुभारम्भ किया। फलतः 1854 में बंबई में कपड़े की मिल स्थापित की गयी। सन् 1877 में नागपुर, शोलापुर, अहमदाबाद आदि में रई उत्पादन के क्षेत्र

म सूती कपडों के अनक मिन खुले । 1905 म स्वदेशी मालादन ने भारत म स्थापित उद्योगो को प्रास्ताहन देकर अनक कल कारखाना को खुलवाया ।

बीसवी शताब्दी क प्रथम चरण स, राजनीतिक आन्दोलन एव असतोप के कारण सरकार अ थिक सुधार करने के लिए विवश हुई । फलत औद्योगिक विकास क लिए 1905 ई मे उद्योग और वाणिज्य का सब प्रधान विभाग की स्थापना का गयी । प्रथम विश्व युद्ध क उपगत श्रेण क व्यापार वाणिज्य मे टुडि हुई । पर तु 1930 34 में विश्व व्यापी आर्थिक म नी के कारण आयात और निर्यात दोनों कम हो गये । दूसरे विश्व युद्ध के दौरान (1 37 45 ई) उद्योग एव व्यापार को विकसित होने का पुन अवसर मिला ।

1937 म लोकप्रिय कांग्रेसी व अन्य प्रा तीय सरकारो के गांठा होने पर भारतीय औद्योगिक योजनाओ को क्रियावयन किया गया । फलत देश म सरकारी भारतीय व्यापारिक संगठनो (तथा, इण्डियन चैम्बर ऑफ कामस) न उद्योग ध धा के विकास के लिए रग उठाया । इसी काल म प जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता म एक राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गयी ।

रजनी धाम दत्त—के मतानुसार, सचमुच ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन मे भारत का 'औद्योगिकरण' नहीं हुआ बल्कि 'अनुद्योगिकरण' हुआ है । विकास की गति बड़ी धीमी रही । साम्राज्यवादी शोषण का यह अनिवाय परिणाम निकला कि देश की खेती हर आबादी हृद स ज्यादा गरीब हा गई, जिसकी बजह से भारतीय उद्योगो म वन हुए माल के लिए देश का अदरुनी बाजार बेहद सुकड जाता है । भारत की बैंक व्यवस्था पर अंग्रेजी का जो नियंत्रण कायम था, वह भारत के औद्योगिक एव स्वतंत्र विकास को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था । युद्ध कालीन बोझ क कारण दूसरे महायुद्ध के पश्चात् भारत की आर्थिक हालत बहुत ही नाजुक हो गयी और वह आसमान को छूने वाले मुद्रा प्रसार महगाई और धाम तबाही का शिकार हो गया ।

(VI) कृषि पर प्रभाव—

ब्रिटिश-शासन के पूव भारत मे कृषि और उद्योग व धे आदि साथ साथ चलते थे । कि तु अंग्रेजो क शासन के कारण व्यावसायिक क्षेत्र म भारत परमुखा पैसी हो गया । पारम्परिक उद्योग ध धो के नष्ट कर दिय जानसे ग्रामीणो का कृषि पर ही निर्भर रहना पडा । इससे भूमि की उबरता भी गीरे धीरे कम होती चली गयी । इसके अतिरिक्त जमीदार-प्रथा, बगार प्रथा, महाजनो प्रथा और प्राकृतिक विपदाओ के कारण किसानो की दशा दिनों दिन विगडती गयी । इसम भी ज्यादा महत्व की बात यह थी कि भूखो मरन वाले भारत से अधिकारीक माल बाहर भेजा जान लगा । 1849 ई म 8, 58, 000 पौंड की

कीमत का अनाज बाहर गया था। 1858 में 8 लाख पौंड की कीमत का अनाज बाहर गया। इसी तरह 1877 में 79 लाख पौंड का, 1901 में 93 लाख पौंड का और 1914 में 193 लाख पौंड का अनाज बाहर गया।

उसके साथ साथ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनाजों की सख्या और भयकरता में भारी बढ़ोत्तरी हो गयी। सन 1800-1825 के काल में अनाज से होने वाली मृत्यु दर 10 लाख थी, वह 1875-1900 के काल में बढ़कर 50 लाख हो गई।

सब प्रथम लाइ कजल में वनानिक ढंग से खेती करने पर बल दिया। उन्होंने केन्द्रीय तथा प्रांतीय कृषि विभागों का पुनर्गठन किया। उच्च कृषि शिक्षा के लिए 1903 ई. में 'एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट'। पूना की स्थापना हुई। 1905 में भारत सरकार ने 'अनिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना' की। 1906 में इण्डियन एग्रीकल्चर सर्विस की व्यवस्था की गयी और कृषि विज्ञान की शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जाने लगी। 1908 में एग्रीकल्चर कालेज, पूना की स्थापना की गयी और उसके उपरांत कानपुर, नागपुर, लायलपुर कोयम्बटूर आदि कई स्थानों में कृषि कॉलेजों की स्थापना की गयी। 1919 ई. के संवैधानिक सुधारों के बाद कृषि को प्रांतीय विषय बना दिया गया और प्रत्येक प्रांत में एक विभाग खोल दिया गया। केवल अनुसंधान संस्थाओं का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर था। किसानों और श्रमिकों को जमींदारों तथा महाजनों के शोषण में अत्याचारों और दुर्व्यवहारों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानून पास किये गए।

राजाजी के बाद कृषि पर विशेष बल दिया गया। खाद्य संकट का सामना करने के लिए 'अधिक अन्न उपजसत्ता' तथा 'हृदित ज्ञानि' आदि आंदोलन चलाये गये। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए किसानों को आधुनिक औजारों, ट्रैक्टरों, ट्यूब वलों, उर्वरकों आदि के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें शोधित बीज उपलब्ध कराये गये। सिंचाई की सुविधा के निम्न अनेक बांध व नहरें बनाई गईं। किसानों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। इन सबके परिणामस्वरूप भारत कृषि उत्पादन में अब अग्रगण्य बन गया है।

(VII) शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव—

अंग्रेजी शासन के पहले हिन्दुस्तान में प्राचीन शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। तब पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मूल पात हुआ। अंग्रेजी शिक्षा धीरे धीरे किंतु इतना सफल और अन्त में उभरकर भारतीयों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी के ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान और वह सब कुछ आया जो उभरता था। समाचार पत्रों का चलन हुआ। भारतीय कला पर भी पश्चिमी कला का अत्याधिक प्रभाव पड़ा।

नाट्य-हाटिज व ज्ञानन काल म नाट्य सफल न भारत म अंग्रेजी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से प्राचीन व मध्यकालीन परंपराएँ धूमिल पड़ गयीं। फलतः शिक्षा और अभिव्यक्ति का जीवन एक गहरी खाई पड़ गयी। अंग्रेजी भाषा के आगमन म दली भाषाशास्त्र व साहित्य व अतिरिक्त भारतवासी का पाश्चात्य दशा व विविध साहित्य व अध्ययन का अवसर मिला जिससे स्वतंत्रता समानता एवं राष्ट्रवायता का उद्देश्य हुआ। इस तरह विचारधाराओं का सूत्रपात हुआ, जिनम दली साहित्य प्रभावित हुआ। भारतीय मध्य साहित्य की अभिवृद्धि पश्चात्य पुस्तकों व अनुवाद स हुई। भारतीय मध्यवागी ने पाश्चात्य आदर्श शक्ती व आधार पर लेख लिखे। पाश्चात्य नाटको व एकांकी के आधार पर नाटक लिखे गए। समालोचना के क्षेत्र म भी पाश्चात्य आदर्शों का अनुनाया गया। काव्य का क्षेत्र भी पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त न रह सका। 'सबोधन गीत', 'चतुर्श पन्थिया तथा 'अनुवाद कवितायें' लिखी गयीं। छायावागी शैली म भी अंग्रेजी शैली का अनुकरण किया गया। पाश्चात्य विद्वानों न भी दली भाषाओं व इतिहास, व्याकरण और कोष तयार किये। ईसापूर्व ६ म का प्रचार करने क उद्देश्य से भारत म मुद्रणालयों की स्थापना हुई। बीर बीर दश म विश्वविद्यालयों कॉलेजों, हाई स्कूलों तथा दूसरे स्कूलों का खोलन का सिलसिला चालू हा गया। इनम स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। स्त्री शिक्षा व प्रसार से उनकी स्थिति म सुधार होना शुरू हो गया।

(VIII) कला के क्षेत्र मे जागरूकता

प्राचीनकाल से ही भारत कला व क्षेत्र म बड़ा प्रगतिशील रहा है। ललित कला के अतिरिक्त स्थापत्यकला, शिल्पकला और चित्रकला का देश म विशाल भण्डार है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के सघष से भारतीय इतिहास क वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगणेश हुआ। य अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत के अतीत को खोजने मे सहायता दी। उन्होंने मग दशन किया और भारतीय विद्वानों न उमका अनुशीलन किया।

जेम्स प्रिंसप ने 1834 ई. म प्रशोक व शिलालेखा की खोज की। सप्ताह प्रशोक की खान और महिमा अंग्रेज विद्वानों के परिश्रम के बिना छिपी रहती। अंग्रेजों न मार बौद्ध साहित्य का अंग्रेजी मे अनुवाद किया। और इस भारतीयों को सुलभ करवाया। डॉ. वी. ए. स्मिथ ने प्राचीन भारत के इतिहास पर अत्यधिक काम किया। पुरातत्व के क्षेत्र म वर्निघम का योदान रहा। अनेक ऐतिहासिक और कलात्मक फारसी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा मे छपवाया गया।

इस तरह भारतीयों की प्राचीनकला के प्रति जागरूकता का श्रेय पाश्चात्य विद्वानों की है। सिस्टर निवन्तिता फगु यूमन और हैवल आदि न भारत की गौरव

पूरा प्राचीन ललित कलाओं के प्रमुख तत्वों प्रवृत्तियाँ तथा कलात्मकता का सर्वप्रथम उदघाटन किया था। इनके अतिरिक्त सर जान माशल, पर्सी ब्राउन, मैक्समूलर और कुमार स्वामी आदि ने भारत की प्राचीन कला की ओर विश्व के बुद्धि जीवियों का ध्यान आकृष्ट किया। इन पाश्चात्य विद्वानों ने शिलालेखों, मूर्तियों, मुद्राओं और सिक्कों का खोजकर इतिहास के नये अध्याय लिखे। फलतः भारतीयों की भी आँखें खुली और वे अपने गौरवपूर्ण इतिहास के समझने में सक्षम हो सके। भारत का गौरवपूर्ण इतिहास प्रकाश में आने के फलस्वरूप संसार के सभी देश भारत को आदर की दृष्टि से देखने लगे।

(IX) वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अनुसंधान—

वैज्ञानिक क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ज्योतिष, गणित एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही अग्रेसरता ही चुकी थी। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में ही पाश्चात्य ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा तथा चिकित्सा विज्ञान और इंजिनियरिंग आदि का प्रबल प्रसार किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम, कलकत्ता और बम्बई में मेडिकल कॉलेज तथा रुडकी में इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1876 ई में वैज्ञानिक अध्ययन की भारतीय परिषद की स्थापना हुई। जिससे वैज्ञानिक शिक्षण एवं अनुसंधान का अर्थ गणेश हुआ। 1890 में सच जगदीश चंद्र चतु ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान काय आरंभ किया। 1902 में कलकत्ता विश्व विद्यालय में विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। 1911 में उद्योगपति टाटा के सहयोग से भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान आदि विषयों में अन्वेषण एवं अनुसंधान परक शोध के लिए 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस' बंगलौर की स्थापना की गयी। प्रायोगिक अनुसंधान को समुन्नत बनाने के लिए 'इण्डियन रिसर्च फण्ड एसोसिएशन' की स्थापना की गई।

विज्ञान के क्षेत्र में उपयुक्त प्रगति से प्रेरित होकर अनेक भारतीयों ने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। इन वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री निवास रामानुजम, यन्त्रविज्ञान शास्त्री जगदीश चंद्र बास, भौतिक विज्ञान शास्त्री चंद्र शेखर वेंकटरमण और मधनाद साहा के नाम उल्लेखनीय हैं। चंद्रशेखर वेंकटरमण ने 1919 ई में नाबल पुरस्कार प्राप्त कर विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में भारत को गौरव प्रदान कराया। विभिन्न क्षेत्रों में किये गये वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणामस्वरूप शिक्षा में विज्ञान का महत्त्व बढ़ गया। 1940 में भारत सरकार ने 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद' की स्थापना की। द्वितीय महायुद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान की समितियों का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्लास्टिक व्यवसाय एवं रेडियो तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्रों में अभूतपूर्व काय हुआ।

आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्रत्येक विभाग की स्थापना की। एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री परिषद का भी गठन

किया गया। आणुविक शक्ति की खोज के लिए एक विशिष्ट समिति स्थापित की गई। इस क्षेत्र में भाभा, विश्व साराभाई और सेठना आदि के अणु वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण शोध कार्य करके विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाया। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग भारत का एक कल्याणकारी कदम है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भू गर्भ विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के नये धित्तिज दृष्टिगत हुए हैं। इन सबके फलस्वरूप सामाजिक जीवन को सुल सुविधा में सम्पन्न किया है।

(V) यातायात के साधनों में वृद्धि—

आधुनिक पार्श्वगत्य सम्पत्ता के अंगों का सूत्रपात रेल, तार, डाक आदि में हुआ जो आधुनिक युग की देन है। इसके कारण दूरस्थ प्रदेशों में निकटतम संपर्क स्थापित हो गया और जनसंपर्क में वृद्धि हुई। यातायात के साधनों की उन्नति से भारतीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। अंग्रेजों के शासन के बाद की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना रेल मार्गों का निर्माण था। रेल, तार, रेडियो हवाई जहाज आदि का आविष्कार से देश, आवागमन और संचार व्यवस्था में अत्यधिक प्रगति हुई।

रेल के निर्माण के कारण दुर्गम स्थान सुगम हो गए, अविश्वसित क्षेत्र विकसित होने लगे तथा जगह-जगह औद्योगिक केन्द्र स्थापित होने लगे। पदार्थों को ऐसे स्थानों पर पहुँचाया जाने लगा, जहाँ उनका अभाव था। विभिन्न प्रांतों के निवासी परस्पर एक-दूसरे के सन्निकट आने लगे और उन्हें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता की अनुभूति हुई। लोग जीविका के लिए दूर-दूर जान लगे। जाति के बंधन शिथिल हो गये और छूत कम हुई। लोगों की रूपमंडकता में कमी आयी। उनमें सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई।

देश के विभिन्न भागों में पक्की सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे मोटर और ट्रक आदि अधिक सख्या में चलने लगे। जहाँ रेलों से माल नहीं पहुँचाया जा सकता था, वहाँ ट्रकों द्वारा पहुँचाया जाने लगा। भारत के विदेशी व्यापार की उन्नति के लिए भाप की शक्ति से चलने वाले बड़े बड़े जहाजों का निर्माण हुआ। अंग्रेजी शासन में ग्राम लोगों का भी डाक, तार, टेलीफोन की सुविधा हो गयी, जिससे देश के व्यापार-व्यवसाय और भौतिक उन्नति में बड़ी सहायता मिली।

(VI) राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव

पार्श्वगत्य सम्पत्ता का सर्वाधिक प्रभाव देश की प्रशासन व्यवस्था पर पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासन की सबसे महत्वपूर्ण देन भारत का एकीकरण है। देश के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में मोचने के योग्य बनाया। सम्पूर्ण भारत पर एक

द्वितीय शासन स्थापित हुआ। प्रांतीय सरकारें भी थीं, किंतु वे तृतीय सरकार की ल एजे ट मात्र थीं।

भारत में मोजूदा संविधान दशो में लोकतन्त्रीय सरकार की स्थापना करता। इसके त्रिमिक विकास का क्षेत्र अंग्रेजों की पाश्चात्य सभ्यता को जानना चाहिए। का प्रारम्भ 1857 में हुआ और इसकी प्रक्रिया 1861, 1892, 1909, 1919 र 1945 तक चलती रही धीरे धीरे अंग्रेज सरकार ने देश के प्रशासन में भारत को अधिकधिक भागीदार बनाया। 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों का तन्त्रीय सरकार सौंपी और उसके बाद भी यही चालू रही।

भारत में ब्रिटिश शासन की अर्थ प्रमुख दन देश में ससदीय सरकार है। टिण ससद को विश्व समदो की मा कहना उचित ही है। अंग्रेजों ने भारत में वही गू किया जो उनके देश में था। भारतीयों को उस समय की सरकार में प्रश्न तथा क प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। उह बजट पर विचार करने, आलोचना ले तथा रद्द करने का अधिकार दिया गया।

ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य सभ्यता की अर्थ महत्वपूर्ण देन कानून का सन है। जय अंग्रेजों की सस्थाओं को लागू किया गया तो देश में कानून के शासन भी लागू किया गया। अब किसी भी व्यक्ति को गर कानूनी रूप से सजा नहीं जा सकती थी। कानून के सामने सभी समान थे। सरकारी नौकरों को विशेष वेधा प्राप्त न थी। यदि कोई व्यक्ति देश के कानून का उल्लघन करता था तो दण्ड दिया जाता था, चाहे उसका कोई भी पद या स्थान हो। सभी भारतीयों लिए एक ही कानून लागू किया गया। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी भारत लोग ने पाश्चात्य कानून व्यवस्था को ही स्वीकार किया।

भारत में वर्तमान शासन की प्रणाली ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य सभ्यता देन है। देश में अंग्रेजों शासन शुरू होने से पहले सरकार का काम राजा की ही से चलता था। यदि वह योग्य होता तो सब ठीक चलते थे। परंतु, अकुशल कमजोर शासन के अधीन सारा ढांचा ही ढह जाता था। इसका भय अंग्रेजों का ही है कि उन्होंने पद्धति बढा खडा किया जो 'रोटीन' में काम लेता था। हर विभाग में काम के बारे में विस्तार से सूचनाएँ देन के लिए लड्डु तर्कों तयार कराई गईं। किसी भी बात के बारे में दो रायें नहीं हो सकती थीं र इस प्रकार में निरकुश कार्यवाही या प्रशासनिक मशीनरी फैल हो जाने के तसर बहुत कम हो गए। 1947 में, अंग्रेजों ने जब, भारत छोडा और प्रशासन को जाने का बोझ स्वयं भारतीयों पर पडा। देश की स्वतंत्रता के बाद जिस ढंग भारतीय अधिकारियों ने समस्याओं को सामना किया यह सब उसी की देन है।

इस तरह पाश्चात्य सभ्यता में दिक्षित लाखों भारतीय, न न केवल अंग्रेजों की तरह वस्त्र पहनना ही सीखा अपितु अंग्रेजों की तरह सोचना, बोलना, लिखना और काम करना भी सीखा। उसी का परिणाम है कि यद्यपि अंग्रेज 1947 में भारत से चले गए किन्तु उनके पाश्चात्य विचार और संस्थाएँ हमारे जीवन का स्थायी प्रग बन गयी है।

इतिहासकार एडवर्ड थम्पसन एच ग्रेट के शब्दों में, भविष्य में चाहे जो कुछ हो, भारत पर पश्चिम का प्रभाव घटने वाला है। किन्तु यह कल्पना करना मूल्यहीन होगी कि ब्रिटिश सम्बन्ध भारतीय जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। 'कर्त्तव्य के प्रति सजगता, भ्रष्टाचारहीनता, सुधार की भावना, सामाजिक दायित्व की भावना को याद रखा जा सकता है और उनकी अच्छी तरह से सराहना का जा सकता है।
